सतत् समृद्धि की ओर अग्रसर ...

44वीं वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

मिशन एवं उद्देश्य

मिशन

(i) ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना।

(ii) देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरचना, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्तपोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक एवं ग्राहकों का ध्यान रखने वाली विकासपरक संस्था के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

उपर्युक्त मिशन को आगे बढ़ाते हुए निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :

1. समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों को बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर बल देते हुए विद्युत वितरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना एवं ग्रामीण विद्युत की बुनियादी सुविधाओं और आवास विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन करना।

2. दूर-दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जनजातीय, तटवर्ती एवं अन्य दुर्गम/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन, नए एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्श सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण एवं अनुरक्षण और आधुनिकीकरण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधता लाना।

3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।

4. निगम के प्रचालनों हेतु आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिलाभ की अधिकाधिक दर प्राप्त करना, साथ ही निम्नलिखित जैसे निगमित लक्ष्य पूरे करना :अर्थात (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना; (ii) बिजली की मांग का विकास; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास; और (iv)प्रौद्योगिकी उन्नयन।

5. प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास और आत्म-सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।

6. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

विषय सूची

1. कंपनी के बारे में सूचना 2
2. निदेशक मंडल 3
3. कार्यनिषादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें 4
4. शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र 6
5. वार्षिक आम बैठक का नोटिस 12
6. निदेशकों का विवरण 17
7. निदेशकों की रिपोर्ट 20
8. प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 47
9. निगमित सुशासन की रिपोर्ट 53
10. कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट 73
11. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1)(ङ) के अनुसरण में विवरण 82
12. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट 83
13. निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र 85
14. तुलन पत्र 86
15. लाभ एवं हानि लेखा 87
16. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 88
17. लेखा टिप्पणियां 91
18. नकदी प्रवाह विवरण 121
19. स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 125
20. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 128
21. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 129
22. समेकित वित्तीय विवरण 130
23. समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 167
24. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अनुसरण में विवरण 168
25. प्रबंधन दल 169
26. आरईसी कार्यालयों के पते 171

कंपनी के बारे में सूचना

कारपोरेट कार्यालय

प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री प्रकाश ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती आभा आनन्द किशोर

कार्यकारी निदेशक

श्री विनोद बिहारी
कार्यकारी निदेशक
(मा.स. एवं सीसी)

श्री वी.के.अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक
(वित्त)

श्री सुशील कुमार लोहानी
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई एवं मु.का. अधि.-आरईसीपीडीसीएल)

श्री डी.एस.आहलूवालिया
कार्यकारी निदेशक
(वित्त)

श्री अशोक अवस्थी
कार्यकारी निदेशक
(प्रशा./आरईएन एंड एसडी/आईटी/एस्टेट/पीएम)

महाप्रबंधक

श्री संजीव गर्ग
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री सुनील कुमार
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री एस.एन.गायकवाड़
महाप्रबंधक
(पी.एम)

श्री एस.के.गुप्ता
महाप्रबंधक
(पारेषण एवं वितरण एवं मु.का.अधि.-आरईसीटीपीसीएल)

श्री राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक
(संसा./सीपी/सीएसआर)

श्री टी.एस.सी.बोस
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री दिनेश कुमार
महाप्रबंधक
(रिन्यूएबल एनर्जी)

श्री एम.के.मित्तल
महाप्रबंधक
(ईएपी/सीए एंड टी/एएलएम)

श्री जी.एस.भाटी
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री वी.के.गोविल
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री एल.एम.वर्मा
महाप्रबंधक
(सतर्कता)

श्रीमती कल्पना कौल
महाप्रबंधक
(मा.सं. एवं सीसी)

श्री जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक
एवं कंपनी सचिव

आंचलिक प्रबंधक

पश्चिमी अंचल, मुंबई
श्री सी.पी.भाटिया
आंचलिक प्रबंधक

पूर्वी अंचल, कोलकाता
श्री जयदेव बनर्जी
आंचलिक प्रबंधक

उत्तरी अंचल, पंचकुला
श्री राकेश सरीन
आंचलिक प्रबंधक

दक्षिणी अंचल, हैदराबाद
श्री पी.एस.हरिहरन
आंचलिक प्रबंधक

पूर्व मध्य अंचल, पटना
श्री एन.के.मौर्या
आंचलिक प्रबंधक

पंजीकृत कार्यालय

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003,
दूरभाष: 91 11 24365161,फैक्स : 91 11 24360644, ई-मेल: reccorp@recl.nic.in वेबसाइट: www.recindia.gov.in

कंपनी सचिव

श्री जे.एस.अमिताभ

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
प्लॉट 17 से 24, विट्ठलराव नगर, मधापुर, हैदराबाद-500081,भारत, दूरभाष: 91 40 44655000
फैक्स: 91 40 23420814, ई-मेल: einward.ris@karvy.com, वेबसाइट: www.karvy.com

शेयर सूचीबद्धकर्ता एक्सचेंज

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

डिपाजिटरी

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक

बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सचिवालयी लेखापरीक्षक

ग्रोवर आहूजा एंड एसोसिएटस, कंपनी सचिव

बैंकर्स

भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विजया बैंक

देना बैंक
कारपोरेशन बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

आईडीबीआई बैंक
इंडस इंड बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
रत्नाकर बैंक

यैस बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
ऐक्सिस बैंक

निदेशक मंडल

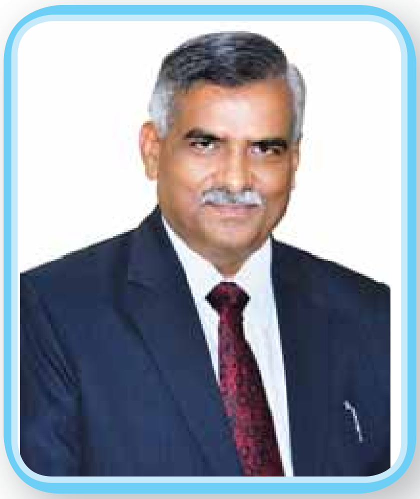

श्री राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री प्रकाश ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री बी. एन. शर्मा
सरकारी नामिती निदेशक

डॉ.देवी सिंह
अंशकालिक गैर-सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

श्री वी.सुब्रामणियन
अंशकालिक गैर-सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. सुनील कुमार गुप्ता
अंशकालिक गैर-सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें
पिछले 10 वर्षों के दौरान सतत् विकास

विवरण	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
शेयर धारकों की निधियां										
(वर्ष के अंत तक)										
इक्विटी पूंजी (लाख ₹)	98746	98746	98746	98746	85866	85866	78060	78060	78060	78060
आरक्षित एवं अधिशेष (निवल)	1646692	1357558	1180116	1009288	533142	450904	323211	341773	299830	248377
नेटवर्थ	1745438	1456304	1278862	1108033	619008	536771	401271	419833	377890	326437
उधार (लाख ₹)										
भारत सरकार से	1514	2464	3613	4942	6474	8192	10048	11997	14017	118336
बांड जारी करके	8524904	7137220	5119525	4086101	3263148	2408962	2248372	1675724	1360591	1197511
भारतीय जीवन बीमा निगम से	215000	250000	285000	320000	335000	350000	350000	350000	350000	150000
विदेशी मुद्रा उधार	1523819	1069809	758332	207637	149368	104845	87209	–	–	–
वाणिज्यिक दस्तावेजों से	98000	–	–	245000	129500	–	–	–	–	–
अन्य बैंकों से	78880	109154	646914	644143	610105	556280	332471	366200	213200	44000
आईआईएफसीएल से	187000	187000	187000	87000	–	–	–	–	–	–
बैंकों से आहरित कार्यशील पूंजी	–	250000	–	–	–	–	–	–	–	–
वित्तीय प्रचालन										
(वर्ष के दौरान (लाख ₹)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	1031	1091	658	492	506	881	748	661	1523	1322
स्वीकृत वित्तीय सहायता	*7947049	*5129677	*6641998	*4535736	*4074584	*4676976	*2862985	*1659689	1631636	1597791
संवितरण	4018306	3059330	2851711	2712714	2227786	1630370	1373299	800658	788509	601704
उधारकर्ताओं द्वारा वापस-अदायगी	1334592	811969	877258	580654	511936	560024	403444	350646	468324	358732
वर्ष के अंत में बकाया	12735552	10142626	8172545	6597875	5065281	3861483	3126218	2456368	2106218	1830470
उपलब्धियां										
विद्युतीकृत गांव										
वर्ष के दौरान	+44171	**66898	@95293	^53370	^^48533	#38262	✦40233	181	765	122
वर्ष के अंत तक	692770	648599	581701	486408	433038	384505	˄346243	306010	305829	305064
ऊर्जायित पंपसेट										
वर्ष के दौरान	254993	329022	318176	240020	188743	181244	174750	182239	175772	132914
वर्ष के अंत तक	10252441	9997448	9668426	9350250	9110230	8921487	8740243	8565493	8383254	8207482
कार्यकारी परिणाम										
(वर्ष के लिए) (लाख ₹)										
कुल आय	1359867	1050907	849527	670760	493128	353766	285399	224506	230209	199671
कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय	21653	22932	16436	14467	10924	11110	6416	5770	4434	4659
ब्याज	787725	626879	478092	389120	288735	206365	174089	133913	120475	114220
मूल्यह्रास	375	327	304	216	136	139	113	110	115	103
कर पूर्व लाभ	516395	379286	347663	264919	192011	131242	100619	82983	103665	80154
कर के लिए प्रावधान	134633	97583	90670	64778	64803	45228	34593	19232	23590	18915
कर पश्चात लाभ	381762	281703	256993	200142	127208	86014	66026	63751	80075	61239
इक्विटी पर लाभांश	81465	74059	74059	60321	38640	25760	17700	19126	23450	18300

* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अनुदान को छोड़कर

\+ इसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 2587 अविद्युतीकृत गांव और 41584 अंशत: गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

** इसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 7934 अविद्युतीकृत गांव और 58964 अंशत: गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

@ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया । इसमें 76987 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

^ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया । इसमें 34996 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

^^ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया । इसमें 36477 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया । इसमें 28961 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

✦ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया इसमें 11,527 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

˄ वर्ष 2005-06 के दौरान, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 10169 गांवों का कार्य (350 विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण सहित) पूरा किया गया, भी शामिल है।

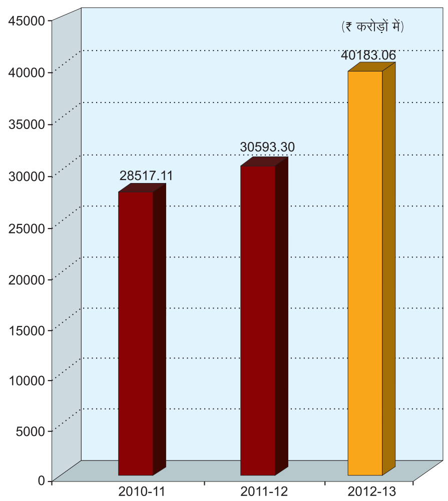

संवितरण (आरजीजीवीवाई सब्सिडी सहित)

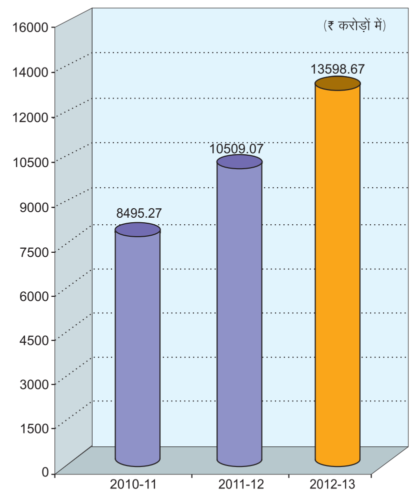

कुल आय

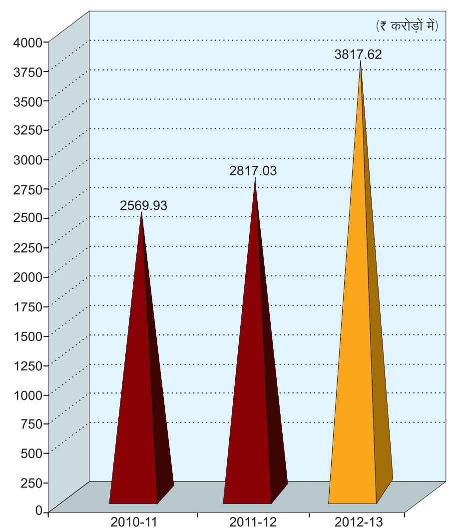

कर पश्चात लाभ

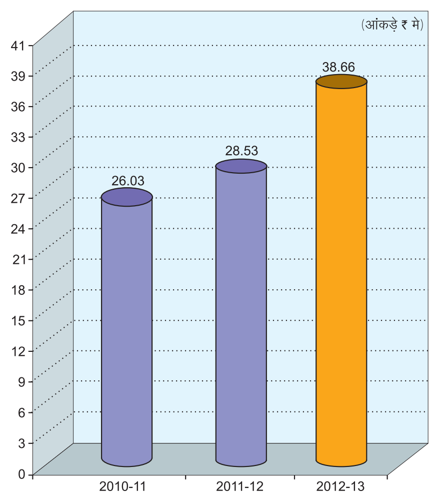

₹ 10 के प्रति शेयर अर्जन

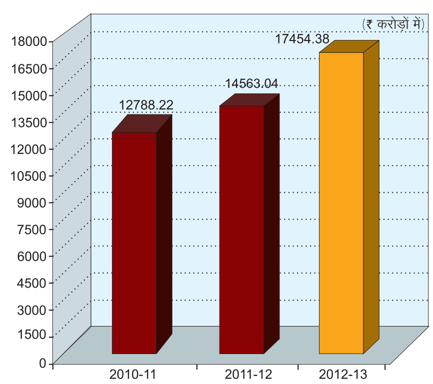

नेटवर्थ

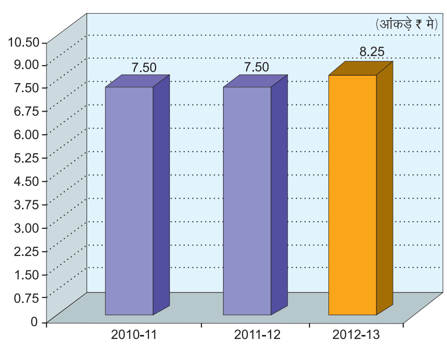

₹ 10 के प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश

शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र

देवियो और सज्जनो,

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) के निदेशक मंडल की ओर से एवं अपनी ओर से मुझे आपकी कंपनी की 44वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

मेरा यह सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी 'नवरत्न' कंपनी का प्रमुख हूं, जिसका पिछले दशक से समग्र कार्य-निष्पादन, संवृद्धि और लाभकारिता का उत्कृष्ट रिकार्ड रहा है। वर्ष 1969 से शुरू इसके गठन के वर्षों से जब यह कंपनी मुख्यतः पंपसेटों के ऊर्जायन और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए वित्तपोषण करती थी, तब से कंपनी ने एक लंबी यात्रा तय की है और आज यह देश का एक ऐसा प्रमुख सरकारी वित्तीय संस्थान है, जो संपूर्ण विद्युत ढ़ांचागत सुविधाओं के क्षेत्र में लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए वित्तपोषण कर रहा है।

मैं आर्थिक दृश्य के संबंध में आपके साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हुए इस कंपनी के कार्य-निष्पादन की प्रमुख बातों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

आर्थिक परिवेश

मंदी के प्रभाव के कारण विश्व अर्थव्यवस्था अभी भी लड़खड़ा रही है और औद्योगिक क्रियाकलाप में भी धीमी गति देखने को मिली है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था का संकट और तेल उत्पादन करने वाले मध्य-पूर्व देशों की हलचल ने विकास की संभावना को और तेजी से गिरा दिया है और अभी भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना शुरू हो गई है और यूरोपीय क्षेत्र में वित्तीय बाजारों पर तत्काल दबाव को कम करने के लिए ईसीबी के प्रयासों ने चल निधि की व्यवस्था की है। अभी भी यूरोपीय क्षेत्र में सुधारों ने आर्थिक स्थायीकरण का कोई स्थायी संकेत नहीं दिया है। इसके परिणामतः राजकोषीय चिंताएं पूरे विश्व में चिंता का विषय बना हुआ है। सतर्क वित्तीय अनुशासन पर जोर देने के लिए संबंधित सरकारों और देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति में किए गए समन्वित प्रयासों ने विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार दर्शाया है।

विश्व अर्थव्यवस्था में उठापटक के सोपानी प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था अछूती नहीं रही है, जिसके परिणामतः पिछले कुछ वर्षों में अच्छी संवृद्धि होने के बाद वित्त वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद गिरकर 6 स्तरों से भी नीचे आ गया है। दीर्घकालिक मूलभूत सुविधाओं जैसे आय में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि, अनुकूल जनसांख्यिकी और अत्यधिक बुनियादी सुविधाओं में संवृद्धि के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के उपभोग के तरीके का स्वरूप व्यापक रूप से यथावत और स्थायी बना रहा है। लेकिन खाद्य वस्तुओं की कीमतों और जिन्सों के आधार पर महंगाई का दबाव बने रहने जैसी चिंताएं सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही हैं। सशक्त मूलभूत सुविधाओं के आधार पर और भारत सरकार द्वारा इस दबाव को कम करने के संबंध में किए गए उपायों के कारण हमें आशा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़े ही समय में दीर्घकालिक माध्यमों पर उच्च संवृद्धि दर बनाए रखने में सफल होगी।

विद्युत क्षेत्र

विद्युत क्षेत्र बुनियादी ढ़ांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा आर्थिक क्रियाकलापों और संवृद्धि का एक मुख्य संचालक है। कोर क्षेत्र के विकास पर स्थिर मुद्रास्फीति (स्टैगफ्लेशन) प्रभाव के संकेत दिखाई देने के बावजूद राजकोषीय वर्ष 2013 के दौरान विद्युत क्षेत्र का कार्य-निष्पादन बेहतर रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में संस्थापित क्षमता में 20623 मेगावाट की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई, जबकि क्षमता संवर्धन का लक्ष्य 17956 मेगावाट था, जिसमें 15% की संवृद्धि दिखाई दे रही है। यह प्रमुख संवृद्धि थर्मल क्षेत्र से हुई है, जिसकी मात्रा राजकोषीय वर्ष के दौरान कुल क्षमता संवर्धन का लगभग 98% रही है। इसमें से निजी क्षेत्र से क्षमता संवर्धन 11188 मेगावाट था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 223.34 जीडब्ल्यू थी, जिसमें 11वीं योजना के अंत में 11.7% की वृद्धि हुई थी। नवीकरणीय ऊर्जा में 11वीं योजना के अंत में अभूतपूर्व संवृद्धि देखी गई है। नवीकरणीय ऊर्जा का भाग देश में विद्युत उत्पादन के संसाधनों के लिए ईंधन के मिश्रण में बड़ी मात्रा में परिवर्तित होने का संकेत है।

लेकिन भारतीय विद्युत क्षेत्र ने वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना किया, यथा अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक कोयला संपर्कन में कमी, कोयला खानों की क्षमता में योजनाबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना, आयात किए जाने वाले ईंधन मूल्यों में वृद्धि होना, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर्यावरण तथा जल संबंधी मुद्दे, योग्यताप्राप्त बीओपी आपूर्तिकर्ताओं की कमी, वित्तीय समापन आदि में विलंब । यदि इस प्रकार की समस्याएं नहीं होतीं तो क्षमता संवर्धन और अधिक होता।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में विद्युत क्षमता में 88425 मेगावाट की संवृद्धि की कल्पना की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए समग्र निधि की आवश्यकता का अनुमान लगभग ₹ 14 लाख करोड़ लगाया गया है। 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि 9% की सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि की दर से वर्ष 2022 तक दर्शाई गई मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पारेषण और वितरण प्रणाली में अपेक्षित विस्तार के अनुरूप 94,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी।

विद्युत उत्पादन क्षेत्र, कोयले की कमी और आबद्ध कोयला खानों से नियोजित लक्ष्यों को प्राप्त करने की विफलता के कारण काफी परेशानी का सामना कर चुका है। 12वीं पचवर्षीय योजना अवधि में 842 मीट्रिक टन की कुल अनुमानित कोयला मांग में लगभग 238 मीट्रिक टन कोयले की कमी है। अनुमानित क्षमता बढ़ाने का जो कुल लक्ष्य रखा गया था, उसका 80% कोयले से तैयार करने की योजना है। कोयले की समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम जनशक्ति के साथ-साथ खनन हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग, कोयला खनन कंपनियों के लिए आर एंड आर नीति, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं का निवारण करने के लिए कार्यबल का सृजन, वन विभाग से अनुमति, कोयला खनन परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग और उच्च कुशलता प्राप्त परियोजनाओं के लिए नए संयोजनों को निर्धारित करने पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इन बाधाओं के परिणामतः योजनाबद्ध विद्युत क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका और उत्पादन की लागत पर सोपानीय प्रभाव वाले आयातित कोयले पर विद्युत उत्पादन कंपनियों की निर्भरता बढ़ी है।

वितरण क्षेत्र, विद्युत उत्पादन में राजस्व पैदा करने के संपर्क - पारेषण - वितरण की श्रृंखला विद्युत क्षेत्र की मूल्यवान श्रृंखला में स्पष्टतः एक कमजोरतम कड़ी है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र में सुधार की संपूर्ण प्रक्रिया के विचलित होने का खतरा है और इससे भारत की संवृद्धि की कहानी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र अपनी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तथापि वितरण क्षेत्र घाटे के कारण लड़खड़ा रहा है और भारत सरकार द्वारा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों को समर्थ बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है।

हालांकि, अधिकांश राज्य बिजली बोर्ड बिखर गए हैं, लेकिन वितरण का कार्य अभी भी काफी हद तक सरकारी यूटिलिटियों के नियंत्रण में है। इनके बिखराव के बाद विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन अच्छे वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर उनके प्रचालन के अभी तक वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। उच्च समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों, अलग-अलग विद्युत विनियामक आयोगों के निदेशों के सिद्धांतों और भावनाओं के ठीक अनुकूल टैरिफ में संशोधन न किए जाने से अधिकांश राज्यों में लंबे समय से कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिसके परिणामतः सब्सिडी का भार बढ़ रहा है, घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को उद्योगों द्वारा क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है, बिलों में अपर्याप्तता है और इस कमी को पूरा करने के लिए कीमती विद्युत खरीदने की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण इस नीति की पहलों के लाभों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। सभी राज्य बिजली बोर्डों की संयुक्त वार्षिक हानियां ₹ 1.9 लाख करोड़ तक हो गई हैं।

राज्य विद्युत वितरण कंपनियों में सुधार लाने और उनका दीर्घजीवी होना सुनिश्चित करने के लिए राज्य के स्वामित्व की विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एक वित्तीय पुनर्गठन योजना, यथा संक्रमणीय वित्त तंत्र (टीएफएम) भारत सरकार द्वारा गठित किया गया है। इस तंत्र में राज्य सरकार और संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) से वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) का अनुमोदन, टैरिफ में संशोधन जिसके द्वारा प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) और आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) के बीच के अंतर को कम करना, राज्य सरकार को ही सब्सिडी जारी करना जिसे बाद में एआरआर में समायोजित किया जाएगा, लेखापरीक्षित लेखों को नियमित रूप से दर्ज करना, आर-एपीडीआरपी और एनईएफ में प्रौद्योगिकी संबंधी हस्तक्षेप करके उन्हें प्रोत्साहित करना, यूटिलिटी-वार समग्र योजना तैयार करना और उच्च स्तर पर इसके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करना शामिल हैं।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने एक एकीकृत रेटिंग प्रविधि का विकास किया है, जिसके अंतर्गत राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियां आती हैं। इसका उद्देश्य लंबे समय में स्थायी वाणिज्य संबंधी अनुकूल कार्यों के लिए उनके कार्य-निष्पादन और योग्यता के आधार पर उन सभी यूटिलिटियों की रेटिंग करना है। इसमें यूटिलिटियों के प्रचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन को बढ़ाने और उसमें सुधार करने के लिए इन यूटिलिटियों को स्थान देने और प्रोत्साहन देने/प्रोत्साहन न देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऐसी आशा की जाती है कि इससे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में एकसमान और जोखिमों से जुड़े वास्तविक मूल्यांकन और विभिन्न यूटिलिटियों की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाएगा और प्रचालन, वित्तीय तथा प्रबंधकीय कार्य-निष्पादन को बढ़ाने के लिए समुचित ऋण से वित्त व्यवस्था की जा सकेगी।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने इस क्षेत्र के लिए ₹ 3.14 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान लगाया है, जिसमें त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम का पुनर्गठन (आर-एपीडीआरपी) और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शामिल हैं। आर-एपीडीआरपी का मुख्य ध्यान, हानियों में स्थायी कमी के रूप में वास्तविक, प्रदर्शनीय कार्य-निष्पादन, वास्तविक मूलभूत आंकड़ों के स्थायी संकलन के लिए विश्वसनीय और स्वचालित प्रणाली की स्थापना और ऊर्जा लेखाकरण के क्षेत्र में सूचना प्रोद्योगिकी को अपनाना है। आरजीजीवीवाई योजना में सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली की पहुंच प्रदान करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी सुविधा और आवास विद्युतीकरण की मांग की गई है। इस योजना के अधीन परियोजनाओं की समग्र योजना की लागत के लिए 90% पूंजी सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए आरईसी एक नोडल एजेंसी है। आर-एपीडीआरपी और एनईएफ में निर्मित कार्य-निष्पादन का अभिमुखीकरण वितरण बुनियादी सुविधाओं में आकर्षक और त्वरित निवेश होने की संभावना है, इस प्रकार हानियां कम करने के लक्ष्य को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।

इस प्रकार विद्युत क्षेत्र भविष्य में पर्याप्त निवेश के लिए जीवंत और आकर्षक बना रहेगा।

कार्य-निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें

आपकी कंपनी ने ऋण के संवितरण, वसूली, प्रचालन आय और लाभ के मुख्य क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2012-13 में उच्च संवृद्धि दर्ज की है और रिकार्ड कार्य-निष्पादन किया है। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल ₹ 40,183 करोड़ का संवितरण किया गया था (जिसमें टीएफएल का घटक ₹ 9,570 करोड़ और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन सब्सिडी ₹ 907.89 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष यह रकम ₹ 30,593.30 करोड़ थी। आपकी कंपनी की गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) का न्यूनतम स्तर बना रहा। वित्त वर्ष 2012-13 में आपकी कंपनी की कुल प्रचालन आय 30% बढ़कर ₹ 13,518.86 करोड़ हो गई है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 10,423.75 करोड़ थी। कर-पश्चात आय 36% बढ़कर ₹ 3,817.62 करोड़ हो गई है, जो पिछले वर्ष ₹ 2,817.03 करोड़ थी।

आपकी कंपनी को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी और फिच से अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग क्रमशः 'बीएए3' तथा 'बीबीबी' प्राप्त है, जो भारत की सबसे उच्चतम रेटिंग है। 'बीएए3' श्रेणीकृत बाध्यताएं मामूली क्रेडिट जोखिम निर्दिष्ट करती हैं तथा 'बीबीबी' श्रेणीकृत बाध्यताओं से तात्पर्य है कि व्यतिक्रम जोखिम की प्रत्याशाएं वर्तमान में कम हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान भी आपकी कंपनी ने क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इकरा जैसी घरेलू रेटिंग एजेंसियों से अपने विशिष्ट संसाधन जुटाव कार्यक्रम के लिए सर्वोच्च रेटिंग 'एएए' प्राप्त करना बरकरार रखा है। निरंतर उच्च रेटिंग प्राप्त करना, सुदृढ़ मूलभूत अंतर्निहित वित्तीय शक्ति के साथ एक संस्था के रूप में आरईसी की उच्च स्थिति का सबूत है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अपनी प्रचालन आवश्यकताओं के लिए बाजार से 30759.16 करोड़ जुटाए हैं। इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के अधीन कर-मुक्त प्रतिभूत उन्मोचनीय बांड के रूप में ₹ 4903.25 करोड़, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(iv)(एच) कर-मुक्त प्रतिभूत कर-मुक्त प्रतिभूत उन्मोचनीय अपरिवर्तनीय बांड के रूप में जुटाए गए ₹ 2648.41 करोड़ शामिल हैं, जिनमें वे 500 करोड़ भी शामिल हैं, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए हैं और शेष धनराशि अधिसूचना के रूप में दो श्रृंखलाओं में सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाई गई हैं, ₹ 2117.18 करोड़ कमर्शियल पेपरों (सीपी) के माध्यम से, संस्थागत बांड जारी करने के माध्यम से ₹ 16378.90 करोड़, विदेशी वाणिज्यिक उधार के जरिए ₹ 4464.40 करोड़ और केएफडब्ल्यू, जर्मनी और जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), जापान से सरकारी विकास सहायता (ओडीए) के रूप में ₹ 247.02 करोड़ जुटाए गए हैं।

लाभांश

फरवरी 2013 में प्रदत्त ₹ 6.75 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा, आपकी कंपनी के निदेशकों ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 1.50 प्रति शेयर की दर से अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जिसके संबंध में आपसे अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए कुल लाभांश का हिसाब ₹ 10 के प्रत्येक शेयर पर ₹ 8.25 लगाया गया है, जिसमें कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 82.50% और कर-पश्चात लाभ का 21.34% शामिल है, जबकि पिछले वर्ष में कंपनी की प्रदत्त पूंजी 75% थी और प्रदत्त कर-पश्चात लाभ 26.29% था। वित्त वर्ष के संबंध में अदा किए जाने वाला कुल लाभांश ₹ 814.65 करोड़ होगा, जिसमें लाभांश कर शामिल नहीं है।

विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण

यह कंपनी ग्राम विद्युतीकरण और पंपसेट ऊर्जायन के अलावा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है। इस कंपनी ने देश में नई विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सृजन और विद्यमान पारेषण एवं वितरण तंत्र में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा है। 'सबके लिए बिजली' सुलभ करवाने और तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए भारत निर्माण के देश के उद्देश्य के अनुसार इस कंपनी ने वर्तमान पारेषण तंत्र के विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की परियोजनाओं का वित्तपोषण करना जारी रखा है और इसके लिए उनके ट्रांसफार्मर, मीटरों, कैपिसिटरों आदि तथा निम्न वोल्टता वितरण को उच्च वोल्टता प्रणाली में बदलने के लिए वित्तपोषण किया है।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी ने 41 विद्युत उत्पादन/मरम्मत तथा अनुरक्षण ऋण मंजूर किए हैं, जिनमें 13 अतिरिक्त ऋण सहायता भी शामिल हैं और जिसका कुल वित्तीय परिव्यय ₹ 26,854.79 करोड़ है, जिनमें अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ सामूहिक वित्तपोषण भी शामिल है और चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹ 12,496.87 करोड़ संवितरित किए हैं।

पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण

आपकी कंपनी देश में पारेषण और वितरण तंत्र के अधीन नई बुनियादी सुविधाओं के सृजन और विद्यमान बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। वर्ष 2012 तक सभी को बिजली प्रदान करने के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप और एकीकृत तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए भी आपकी कंपनी पारेषण तंत्र के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए योजनाओं का वित्तपोषण करती रही है और इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान इस कंपनी ने पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए कुल ₹ 47,845.64 करोड़ का ऋण मंजूर किया है और कुल ₹ 22,287.16 करोड़ का ऋण संवितरित किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य परियोजनाओं का वित्तपोषण

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान विद्युत उत्पादन तथा पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के अलावा, आपकी कंपनी ने 11 ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 580.06 करोड़ की ऋण सहायता भी मंजूर की है, जिससे संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल 126.60 मेगावाट हो गई है और विभिन्न राज्य विद्युत यूटिलिटियों को ₹ 4190 करोड़ का अल्पकालिक ऋण मंजूर किया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अपने प्रतिष्ठित कार्यक्रम के माध्यम से 'सभी गांवों को बिजली' और 'सभी को बिजली' के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। इस योजना के अधीन, परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इस आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के अधीन दिनांक 31.03.2013 तक संचयी रूप में 107083 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है और 2.07 करोड़ बीपीएल परिवारों को बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान इस कंपनी ने ₹ 980.03 करोड़ की कुल रकम संवितरित की है (जिसमें ₹ 907.89 करोड़ की सरकारी सब्सिडी भी शामिल है)।

सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

आपकी कंपनी ने आज की तारीख तक वितरण, पारेषण आदि के क्षेत्र में अतिरिक्त परामर्शी कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को निगमित किया हैः

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

इसके अलावा, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' के रूप में नामित किया है। आज की तारीख तक सहायक कंपनी के रूप में निम्नलिखित को प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज वेहिकल(एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया हैः

(i) विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (वीटीएल)

(ii) कुडगी ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल)

(iii) नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल)

(iv) ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (यूटीएल)

(v) बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसएसटीएल)

(vi) एनआरएसएस 29 ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(vii) एनआरएसएस 31(ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(viii) एनआरएसएस 31(बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड*

* 31 मार्च, 2013 के बाद निगमित

प्रत्येक पारेषण प्रणाली के लिए अलग-अलग योग्यता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) और प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) विशेषताओं वाली दो चरणीय बोली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में विकासकर्ता के चयन के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार है। अलग-अलग पारेषण परियोजनाओं के लिए विकासकर्ता के चयन की बोली प्रक्रिया वित्त वर्ष 2013-14 के अंदर पूरी होने की संभावना है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरईसीटीपीसीएल ने वेमागिरि क्षेत्र के आईपीपी से संबंध पारेषण प्रणाली के विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है पैकेज ए परियोजना विशिष्ट एसपीवी, यथा वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम्स लिमिटेड को मैसर्स पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया था, जो ₹ 182.79 मिलियन की रकम वाली कीमत के अर्जन की अदायगी के संबंध में 18 अप्रैल, 2012 को सफल बोलीदाता के रूप में उभरा था। इस रकम में ₹ 150 मिलियन का व्यावसायिक शुल्क भी शामिल है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने समान भागीदार के रूप में एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और पीएफसी नामक तीन अन्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के साथ 10 दिसंबर, 2009 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की थी। ईईएसएल के कारोबार की योजना में ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड, कृषि मांग पक्ष प्रबंधन, म्युनिसिपल डीएसएम, बचत लैम्प योजना, ऊर्जा दक्षता उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) आदि पर विचार किया गया है। इसके अलावा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा निभाई जा रही चालू वाणिज्यिक भूमिकाओं को अपने हाथ में लिया है।

केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर)

इस कंपनी ने 32 वर्ष पूर्व हैदराबाद में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की थी, जिसे केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र तथा बिजली एवं ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजली क्षेत्र के कार्यपालकों तथा कंपनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभालता है और इस उद्देश्य से पारेषण एवं वितरण से जुड़े क्षेत्रों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने सायर को और आधुनिक बनाने की योजना बनाई है। इस परिसर में एक 'एनर्जी पार्क' बनाने की भी योजना है, जो प्रशिक्षण में व्यावहारिक दिशा देने का काम करेगा।

मानव संसाधन प्रबंधन

कारोबार कौशल तथा अपेक्षित क्षमता को और प्रखर बनाने के उद्देश्य से कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है, ताकि कर्मचारियों का कार्य-निष्पादन बेहतर हो सके और कर्मचारियों को अपने कार्य-निष्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उन्हें सभी संभव अवसर और सहायता दी जा सके। निर्धारित आवश्यकता पर आधारित और उनकी संतुष्टि के माध्यम के रूप में कंपनी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को देश और विदेश में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में प्रायोजित करती है। इसके अलावा, आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें आरईसी के स्वामित्व वाले सायर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम भी शामिल हैं।

ईआरपी आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली

आपकी कंपनी अति आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता रखने वाले और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के उन्नयनीकरण और कार्यान्वयन के लिए सतत प्रयास कर रही है, ताकि आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार हो सके। आपकी कंपनी ने एकीकृत ऑरेकल आधारित ईआरपी प्रणाली पहले ही लागू कर दी है जिसके अंतर्गत सभी प्रमुख कारोबार आते हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय लेखाकरण, परियोजना मूल्यांकन और मंजूरी, संवितरण और ऋण लेखे का प्रबंधन, रोकड़

प्रबंधन, खजाने के कार्य, वेतन चिट्ठा, खरीद आदि जैसे कंपनी के सभी महत्त्वपूर्ण कारोबार संबंधी कार्य आते हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने कई अन्य प्रणालियों को भी लागू कर दिया है, जिनमें प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली, ई-खरीद प्रणाली, इंटरानेट आदि भी शामिल हैं ताकि अधिक पारदर्शिता और बेहतर ई-सुशासन संभव हो सके। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी ने ईआरपी प्रचालन के लिए आपदा राहत केंद्र, चयनित प्रभागों और कार्यालयों में निर्णय लेने के इलेक्ट्रॉनिक संचलन के लिए एक कार्य-प्रवाह प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। इन सभी से आंतरिक दक्षता में सुधार और ग्राहकों की संतुष्टि में बढ़ोतरी हुई है। आपकी कंपनी ने स्टैंडअलोन प्रणाली, से एक एकीकृत एचआर प्रणाली, एचआर के कार्यों के अंतरण के लिए एचआर-ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है।

निगमित सुशासन

एक सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में आपकी कंपनी सूचीकरण करार में निर्धारित निगमित सुशासन की अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के उपबंधों का भी इस सबंध में पालन कर रही है। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन में निगमित सुशासन नैतिक और जिम्मेदार तरीके से कारोबार का प्रबंधन कर रहा है ताकि विद्यमान विनियामक ढांचे के अंदर विभिन्न हितधारकों के स्थायी मूल्य का सृजन किया जा सके। कंपनी का ऐसी सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने में विश्वास है जो पूरे विश्व में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनाई जाती हैं।

इसके अलावा, एक जिम्मेदार निगमित नागरिक के रूप में आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए ''हरित पहल'' संबंधी परिपत्रों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से सहायता दी है और वार्षिक रिपोर्ट तथा अंतिम/अंतरिम लाभांश की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयधारकों को भेजी है, जिनके ई-मेल पते पंजीकृत थे।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी पहलें शुरू कर दी गई थीं, ताकि आरईसी का समग्र कारोबार प्रचालन सामाजिक प्रक्रिया से हो, जिसमें सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखा गया था। कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं को सतत् विकास के सिद्धांत से जोड़ा गया था। इस कार्यनीति का ध्यान कारपोरेट सामाजिक दायित्व की उन पहलों की ओर था, जिनसे राष्ट्रीय योजना का लक्ष्य और उद्देश्य पूरा होता है, जिनमें महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, कौशल वृद्धि, उद्यमशीलता और स्थानीय संस्थानों, लोगों के साथ सहसृजक मूल्य द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी मिलेनियम विकास लक्ष्य सुनिश्चित करना था। कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों की पहचान करते समय कंपनी ने एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ताकि तीसरे स्तर के निचले आधार दृष्टिकोण के रूप में मापित सामुदायिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके। कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यनीति परियोजना आधारित दायित्व के दृष्टिकोण से कार्य योजना सहित विकसित की गई है। अधिकांश कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों को बेसलाइन सर्वेक्षण और विनिर्दिष्ट समय-सीमा तथा अभिनिर्धारित लक्ष्य और आवधिक मॉनीटरिंग द्वारा परियोजना के तरीके से कार्यान्वित किया गया है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन आबंटित निधि के वितरण को लक्ष्य और निष्पादनयोग्य की प्राप्ति से जोड़ा गया था।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान पिछले वर्ष के कर-पश्चात लाभ (पीएटी) के 0.5% की दर से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व बजट में आबंटन किया गया था। इस वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1000 ग्रामीण/अर्ध-शहरी युवकों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, 'कौशल विकास/उन्नयनीकरण और कार्योन्मुखी प्रशिक्षण' आयोजित किए गए थे, जिनमें पिछड़े क्षेत्रों की महिलाएं भी शामिल थीं। इनमें राजस्थान राज्य में सरकारी विद्यालयों को पकाया हुआ भोजन प्रदान करने के लिए चार अनुकूल वाहन, उत्तराखंड, दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्यों के सरकारी विद्यालयों में 42 पुस्तकालय स्थापित करने, असम और ओडीशा राज्य में प्रत्येक के 30 गांवों को सौर प्रकाश सेवा सहायता देने और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और असम राज्य आदि में अशक्त व्यक्तियों को साधन और उपकरणों का वितरण करना भी शामिल है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार रेटिंग एवं पुरस्कार

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार आपकी कंपनी के कामकाज को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है। वर्ष 1993-94, जब सरकार के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, से यह लगातार 19वां वर्ष है जब आरईसी ने 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए भी, निष्पादन के आधार पर यह कंपनी 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने की स्थिति में है।

यह आपकी कंपनी के लिए बड़े सम्मान की बात है कि इसे वित्त वर्ष 2012-13 के लिए सार्वजनिक उद्यम संस्थान (आईपीई), हैदराबाद से निगमित सुशासन के लिए आईपीई-सीएसआर पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपकी कंपनी को इंडिया प्राइड अवार्ड, दैनिक भास्कर और डीएनए द्वारा 'गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं' की श्रेणी में भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ''तीव्रतम विकास प्रचालन मैट्रिक्स'' के लिए डीएसआईजे पीएसयू पुरस्कार-2012 और पांचवां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार-2013 भी प्राप्त हुआ है।

अन्य पहल

आपकी कंपनी ने 'व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी' को अपनाया है, जो सूचीकरण करार के खंड 49 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए सीपीएसई के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 8 की गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं के रूप में हैं ताकि कर्मचारी, निदेशक, लेखापरीक्षक आदि ऐसी सूचनाओं को प्रकट कर सकें, जिसे वह व्यक्ति तथाकथित गलत परिपाटी या ऐसा गलत कार्य मानता है, जिससे कंपनी के कारोबार या प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे बेहतर निगमित सुशासन परिपाटी को प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना गया है।

दूसरी महत्त्वपूर्ण पहल वित्त वर्ष 2012-13 के लिए व्यवसायी कंपनी सचिव द्वारा किए जाने वाली सचिवालयीय लेखापरीक्षा स्वेच्छा से करवाना है, जैसा कि पिछले वर्ष किया गया था और उन्होंने गैर-अर्हताप्राप्त सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है।

आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई 'सतत् विकास' की नीति भी अपनाई है जो चालू वित्त वर्ष से लागू है। सतत विकास में आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक प्रगति और पर्यावरण संबंधी दायित्वों के प्रति सुदीर्घ और संतुलित दृष्टिकोण शामिल है और इसके लिए लगभग ₹ 3.23 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है। शुरू में मोटे तौर पर केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद के परिसर में कार्यान्वित किए जाने के लिए पांच परियोजनाएं अभिनिर्धारित की गई हैं, जिनमें ऊर्जा लेखापरीक्षा, सौर प्रकाश व्यवस्था का संस्थापन, सौर/वायु हाईब्रिड पावर संयंत्र, हरियाली और वृक्षारोपण तथा वर्षा-जल संरक्षण (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) उपाय शामिल हैं।

भावी योजना

आपकी कंपनी उत्पादों की व्यापक रेंज का प्रस्ताव देती है ताकि उपभोक्ताओं की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उनके क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया जा सके। आरईसी अपने मूल वित्तीय क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और विद्युत उपस्करों के वित्तपोषण, ऊर्जा दक्षता संबंधी क्रियाकलाप, इक्विटी वित्तपोषण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी नए कारोबार के क्षेत्रों का पता लगाएगा।

आपकी कंपनी सौर, बायोमास और पवन ऊर्जा जैसे हरित ऊर्जा के वित्तपोषण में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की योजना बना रही है जिससे बिजली की कमी, कार्बन के उत्सर्जन और ईंधन की आपूर्ति की समस्या को कम करने में सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा, आपकी कंपनी अपनी उधार और प्रचालन संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा करती है और उन्हें संशोधित करती है ताकि वह बाजार की आवश्यकताओं और अपने निगम के लक्ष्यों के अनुकूल बनी रहे।

आपकी कंपनी ने एक 'राजनीतिक कारोबार समूह' का गठन किया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं ताकि यह कारोबार के नए अवसरों का पता लगाए और कंपनी के कारोबार के विकास के संबंध में नए उत्पादों की खोज करे।

आपकी कंपनी त्वरित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह प्रबंधक वर्ग के प्राधिकार और स्वतंत्रता पर बल देते हुए अपने कार्य में पारदर्शिता, दायित्व और व्यावसायिकता तथा हितधारकों तथा समाज के बड़े भाग के दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निगमित सुशासन के सर्वोत्तम मानकों को प्राप्त करना जारी रखेगी।

भावी अवलोकन

11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में, विद्युत क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में 12वीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों और 88,425 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वृद्धि के वित्तपोषण के लिए अनुमानित रकम और पारेषण तथा वितरण की बुनियादी सुविधाओं के संतुलन के लिए विद्युत क्षेत्र बड़ी-बड़ी संभावनाओं का पता लगाना जारी रखेगा, ताकि देश की बुनियादी सुविधाओं के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जा सके। वित्त वर्ष 2012-13 में कंपनी की परिसंपत्तियों का आकार ₹ 1.30 लाख करोड़ रहा है। आपकी कंपनी अपनी ओर से सभी संसाधनों के लिए सभी प्रयास करेगी और उनका उपयोग करेगी, ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ₹ 9-10 लाख करोड़ की अनुमानित ऋण आवश्यकता के वित्तपोषण के लिए कारोबार में अधिक से अधिक हिस्सा प्राप्त कर सके। यह कंपनी सतत विकास दर बनाए रखने का प्रयास करेगी और उसको जारी रखेगी तथा अपने सभी हितधारकों की आकांक्षाओं के अनुसार अभी और उच्च कार्य-निष्पादन को प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

आभार

माननीय विद्युत मंत्री/माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सचिव (विद्युत), अपर सचिव (विद्युत), संयुक्त सचिव (ग्रामीण विद्युतीकरण) और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों से आपकी कंपनी को प्राप्त असीम समर्थन और मार्गदर्शन के लिए, मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कंपनी का सुचारु और सफल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और सचिवालयीय लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए सभी सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं, उनका आभारी हूं। इस कंपनी में विश्वास व्यक्त करने के लिए मैं, ऋणदाताओं और निवेशकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

मैं, निदेशक मंडल के अपने सम्मानित सहकर्मियों और आरईसी के उन सभी कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने कार्य के प्रति अथक प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं कंपनी के अन्य सभी हितधारकों को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समर्थन और सहयोग दिया है और कंपनी के कार्य-निष्पादन में अपना विश्वास बनाए रखा है।

मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारियों के समर्पित एवं प्रतिबद्ध सहयोग और हमारे सम्मानित शेयरधारकों के सतत सहयोग से आपकी कंपनी अपनी जिम्मेदारियों का निरंतर निर्वाह और अपने हितधारकों का सम्मान करती रहेगी।

शुभकामनाओं सहित,

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) की 44वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 13 सितंबर, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे **मानेक्शा केंद्र, परेड रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली-110010** में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगीः**-**

सामान्य कार्य

1) 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे तथा उनके संबंध में निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना, उसे अनुमोदित करना और उसे अंगीकृत करना।

2) वित्त वर्ष 2012-13 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश की अदायगी की पुष्टि करना और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3) श्री वेंकटरमन सुब्रामणियन के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण वे अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दे रहे हैं।

4) डॉ. सुनील कुमार गुप्ता के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण वे अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दे रहे हैं ।

5) वित्त वर्ष 2013-14 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

6) निम्नलिखित पर **साधारण संकल्प** के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन (आशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना पारित करनाः

   संकल्प पारित किया जाता है कि श्री बद्री नारायण शर्मा को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और उन्हें एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे क्रमावर्तन आधार पर अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(जे.एस. अमिताभ)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांकः 08 अगस्त, 2013

टिप्पणियांः-

1. **बैठक में भाग लेने के लिए तथा मतदान करने के लिए पात्र सदस्य अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने के अधिकारी हैं और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।** विधिवत भरा गया और हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए। इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। **कोरा प्रॉक्सी फार्म इसके साथ संलग्न है** और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.gov.in पर भी उपलब्ध है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में बैठक में निष्पादित किए जाने वाले विशेष कार्यों के संबंध में **एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।**

3. स्टाक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन यथापेक्षित पुनः नियुक्ति चाहने वाले और पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न है और इस नोटिस का भाग है।

4. सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां **शुक्रवार, 30 अगस्त, 2013 से शुक्रवार 13 सितंबर, 2013 तक (जिनमें ये दोनों दिन शामिल हैं)** बंद रहेंगी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 206क के उपबंधों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश **यदि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो सदस्यों को अथवा उनके अधिदेशियों को जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में शुक्रवार, 13 सितंबर, 2013 को कंपनी के रजिस्टर में विद्यमान हों, शुक्रवार 27 सितंबर, 2013 को अदा किया जाएगा। डिमैटीरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में लाभांश शेयरों के उन ''लाभार्थी स्वामियों'' को देय होगा जिनके नाम बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2013 को कारोबार के समय की समाप्ति पर नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामित्व विवरण में विद्यमान होंगे।**

5. कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में अपनी ओर से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प और मुखत्यारनामे की एक विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें और उसके साथ प्रॉक्सी फार्म/उपस्थिति पर्ची भी संलगन करें।

6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे :-

   क. **नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक में वितरित नहीं की जाएंगी और उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति स्वयं लानी होगी;**

   ख. **बैठक में भाग लेने के लिए, एतद्द्वारा प्रेषित पर्ची, बैठक स्थल के प्रवेश पर विधिवत भरी हुई तथा हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची प्रस्तुत करें, क्योंकि सभागार में प्रवेश, स्थल काउंटरों पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर ही होगा, जिसे उपस्थिति पर्ची के बदले दिया जाएगा;**

   ग. सभी पत्राचार में अपना फोलियो/क्लाइंट आईडी और डीपीआईडी संख्या का उल्लेख करें;

घ. **नोट करें कि सुरक्षा कारणों से ब्रीफ केस, खाने का सामान तथा अन्य सामान को सभागार के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा**

ङ **नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/ कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।**

7. चूंकि सेबी ने निवेशकों को नकद अदायगी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अदायगी तरीके का उपयोग अनिवार्य किया है, अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस)/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश प्रस्तुत करें, ताकि कंपनी एनईसीएस/एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट/वारंटों के माध्यम से लाभांश की अदायगी कर सके। जिन सदस्यों के पास वास्तविक रूप में शेयर हों, वे उन्हें कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) अर्थात कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं.17-24, विट्ठलराव नगर, मधापुर, हैदराबाद-500 081, भारत से/को एनईसीएस/एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट अधिदेश फार्म प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हों, वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से/को एनईसीएस/एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट अधिदेश फार्म सीधे प्राप्त कर सकते हैं या भेज सकते हैं। जिन्होंने कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट/डीपी को पूरे विवरणों सहित एनईसीएस/एनईएफटी/डायरेक्ट क्रेडिट अधिदेश फार्म पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें इसे दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

8. लाभांश वारंटों के कपटपूर्ण नकदीकरण की घटनाओं को रोकने के लिए, जो सदस्य एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट सुविधा का विकल्प नहीं देना चाहते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक के ब्योरे अर्थात बैंक का नाम और शाखा का पता, बैंक खाता संख्या, शाखा का 9 अंकों वाला एमआईसीआर कोड और खाते का प्रकार 13 सितंबर, 2013 तक कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को अवश्य भेज दें, ताकि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऐसे वारंटों के बदले वारंटों या अदायगी को पुनः विधिमान्य किया जा सके, जिससे कि वे लाभांश के वारंट पर इन विवरणों को मुद्रित करवा सकें।

9. **सेबी ने यह अंतरिती (अंतरितियों) के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे अंतरण के पंजीकरण और प्रतिभूति बाजार लेन-देनों के लिए तथा सूचीबद्ध कंपनियों के वास्तविक रूप में शेयरों के अंतरण संबंधी ऑफ-मार्केट/प्राइवेट लेन-देनों के संबंध में कंपनी/आरटीए को पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करें। तदनुसार, वास्तविक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्य कंपनी/आरटीए को अंतरण के प्रत्येक अनुरोध के संबंध में अपने पैन कार्ड की एक प्रतिलिपि संलग्न करेंगे।**

10. जिन सदस्यों के पास वास्तविक रूप में कई शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संगत शेयर प्रमाणपत्रों सहित कंपनी को या उसके रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को समेकन के लिए आवेदन पत्र भेजें। यदि संयुक्त शेयरधारक बैठक में उपस्थित हो रहे हों तो केवल वही संयुक्त शेयरधारक मतदान करने का अधिकारी होगा, जिसका नाम क्रम में ऊपर हो।

11. 04 फरवरी, 2013 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर ₹ 6.75 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई थी, जो 18 फरवरी, 2013 को अदा किया गया था। कंपनी अधिनियम की धारा 205ग के साथ पठित धारा 205क के अनुसरण में 7 वर्ष से अप्रदत्त/अदावाकृत बड़ी लाभांश की रकम को केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। ऐसे अंतरण के बाद किसी भी सदस्य का उस रकम पर दावा नहीं रहेगा। अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे लाभांश वारंट प्राप्त होते ही उसका नकदीकरण करा लें या पुनः विधिमान्यकरण के लिए आर एंड टीए को लिखें या पुराने लाभांश वारंट के स्थान पर डीडी जारी करने का अनुरोध करें।

12. जिन सदस्यों को उनके लाभांश वारंट विधिमान्य अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए हों/जिन्होंने उनका नकदीकरण नहीं करवाया हो, वे इस संबंध में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को लिखें, ताकि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऐसे वारंटों के बदले पुनः विधिमान्य वारंट जारी किए जा सकें या अदायगी की जा सके। जिन सदस्यों के पास वास्तविक रूप से शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, उप-विभाजन, समेकन के पंजीकरण या शेयर से संबंधित किसी मामले और/या पते और बैंक खाते में परिवर्तन से संबंधित सभी पत्राचार कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को भेजें और यदि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शेयर धारण किए गए हों तो उन्हें उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को भेजें।

13. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसरण में, सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त अथवा पुनः नियुक्त किया जाएगा तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8)(कक) के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसे तरीके से तय किया जाएगा, जो कंपनी, आम बैठक में तय करे। इसी के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने मैसर्स बंसल एंड कंपनी तथा मैसर्स पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों को वर्ष 2012-13 के लिए सांविधिक संयुक्त लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

20 सितंबर, 2012 को आयोजित 43वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के साथ पठित धारा 224(8)(कक) के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों/संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने 02 नवंबर, 2012 को आयोजित अपनी निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रत्येक संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए ₹ 17,00,000/- (केवल सत्रह लाख रुपए) और लागू सेवा कर पारिश्रमिक की अदायगी के रूप में अनुमोदित किया है। निदेशक मंडल ने उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा, यह भी अनुमोदित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों को समुचित यात्रा भत्ता और बाह्य स्टेशन पर लेखापरीक्षा कार्य के लिए जेब खर्च की ऐसी वास्तविक समुचित अदायगी की जा सकती है, जैसा कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक(वित्त) द्वारा तय किया जाए।

इसके अलावा, राज हर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार और पी. के. चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्ताव है कि वित्त वर्ष 2013-14 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने

के लिए वार्षिक आम बैठक में सदस्यों का अनुमोदन उसी प्रकार प्राप्त किया जाए, जैसे पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त किया गया था। **तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करें कि वह वित्त वर्ष 2013-14 के लिए जैसा उपयुक्त समझें, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों/संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करें।**

14. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 109ए के अंतर्गत तथा अनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (केंद्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र, 1956 में यथानिर्धारित प्रपत्र-2ख में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को लिखें। डिमैटीरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के मामले में नामांकन पत्र सीधे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास जमा कराया जाना अपेक्षित है।

15. **इस बैठक की कार्यवाही की किसी भी मद के संबंध में कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व भेजें ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध कराई जा सके।**

16. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08 फरवरी, 2011 के अपने सामान्य परिपत्र के जरिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अधीन स्वामित्व कंपनियों के तुलन-पत्र के साथ अनुषंगी कंपनियों के तुलन-पत्र आदि को संलग्न करने से सामान्य छूट दी है, परंतु कंपनियों द्वारा इस परिपत्र में निर्धारित कुछ शर्तों का पालन किया जाना होगा। तदनुसार, आपकी कंपनी ने प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के लेखों का ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के पूर्ण पाठ के साथ कंपनी की वेबसाइट **www.recindia.nic.in** पर उपलब्ध करा दिया है।

17. कारपारेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 21 अप्रैल, 2011 और 29 अप्रैल, 2011 के अपने सामान्य परिपत्र के जरिए (कारपोरेट सुशासन में ग्रीन इनिशिएटिव) शुरूआत की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कानून का कागज-रहित अनुपालन करने की अनुमति दी है। इन परिपत्रों के माध्यम से कंपनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे शेयरधारकों के ई-मेल पते पंजीकृत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके के माध्यम से अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिस/दस्तावेज भेजें। मंत्रालय की इस पहल का स्वागत किया गया क्योंकि इससे कागज की खपत काफी हद तक कम करने से समाज को लाभ होगा और इससे पर्यावरण के अनुकूल वातावरण बनाने में सहयोग मिलेगा। इससे सूचनाएं तुरंत प्राप्त होने में भी सुविधा होगी और इस प्रकार डाक के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में होने वाली हानियां भी कम होंगी। इस संबंध में कंपनी की पहल को जारी रखते हुए, यह कंपनी अपने शेयरधारकों को सभी दस्तावेज अर्थात नोटिस, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजेगी। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध होंगें। कृपया नोट करें कि कंपनी के सदस्य के रूप में आप कंपनी से प्राप्त होने वाले उपर्युक्त और सभी अन्य अपेक्षित दस्तावेज कानून के अधीन अपनी मांग पर निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित सदस्य की कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टी ए) के पास अपना-अपना ई-मेल पता पंजीकृत करवाएं और कंपनी के ग्रीन इनिशिएटिव में अपना योगदान दें।

18. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 307 के अधीन रखे जाने वाले शेयरधारण का रजिस्टर, धारा 301 के अधीन रखे जाने वाले संविदा के रजिस्टर और इस नोटिस तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज वार्षिक आम बैठक तक 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न के बीच सभी कार्यदिवसों में (शनिवार और रविवार को छोड़कर) वार्षिक आम बैठक की समाप्ति के बाद 3 दिन तक सदस्यों द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे और कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समय बैठक के स्थान पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

19. कंपनी इस बैठक के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है।

20. यह संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध है।

नोटिस में निर्धारित विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 6

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82(2) के अनुसरण में अपने दिनांक 23 अगस्त, 2012 के आदेश संख्या 46/04/2007-आरई के जरिए श्री बद्री नारायण शर्मा को, श्री देवेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव, जिन्हें आरईसी के निदेशक मंडल में नामित किया गया था, के स्थान पर अगले आदेश होने तक कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री बद्री नारायण शर्मा कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में उपर्युक्त नियुक्ति कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 82(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 की शर्तों के अनुसार क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त होंगे। इस संबंध में आम बैठक में सदस्यों का अनुमोदन अपेक्षित है। श्री बद्री नारायण शर्मा का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

श्री बद्री नारायण शर्मा के सिवाय कोई अन्य निदेशक प्रस्तावित साधारण संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं रखता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(जे.एस. अमिताभ)
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांकः 08 अगस्त, 2013

20 सितंबर 2012 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक से नियुक्त किए गए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री बद्री नारायण शर्मा
जन्म तिथि	31 जुलाई, 1959
नियुक्ति की तारीख	23 अगस्त, 2012
योग्यता	● वित्त प्रबंधन में स्नातक ● वित्त प्रबंधन में मास्टर्स डिग्री
विशिष्ट कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री शर्मा राजस्थान संवर्ग में 1985 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंग रहे हैं और वे लगभग 27 वर्ष तक सिविल सेवा में रहे हैं। वर्तमान में वह विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, जहां वे ग्रामीण विद्युतीकरण और वितरण के प्रभारी हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने राजस्थान में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग में आयुक्त के रूप में, राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ), राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वित्त (व्यय) विभाग और राजस्थान में वित्त व्यय विभाग और प्राथमिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। उससे पहले उन्होंने राजस्थान में जयपुर, अलवर और टोंक जिलों के कलेक्टर और जिला मेजिस्ट्रेट, मैसर्स जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जयपुर के सचिव के रूप में भी कार्य किया। श्री शर्मा ने विभिन्न कंपनियों के निदेशक मंडल में निदेशक/नामिती निदेशक के रूप में भी कार्य किया।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक का पद	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
आरईसी के अलावा सभी सरकारी कंपनियों की समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता	शून्य
इस कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	शून्य

44वीं आम बैठक में पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री वेंकटरमण सुब्रामणियन	डॉ सुनील कुमार गुप्ता
जन्म तिथि	17 जून, 1948	15 नवंबर, 1966
नियुक्ति की तारीख	10 जून, 2011	16 मार्च, 2012
योग्यता	● मद्रास विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक स्नातक ● अर्हताप्राप्त बैंकर	● वाणिज्य में स्नातक डिग्री; ● भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के अध्येता सदस्य; ● भारत के लागत एवं लेखा संस्थान के अध्येता सदस्य; और ● चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से 'स्टडी ऑफ इंटर्नल ऑडिट सिस्टम' विषय में पीएच.डी.
विशिष्ट कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री सुब्रामणियन ने 1971 में भारत सरकार की भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यभार संभाला था। सरकार के सचिव के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जून 2008 में सेवानिवृत्त होने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। कार्यान्वयन और नीति निर्धारण दोनों स्तरों पर वित्त, विमानन, ऊर्जा, श्रम इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनका व्यापक अनुभव रहा है। श्री सुब्रामणियन का 1980 के दशक में वित्त मंत्रालय में विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग सृजन में काफी योगदान रहा है और उन्होंने भारतीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कई नवाचारी वित्तीय डील की हैं। वे 1990 से 1993 तक मोजांबिक सरकार में 3 वर्ष के लिए सलाहकार रहे। वे विद्युत और श्रम मंत्रालय में राज्य सरकार के सचिव रहे हैं। नगर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में अपर सचिव और वित्त सलाहकार (2000-2005) रहते हुए वे विमानन और पर्यटन नीति के निर्माण से सतत रूप से जुड़े रहे हैं। वे एयर इंडियन, इंडियन एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया, हेलिकॉप्टर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन और कई अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में रहे हैं। वे भारत में विमानन के विकास के लिए रोडमैप की सिफारिश हेतु उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव थे। इस समिति की अधिकांश सिफारिशों पर अब कार्रवाई की जा रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के रूप में उन्होंने कई नई पहलें कीं, जिनके परिणामस्वरूप तीन वर्ष से कम समय में ग्रिड संयोजित नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता में दुगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई। इस समय वे इंडियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के महासचिव हैं। वे कुछ समय पहले तक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में व्यवसाय विकास सलाहकार भी थे। वे सरकारी और निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के निदेशक मंडल में भी हैं। फ्रीलांस सलाहकार होने के साथ-साथ वे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में 'नवीकरणीय ऊर्जा' विषय के सुप्रसिद्ध वक्ता हैं।	श्री गुप्ता देना बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के रूप में रहे हैं। देना बैंक में वे विभिन्न समितियों के अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में सहयोजित थे। भारत सरकार ने उन्हें जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में और इस्पात उपभोक्ता परिषद्, इस्पात मंत्रालय (भारत सरकार) के सदस्य के रूप में नामित किया है। वे कई प्राइवेट कंपनियों के निदेशक मंडल में भी हैं। वे फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् के सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। वे एसोचैम, सीआईआई और पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य भी हैं। इसके अलावा, वे कई सामाजिक संगठनों, शैक्षिक समितियों और क्लबों के सदस्य भी हैं।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक का पद	● सुंदरम क्लेटन लिमिटेड ● टीवीएस एनर्जी लिमिटेड ● पीटीसी एनर्जी लिमिटेड ● माउंट एवरेस्ट मिनरल वाटर लिमिटेड ● टाइटन एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड.	● पंजाब नेशनल बैंक ● जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया
आरईसी के अलावा सभी सरकारी कंपनियों की समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता	● सुंदरम क्लेटन लिमिटेड - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति ● पीटीसी एनर्जी लिमिटेड - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति ● टाइटन एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति ● टीवीएस एनर्जी लिमिटेड - अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति	● जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
इस कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य

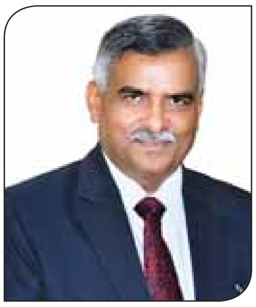

श्री राजीव शर्मा, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)*

श्री राजीव शर्मा, आयु 53 वर्ष 29 नवंबर, 2011 से हमारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)हैं। उन्होंने गोविन्द बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, पंतनगर से वैद्युत इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशंस इंजीनियरिंग) और इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, रूड़की से इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में मास्टर डिग्री प्राप्त की हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है। उन्हें विद्युत के विभिन्न क्षेत्रों में 28 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में, आरईसी ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है और विगत सभी लक्ष्यों और कार्यनिष्पादनों को पीछे छोड़ दिया है। आरईसी में कार्यग्रहण करने से पहले, श्री शर्मा, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. में निदेशक (प्रोजेक्टस) थे, जहां उन पर परियोजना प्रभाग के सारे क्रियाकलापों, जिनमें कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का मूल्यांकन शामिल है, का उत्तरदायित्व था। पीएफसी में कार्यकारी निदेशक की सेवा अवधि के दौरान वे कृष्णापटनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के विकास हेतु निदेशक (प्रभारी) रहे और उन पर भारत में आर-एपीडीआरपी के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी थी। उन्होंने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में भी कार्य किया, जहां वह नाथप्पा झाकरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1500 मे.वा.)के डिजाइन, इंजीनियरिंग और परामर्शी कार्यों से जुड़े थे। विद्युत मंत्रालय में कार्यरत रहने के दौरान, वह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., टीएचडीसी, एसजेवीएनएल, बीबीएमबी और नीपको के प्रचालन कार्यों को देख रहे थे। उनकी एपीडीआरपी और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)के लिए नीतियां बनाने में भी मुख्य भूमिका रही।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार श्री राजीव शर्मा के पास कंपनी के 60 इक्विटी शेयर थे।

श्री प्रकाश ठक्कर, *निदेशक (तकनीकी)*

श्री प्रकाश ठक्कर, उम्र 57 वर्ष, 02 मई 2011 से हमारी कंपनी के निगम के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्हें महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त है। श्री ठक्कर को विद्युत क्षेत्र में 33 वर्षों का विविध एवं समृद्ध अनुभव है, जिसमें विद्युत उत्पादन और सब-स्टेशन इंजीनियरिंग शामिल है। वे निगम द्वारा वित्तपोषित विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के सभी तकनीकी एवं प्रचालन संबंधी पक्षों के प्रभारी हैं।

इस कंपनी में निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभालने से पहले वे इसी निगम में कार्यकारी निदेशक (पारेषण एवं वितरण/आरजीजीवीवाई) पद पर सेवारत थे। उन्होंने 19 सितंबर, 2005 को प्रतिनियुक्ति के आधार पर हमारी कंपनी में महाप्रबंधक (तकनीकी) का कार्यभार संभाला था और 18 सितंबर, 2007 को इस कंपनी की सेवा में स्थायी रूप से आमेलित हो गए। इस कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे 11 वर्षों तक एनएचपीसी में (हाइड्रोजेनरेटरों के अधिष्ठापन और हाइड्रो स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण) और 15 वर्ष तक पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर सेवारत थे। वह उस टीम में भी शामिल थे जिसने भारत में पहली 400 केवी की थ्रिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कंपनसेशन (टीसीएससी) परियोजना लागू की थी। वह 800/400/220/132 केवी स्विचगीयर उपकरण विनिर्देशन के भी कोर मेंबर थे। वर्ष 1985-86 में उन्होंने देवीघाट हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के संचालन एवं अनुरक्षण के बारे में नेपाल सरकार के सलाहकार के रूप में सेवा की।

श्री ठक्कर एआईएमए के सदस्य हैं और वे विभिन्न कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक रहे हैं। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए विभिन्न तकनीकी पेपर्स के लेखक/सह लेखक रहे हैं।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार श्री प्रकाश ठक्कर के पास कंपनी के 4030 इक्विटी शेयर थे।

श्री अजीत कुमार अग्रवाल (*निदेशक वित्त*)

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, उम्र 53 वर्ष, 01 अगस्त, 2012 से हमारी कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम.(आनर्स) हैं। वे भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के फेलो सदस्य हैं। श्री अग्रवाल को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 30 वर्ष का अनुभव है । आरईसी में महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर उन्होंने विभिन्न वित्तीय कार्यों का संचालन किया है, जिनमें संसाधनों का सृजन, ऋण संवितरण और कारपोरेट लेखा और कराधान शामिल है । 29 मार्च, 2007 को हमारी कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक थे ।

उनका दायित्व वित्तीय नीतियां और योजनाएं तैयार करना है, ताकि कंपनी अपने सपनों को साकार कर सके। वह निगम के वित्तीय प्रबंधन और प्रचालनों के संबंध में दिशानिर्देश देते हैं, जिसमें संगठनात्मक एवं वित्तीय आयोजना, वित्तीय नीति तैयार करना, वित्तीय लेखाकरण, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, रोकड़ और निधि प्रबंधन, कर आयोजना, संसाधनों का सृजन और प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजार व्यावसायियों के साथ संपर्क करना शामिल है। वे खजाना संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण, उधार प्रचालन और कारपोरेट जोखिम प्रबंधन संबंधी मामलों पर सलाह भी देते हैं ।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार श्री अजीत कुमार अग्रवाल के पास कंपनी के 242 इक्विटी शेयर थे ।

श्री बी.एन.शर्मा, *सरकारी नामिती निदेशक*

श्री बी.एन.शर्मा, उम्र 54 वर्ष, 23अगस्त, 2012 से हमारी कंपनी के सरकारी नामिती निदेशक हैं। वह वित्तीय प्रबंधन में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हैं। वह वर्ष 1985 से राजस्थान संवर्ग के आईएएस अधिकारी हैं और लगभग 27 वर्षों से सिविल सेवा में हैं। इस समय वह विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और ग्राम विद्युतीकरण और वितरण के प्रभारी हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में पदभार संभालने से पहले वह चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान में प्रमुख सचिव थे। उन्होंने राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग में आयुक्त, राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लि. (आरआईआईसीओ)में प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वित्त(व्यय)विभाग और प्रारंभिक, सेकेंडरी और संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान में सचिव के पद पर भी कार्य किया है। इससे पूर्व उन्होंने राजस्थान में जयपुर, अलवर और टोंक जिलों के आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.,जयपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जयपुर, के सचिव के पद पर कार्य किया है। श्री शर्मा विभिन्न कंपनियों के निदेशक/नामिती निदेशक के तौर पर रहे हैं। वह राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि., राजस्थान असेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लि., राजस्थान ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि. और राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लि. के अध्यक्ष भी थे।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार श्री बी.एन.शर्मा के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

डॉ. देवी सिंह, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक*

डॉ. देवी सिंह, उम्र 60 वर्ष, 10 जून, 2011 से हमारी कंपनी में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्हें पहले भी 7 जनवरी, 2008 को आरईसी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 6 जनवरी, 2011 को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है । उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से अंतर्राष्ट्रीय वित्त में पीएचडी (अध्येता) की है और वह अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं कारोबार क्षेत्र के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। उन्हें शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और शैक्षिक प्रशासन में 34 से अधिक वर्ष का अनुभव है और उन्हें अग्रणी संस्थान निर्माता के रूप में जाना जाता है। वह नौ से अधिक वर्षों तक भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के निदेशक रहे। उन्होंने 1999-2003 के दौरान प्रबंधन विकास संस्थान, गुडगांव के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वह फोर्ड फाउंडेशन और यू.एन.डी.पी.के फैलो/सदस्य(अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रबंधन) रहे। वह स्लोवेनिया में अंतर्राष्ट्रीय लोक उद्यम केद्र, ईएससीएपी यूरोप और एसकेके ग्रेज्युट बिजनेस स्कूल, सिओल के विजिटिंग फेकल्टी रहे हैं। वह विश्व मामलों के संस्थान, कनैक्टीकट के एल्यूमिनी सदस्य हैं। उन्होंने भारत में कई अग्रणी बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया है । उन्होंने बिजनेस स्कूल के बेस्ट निदेशक के लिए 'ईशान नेशनल अवार्ड-1999', 'यूपी रत्न 2008', 'आईएसटीई राष्ट्रीय फैलो 2007' जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए हैं। उन्हें वर्ष 2000 में अमरीकी बायोग्राफिकल इंस्टीटयूट, यूएसए द्वारा 'मैन ऑफ दि मिलेनियम अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया था। डॉ. देवी सिंह को सरकारी एमआईटी स्कूल, पूणे से भारत अस्मिता आचार्य श्रेष्ठ अवार्ड 2013 से सम्मानित किया गया। आरईसी के अलावा, वह कई अग्रणी भारतीय कारपोरेटस के बोर्ड मेंबर रहे हैं। वह कई अग्रणी संस्थानों/यूनिवर्सिटियों के बोर्ड/कार्यकारी परिषद में भी हैं।

31मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार डॉ. देवी सिंह के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

श्री वेंकटारमन सुब्रामणियन, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक*

श्री वेंकटारमन सुब्रामणियन, उम्र 65 वर्ष, हमारी कंपनी में 10 जून, 2011 से अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने 1971 में भारत सरकार की अग्रणी सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यभार संभाला था। सरकार के सचिव के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जून, 2008 में सेवानिवृत्त होने से पहले वे पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। उनका वित्त, विमानन, ऊर्जा, श्रम इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन स्तर और नीति निर्धारण दोनों स्तरों पर समृद्ध अनुभव रहा। श्री सुब्रामणियन का 1980 के दशक में वित्त मंत्रालय में विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग सृजन में काफी योगदान रहा है और उन्होंने भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कई प्रेरणात्मक वित्तीय सौदे किए हैं। वे 1990 से 1993 तक मोजाम्बिकी सरकार में तीन वर्षों के लिए सलाहकार भी रहे हैं। वे विद्युत और श्रम विभाग में राज्य सरकार के सचिव भी रहे हैं। नागरिक विमानन और पर्यटन मंत्रालय (2000-2005) में अपर सचिव और वित्त सलाहकार रहते हुए वे विमानन और पर्यटन नीति के निर्माण में एकाग्रता से जुड़े हुए थे। वे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेलीकाप्टर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन और कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में थे। वे भारत में विमानन के विकास के लिए रोडमैप की सिफारिश हेतु उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव भी थे। इस समिति की अधिकांश सिफारिशों पर अब अमल हो रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के रूप में उन्होंने कई नई पहलें शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्ष से कम समय में ग्रिड संयोजित नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता में दुगुनी से भी ज्यादा वृद्धि हुई। इस समय वे, इंडियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के महासचिव हैं। वे कुछ समय पहले वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च) में व्यवसाय विकास सलाहकार भी थे। वह अग्रणी सरकारी और गैर - सरकारी कंपनियों के बोर्ड में निदेशक हैं। वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 'नवीकरणीय ऊर्जा' विषय के फ्रीलांस सलाहकार और सुप्रसिद्ध वक्ता भी हैं।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार डॉ. वेंकटारमन सुब्रामणियन के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक*

डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, उम्र 46 वर्ष, 16 मार्च, 2012 से हमारी कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। वे व्यवसाय से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और मैसर्स सुनील राम एंड कंपनी, गाजियाबाद में वरिष्ठ भागीदार हैं। वह वाणिज्य में स्नातक हैं और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली के अध्ययन विषय पर पीएचडी हैं।

आप 21 मार्च, 2012 से पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड में शेयरधारकों के निर्वाचित निदेशक हैं तथा बोर्ड की ''जोखिम प्रबंधन नीति'' और ''सूचना प्रौद्योगिकी समिति'' के सहयोजित सदस्य रहे हैं। उन्होंने 16 मार्च, 2012 को देना बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों के निदेशक के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। देना बैंक में वे विभिन्न समितियों के अध्यक्ष/सदस्य सहयोजित किए गए थे यथा प्रबंधन समिति, लेखापरीक्षा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति।

भारत सरकार ने उन्हें जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया का निदेशक और इस्पात उपभोक्ता परिषद्, इस्पात मंत्रालय (भारत सरकार) का सदस्य नामित किया है। आप फिक्की की राष्ट्रीय कार्यपालक परिषद् के निर्वाचित सदस्य हैं। आप एसोचैम, चंडीगढ़ और पीएच-डी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री उद्योग एवं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सहयोजित सदस्य भी हैं। इसके अलावा, आप कई सामाजिक संगठनों, शैक्षिक समितियों और क्लबों के सदस्य भी हैं।

डॉ सुनील कुमार गुप्ता 'दि इंस्टीच्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' के गाजियाबाद चेप्टर के संस्थापक सदस्य हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की गाजियाबाद शाखा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी रहे हैं। डॉ.सुनील कुमार गुप्ता वर्ष 1998-2000 तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद् के निर्वाचित सदस्य भी रहे हैं।

विविध आयामों के प्रतिभाशाली आप पुस्तकों के लेखक हैं और आपने उन्होंने विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे हैं। एक जिज्ञासु विश्लेषक के रूप में आप व्यक्तिगत साक्षात्कारों और सामूहिक चर्चाओं के माध्यम से ज्ञान का आदान-प्रदान करने में समय निकालने के लिए कभी भी संकोच नहीं करते हैं। आपकी तमाम उपलब्धियों में एक विशिष्ट गुण यह है कि आपने समाज से जो कुछ प्राप्त किया है उसके बदले बहुत कुछ देने और राष्ट्र की सेवा करने का हौसला रखते हैं और इस प्रकार विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को भी ऐसा ही करने को प्रोत्साहित करते हैं।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार डॉ. सुनील कुमार गुप्ता के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारक

आपके निदेशक मंडल को लेखापरीक्षित खातों के विवरण सहित 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की आपकी कंपनी की 44वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य-निष्पादन संबंधी मुख्य बातें

1.1 पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलना में वर्ष 2012-13 के संबंध में कंपनी के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

(₹ करोड़ों में)

मापदंड	2012-13	2011-12
स्वीकृत ऋण (आरजीजीवीवाई के अधीन सब्सिडी को छोड़कर)	**79470.49**	51296.77
संवितरण (आरजीजीवीवाई के अधीन सब्सिडी सहित)	**40183.06**	30593.30
वसूलियां (ब्याज सहित)	**26728.86**	18440.09
कुल प्रचालन आय	**13518.86**	10423.75
कर-पूर्व लाभ	**5163.95**	3792.86
कर-पश्चात लाभ	**3817.62**	2817.03

1.2 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी की कुल प्रचालन आय 30% बढ़ी है और यह पिछले वर्ष के दौरान ₹10423.75 करोड़ से बढ़कर ₹13518.86 करोड़ हो गई है। कर-पश्चात लाभ पिछले वर्ष के ₹2817.03 करोड़ की तुलना में 36% बढ़कर ₹ 3817.62 करोड़ हो गया है।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की ऋण संपत्ति बही में 26% की सुदृढ़ वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के ₹ 101426 करोड़ से बढ़कर ₹ 127356 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया उधार राशि ₹ 107791 करोड़ थी।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) ₹ 10 के प्रत्येक शेयर पर ₹ 38.66 था जबकि गत वर्ष यह ₹ 28.53 प्रति शेयर था। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की निवल सम्पति में 20% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के ₹ 14563 करोड़ से बढ़कर ₹ 17454 करोड़ हो गई है।

1.3 लाभांश

फरवरी, 2013 में प्रदत्त ₹ 6.75 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा, आपके निदेशकों ने वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 1.50 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सहर्ष सिफारिश की है, जिसका आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन किया जाना है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2012-13 के लिए कुल लाभांश ₹ 10 के शेयर पर ₹ 8.25 प्रति शेयर के हिसाब से लगाया गया है, जो कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 82.50% है और कर-पश्चात लाभ का 21.34% है, तथा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 75% पर है और पिछले वर्ष में प्रदत्त कर-पश्चात लाभ का 26.29% है। इस वित्त वर्ष के लिए अदा किए जाने वाला कुल लाभांश ₹ 814.65 करोड़ की रकम होगा (जिसमें लाभांश कर शामिल नहीं है)।

आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजीव शर्मा, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया को ₹ 445.23 करोड़ का अंतरिम लाभांश चेक प्रस्तुत करते हुए

1.4 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, जारी की गई और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 987.46 करोड़ थी, जिसमें प्रत्येक ₹ 10 के 98,74,59,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो ₹ 1200 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी के अनुसार हैं। इक्विटी शेयर प्रदत्त पूंजी का 66.80% भारत सरकार के पास है।

2. स्वीकृत ऋण

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 79470.49 करोड़ मूल्य का ऋण स्वीकृत किया है, जबकि पिछले वर्ष में ₹ 51296.77 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया था। इस रकम में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अधीन स्वीकृत किए जाने वाला ऋण शामिल नहीं है। इस वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण का राज्य और श्रेणी-वार विवरण क्रमशः **तालिका 1 और 2** में दिया गया है। इस निगम के प्रारंभ होने से लेकर दिनांक 31.03.2013 तक स्वीकृत किए गए ऋण की संचित रकम ₹ 483847.28 करोड़ थी, जिसका विवरण **तालिका-3** में दिया गया है।

3. संवितरण

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कुल ₹ 40183.06 करोड़ की रकम संवितरित की गई थी, जबकि पिछले वर्ष ₹ 30593.30 करोड़ की रकम संवितरित की गई थी। इसमें आरजीजीवीवाई और डीडीजी के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल है। इस निगम की स्थापना से लेकर दिनांक 31.03.2013 तक संवितरित की गई संचयी रकम ₹ 205148.08 करोड़ थी, जिसमें आरजीजीवीवाई और डीडीजी के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी शामिल नहीं है। इस वर्ष के दौरान राज्य-वार संवितरण और उधारकर्ताओं द्वारा लौटाया गया ऋण तथा दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार संचयी आंकड़े और बाकी ऋण का विवरण तालिका 4 में दिया गया है।

4. वसूलियां

4.1 वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ब्याज सहित वसूल की जाने वाली रकम ₹ 26881.04 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष यह रकम ₹ 18528.61 करोड़ थी। कंपनी ने वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 26728.86 करोड़ की वसूली की है, जबकि पिछले वर्ष ₹ 18440.09 करोड़ की वसूली की गई थी। दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय रकम ₹ 435.82 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2012-13 में वसूली की दर 99.04% थी, जो इस संबंध में समझौता ज्ञापन के लक्ष्य के अनुसार 98.50% है।

4.2 आपकी कंपनी की गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) न्यूनतम स्तर पर बनी रही। दिनांक 31.03.2013 को कंपनी की सकल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह ₹ 490.40 करोड़ बनी रहीं, जिसके कारण दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों में गिरावट/कमी का प्रतिशत 0.39 बना रहा जबकि दिनांक 31.03.2012 को यह सकल ऋण परिसंपत्तियों का प्रतिशत 0.48% था।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के संबंध में कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश इस प्रकार है

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	स्टैंडअलोन		समेकित	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
प्रचालनों से राजस्व	**13518.86**	10423.75	**13525.70**	10429.39
अन्य आय	**79.81**	85.32	**110.88**	124.23
कुल आय	**13598.67**	10509.07	**13636.58**	10553.62
वित्त लागत	**8006.25**	6378.80	**8005.86**	6378.84
अन्य प्रचालन व्यय	**220.28**	232.59	**235.76**	244.16
ऋण परिसंपत्तियों पर छूट	**130.68**	52.27	**131.24**	52.27
विदेशी मुद्रा घट-बढ़ में हानि	**77.51**	52.55	**77.51**	52.55
कुल व्यय	**8434.72**	6716.21	**8450.37**	6727.82
कर-पूर्व लाभ	**5163.95**	3792.86	**5186.21**	3825.80
कराधान के लिए प्रावधान	**1346.33**	975.83	**1353.43**	987.14
कर-पश्चात लाभ	**3817.62**	2817.03	**3832.78**	2838.66

5.1.2 राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने राजकोष में ₹ 2164.25 करोड़ का अंशदान किया, जबकि पिछले वर्ष ₹ 1729.69 करोड़ का अंशदान किया था। यह अंशदान भारत सरकार को अदा किए गए लाभांश की अदायगी के रूप में था जो कंपनी में इसके शेयरधारण, प्रत्यक्ष कर, लाभांश कर और सेवा कर के अनुसार था और जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	2012-13	2011-12
सरकार को प्रदत्त लाभांश	**610.14**	593.65
प्रत्यक्ष कर	**1376.21**	981.58
लाभांश कर*	**148.16**	144.17
उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट सहित वर्ष के दौरान एकत्र किया गया और अदा किया गया सेवा कर	**29.74**	10.29
जोड़	**2164.25**	**1729.69**

*इसमें चालू वर्ष के दौरान अदा किया गया पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश कर और चालू वर्ष के संबंध में अंतरिम लाभांश भी शामिल है।

5.1.3 अनुपात विश्लेषण

वित्त वर्ष 2011-12 की तुलना में वित्त वर्ष 2012-13 के कंपनी के महत्त्वपूर्ण अनुपातों का एक तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:-

ब्योरे	2012-13	2011-12
प्रति शेयर अर्जन (₹)	**38.66**	28.53
औसत निवल मूल्य पर प्राप्ति (%)	**23.85**	20.60
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	**176.76**	147.48
इक्विटी अनुपात पर ऋण (अवधि)	**6.18**	6.18
मूल्य अर्जन अनुपात (अवधि)	**5.39**	7.20
ब्याज व्याप्ति अनुपात (अवधि)	**1.64**	1.59

5.2 संसाधन जुटाना

आपकी कंपनी ने प्रचालन आवश्यकताओं के लिए 2012-13 के दौरान बाजार से ₹ 30759.16 करोड़ जुटाए हैं। इसमें आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के अधीन पूंजीगत लाभ कर-मुक्त प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय करयोग्य बांडों के रूप में ₹ 4903.25 करोड़, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(iv)(एच) के अधीन कर-मुक्त प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांडों के रूप में ₹ 2648.41 करोड़ जुटाए, जिनमें से ₹ 500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से और शेष अधिसूचना के अनुसार दो श्रृंखलाओं में सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाए गए थे, ₹ 2117.18 करोड़ कमर्शियल पेपर (सीपी) के माध्यम से, ₹ 16378.90 करोड़ औद्योगिक बांड जारी करने के माध्यम से और ₹ 4464.40 करोड़ विदेशी वाणिज्यिक उधार के रूप में तथा ₹ 247.02 करोड़ सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण के रूप में जर्मनी के क्रेडिटांस्टैटफर विडेराफो (केएफडब्ल्यू) तथा जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से जुटाए थे।

श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्विपक्षीय सावधिक ऋण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हांगकांग के अधिकारियों के साथ ऋण सुविधा करार का आदान-प्रदान करते हुए।

कर-मुक्त बांडों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बाजार से ₹ 2648.41 करोड़ जुटाए हैं। यह रकम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(iv)(एच) के अधीन कर-मुक्त प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय बांड के रूप में (प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से ₹ 500 करोड़ और सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से ₹ 2148.41 करोड़) जुटाए थे। आज की तारीख तक इन बांडों के माध्यम से जुटाई गई निधि से संपूर्ण आय

का उपयोग कंपनी के उधार देने और अन्य प्रचालन कारोबार के संबंध में किया गया।

विदेशी वाणिज्यिक उधार

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आवधिक ऋण के रूप में 830 मिलियन अमरीकी डालर (₹ 4464.40 करोड़) जुटाए थे।

नकद उधार सुविधा

आपकी कंपनी ने अपने दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों के लिए विभिन्न बैंकों से ₹ 2500 करोड़ की सीमा तक अनुमोदित नकद उधार/डब्ल्यूसीडीएल का लाभ उठाया है।

5.3 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरईसी की घरेलू ऋण लिखतों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों - क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इकरा से " एएए " इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राप्त होना जारी रहा है। यह इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है।

अंतरराष्ट्रीय

आपकी कंपनी ने मूडी तथा फिच जैसी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से भारत को मिली सार्वभौमिक रेटिंग के समान अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो क्रमशः ''बीएए3'' और ''बीबीबी'' है। "बीएए3" संतुलित क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है और ''बीबीबी'' यह दर्शाता है कि चूक जोखिम की संभावना वर्तमान में कम है।

5.4 उधार की लागत

वर्ष 2012-13 के दौरान निधियों की समग्र वार्षिकीकृत औसत लागत 7.52% प्रतिवर्ष थी और ब्याज व्याप्ति अनुपात 1:64 था। इसके परिणामतः आपकी कंपनी प्रतियोगी दरों पर ऋण के लिए वित्तपोषण करने योग्य थी।

5.5 उन्मोचन और पूर्व-भुगतान

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने कुल ₹ 10775.84 करोड़ की रकम लौटाई है, जिसमें ₹ 7055.82 करोड़ की रकम संस्थागत बांडधारकों को, ₹ 652.74 करोड़ का आवधिक ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को, ₹ 9.50 करोड़ का ऋण सरकार को, ₹ 3057.78 करोड़, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अधीन पूंजीगत लाभ कर-मुक्त प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय करयोग्य बांडों के बांडधारकों को और ₹ 228.29 करोड़ का सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण भी वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान लौटाया गया।

5.6 वित्त वर्ष के अंत में संसाधनों का नियोजन

वित्त वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर आपकी कंपनी के कुल संसाधन ₹ 130507.29 करोड़ थे। इस रकम में से इक्विटी शेयर पूंजी अंशदान ₹ 987.46 करोड़, आरक्षित तथा अधिशेष ₹ 16466.92 करोड़, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, वाणिज्यिक बैंकों और बांडों के माध्यम से बाजार उधार तथा वाणिज्यिक पत्रों को हिसाब में लेने पर ₹ 107791.17 करोड़ और अन्य देयताओं तथा प्रावधानों के लिए ₹ 5261.74 करोड़ थे। इस निधि का नियोजन ₹ 127266 करोड़ के दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋणों में (जिसमें निवल छूट ₹ 89.54 करोड़ की थी), ₹ 80.05 करोड़ की स्थायी परिसंपत्तियां (मूल्यह्रास घटाकर) (जिसमें प्रगामी पूंजी कार्य और विकासाधीन पूंजीगत कार्य में प्रगति और अमूर्त परिसंपत्तियां भी शामिल हैं), ₹ 660.61 करोड़ का निवेश, ₹ 9.51 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्तियां और ₹ 1484.26 करोड़ का नकद और बैंक शेष तथा ₹ 1006.86 करोड़ की अन्य परिसंपत्तियां थीं।

5.7 नीतिगत पहल

आपकी कंपनी बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार, अनुकूलता बनाए रखने के लिए अपनी उधार और प्रचालन नीतियों/प्रक्रियाओं तथा अपने कारपोरेट उद्देश्यों की लगातार समीक्षा करती रही है और उनमें संशोधन करती रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार, बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा तथा उच्च सरकारी उधार आदि जैसे कारकों के होने के बावजूद आपकी कंपनी ने अपना अच्छा विस्तार बनाए रखा और वर्ष के दौरान कारोबार की संवृद्धि और लाभकारिता के अपने उद्देश्य के बीच संतुलन बनाए रखा।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने एक "रणनीतिक कारोबार समूह" का गठन किया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं ताकि कारोबार के नए अवसरों का पता लगाया जा सके और कंपनी के कारोबार के विकास के संबंध में नए उत्पादों के बारे में सोचा जा सके।

6. वर्तमान वितरण परिदृश्य और प्रमुख चुनौतियां

पारेषण और वितरण (टी एंड डी) का विद्यमान परिदृश्य उद्योग के लिए आज पहले की तुलना में काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमने 11वीं योजना के दौरान सबसे अधिक अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त किया है और 12वीं योजना के दौरान 88425 मेगावाट के दूसरे अतिरिक्त लक्ष्य को निर्धारित किया है। बिजली के इतने बड़े महत्त्वपूर्ण पारेषण और वितरण के लिए एक विश्वसनीय और प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता है, ताकि विद्युत उत्पादन की सुविधाओं से उप-केंद्रों तक या उप-केंद्रों के बीच और अंततः उपभोक्ताओं तक बिजली का अंतरण किया जा सके।

पारेषण और वितरण प्रणाली में मूलतः विभिन्न वोल्टता वाले स्तरों की पारेषण लाइनें (अंतःराज्य और अंतर-राज्य), उप-केंद्र, स्विचिंग स्टेशन, ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें आदि शामिल होती हैं। वितरण को विद्युत मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जाना जाता है और विभिन्न कारणों से इस पर कार्रवाई करना कठिन होता है। उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा वहनीय, विश्वसनीय और गुणवत्ता वाली बिजली की बढ़ती हुई मांग जैसे सभी चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। आपकी कंपनी नई बुनियादी सुविधाओं के सृजन और विद्यमान सुविधाओं के उन्नयनीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का लगातार प्रयास करती रही है। आपकी कंपनी विद्युत वितरण कंपनियों को प्रोत्साहित करती है कि वे विभिन्न सुधारात्मक उपायों को तत्काल लागू करें और सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाएं जिनमें प्रणाली/स्मार्ट ग्रिड का आधुनिकीकरण और स्वचालन, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी वाली प्रणाली, वितरण क्षेत्र में अन्य प्रौद्योगिकी उपायों और उनके प्रचालन तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए उनकी सहायता करने में उन्हें प्रोत्साहन दें। वितरण, विद्युत क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सभी राजस्व का द्वार हैं और इसलिए वह विद्युत क्षेत्र के विकास और स्थायित्व में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस समय वितरण क्षेत्र द्वारा जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, उनमें अधिकांश विद्युत वितरण कंपनियों की समेकित हानियां तथा उनका कमजोर तंत्र, दूर-दूर तक ले जाई जाने वाली एल टी लाइनें, जिनके कारण बिजली की चोरी होती है, शामिल हैं। इनके परिणामतः रोकड़ प्रवाह में कमी आती है, समग्र तकनीकी और

वाणिज्यिक हानियां बहुत अधिक होती हैं, पूंजीगत व्यय योजनाओं के कार्यान्वयन की क्षमता सीमित होती है और टैरिफ आदेशों में विलंब होता है, जिनके परिणामतः विनियामक परिसंपत्तियों के सृजन में, इन विनियामक परिसंपत्तियों की वहन लागत, टैरिफ को युक्तियुक्त बनाने में होने वाली कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामतः क्रॉस सब्सिडी, खुली पहुंच का मुद्दा, राज्य सरकारों द्वारा समय पर सब्सिडी जारी करने, राजस्व वसूली के चक्र आदि में विलंब होता है। राज्य वितरण यूटिलिटियों का समग्र कार्य-निष्पादन उपर्युक्त कारणों से चिंता का विषय रहा है । समय के साथ चलने और यूटिलिटियों के अंदर गतिशील वातावरण बनाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। आपकी कंपनी आज संपूर्ण वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है, मोटे तौर पर ऐसी वितरण परियोजनाओं का जो प्रणाली में सुधार और उसके उन्नयनीकरण, हानियों में कमी के उपाय, आईटी अनुकूल बनाने, उपभोक्ताओं की संतुष्टि आदि के लिए हैं। आपकी कंपनी विवेक और योग्यता के आधार पर तथा तंत्र का उचित मूल्य निरूपित करके वितरण कंपनियों की विशेष मांगों/आवश्यकताओं को पूरा करने और उन पर विचार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। एक समर्पित रणनीतिक प्रबंधक वर्ग का समूह इस प्रयोजन के लिए कंपनी में गठित किया गया है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी सभी महत्त्वपूर्ण पहलों में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सहभागिता में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और वह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिसके लिए वह नोडल एजेंसी है, आर-एपीडीआरपी, एनईएफ (जिसके लिए वह नोडल एजेंसी है), एफआरपी (वित्तीय पुनर्गठन योजना), फीडर पृथक्करण कार्यक्रम, स्मार्ट ग्रिड कार्यबल आदि जैसे कार्यक्रमों में गहरी रुचि लेकर देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार करने और उसमें परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सभी महत्त्वपूर्ण प्रयासों के द्वारा आपकी कंपनी को आशा है कि वितरण परिदृश्य के बेहतर होने में अब और विलंब नहीं होगा। इसके अलावा, उपर्युक्त गहन कार्यक्रमों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस समस्या के निराकरण में किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों और वितरण के संपूर्ण परिदृश्य के बदलने से अच्छे परिणाम और प्रभाव दिखाई देंगे।

6.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 और राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, राष्ट्रीय विद्युत नीति, ग्रामीण विद्युतीकरण नीति आदि जैसे विभिन्न अन्य नीतिगत उपायों से समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में सुधार करने के सभी प्रयास किए हैं, ताकि एक व्यापक ढांचा उपलब्ध कराया जा सके और विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके। इस क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार के संकेत दिए हैं जो अभी और किए जाने बाकी हैं। विभाजन की प्रक्रिया, निगमितीकरण, विनियामक आयोगों आदि की स्थापना जैसी प्रक्रियाएं अधिकांश राज्यों में पहले ही पूरी की जा चुकी हैं, जिनमें विद्युत वितरण कंपनियों को अधिक जिम्मेदार बनाया गया है और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसके अलावा, कुछ विद्युत वितरण कंपनियां अलग-अलग मामलों के आधार पर फ्रैंचाईजियों की नियुक्तियां कर रही है, ताकि इस क्षेत्र विशेष में प्रचालन संबंधी दक्षता में सुधार लाया जा सके।

पिछले दशक में विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने कई कार्यक्रम आरंभ किए हैं, ताकि एपीडीआरपी जैसे डिस्कॉमों की समस्याओं का निराकरण करके उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके और जिनका उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना है तथा हानियों को कम करना है। आरजीजीवीवाई इसलिए बनाई गई है ताकि अंतिम क्षेत्र को भी बिजली से जोड़ा जा सके और बीपीएल परिवारों को भी बिजली का कनेक्शन दिया जाए, आर-एपीडीआरपी का गठन शहरी क्षेत्रों में सुधार करने और वितरण प्रणाली के लिए अनुकूल सूचना प्रौद्योगिकी लागू करने के लिए किया गया है। एनईएफ का गठन ब्याज सब्सिडी योजना के लिए किया गया है, ताकि पूंजीगत निवेश को बढ़ावा दिया जा सके और वितरण क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया पर व्यय किया जा सके, एफआरपी का गठन विद्युत वितरण कंपनियों को केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त भागीदारी से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए ऋण संबंधी पुनर्गठन किया जा सके।

एक महत्त्वपूर्ण पहल के रूप में विद्युत मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रणाली स्थापित की है, जो कार्य-निष्पादन का वास्तविक मूल्यांकन सुकर बनाएगी। इस प्रणाली से इन विद्युत वितरण कंपनियों की मजबूतियों और कमजोरियों का मूल्यांकन किया जा सकेगा और उनके प्रचालन तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन में और सुधार लाने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण उपलब्ध कराया जा सकेगा। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सतत दृष्टिकोण को अपनाने में भी यह उस समय सहायता प्रदान करेगी जब वितरण कंपनियों के वित्तपोषण के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

आरईसी कई आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करने में सहयोगी रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करना है। सुधार की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) का गठन किया है, जो एक ब्याज सब्सिडी योजना है। यह योजना विद्युत वितरण बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन देगी। विद्युत मंत्रालय स्मार्ट ग्रिड को लागू करके तकनीकी उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है और उसने कई प्रायोगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। विद्युत वितरण क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से ''स्मार्ट '' और वास्तविक समय के निकट सूचना देने के लिए सक्षम विद्युत प्रणाली होगी, जिससे यूटिलिटियां अपनी संपूर्ण प्रणाली को एकीकृत ढांचे में, सक्रिय संवेदनशीलता के साथ और प्रतिक्रिया के रूप में व्यवस्थित कर सकेंगी, ताकि बिजली की मांग, आपूर्ति, लागत और बिजली की गुणवत्ता में परिवर्तन लाया जा सके। इसी प्रकार बेहतर सूचना समर्थ उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा का प्रबंधन कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ विद्युत प्रणाली अधिक दक्ष होगी और इस बात का अनुप्रयोग कर सकेगी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाई जा सके और विद्युत की विश्वसनीयता में सुधार लाया जा सके। लेकिन, स्थानीय वितरण स्तर पर कुशल ग्रिड का विकास बिजली के प्रभावी और बिना रुकावट के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कठिन है। इससे सूचना प्रौद्योगिकी/इंटरनेट/संचार प्रौद्योगिकी द्वारा अंतिम क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है और वास्तविक समय में आंकड़ें प्राप्त करने के लिए विद्यमान ग्रिड का उपयोग किया जा सकता है तथा इस समग्र तंत्र का पर्यवेक्षी नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें एकीकृत संचार प्रणाली, प्रौद्योगिकी की संवेदनशीलता और मापन, विद्युत व्यवहार का नियंत्रण और निर्धारण के उच्च घटकों और विद्युत वितरण स्तर तक ग्रिड के उन्नयन प्रबंधन और अंतत- उपभोक्ता बिंदु तक प्रबंधन शामिल है। चालू आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम डिस्कॉमों को सुसज्जित करने के लिए पहले चरण के रूप में होंगे, ताकि तकनीकी उन्नति को और एकीकृत किया जा सके तथा ग्रिड को अधिक स्मार्ट बनाया जा सके।

उपर्युक्त सभी उपायों से भारत सरकार दो अलग-अलग दिशाओं में

मूलतः कार्य कर रही है। उनमें से एक है - सभी को बिजली और दूसरा है यूटिलिटी का प्रचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार। ये कार्य सुधारों की पहल करके किए जा रहे हैं। इन उपायों का परिणाम मिलना शुरू हो गया है जो कई राज्यों में विनियामक द्वारा समय पर टैरिफ अधिसूचित करके, एमवाईटी याचिकाएं दाखिल करके, एआरआर में इक्विटी की प्राप्ति का दावा करके राज्य सरकार द्वारा राजस्व सब्सिडी जारी करके, वार्षिक लेखाओं को अद्यतन आदि करके शुरू हो गया है।

प्रणाली की उपलब्धता के रूप में यूटिलिटी के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन में वितरण ट्रांसफार्मर स्तर तक मीटर उपलब्ध कराकर सुधार किया जाएगा, ताकि वाणिज्यिक हानियों में कमी के परिणामों में बेहतर ऊर्जा लेखाकरण किया जा सके। ग्रामीण परिवारों के लिए विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करके फीडरों को पृथक किया जा सके और कई राज्यों में कृषि में बिजली की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके, उचित ऊर्जा लेखाकरण के कारण समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी की जा सके और तकनीकी हानियों में कमी करने से पूंजीगत व्यय में कमी की जा सकती है। इसके अलावा, यूटिलिटियों आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व वसूली के बीच के अंतर को टैरिफ/समायोजन याचिकाओं को समय पर दाखिल करके कम कर रहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ अधिसूचनाएं समय पर जारी की जा सकें।

6.2 राष्ट्रीय विद्युत निधि

आपकी कंपनी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के लिए नोडल एजेंसी है। यह विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी योजना के लिए स्थापित की गई है, ताकि राज्य विद्युत यूटिलिटियों, विद्युत वितरण कंपनियों - सरकारी या निजी दोनों को संवितरित किए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जा सके और वितरण क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य वितरण में अधिक आवश्यक निवेश के लिए प्रोत्साहन देना है। यह योजना सुधारों से जुड़ी हुई है और ऐसे डिस्कॉमों को ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जो विद्युत मंत्रालय द्वारा जुलाई 2012 में जारी किए गए एनईएफ दिशानिर्देशों में उल्लिखित सुधार के मापदंडों को प्राप्त कर लेते हैं। यह ब्याज सब्सिडी (3% से 7%) वितरण क्षेत्र में प्राइवेट और सरकारी विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋण पर दी जाएगी, जो सभी वितरण क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के पूंजीगत कार्यों के लिए होगी, जो आर-एपीडीआरपी या आरजीजीवीवाई योजनाओं जैसी सरकार की चालू योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हों।

एनईएफ दो वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए ₹ 25,000 करोड़ की रकम के ऋण संवितरण के लिए 14 वर्ष से अधिक की कुल ₹ 8466 करोड़ की ब्याज सब्सिडी देती है। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 8 राज्यों की 11 विद्युत वितरण कंपनियों को ₹ 10953 करोड़ तक की रकम के प्रस्तावों के लिए एनईएफ स्वीकृत किया है ताकि वे एनईएफ के अधीन लाभ उठा सकें और अलग-अलग राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियां अपनी उपलब्धियों के आधार पर ब्याज दर पर लाभ (3% से 7%) लेना शुरू कर देंगी। ये उपलब्धियां मुख्यतः दो प्रमुख दक्षता बेंचमार्क मापदंडों अर्थात समग्र, तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी और राजस्व अंतर (एआरआर एंड एसीएस) में कमी से संबंधित हैं।

7. वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी गांवों के विद्युतीकरण के साथ-साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की सहायता प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान प्रमुख वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों का विवरण इस प्रकार है।

7.1 विद्युत उत्पादन

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी ने 41 विद्युत उत्पादन/आर एंड एम से संबंधित ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनमें 13 अतिरिक्त ऋण सहायता और ₹ 26854.79 करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय भी शामिल है। इसमें अन्य वित्तीय संस्थाओं का संघ बनाकर वित्तपोषण करना भी शामिल है और चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में ₹ 12496.87 करोड़ का ऋण संवितरित किया जा चुका है।

आरईसी द्वारा वित्तपोषित 2 X 50 मेगावाट मलाना - II हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना

अतिरिक्त ऋण सहायता सहित स्वीकृत किए गए ऋण का क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	ऋणों की सं.	ऋण की रकम
राज्य क्षेत्र		
नया ऋण	19	19228.87
अतिरिक्त ऋण	2	
प्राइवेट क्षेत्र		
नया ऋण	9	7625.92
अतिरिक्त ऋण	11	
जोड़	**41**	**26854.79**

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरईसी ने कुल 126.60 मेगावाट संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी 11 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 580.06 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की है, जिनमें 50 मेगावाट की चार सौर फोटो वोल्टिक परियोजनाएं, 25 मेगावाट की एक सौर थर्मल परियोजना, 6.8 मेगावाट की एक पवन, ऊर्जा परियोजना और 34.8 मेगावाट की चार लघु हाइड्रो परियोजनाएं शामिल हैं। उपर्युक्त परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 1824.75 करोड़ है। वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा

आरईसी द्वारा वित्तपोषित चम्बा जिले में स्थित बेलिज हाइड्रोपावर प्राइवेट लिमिटेड की पांच मेगावाट की लघु हाइड्रो पावर परियोजना

परियोजनाओं के लिए कुल ₹ 240.51 करोड़ का कुल संवितरण किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है:

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (ग्रिड से जुड़ी) को सहायता	यूनिट	2012-13	2011-12
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	संख्या	11	8
स्वीकृत परियोजनाओं की क्षमता	मेगावाट	126.60	70.00
परियोजनाओं की लागत	₹ करोड़	1824.75	685.47
स्वीकृत ऋण*	₹ करोड़	580.06	342.19
संवितरित ऋण *	₹ करोड़	240.51	144.54

* इसमें विद्यमान परियोजना के लिए स्वीकृत ₹ 4.66 करोड़ का एक अतिरिक्त ऋण और ₹ 7.45 करोड़ की अतिरिक्त परियोजना लागत भी शामिल है।

7.3 पारेषण और वितरण

आपकी कंपनी अपने पारेषण और वितरण कार्यों के अधीन देश में पारेषण और वितरण तंत्र के अधीन नई बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए और विद्यमान सुविधाओं में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं का सृजन करके सभी को बिजली उपलब्ध कराने और

आरईसी द्वारा वित्तपोषित आंध्र प्रदेश में वीटीपीएस विद्युत निकासी परियोजना का स्विचयार्ड

समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए आपकी कंपनी पारेषण तंत्र के विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने संबंधी योजनाओं की व्यवस्था करती आ रही है, जिसमें वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण अधिक महत्त्वपूर्ण है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी ने 955 पारेषण और वितरण योजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनमें ₹ 31215.63 करोड़ की कुल ऋण सहायता शामिल थी। इसमें विद्युत उत्पादन संयंत्रों से संबद्ध प्राथमिक विद्युत आपूर्ति योजनाएं, आर-एपीडीआरपी परियोजना सहित प्रणाली सुधार योजना, फीडर पृथक्करण योजनाएं, अधिक ऋण वाली योजनाएं, गहन विद्युतीकरण योजनाएं और पंपसेट ऊर्जायन योजनाओं सहित प्रणाली सुधार योजनाएं भी शामिल हैं।

स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण क्रमश: तालिका 1 और 2 के अनुसार है। पारेषण और वितरण मंजूरियों के अधीन आपकी कंपनी द्वारा जिन प्रमुख कार्यक्रमों पर कार्य किया गया है, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं-

(₹ करोड़ों में)

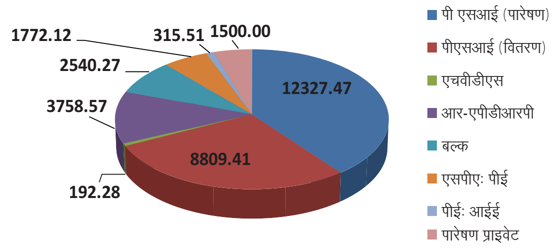

7.3.1 प्रणाली सुधार और थोक ऋण

प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए आरईसी विद्युत वितरण तंत्र के प्रणाली अध्ययनों पर आधारित प्रणाली सुधार योजनाओं का वित्तपोषण करता है, जिसमें प्रणाली की क्षमता की विद्यमान स्थिति, संबद्ध मांग, वोल्टता के विवरण और हानियों के स्तर तथा भावी लोड बढ़ने के कार्यक्षेत्र पर विचार किया जाता है।

प्रणाली सुधार कार्यक्रम में मीटरों, ट्रासंफार्मरों कैपेसिटरों की खरीद और संस्थापन संबंधी थोक ऋण योजनाएं, एलवीडीएस से एचवीडीएस में परिवर्तन संबंधी एचवीडीएस योजनाएं शामिल हैं, ताकि एचटी एलटी अनुपात में सुधार किया जा सके। प्रणाली सुधार योजनाओं से समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में काफी हद तक कमी आई है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 814 तंत्र सुधार योजनाएं और थोक ऋण योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका ऋण परिव्यय ₹ 29128 करोड़ था। इसमें (1) ट्रांसफार्मरों, मीटरों, कैपिसिटरों आदि जैसे आवश्यक उपस्करों के संस्थापन के रूप में वितरण प्रणाली में वित्त निवेश के लिए ₹ 2540.27 करोड़ की ऋण सहायता संबंधी 58 योजनाएं, (2) न्यून वोल्टता वितरण से उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए ₹ 192.27 करोड़ की ऋण सहायता संबंधी एक योजना, (3) वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए ₹ 8809.41 करोड़ की 316 योजनाएं, (4) आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं के भाग (ख) के साथ वित्तपोषण की ₹ 3758.55 करोड़ की ऋण सहायता संबंधी 234 योजनाएं; और (5) पारेषण तंत्र में सुधार लाने के लिए ₹ 13827.50

करोड़ की ऋण सहायता संबंधी 205 योजनाएं शामिल हैं।

7.3.2 गहन विद्युतीकरण

इस क्रियाकलाप के अधीन आने वाली योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पहले से ही विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण करना है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 17 गहन विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत की गई थीं जिनका ऋण परिव्यय ₹ 315.51 करोड़ था।

7.3.3 पंपसेटों का ऊर्जायन

आरईसी के ऋण संबंधी कार्यों में कृषि संबंधी पंपसेटों के ऊर्जायन के लिए ऋण सहायता भी देना है। ऐसा बताया गया है कि आरईसी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 254993 विद्युत सिंचाई पंपसेटों की योजना को ऊर्जावान बनाने का वित्तपोषण किया है। इस श्रेणी के अधीन इस वर्ष के दौरान 124 नई योजनाओं के लिए ₹ 1772.12 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की गई थी। 31.03.2013 तक ऊर्जायित पंपसेटों का राज्य-वार विवरण और संचयी स्थिति **तालिका-5** में दी गई है।

7.4 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विद्युत उत्पादन योजनाओं के लिए ₹ 1543.45 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की गई थी, जिसमें उत्तरी सिक्किम में तीस्ता ऊर्जा-III परियोजना के लिए ₹ 995 करोड़, दक्षिण सिक्किम में डैन्स ऊर्जा परियोजना के लिए ₹ 61.45 करोड़ और पूर्वी सिक्किम में तीस्ता नदी रंगप्पो और रंगोली की सहायक नदियों पर सिक्किम में चुजाशेन पर मैसर्स गति इफ्रॉस्ट्रक्चर लिमिटेड की 2 X 55 मेगावाट हाइड्रो पावर परियोजना के लिए उसे दिए गए ₹ 487 करोड़ शामिल थे।

इसके अलावा, विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को ₹ 509.78 करोड़ की ऋण सहायता संवितरित की गई थी, जिसमें मैसर्स तीस्ता ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत ₹ 431.58 करोड़, मैसर्स लैंको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ₹ 26.70 करोड़, मैसर्स डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ₹ 51.50 करोड़ भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान पारेषण और वितरण योजनाओं के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों को ₹ 9.97 करोड़ की ऋण सहायता भी दी गई।

8. अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी ने पवन विद्युत/लघु हाइड्रो पावर/बायोमास को-जेनरेशन/बायोमास पावर/सौर पी वी/सौर थर्मल और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 100 मिलियन यूरो (लगभग ₹ 700 करोड़) का ओडीए ऋण लेने के लिए 30 मार्च, 2012 को केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ अपने तीसरे ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण अगले पांच वर्षों अर्थात दिसंबर 2017 तक आहरित किया जाएगा। केएफडब्ल्यू-I और केएफडब्ल्यू-II के अधीन प्रत्येक 70 मिलियन यूरो (लगभग ₹ 454.02 करोड़ और ₹ 480.97 करोड़ प्रत्येक) का ओडीए ऋण दिनांक 31.03.2013 को पूर्णतः आहरित कर लिया गया है और केएफडब्ल्यू-III की 25 मिलियन यूरो (लगभग ₹ 180.31 करोड़) की संचयी रकम दिनांक 31.03.2013 को आहरित कर ली गई है। जेआईसीए- I और II के अधीन क्रमश: 16,949.38 मिलियन जापानी येन (लगभग ₹ 820.12 करोड़) और जेपीवाई 10,102.61 मिलियन जापानी येन (लगभग ₹ 545.40 करोड़) का संचयी ऋण दिनांक 31.03.2013 को आहरित कर लिया गया है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) कार्यक्रम के पुनः वित्तपोषण के लिए 31 मार्च, 2006 को जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ पहली ऋण श्रृंखला के अधीन परियोजना संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण प्रणाली में सुधार करना है। यह कार्य पूरा होने वाला है और ऋण श्रृंखला 16949.38 मिलियन जापानी येन (लगभग ₹ 820.12 करोड़) की संचयी रकम जेआईसीए-I ऋण श्रृंखला के अधीन आरहित की गई है।

'हरियाणा पारेषण प्रणाली परियोजना' के पुनः वित्तपोषण के लिए 10 मार्च, 2008 को दूसरी ऋण श्रृंखला के अधीन जेआईसी के साथ अभिनिर्धारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य हरियाणा राज्य में अंतरराज्य पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करके बिजली की आपूर्ति में स्थायित्व को प्राप्त करना है। यह कार्य प्रगति पर है और 10102.61 मिलियन जापानी येन (लगभग ₹ 545.40 करोड़) की संचयी रकम दिनांक 31.03.2013 को क्रेडिट की इस लाइन के अधीन जेआईसीए से आहरित कर ली गई है। जेआईसीए-II लाइन ऑफ क्रेडिट के अधीन ऋण की रकम प्रारंभिक परिव्यय 20902 मिलियन जापानी येन से 13000 मिलियन जापानी येन के रूप में संशोधित कर दी गई है। ऐसा मुख्यतः विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण अतिरिक्त भारतीय रुपए में रकम उपलब्ध होने के कारण किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, देश में पहली बार इस कंपनी ने क्लिन डेवलपमेंट मेकेनिज्म (सीडीएम) के अधीन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के साथ सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है। यह पंजीकरण आंध्र प्रदेश लिमिटेड की साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की आरईसी द्वारा वित्तपोषित निम्नलिखित दो ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए किया गया है, जिनका केएफडब्ल्यू जर्मनी से पिछली ओडीए ऋण श्रृंखला के अधीन पुनः वित्तपोषण किया गया है।

1. आंध्र प्रदेश के तिरुपति और पुत्तुर प्रचालन प्रभाग में विद्युत वितरण तंत्र में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम।
2. आंध्र प्रदेश के चित्तूर और मदनापली प्रचालन प्रभाग में विद्युत वितरण तंत्र का ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम।

9. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

भारत सरकार ने ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' (आरजीजीवीवाई) आरंभ की है - यह योजना ग्रामीण विद्युतीकरण ढाँचे और सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए आवास विद्युतीकरण की योजना है। इस योजना के अधीन परियोजना की समग्र लागत के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए आरईसी नोडल एजेंसी है।

9.1 गांवों और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले आवासों का विद्युतीकरण

विद्युत मंत्रालय द्वारा 18 मार्च, 2005 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए दसवीं योजना अवधि के अंतिम दो वित्त वर्षों के दौरान ₹ 5000 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी की इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए शुरू में अनुमोदन दिया गया था। इसके अलावा, 11वीं योजना में इस योजना को जारी रखने की स्वीकृति विद्युत मंत्रालय के दिनांक 06 फरवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सूचित की गई थी और

पूंजी सब्सिडी के रूप में ₹ 28000 करोड़ का परिव्यय दिया गया था। इसके अलावा, 11वीं योजना में आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के चरण-II के लिए जुलाई 2011 में ₹ 6000 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी मंजूर की गई थी।

संचयी रूप से 31 मार्च, 2013 तक 648 परियोजनाओं पर कार्य किया गया है, जिनमें 112795 अविद्युतीकृत/विद्युतविहीन गांवों का विद्युतीकरण, 396336 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण और 2.74 करोड़ बीपीएल आवासों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन देना शामिल है। इस कार्य के लिए आरईसी की सिफारिश के आधार पर कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा ₹ 42475.41 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई है। राज्य-वार विवरण **तालिका-6** में दिए गए हैं।

संचयी रूप से इस योजना के अधीन 31.03.2013 तक 107083 विद्युतीकृत गांवों, 290137 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और 2.07 करोड़ बीपीएल आवासों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। राज्य-वार अनुबंध **तालिका-7** में दिए गए हैं। संचयी रूप से इस योजना के अधीन 503 नए 33/11 केवी सब स्टेशन चालू किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ऐसा बताया गया है कि 2587 अविद्युतीकृत गांवों में, 41584 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है और 1296541 बीपीएल आवासों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दे दिए गए हैं और 63 नए 33/11 केवी सब स्टेशन चालू कर दिए गए हैं। इसके अलावा, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरईसी को ₹ 697.94 करोड़ की आरजीजीवीवाई सब्सिडी दे दी गई है।

9.2 आरजीजीवीवाई के चरण-II के अधीन स्वीकृत अनुपूरक परियोजनाएं

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरजीजीवीवाई के चरण-II के अधीन स्वीकृत अनुपूरक परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	आरईसी द्वारा मंजूर किए जाने की तारीख	परियोजना की स्वीकृत लागत (संशोधित)			दिनांक 11.07.2013 तक जारी की गई निधियां
			ऋण	सब्सिडी	कुल	
1.	किशनगंज	11.05.2012	17.36	156.27	173.63	शून्य
2.	नालंदा		34.81	313.30	348.11	
3.	पटना		39.21	352.90	392.11	
	जोड़		**91.38**	**822.47**	**913.85**	

9.3 आरजीजीवीवाई के समझौता ज्ञापन लक्ष्यों में उपलब्धि

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के अधीन 4410 गांवों में फ्रैंचाईजी काम पर लगाए गए हैं और आरजीजीवीवाई परियोजनाओं की वेब आधारित मॉनीटरिंग 15 नवंबर, 2012 से पूर्णतः कार्य कर रही है। इसके अलावा, फ्रैंचाईजियों के विकास के लिए समझौता ज्ञापन की अपेक्षाओं के अनुसार कोलकाता, पंचकूला, भोपाल और बैंगलूरु में चार कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

10. आरजीजीवीवाई विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी)

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जहां ग्रिड से कनेक्शन देना व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं होता, वहां डीडीजी परियोजनाओं के लिए परंपरागत अथवा नवीकरणीय अपारंपरिक स्रोतों जैसे बायोमास, बायोगैस, लघु पनबिजली, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि के कनेक्शन के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत आरजीजीवीवाई के तहत 90 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है जो इस स्कीम की डीडीजी परियोजनाओं की लागत के लिए होती है। लेकिन इसमें स्थानीय कर अथवा राज्य कर की राशि शामिल नहीं है, जो संबद्ध राज्य/राज्य बिजली यूटीलीटियो द्वारा वहन की जाती है। परियोजना लागत के 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान राज्यों का होता है जो वे अपने संसाधनों से अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर दे सकते हैं। ग्यारहवीं योजना के दौरान सब्सिडी के लिए ₹ 540 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

10.1 आरजीजीवीवाई के तहत डीडीजी परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश विद्युत मंत्रालय द्वारा 12.01.2009 को जारी किए गए थे। डीडीजी परियोजनाओं को अधिक कवरेज देने और इनके तीव्रतम कार्यान्वयन के लिए तथा साथ ही वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में डीडीजी को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 05.01.2011, 17.03.2011 और 18.03.2011 को विद्युत मंत्रालय द्वारा डीडीजी दिशानिर्देशों में संशोधन जारी किए गए।

10.2 वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में 21 डीडीजी परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹ 7.58 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान डीडीजी परियोजनाओं के लिए कुल ₹ 4.98 करोड़ की धनराशि संवितरित की गई थी। अधिकांश राज्य डीडीजी परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और कुछ राज्य डीडीजी परियोजनाओं के कार्य को सौंपने और उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरजीजीवीवाई के अधीन स्वीकृत और संवितरित डीडीजी परियोजनाओं के राज्य-वार विवरण इस प्रकार हैं-

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृति					संवितरण		
		परियोजनाओं की संख्या	जिलों की सं.	विद्युतीकृत, अविद्युतीकृत गांवों/पुरबों की सं.	विद्युतीकृत बीपीएल आवासों की सं.	कुल स्वीकृत परियोजना लागत	सब्सिडी की रकम	ऋण की रकम	कुल संवितरण
1.	आंध्र प्रदेश	20	1	40	765	5.48	4.49	0.49	4.98
2.	उत्तराखंड	1	1	3	68	2.10	-	-	-
	जोड़	**21**	**2**	**43**	**833**	**7.58**	**4.49**	**0.49**	**4.98**

11. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और मॉनीटरिंग

आपकी कंपनी राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरण प्रणाली में लगातार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रही है। कंपनी द्वारा दिए गए तकनीकी विनिर्देश और निर्माण मानकों का सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। यह कंपनी वितरण क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम अनुसंधान और विकास का प्रयोग करते हुए नवाचारों की खोज करती रही है।

आरजीजीवीवाई की ग्यारहवीं योजना की स्कीमों के कार्यान्वयन में सामग्री और निर्माण की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अनुसार (1) स्तर-2 के अधीन आरईसी गुणवत्ता मॉनीटरों (आरक्यूएम) की नियुक्ति की गई है,

जिसके अधीन 25 राज्यों की 341 परियोजनाएं आती हैं; और (2) स्तर-3 के अधीन विद्युत मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) की नियुक्ति की गई है, ताकि चौबीस राज्यों की 332 परियोजनाओं की मॉनीटरिंग की जा सके। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरक्यूएम ने 117 सामग्री निरीक्षण और 6676 गांवों/सब स्टेशनों का निरीक्षण किया है और एनक्यूएम ने कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 540 गांवों/सब स्टेशनों का निरीक्षण किया है।

12. प्राथमिकता वाली ग्राहक नीति

व्यापार प्रोन्नति कार्यनीति के भाग के रूप में, एक प्राथमिकता वाली ग्राहक नीति 2008 में बनाई गई। इसका मूल उद्देश्य कंपनी के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना था और उसके साथ लम्बे समय तक एक परस्पर लाभप्रद संबंध बनाना था। इस नीति में पात्रता की व्यवस्था बताई गई है जिसमें बकाया ऋण राशि, ऋण संबंध की अवधि, ऋण वापसी का पिछला रिकार्ड आदि जैसी बातें ध्यान में रखी जाती हैं और उन्हीं के अनुसार ग्राहक संबंध तय किए जाते हैं। तदनुसार, ग्राहकों को, क्षमता निर्माण/घरेलू अंतरराष्ट्रीय विचार -गोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में और हैदराबाद स्थित सायर में प्रायोजित किया जाता है।

13. संयुक्त उद्यम

आरईसी ने 10 दिसंबर, 2009 को तीन अन्य विद्युत क्षेत्र के उद्यमों यानी पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और पीएफसी को समान भागीदार बनाकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की है, जिसका नाम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) है। 31 मार्च, 2013 को यथास्थिति आपकी कंपनी ने ₹ 22.50 करोड़ (25% प्रदत्त पूंजी) का अंशदान किया है। ईईएसएल से उम्मीद है कि वह ऊर्जा कुशलता परियोजनाओं को लागू करने के लिए आगे आएगी और ऊर्जा कुशल उपकरणों के इस्तेमाल के लिए एक बाजार का सृजन करेगी तथा इस तरह से एनर्जी सर्विस कंपनियों की अवधारणा आगे बढ़ाएगी तथा इस तरह की कंपनियों के जोखिम को समाप्त करने के लिए एक आंशिक जोखिम गारंटी कोष का प्रबंधन करेगी। इसके अलावा, ये नई कंपनी वे व्यापारिक कार्य भी करेगी जो वर्तमान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किए जा रहे हैं। इस प्रकार ईईएसएल से आशा की जाती है कि वह नेशनल मिशन फॉर एनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (एनएमईईई) की सभी सिफारिशें लागू करेगी। यह मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का एक अंग है। इस कंपनी की व्यापार योजना में बिल्डिंग कोड और ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं की शुरुआत तथा कृषि मांग पक्ष प्रबंधन शामिल है। म्युनिसिपल डीएसएम, बचत लैम्प योजना और अन्य इसी तरह के कार्य भी यह कंपनी करेगी।

14. ईआरपी आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली

14.1 निगम के लगभग सभी बड़े कारोबार संबंधी कार्य एकीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं, जिनमें वित्तीय, परियोजना, संवितरण, ऋण लेखों का प्रबंधन, खजाना संबंधी कार्य, वेतन चिट्ठा, सीपीएफ, रोकड़ प्रबंधन, बैंकिंग, सभी कार्यालयों में की जाने वाली खरीद शामिल हैं। इसके कारण आंतरिक दक्षता में सततता और स्थायित्व में सुधार हुआ है और ग्राहकों की अधिक संतुष्टि हुई है। इस अवधि के दौरान, इस प्रणाली के कार्यक्षेत्र में सुधार किया गया है ताकि इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सके।

(क) नवीकरणीय ऊर्जा, डीडीजी, टीएफएल, एमटीएल आदि जैसी परियोजनाओं की नई श्रेणियों की शुरूआतः

(ख) आरटीजीएस प्रणाली के साथ अदायगी का मिलान;

(ग) इस प्रणाली से सचेत की गई डाक के स्वतः उत्पादन के माध्यम से ग्राहक सेवा में सुधार करना;

(घ) सुधार किए गए कार्य-निष्पादन और उपलब्धता के लिए क्लस्टर आधारित उत्पादन वातावरण के लिए सिस्टम में परिवर्तन करके सूचना प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए सुधार करना;

(ड.) एक समिति द्वारा ईआरपी प्रणाली का आंतरिक मूल्यांकन करके ईआरपी प्रणाली में उन्नत आंतरिक नियंत्रण लागू करना और प्रणाली में सुझावों को शामिल करना।

14.2 आरईसी ने निगम के अंदर प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) लागू कर दी है। इसमें प्रलेखों का डिजिटिकरण कर दिया गया है जिसमें स्कैनिंग, क्लिनिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, सूचकांक, अपलोडिंग और रिट्रीविंग भी शामिल है। यह प्रणाली कारपोरेट कार्यालय और आंचलिक तथा परियोजना कार्यालयों के प्रभागों में लागू कर दी गई है।

14.3 आरईसी ने नोटशीट पर अनुमोदन और संलग्न दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक संचलन के लिए वर्क फ्लो प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) लागू कर दी है। यह डब्ल्यूएमएस प्रणाली वित्त वर्ष 2012-13 के लिए समझौता ज्ञापन में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुसार कारपोरेट कार्यालय के दो प्रभागों, एक आंचलिक कार्यालय और एक परियोजना कार्यालय में लागू कर दी गई है।

14.4 दिनांक 20.11.2012 को हैदराबाद में ईआरपी प्रचालन के लिए एक पूर्ण सुसज्जित आपदा निवारण केंद्र (डीआरसी) आरंभ कर दिया गया है, ताकि वित्त वर्ष 2012-13 के लिए समझौता ज्ञापन में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुसार पूर्व-निर्धारित समय-सीमा के अंदर आंकड़ों को प्राप्त किया जा सके। आईएसओ 27001-2005 प्रमाणीकरण के दौरान डीआरसी की लेखापरीक्षा की गई है।

14.5 दक्ष इलेक्ट्रॉनिक सुशासन और पारदर्शिता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरईसी ने ₹ 10 लाख से अधिक की खरीद के लिए ऑनलाइन 'ई-खरीद' प्रणाली लागू कर दी है, संगठन के अंतर्गत 'वार्षिक संपत्ति विवरणी' आदि वेब आधारित ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती हैं और सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन और वित्त प्रभाग में विक्रेताओं को बिलों की समय पर अदायगी का पता लगाने के लिए बिल अदायगी ट्रैकिंग प्रणाली लागू कर दी गई है।

14.6 सायर, हैदराबाद में आपदा निवारण केंद्र (डीआरसी) को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टिट्यूशन (बीएसआई) द्वारा आईएसओ/आईईसी 27001:2005 सुरक्षा मानक का प्रमाणपत्र दिया गया है। प्राथमिक डेटा केंद्र (पीडीसी) को पहले ही आईएसओ/आईईसी 27001:2005 प्रमाणपत्र दिया गया है।

14.7 आरईसी ने एचआर-ईआरपी समाधान का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है ताकि एचआर संबंधी कार्यों का स्वतः संचालन किया जा सके। इसमें कर्मचारी स्व-सेवा मॉड्यूल और विद्यमान ईआरपी प्रणाली सहित एकीकरण भी शामिल है।

14.8 आरईसी ने विद्यमान स्थायी कारपोरेट वेबसाइट का पुनः अभिकल्प करने और उसे प्रभावित बनाने का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि उसे अंत:क्रियाशील और गतिशील वेबसाइट बनाया जा सके।

14.9 आंतरिक नियंत्रण के लिए आरईसी में लागू की गई सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए अन्य पक्षकार द्वारा आवधिक रूप से विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा की जाती हैं। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ईआरपी डेटा केंद्र और आपदा निवारण केंद्र की बाह्य लेखापरीक्षा कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पाँस टीम (सीईआरटी) द्वारा

की गई है - यह एक प्रमाणित लेखापरीक्षा एजेंसी है और आईएसओ की निगरानी लेखापरीक्षा आईएसओ द्वारा प्रमाणित एजेंसी - बीएसआई इंडिया द्वारा की गई है। इसके अलावा, ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद प्राइसवाटरहाउस कूपर्स द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी और सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, परिसंपत्ति सत्यापन और मिलान लेखापरीक्षा की गई है तथा सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा आदि आवधिक आधार पर की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की क्षेत्र स्तरीय लेखापरीक्षा भी अपेक्षित आधार पर की गई है।

15. केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर)

आरईसी के तत्त्वावधान में वर्ष 1979 में हैदराबाद में केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) की स्थापना की गई थी, ताकि विद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र के इंजीनियरों एवं प्रबंधकों तथा विद्युत और ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों की प्रशिक्षण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसमें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के अत्याधुनिक विषयों और महत्त्वपूर्ण विषयों पर निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:

15.1 आरजीजीवीवाई के अधीन राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी)

सायर को आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के मानव संसाधन विकास घटक के अधीन फ्रैंचाइजी और समूह ग तथा घ कर्मचारियों से संबंधित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सायर/आरईसी ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 30 विद्युत यूटिलिटियों/ प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे-

(i) 15 फ्रैंचाइजी कार्यक्रम जिनमें 648 प्रतिभागी शामिल हुए थे;

(ii) 396 समूह ग और घ कर्मचारी कार्यक्रम, जिनमें 9251 प्रतिभागी शामिल हुए थे;

(iii) 2 समूह ग और घ कर्मचारी कार्यक्रम, जिनमें 50 प्रतिभागी थे। यह कार्यक्रम 'वितरण ट्रांसफार्मर - फेल्योर और मरम्मत निवारण' विषय पर बीएसईबी के लिए था और

(iv) 1 कार्यक्रम 'वेब पोर्टल' के प्रयोग से संबंधित था जो नोडल अधिकारियों के लिए था।

15.2 आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम

सायर ने प्रशिक्षण संस्थान के भागीदार के रूप में पीएफसी के माध्यम से विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम आयोजित किया था। सायर ने विभिन्न विषयों, यथा वितरण प्रणाली में दक्षता में सुधार के उपाय, वितरण प्रचालन तथा प्रबंधन प्रणाली में सर्वोत्तम परिपाटियां, संचार और ग्राहक संबंध जैसे विभिन्न विषयों पर 27 आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों से 418 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

15.3 डीआरयूएम कार्यक्रम

पावर फाइनैंस कारपोरेशन के माध्यम से यूएसएआईडी की वित्तीय सहायता से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित डीआरयूएम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सायर को प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पैनलबद्ध किया गया है। सायर ने देश में विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के 347 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के लिए ऑफ साइट कार्यक्रम के रूप में 12 डीआरयूएम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों के विषय थे वितरण प्रणाली प्रचालन और अनुरक्षण में सर्वोत्तम परिपाटी, वितरण दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन, वितरण हानियों में कमी की सर्वोत्तम परिपाटी, संचार कौशल, कर्मचारी अभिप्रेरणा और नैतिक विकास, आपदा प्रबंधन, विद्युत सुरक्षा प्रक्रिया और दुर्घटना निवारण तथा वितरण कारोबार में वित्तीय प्रबंधन।

15.4 अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम

सायर को आईटीईसी/एससीएएपी के अधीन विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैनलबद्ध किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सायर ने 9 अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर थे, यथा विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली की योजना और प्रबंधन, विद्युत कंपनियों के लिए वित्तीय प्रबंधन और लेखा प्रणाली, विद्युत परियोजनाओं की योजना और वित्तीय प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी/ऑटोमेटेड सॉल्यूशन का उपयोग करके विद्युत यूटिलिटी प्रबंधन का उन्नयनीकरण, विद्युत वितरण क्षेत्र में सर्वोत्तम परिपाटियां, सौर विद्युत जेनरेशन ग्रिड सक्षम, अभिकल्प, उत्थापन, प्रचालन, अनुरक्षण में अद्यतन प्रवृत्तियां और ईएचवी सब-स्टेशनों की सुरक्षा प्रणाली, विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन और ग्रामीण विद्युत वितरण प्रबंधन तथा विद्युत उत्पादन तथा पारेषण प्रणालियों में प्रवृत्ति और विकास।

उपर्युक्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में विभिन्न देशों की प्रतिभागिता थी, यथा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ब्रूंडी, श्रीलंका, सीरिया, इराक, नेपाल, मलावी, कैमरून, तंजानिया, फिलीपीन्स, रवांडा, सूडान, सीरिया लियोन, वियतनाम, लाओस, लिथुवानिया, मैक्सिको, कंबोडिया, कोस्टारिका, मिश्र, गैम्बिया, ग्युनिया, मॉरीशस, नाइजीरिया, नाइजर, म्यांमार, नामिबिया, यमन, इथोपिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, कीनिया आदि।

15.5 नियमित और आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

सायर ने 25 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों/वितरण कंपनियों के 308 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा, सायर ने 10 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें आरईसी के 122 कार्यपालकों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों के विषय थे विद्युत उत्पादन और पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, वित्त और वाणिज्यिक पहलू तथा प्रबंधन।

16. जोखिम प्रबंधन

16.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसके अंतर्गत संपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) और सुरक्षा नीति है। एएलएम नीति में निर्धारण, मापन और असंगत कार्यों तथा सुरक्षा नीति की मॉनीटरिंग की व्यवस्था है और इसके अंतर्गत मुद्रा जोखिम प्रबंधन आता है।

एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में वर्तमान में कार्य कर रही है और निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, कार्यकारी निदेशक और वित्त तथा प्रचालन प्रभागों के महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं।

एएलसीओ परिसमापन, ब्याज दर और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों को मॉनीटर करती है। परिसमापन जोखिम की मॉनीटरिंग परिसमापन अंतराल विश्लेषण द्वारा की जाती है और यह समिति अग्रेषण सोच संसाधन कार्यक्रम जो प्रदर्शित संवितरण और परिपक्व विवरण के

आधार पर कार्य करती है, जैसी कार्यनीतियों के एक मिश्रित समूह के माध्यम से परिसमाप्त जोखिम का प्रबंधन करती है। ब्याज दर जोखिम की मॉनीटरिंग ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से की जाती है और इसका प्रबंधन उधार देने की दरों, उधार की लागत और उधार लेने तथा देने की शर्तों की समीक्षा के माध्यम से किया जाता है। विनिमय दर से संबद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर का प्रबंधन विभिन्न डेरिवेटिव प्रलेखों के माध्यम से किया जाता है।

16.2 उद्यम जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने एक उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया है, जो इस समय अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) इसके सदस्य हैं। इस समिति का उद्देश्य कंपनी के एकीकृत जोखिमों की मॉनीटरिंग करना है। आरएमसी का मुख्य कार्य ऐसे विभिन्न जोखिमों का मॉनीटर करना है, जिनके उत्पन्न होने की संभावना हो और प्रचालन में उत्पन्न जोखिमों और कंपनी के मामलों से संबंधित अन्य जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है। कंपनी ने अपने विभिन्न जोखिमों का पता लगा लिया है और उन्हें कम करने के विभिन्न उपाय किए हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(i) क्रेडिट जोखिम:

क्रेडिट जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो उद्योगों के वित्तपोषन में अंतर्निहित होता है और इसमें उधारकर्ता के क्रेडिट की गुणवत्ता में कमी से उत्पन्न हानियों का जोखिम शामिल होता है और इसमें ऋण या पेशगी के अधीन संविदा में उल्लिखित वापसियों से संबंधित चूक का उधारकर्ता का जोखिम होगा। इसे कम करने के लिए यह कंपनी सुव्यवस्थित, संस्थागत और परियोजना मूल्य निरूपण प्रक्रिया को अपनाती है ताकि क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन किया जा सके। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रविधि, जोखिमों की पहचान और उचित संरचना तथा क्रेडिट जोखिम कम करने के उपाय शामिल होते हैं।

(ii) बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम संभावित हानि होती है जो बाजार दरों और बाजार कीमतों में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। हमारे प्राथमिक बाजार जोखिम प्रकटन मुख्यतः ब्याज दरों और विदेशी विनिमय मुद्रा दरों में घट-बढ़ से होते हैं। यह कंपनी उधार की अपनी लागत के आधार पर अपनी उधार देने की दरों की आवधिक समीक्षा करती है। इसके पश्चात हम अपने उधार देने की दरों को निर्धारित करते हैं जो विद्यमान बाजार दरों, हमारे भारित औसत, लागत के वित्तपोषण और हमारे कर-पश्चात शेष पर आधारित होता है।

(iii) परिसमापन जोखिम:

परिसमापन जोखिम हमारी संभावित असमर्थता का जोखिम होता है ताकि हम देय होने पर अपनी देयताओं का निर्वहन न कर सकें। हम ऐसे परिसमान जोखिमों का मुकाबला करते हैं, जिनकी निधियों को बढ़ाने या प्रतिकूल शर्तों पर परिसंपत्तियों का परिसमापन करने की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। हम अपने प्राथमिक जोखिम का प्रबंधन मिश्रित कार्यनीति के माध्यम से करते हैं, जिसमें प्रदर्शित संवितरण और परिपक्व दायित्वों के आधार पर संसाधनों के संचालन का अनुमान लगाना भी शामिल है।

(iv) विदेशी मुद्रा जोखिम:

विदेशी मुद्रा जोखिम में ऐसी मुद्राओं में विनिमय दर का संचलन शामिल है, जिनका विदेशी मुद्रा - प्रमुख परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ बैलेंस शीट व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह कंपनी विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़ी विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न डेरिवेटिव लिखतों के माध्यम से करती है। इसके लिए कंपनी ने बचाव (हेजिंग) नीति स्थापित की है ताकि विदेशी मुद्रा के उधार से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन किया जा सके।

(v) विधिक जोखिम:

विधिक जोखिम हमारे उधारकर्ताओं के दायित्वों से संबंधित संविदाओं के प्रवर्तन की अनिश्चितता से उत्पन्न होते हैं। यह प्रवर्तन की प्रक्रिया को विलंब से शुरू करने या संविदा के दायित्वों की प्रयोज्यता में कठिनाई के कारण उत्पन्न होते हैं। हम विधिक दस्तावेजों और विधिक दस्तावेजों में संविदा के प्रावधानों का अनुमान लगाकर विधिक जोखिम को कम करते हैं।

(vi) प्रचालन जोखिम:

प्रचालन जोखिम ऐसे जोखिम होते हैं जो अपर्याप्त और असफल आंतरिक प्रक्रिया, लोगों और प्रणाली या बाह्य घटनाओं से उत्पन्न होते हैं।

17. आईएसओ 9001:2008 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय के 6 प्रमुख प्रभागों और देश में फैले सभी आंचलिक/परियोजना कार्यालयों में दावा प्रक्रिया के लिए आईएसओ 9001:2008 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है।

18. मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी के कार्यपालकों को व्यावसायिक बनाने के लिए तथा नए युवा लोगों को शामिल करने के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 10 कार्यपालकों को खुले विज्ञापन के जरिए नियुक्त किया गया है। दो कार्यपालकों को इस प्रयोजन से पैनल में शामिल प्रमुख संस्थाओं से कैम्पस के माध्यम से नियुक्त किया गया है। दिनांक 31.03.2013 को निगम की कुल जनशक्ति 648 थी, जिसमें 430 कार्यपालक और 218 गैर-कार्यपालक कर्मचारी शामिल हैं।

18.1 रोजगार में आरक्षण

कंपनी द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2013 के अनुसार कुल कर्मचारी संख्या में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का समूह-वार ब्योरा इस प्रकार है:

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	372(378)	34 (36)	11(9)
ख	141(123)	19 (15)	2(3)
ग	46(83)	8 (15)	0(0)
घ	89(94)	27 (28)	1(2)
जोड़:	**648(678)**	**88 (94)**	**14(14)**

(कोष्ठकों में दी गई संख्या पिछले वर्ष की स्थिति दर्शाती है।)

18.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

इस वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में समर्थ बनाना, उन्हें अनेक कौशलों का प्रशिक्षण देना तथा मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देना जारी रहा है। आरईसी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास नीति का उद्देश्य प्रबंधकीय कौशल

में वृद्धि करना तथा कर्मचारी के कार्य-निष्पादन एवं उत्पादकता को उन्नत बनाने के लिए उसे यथासंभव सहायता एवं अवसर प्रदान करना है। उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने में बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक-आर्थिक और ऐसे राजनीतिक वातावरण, जिसमें कारोबार किया जाता है, के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों को आध्यात्मिक स्वास्थ्य और अभिवृत्ति में परिवर्तन की प्रक्रिया में लाभ मिलने में भी सहायक होता है।

अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर तथा उन्हें पूरा करने के माध्यम के रूप में इस कंपनी ने देश-विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में शामिल होने के लिए 134 कर्मचारियों को प्रायोजित किया है। इसके अलावा, 29 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आंतरिक रूप से आयोजित किया गया है, जिनमें 518 कर्मचारियों ने भाग लिया है। इन सबको मिलाकर इन पहलों से कंपनी ने 2236 प्रशिक्षण श्रम दिवसों का लक्ष्य प्राप्त किया है और इस मापदंड के आधार पर समझौता ज्ञापन के अनुसार उत्कृष्ट रेटिंग भी प्राप्त की है। उन्हें वैश्विक विकास के प्रकटन के योग्य बनाने के लिए विभिन्न अधिकारियों को यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि जैसे देशों में विभिन्न विदेशी कार्यक्रमों के लिए भेजा गया था।

18.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को उन्नत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कंपनी ने 12 और अस्पतालों को जोड़कर प्रत्यक्ष अदायगी योजना के अधीन सूची में शामिल अस्पतालों की सूची का विस्तार किया है। इसके अलावा, तीन विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सकों की आंशिक सेवाएं लेने के लिए उन्हें काम पर लगाया गया है, ताकि कर्मचारियों को कार्यस्थल पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सकें। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरईसी के कर्मचारियों के हित के लिए निगम के कार्यालय परिसर में दो निवारक स्वास्थ्य जाँच शिविर भी आयोजित किए गए थे। कंपनी खेलकूद और मनोरंजन के साधनों (कैरम बोर्ड आदि जैसे) का भी वित्तपोषण कर रही है, ताकि कार्यालय परिसर में कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उनके हित के लिए इनका उपयोग किया जा सके।

खेलकूद संबंधी क्रियाकलाप

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरईसी ने इंटर-सीपीएसयू शतरंज प्रतियोगिता की मेजबानी की है और अपने कर्मचारियों को विभिन्न इंटर-सीपीएसयू खेलकूद प्रतियोगिता के लिए प्रायोजित किया था, जिनमें अन्य खेलों के साथ-साथ बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कबड्डी जैसे टूर्नामेंट शामिल थे, जिन्हें विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (पीएससीबी) के तत्त्वावधान में विभिन्न विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू द्वारा आयोजित किया गया है।

18.4 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 104 स्थायी महिला कर्मचारी हैं, जो कुल कार्यबल का 16.05% है। महिला होने के नाते इन कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। महिला कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान देने और उनके समग्र विकास के लिए कंपनी में एक महिला प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। आरईसी के महिला प्रकोष्ठ द्वारा 08 मार्च, 2013 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

18.5 औद्योगिक संबंध

वित्त वर्ष 2012-13 में भी औद्योगिक संबंध मित्रतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण बने रहे। औद्योगिक अशांति के कारण श्रम दिवसों की कोई हानि नहीं हुई है। आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी अधिकारी एसोसिएशन के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। कर्मचारियों के कल्याण को प्रभावित करने संबंधी प्रमुख मुद्दों पर उनसे परामर्श किया जाता है। प्रतिभागी प्रबंधन वर्ग की प्रतिबद्धता इस तथ्य में झलकती है कि आम सहमति अधिकांश मुद्दों पर बनाई जा सकी। इससे विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाने में मदद मिली, जिसके परिणामतः अभिप्रेरित कार्यबल बना और कारोबार के कार्य-निष्पादन में लगातार सुधार हुआ।

18.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित की है। इस समिति के कार्यक्षेत्र में लोक शिकायतों को सुनने के लिए भी विस्तार किया गया है। सप्ताह के दौरान एक दिन बैठक रहित दिवस के रूप में नियत किया गया है, जिसमें कारपोरेट कार्यालय और आंचलिक/परियोजना कार्यालयों और सायर के प्रभाग प्रमुखों द्वारा शिकायतों के संबंध में कार्रवाई की जाती है।

19. कारपोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर)

19.1 कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलें इस दृष्टि से आरंभ की गई हैं कि आरईसी के कारोबार प्रचालनों और सामाजिक प्रक्रियाओं को एकसाथ निष्पादित किया जा सके। इसमें सभी हितधारकों की रुचि को मान्यता दी जाती है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं को स्थायी विकास के सिद्धांत से जोड़ा गया था। इस कार्यनीति का बल कारपोरेट सामाजिक दायित्व की उन पहलों के प्रति था जो राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा कर सकें, जिसमें मिलेनियम विकास लक्ष्य भी शामिल है, जिसमें महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, कौशल में संपन्नता, उद्यमशीलता और सह-सृजक मूल्यों द्वारा रोजगार पैदा करना तथा स्थानीय संस्थाओं/लोगों के साथ कार्य करने को सुनिश्चित करना है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों को अभिनिर्धारित करते समय कंपनी ने सामुदायिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के निवारण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को अंगीकृत किया है, जिसे तिहरे न्यूनतम लाइन के दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यनीति का विकास परियोजना आधारित दायित्व दृष्टिकोण में कार्य योजना के साथ विकसित किया गया है। सामाजिक दायित्व संबंधी अधिकांश क्रियाकलाप परियोजना के रूप में कार्यान्वित किए गए हैं, जिसमें बेसलाइन सर्वेक्षण और विनिर्दिष्ट समय-सीमा और अभिनिर्धारित लक्ष्य तथा आवधिक मॉनीटरिंग भी शामिल है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन आबंटित निधियों का संवितरण लक्ष्यों और निष्पादनों की उपलब्धि से जुड़ा हुआ है।

माननीय विद्युत राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया की उपस्थिति में आरईसी और स्माईल फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

19.2 कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों का कार्यान्वयन

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों हेतु पिछले वर्ष के कर-पश्चात लाभ के 0.5% की दर से बजट का आबंटन किया गया था, जिसकी रकम ₹ 14.09 करोड़ थी। यह आबंटन 30 मार्च, 2012 को आयोजित निदेशक मंडल की 385वीं बैठक के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया था। स्थायी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं को अभिनिर्धारित किया गया है और पांच चयनित शीर्षों अर्थात कार्योन्मुखी कौशल विकास, ग्रामीण विद्युत, सुपुर्दगी मॉडल, शिक्षा, ग्रामीण औद्योगिक प्रोन्नयन और गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का प्रोन्नयन तथा अन्य शीर्षों में ₹ 18.87 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी।

समझौता ज्ञापन के लक्ष्य के अनुसार ₹ 14.9 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 14.19 करोड़ की रकम का संवितरण किया गया है। इस प्रकार, कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों के बारे में 'उत्कृष्टता श्रेणी' के अधीन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों का विवरण और लक्षित हिताधिकारियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है

क्रम सं.	परियोजना शीर्ष का नाम	संवितरित रकम (₹ लाखों में)	अनुमानित लक्षित लाभार्थी (संख्या)
1.	रोजगार के अवसर पैदा करने वाला कौशल विकास	448.30	3900
2.	ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी मॉडल	58.80	2750
3.	शिक्षा	294.63	28870
4.	ग्रामीण उद्योग प्रोन्नयन	59.42	1200
5.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रोन्नयन	166.17	118000
6.	स्वास्थ्य देखभाल का प्रोन्नयन, जिसमें वृद्धजनों और अशक्त व्यक्तियों की देखभाल भी शामिल है	306.81	95000
7.	परियोजना आधारित अन्य कार्य	31.30	21200
8.	विविध व्यय - कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रभावी मूल्यांकन/ आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन और कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रशिक्षण आदि	34.82	
9	गैर-परियोजना आधारित	49.76	3218
10	कुल जोड़	1418.71	274138

परियोजना आधारित निम्नलिखित कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलाप देश के विभिन्न भागों की विशेषज्ञ एजेंसियों की सहायता से वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किए गए थे:

(i) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 1000 ग्रामीण/अर्ध-शहरी युवाओं को 'आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास/उन्नयन और कार्योन्मुखी प्रशिक्षण' देने में सहायता करना।

(ii) सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के मिलेनियम विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मिड-डे मील योजना के अधीन राजस्थान के जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों को पका हुआ भोजन देने के लिए चार कस्टमाइज वाहनों की खरीद और तैनाती' में सहायता देना।

(iii) पुणे के निर्माण क्षेत्र में प्रवासी कामगारों के बच्चों को उनके द्वार पर प्राथमिक शिक्षा लाने के लिए सचल ''पहियों पर विद्यालय'' की खरीद और तैनाती सहित ''बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की प्रतिभागिता के लिए प्रत्येक बच्चे की गिनती की योजना'' में सहायता देना।

(iv) उत्तराखंड, दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्यों के सरकारी विद्यालयों में 42 पुस्तकालय स्थापित करने में सहायता देना।

(v) पर्यावरण संबंधी बड़े दायित्व को बढ़ावा देने, विकास को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के प्रसार में 'असम और ओडीशा राज्य के प्रत्येक 30 गांवों के लिए सौर प्रकाश सेवा प्रदान करने' में सहायता करना।

(vi) उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज, कौशांबी, संत कबीरनगर जिलों, मध्य प्रदेश के गुना, जबलपुर और ग्वालियर जिलों, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले, तमिलनाडु के त्रिचि, महाराष्ट्र के शिरूर और असम के गुवाहाटी जिलों में स्थित दस शिविरों को आयोजित करके 'अशक्त व्यक्तियों को सहायक सामग्री और उपकरण वितरित करने' में सहायता देना।

(vii) मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलूरु, लखनऊ, चंडीगढ़ और भोपाल नामक आठ नगरों में 40 वृद्धावस्था गृहों के लिए 'स्वास्थ्य देखभाल पैकेज अर्थात बहु-सुविधा किट' की खरीद में सहायता देना।

(viii) ''हरियाणा राज्य में सोनीपत जिले के 7 सरकारी स्कूलों में स्वच्छता सुविधाएं स्थापित करने में'' सहायता देना।

(ix) राजस्थान के रतनगढ़ और सुजानगढ़ ब्लॉक, चुरु जिले के 22 अविद्युतीकृत पुरबों में 'स्मार्ट ग्रीन विद्युत परियोजना स्थापित करने' में सहायता देना।

(x) 'गुजरात राज्य के पांच जिलों में हस्तशिल्प परंपरा को जीवित करना और शिल्पियों को स्थायी आजीविका प्रदान करने' में सहायता देना।

(xi) 'दृष्टिहीन विद्यालयी बच्चों के लिए फीस, विद्यालय यूनिफार्म, विद्यालय बस्तों, ब्रेल स्लेट, पर्किन ब्रेलर्स और टेलर फ्रेम्स आदि की वित्त व्यवस्था करना' ताकि उन्हें अपने सहपाठी दृष्टि वाले विद्यार्थियों के बराबर लाया जा सके।

19.3 प्रलेखन

अभिनिर्धारित थिमेटिक क्षेत्रों, कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दृष्टिकोणों, नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग, व्यय आदि के अंतर्गत चयन, मूल्यांकन और अनुमोदन से संबंधित विस्तृत प्रलेखन जिसमें विभिन्न सामाजिक दायित्व परियोजनाओं के संबंध में प्रचार सामग्री, प्रसार सामग्री, रखी गई है।

19.4 कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए संस्थागत ढांचा

एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में कंपनी के निदेशकों की एक समिति कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करती है और निदेशक मंडल के निदेशों के अनुसार आवधिक रूप से उनकी समीक्षा करती है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन वित्तीय सहायता की स्वीकृति से पहले द्विस्तरीय संवीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक परियोजना की संवीक्षा की जाती है और इन क्रियाकलापों की

प्रगति रिपोर्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व निदेशकों की समिति और आरईसी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

कंपनी की अधिकांश कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाएं/पहलें प्रचालन के मुख्य क्षेत्रों के अनुसार विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों की सहायता से चलाई जा रही हैं जो या तो राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व हब/किसी अन्य प्रत्यायन एजेंसियों की सूची में शामिल हैं और/या जिन्हें सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संगठनों में इस प्रकार का पिछला अनुभव है या ऐसी एजेंसियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी निकाय हैं अथवा जिन्हें अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा काम पर लगाया गया है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने राष्ट्रीय सीएसआर हब, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस वर्ष के दौरान कंपनी के कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलाप और किया गया व्यय सीपीएसई के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग के कारपोरेट सामाजिक दायित्व सबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व हब को उपलब्ध कराया जाता है।

19.5 कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

संभावित परिणामों को प्राप्त करने के अनुसार परियोजनाओं के पूरा होने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से परियोजना के कार्यान्वयन की कंपनी द्वारा विभिन्न तरीकों से आवधिक रूप से मॉनीटरिंग की जाती है जिनमें प्रगति की अद्यतन रिपोर्ट, फोटोग्राफ, निधि के उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र, कार्यस्थल का दौरा हितधारकों के साथ संव्यवहार आदि शामिल हैं।

मुख्य क्षेत्रों से चुनी गई पांच परियोजनाओं का मूल्यांकन अर्थात ऐसा कौशल विकास जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों, ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी मॉडल, शिक्षा, ग्रामीण उद्योगों का प्रोन्नयन और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रोन्नयन, जो वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान स्वीकृत किया गया था, का मूल्यांकन टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा किया गया था।

19.6 जागरूकता पैदा करना और क्षमता निर्माण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे कि परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, खरीद के पर्यवेक्षण, माल और सेवाओं आदि के वितरण और उनके भौगोलिक क्षेत्र में कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं के बारे में सूचना का प्रसार। कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में पोस्टर/विज्ञापन/प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई हैं और उनकी सफलता की कहानियों को समय-समय पर अपने कार्यालयों में प्रसारित किया जाता है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीतियों से संबंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट पर भी डाली गई है।

प्रसार संबंधी उपायों के अलावा, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी द्वारा की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों और क्रियाकलापों का विवरण संकलित करते हुए एक कारपोरेट ब्रोशर जून 2013 में प्रकाशित किया गया था और विभिन्न हितधारकों को परिचालित किया गया था।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यों में लगे अधिकारियों को प्रशिक्षण और पुनः अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/परामर्शी बैठकों में भेजा जाता है। कंपनी के कर्मचारियों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किए गए थे। यह संस्थान एक राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व हब का प्रत्यायित संस्थान है और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय शीर्ष के अधीन ₹ 0.87 लाख का व्यय प्रशिक्षण आदि पर खर्च किया गया था और इसमें दर्ज किया गया था।

19.7 पुरस्कार और मान्यता

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी को इसके कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी सर्वोत्तम परिपाटियों और किसी संगठन द्वारा दिए गए योगदान की मान्यता के रूप में दॅ इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, हैदराबाद द्वारा 'आईपीई-सीएसआर कारपोरेट गवर्नेंस अवार्ड' प्रदान किया गया था, जो लोगों और समुदाय में जिम्मेदार नागरिक द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए दिया जाता है। आईपीई-सीएसआर पुरस्कार का वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस, सीएमओ एशिया एंड एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिजनेस द्वारा भी समर्थन किया गया था।

19.8 भावी मार्ग

कंपनी ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व संबंधी अपनी नीति बनाई है, जो 01 अप्रैल, 2013 से लागू है। यह नीति सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों और केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के स्थायित्व के अनुसरण में है और वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व की पहलों को तदनुसार जारी रखा जा रहा है।

20. सतत् विकास संबंधी पहलें

20.1 सतत् विकास के अंगीकरण के लिए कारोबार संगठनों द्वारा हाल ही में जिन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, उनके अनुसार इस निगम ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन अपने दायित्वों को जारी रखने के अलावा कुछ परियोजनाओं को निष्पादित करने का निर्णय लिया है, जैसा कि सतत् विकास संबंधी सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों द्वारा बताया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के ये दिशानिर्देश इस वित्त वर्ष के प्रारंभ होने से पहले जारी किए गए थे, जो आरईसी की विशिष्ट सतत् विकास नीति के लिए बोर्ड द्वारा अंगीकृत सिद्धांतों पर आधारित थे और इसमें सतत् विकास की पहलों के पर्यवेक्षण के लिए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में निदेशक मंडल की तीन सदस्यीय नामित समिति का गठन किया गया था।

20.2 वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान पांच व्यापक श्रेणियों में सतत् विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर), हैदराबाद के परिसर में लागू किया गया था जो आरईसी के स्वामित्व का प्रशिक्षण संस्थान है। सायर का परिसर लगभग 14 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें से लगभग 95185 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र है। सायर में लागू की गई परियोजनाओं के अंतर्गत 'ऊर्जा लेखापरीक्षा', 'ऊर्जा प्रबंधन', 'जैव-विविधता संरक्षण', 'जल प्रबंधन' और 'प्रशिक्षण कार्यक्रम' आते हैं। सभी परियोजनाओं का उद्देश्य सायर के परिसर को स्थायी विकास के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाना है। सायर में कार्यान्वित पांच परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

(i) **सायर भवन की ऊर्जा लेखापरीक्षा :** राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एनपीसी) संपूर्ण सायर परिषद् की ऊर्जा लेखापरीक्षा करने के कार्य में लगी हुई थी। एनपीसी की रिपोर्ट में परिसर

की ऊर्जा खपत को कम करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई है।

(ii) **ऊर्जा प्रबंधन :** परिसर में हरित ऊर्जा उत्पादन और प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए परियोजनाएं अर्थात (क) छत के ऊपर 40 केडब्ल्यूपी सोलर फोटो वॉल्टेक (विद्युत संयंत्र), (ख) 5 केडब्ल्यूपी सोलर जल पंपिंग प्रणाली, (ग) 25 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट और 1 केडब्ल्यूपी पावर पैक का सायर में कार्यान्वयन किया गया है।

(iii) **जैव-विविधता संरक्षण :** सायर परिसर के वन्य और हरियाली के लिए, जिसमें 2500 वर्ग मीटर का व्यावसायिक लैंडस्केपिंग क्षेत्र भी शामिल है और 1400 सैपलिंग वृक्षारोपण का कार्य किया गया था।

(iv) **जल प्रबंधन :** वर्षा जल संरक्षण के लिए दो बड़े गड्ढे, जिनमें एक परकोलेशन टैंक और सैडिमेंटेशन टैंक भी शामिल है, का निर्माण करवाया गया था।

(v) **सतत् विकास के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम :** विभिन्न हितधारकों की प्रतिभागिता के लक्ष्य से अल्प अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम सायर द्वारा आयोजित किया गया, ताकि सतत् विकास के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इस विषय पर आयोजित पांच कार्यक्रमों में लगभग 111 व्यक्तियों ने भाग लिया।

इन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एनपीसी), सीपीडब्ल्यूडी और एनआरईडीसीएपी जैसी बाह्य विशेष एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किए जाने के अलावा, सरकार ने सीआईआई और टाटा प्रोजेक्ट्स नामक दो विशेषज्ञ स्वतंत्र एजेंसियों को भी काम पर रखा है ताकि अनुकूल मॉनीटरिंग और अंतिम प्रभाव मूल्यांकन करवाया जा सके। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सायर में इन परियोजनाओं पर कुल ₹ 82.08 लाख की रकम खर्च की गई है।

20.3 सायर में इन परियोजनाओं के अलावा, आपकी कंपनी ने स्वेच्छा के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद का निर्णय लिया है। कंपनी की मान्यता है कि वित्त वर्ष 2012-13 के अधिकांश भाग में गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की बड़ी मात्रा में से विद्युत केंद्रों में काफी बिजली की बिक्री नहीं हुई है। गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) की स्वैच्छिक खरीद नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोन्नयन का स्वीकृत तरीका है। अतः कंपनी ने भारतीय ऊर्जा केंद्र के माध्यम से स्वैच्छिक आधार पर 16400 गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद भी की है जो पारंपरिक ऊर्जा के 16.4 मिलियन इकाइयों के कार्बन फुटप्रिंट के बराबर का न्यूट्रलाइजेशन करता है या लगभग 13120 मीट्रिक टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड (सीओ2) के बराबर ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन को कम करता है। इससे कंपनी केवल अपने कार्बन फुटप्रिंट को ही कम नहीं कर रही है अपितु देश में ग्रीन ऊर्जा के लिए अपनी सहायता भी दे रही है।

इस प्रकार वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरईसी द्वारा स्थायी विकास की परियोजनाओं पर कुल ₹ 331.76 लाख की रकम खर्च की गई है।

21. सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

21.1 सतर्कता प्रभाग 'निवारक सतर्कता' पर लगातार बल देता रहा है ताकि प्रणाली और प्रक्रिया में पारदर्शिता और दायित्व बढ़ सके। एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बिल ट्रैकिंग प्रणाली कारपोरेशन में लागू की गई है। सतर्कता प्रभाग इसकी प्रभावकारिता की समीक्षा करता है और इस प्रणाली की प्रभावकारिता को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए सुझाव देता है।

21.2 मुख्य तकनीकी जांचकर्ता (सीटीई) प्रकार का निरीक्षण किया जाता है ताकि संविदाएं सौंपी जा सकें और तीन महीने पहले टेंडर जारी करने, प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने, प्रलेखों/बैंक गारंटी आदि के सत्यापन जैसे विभिन्न सुझावों में और सुधार किया गया है और टेंडर प्रक्रिया को सुचारु बनाया गया है।

21.3 सतर्कता प्रभाग के प्रयासों से संसाधन जुटाने संबंधी मैनुअल को अनुमोदित कर दिया गया है और एक पूर्ण सुसज्जित डीलिंग/राजकोष कक्ष को वित्त प्रभाग द्वारा प्रचालित किया गया है।

21.4 सभी कार्यपालकों की अचल संपत्ति की विवरणियों (आईपीआर) के विवरण आरईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं और सतर्कता संबंधी अनापत्ति को आईपीआर के समय पर प्रस्तुतीकरण से जोड़ा गया है। इसके अलावा, वार्षिक संपत्ति विवरणियां प्रस्तुत करने का कार्य कंप्यूटरीकृत किया गया है और कर्मचारी अब अपनी चल/अचल संपत्ति के विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

21.5 कारपोरेट कार्यालय के सभी प्रभाग प्रमुखों, आंचलिक प्रबंधकों/मुख्य परियोजना प्रबंधकों को सलाह दी जाती है कि वे केंद्रीकृत शिकायत संबंधी कार्रवाई प्रणाली के बारे में जारी किए गए अनुदेशों का सख्ती से पालन करें और यदि उन्हें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वे उसे मुहरबंद लिफाफे में मूल रूप में सतर्कता प्रभाग को भेजें। मानव संसाधन प्रभाग को सलाह दी गई थी कि वह एचआर मॉड्यूल (ईआरपी) के कार्यान्वयन के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करे।

21.6 केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अनुसार आरईसी ने दिनांक 29.10.2012 से 03.11.2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। कारपोरेट कार्यालय तथा आंचलिक कार्यालयों/परियोजना कार्यालयों और हैदराबाद स्थित केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) में भी विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

कारपोरेट कार्यालय के कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों के लिए प्रश्नोत्तरी (बहु-विकल्प प्रश्न) और निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई और सतर्कता संबंधी विभिन्न पहलुओं के संबंध में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया।

21.7 सतर्कता प्रभाग द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण और क्षेत्रों का दौरा किया जाता है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की सतर्कता की दृष्टि से संवीक्षा की गई। कारपोरेट कार्यालय तथा फील्ड कार्यालयों में सतर्कता और गैर-सतर्कता संबंधी अधिकारियों के लिए सतर्कता संबंधी मामलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की स्वीकृत सूचियां और सूची को अंतिम रूप दिया गया था। निर्धारित आवधिक सांख्यिकी विवरणियां केंद्रीय सतर्कता आयोग और विद्युत मंत्रालय को समय पर भेजी गई थीं।

21.8 सतर्कता संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए अप्रैल 2012 से तिमाही आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग/विद्युत मंत्रालय के महत्त्वपूर्ण अनुदेशों, पहलों, लेखों आदि वाला एक सतर्कता बुलेटिन जारी किया जा रहा है।

21.9 सतर्कता प्रभाग के कार्य-निष्पादन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार आरईसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाने वाली सतत समीक्षा के अलावा, केंद्रीय सतर्कता आयोग, निदेशक मंडल और आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

22. राजभाषा का कार्यान्वयन

22.1 राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में उपलब्धियों का यह एक और वर्ष था। इस निगम ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2012-13 के लिए निर्धारित अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

22.2 कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू की गई सभी प्रोत्साहन योजनाएं इस निगम में लागू की गई हैं। इस वर्ष के दौरान निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी में गहरी रुचि दिखाई है, जिसके परिणामतः दिन-प्रति दिन के कार्य में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है।

22.3 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2012 तक आयोजित हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे

(i) निगम ने महाप्रबंधकों/कार्यकारी निदेशकों, मध्य स्तरीय प्रबंधकों और गैर-कार्यपालकों के लिए 9 अलग-अलग हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की थीं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई।

(ii) हिंदी पखवाड़े में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार देने के लिए दिनांक 06.11.2012 को एक समारोह का आयोजन किया गया था। डॉ. पी.सी. टंडन, वरिष्ठ रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि थे। इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को और हिंदी योजना 2012-13 में अधिकतम मूल कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार दिए गए।

(iii) श्री सुरेंद्र शर्मा और अन्य प्रसिद्ध हिंदी कवि श्री हरि ओम पवार, श्रीमती सीता सागर ने हिंदी में व्यंग्य काव्य पाठ करके सब लोगों को हर्षित किया और राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया। डॉ. पी.सी. टंडन, वरिष्ठ रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने संबोधन में राजभाषा के प्रयोग पर बल दिया।

22.4 कारपोरेट कार्यालय के 11 प्रभागों में हिंदी की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण किए गए और कमियों को दूर करने के लिए उन्हें सुझाव दिए गए। इस वर्ष के दौरान आठ परियोजना कार्यालयों के निरीक्षण किए गए। राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2012-13 में आंचलिक/परियोजना कार्यालयों का 25% निरीक्षण करने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के अनुसार निगम ने निरीक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

22.5 पुस्तकालय के लिए हिंदी और अंग्रेजी पुस्तकों की खरीद में अपेक्षित अनुपात बनाए रखना सुनिश्चित किया गया था और पुस्तकालय में बड़ी संख्या में हिंदी साहित्य की पुस्तकें, पत्रिकाएं और संदर्भ प्रकाशन रखे गए हैं।

22.6 'आरईसी दर्पण' नामक तिमाही हिंदी पत्रिका भी जून, 2012 से शुरू/प्रकाशित की गई है।

22.7 आरईसी की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और इसे समय-समय पर नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। सभी कंप्यूटरों पर द्विभाषी कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। सभी प्रकाशन, रिपोर्टें, ज्ञापन, प्रेस रिलीज, समझौता ज्ञापन, निविदाएं, वार्षिक रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप में जारी की गई हैं। हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए इंटरानेट पर भी प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं।

22.8 वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा कंपनी को राजभाषाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है।

22.9 वर्ष 2012-13 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठकें आयोजित की गई थीं। इसमें प्रगति की समीक्षा करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई और लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुझाव दिए गए।

22.10 सभी सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से कारपोरेट कार्यालय में कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं, जिनमें 112 अधिकारियों और 79 कर्मचारियों ने भाग लिया था। इसके अलावा, 24 और 25 अगस्त, 2012 को चायल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के लिए दो दिन की एक अलग हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें 22 अधिकारियों ने भाग लिया था। इसका उद्घाटन निदेशक (वित्त) द्वारा किया गया था। संयुक्त निदेशक (राजभाषा), विद्युत मंत्रालय ने भी इसमें भाग लिया।

22.11 आंचलिक कार्यालय, पंचकूला को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नराकास, चंडीगढ़ द्वारा तृतीय पुरस्कार दिया गया है।

22.12 इस निगम ने 19 नवंबर, 2012 को नराकास (उपक्रम), दिल्ली के तत्त्वावधान में अपने कार्यालय परिसर में एक 'हिदी निबंध प्रतियोगिता' का आयोजन किया था, जिसमें अलग-अलग उपक्रमों के 32 अधिकारियों ने भाग लिया था और नराकास ने इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए इस निगम को शील्ड और प्रमाणपत्र प्रदान किया। नराकास (उपक्रम), दिल्ली ने हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस निगम को 'विशेष प्रशंसा पुरस्कार' भी प्रदान किया है।

22.13 संसदीय राजभाषा समिति ने हैदराबाद कार्यालय द्वारा किए गए हिंदी में कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 01 अक्तूबर, 2012 को आरईसी के परियोजना कार्यालय, हैदराबाद का निरीक्षण किया था।

22.14 अमर सेवा संगम, आयकुडी, तमिलनाडु में 06 जुलाई, 2012 को आंचलिक प्रबंधकों/मुख्य परियोजना प्रबंधकों और दक्षिण क्षेत्र के हिंदी नोडल अधिकारियों के लिए एक 'दक्षिण क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन' आयोजित किया गया जिसमें 12 अधिकारियों ने भाग लिया।

23. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अधीन वित्तीय विवरण/दस्तावेज

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08 फरवरी, 2011 के अपने परिपत्र के जरिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अनुसरण में सभी कंपनियों को अपनी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण संलग्न करने से सामान्य छूट दी है, बशर्ते कि वे इस परिपत्र में निर्धारित कंपनियों द्वारा कुछ शर्तों का अनुपालन करें। तदनुसार, सहायक कंपनियों के तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें कंपनी के तुलन-पत्र के साथ संलग्न नहीं की गई हैं।

हमारी अन्य असूचीबद्ध सहायक कंपनियों का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित सूचना ' मुख्य वित्तीय बातें' शीर्षक के अधीन इस कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध हैं। लेकिन, ये दस्तावेज उन्हें प्राप्त करने में रुचि रखने वाले कंपनी के किसी सदस्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराएं जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार अन्य असूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों वाला एक विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। अन्य असूचीबद्ध सहायक कंपनियों सहित इस कंपनी के वार्षिक लेखे किसी भी सदस्य द्वारा देखे जाने के लिए रखे जाएंगे। इसके अलावा, कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के अधीन निर्धारित लेखाकरण मानक 21 (एएस-21) के अनुसरण में कंपनी द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरणों में इसकी सहायक कंपनियों के बारे में वित्तीय सूचना भी शामिल है।

24. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा से आय एवं व्यय के संबंध में विवरण

24.1 ऊर्जा संरक्षण

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्योरों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अधीन ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन से संबंधित महत्त्वपूर्ण ब्योरे नहीं दिए गए हैं, क्योंकि आपकी कंपनी अपनी कोई विनिर्माण सुविधा तैयार नहीं करती है। लेकिन, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने प्रचालनों में प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग किया है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'स्कोप कांप्लेक्स' में स्थित है, जहां सभी सिविल, विद्युत संस्थापन और अनुरक्षण का कार्य स्कोप द्वारा किया जाता है और ऊर्जा संरक्षण के लिए उनके द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. सभी 32 एलिवेटर्स को माइक्रो प्रोसेसर आधारित चालन में बदल दिया गया है, जिसके परिणामतः ऊर्जा की खपत में 30% की कमी आई है।
2. शीतकाल के दौरान पीएनजी पर प्रचालित गरम पानी के बॉयलरों के माध्यम से इस परिसर में जल आधारित तापन की सुविधा प्रदान की गई है, जो एएचयू में स्ट्रिप हीटरों के स्थान पर लगाए गए हैं। इसके परिणामतः विद्युत ऊर्जा की काफी बचत हुई है।
3. सभी चिलिंग यूनिट, एएचयू, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन बॉयलर्स कम विद्युत खपत वाले और अधिकांश ऊर्जा दक्ष उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
4. कन्वेंशन केंद्र, कम्पाउंड लाइटिंग, लोअर और अपर बेसमेंट तथा सीढ़ियों सहित अधिकांश सामान्य क्षेत्रों में एलईडी, सीएफएल आदि वाले ऊर्जा दक्ष प्रकाश की व्यवस्था की गई है। हानियों को कम करने के लिए एपीएफसी रिले वाले कैपेसिटर पैनल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि विद्युत कारक बना रहे।

24.2 विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गई थी। लेकिन ब्याज, वित्त प्रभारों और अन्य व्ययों के कारण इस वित्त वर्ष के दौरान कुल ₹ 377.39 करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च की गई है।

25. सहायक कंपनियां

वितरण, पारेषण आदि के क्षेत्र में अतिरिक्त परामर्शी कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी कंपनी ने आज की तारीख तक निम्नलिखित पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियों को निगमित किया है

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

इसके अलावा, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' के रूप में नामित किया है। आज की तारीख तक निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को सहायक कंपनियों के रूप में निगमित किया गया है:

(i) विज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (वीटीएल)
(ii) कुडगी ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल)
(iii) नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल)
(iv) ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (यूटीएल)
(v) बेरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसएसटीएल)
(vi) एनआरएसएस 29 ट्रांसमिशन लिमिटेड*
(vii) एनआरएसएस 31(ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड*
(viii) एनआरएसएस 31(बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड*

* इन्हें 31 मार्च, 2013 के बाद निगमित किया गया है।

25.1 आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और फीडर नवीकरण कार्यक्रम (एफआरपी) कार्य के अधीन क्रमशः 31,348 गांवों और 452 फीडरों के तृतीय पक्षकार निरीक्षण (टीपीआई) का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस कंपनी ने एमएसईडीसीएल के लिए 120 प्रभागों के सब स्टेशन इंफ्रा प्लान कार्य का टीपीआई, यूएचबीवीएन के लिए सामग्री निरीक्षण, डीईआरसी के लिए लागत डेटा तैयारी, पीयूएनवीवीएनएल के लिए आरजीजीवीवाई के अधीन पीएमसी कार्य, पीवीवीएनएल के लिए एमआरआई आधारित बिलिंग का कार्य भी वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निष्पादित कर दिया है।

एमएसईडीसीएल (प्रतियोगी बोली के आधार पर आरईसीपीडीसीएल को कार्य सौंपा गया है) द्वारा महाराष्ट्र के 120 प्रभागों के इंफ्रा प्लान के अधीन समग्र ठेके द्वारा निष्पादित कार्य और कारीगरी के टीपीआई, पीयूवीवीएनएल परियोजना (जिसका कार्य प्रतियोगिता के आधार पर आरईसीपीडीसीएल को सौंपा गया है) की परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवा (पीएमसी), आरजीजीवीवाई XIIवीं योजना के अधीन राजस्थान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और डीएचबीवीएन और यूएचबीवीएन की राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के अधीन पीएमसी कार्य सहित नई पहलें आरंभ की गई हैं।

कंपनी के कार्य-निष्पादन में काफी सुधार हुआ है और कंपनी का वित्तीय कार्य-निष्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी की सकल आय बढ़कर ₹ 30.61 करोड़ हो गई है, जबकि पिछले वर्ष की आय ₹ 23.28 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कर-पूर्व लाभ बढ़कर ₹ 15.98 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले वर्ष में यह ₹ 12.86 करोड़ था। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कर-पश्चात लाभ बढ़कर ₹ 10.81 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 8.67 करोड़ था।

25.2 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरईसीटीपीसीएल ने वेमागिरी क्षेत्र : पैकेज ए के आईपीपी से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली के विकासकर्ता

के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसके लिए आरईसीटीपीसीएल द्वारा वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम्स लिमिटेड नामक परियोजना विशिष्ट एसपीवी के लिए अपनी पूर्णतः स्वामित्व की सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया है। मैसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो न्यूनतम बोलीदाता के रूप में सामने आया था, जिसने ₹ 150 मिलियन के व्यावसायिक शुल्क सहित ₹ 182.79 मिलियन की रकम की कीमत के अर्जन की अदायगी के आधार पर दिनांक 18.04.2012 को वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड के 100% शेयरों को अर्जित कर लिया है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08 अक्तूबर, 2012 की राजपत्रित अधिसूचना के जरिए पांच अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणालियों के लिए विकासकर्ता के चयन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में आरईसीटीपीसीएल को नामित किया है, जिसकी अनुमानित कुल लागत ₹ 26,600 मिलियन है। ये ट्रांसमिशन प्रणालियां नए विद्युत उत्पादन स्टेशनों से बिजली की आपूर्ति और अंतर-राज्य ट्रांसमिशन तंत्र के उन्नयनीकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक हैं। आरईसीटीपीसीएल को आबंटित ट्रांसमिशन प्रणालियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है

1. पूर्वी क्षेत्र से बिजली के आयात के लिए दक्षिण क्षेत्र में प्रणाली का सुदृढ़ीकरणः(यह योजना 'विज़ाग-वेमागिरी परियोजनाएं-हिंदुजा 1040 मेगावाट के लिए आपूर्ति प्रणाली' नामक पिछली आबंटित ट्रांसमिशन योजना का नाम और संघटकों को परिवर्तित करके विकसित की गई है।)
2. एनटीपीसी लिमिटेड के कुडगी टीपीएस (3X 800 मेगावाट - चरण-1) से बिजली की आपूर्ति के लिए अपेक्षित ट्रांसमिशन प्रणाली।
3. एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (1320 मेगावाट) की कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली।
4. बैरास्यूल एचईपी-सरना 220 केवी लाइन; और
5. ऊंचाहार टीपीएस का एटीएस।

उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रत्येक ट्रांसमिशन प्रणाली का विकास शुरू करने के लिए आरईसीटीपीसीएल ने प्रत्येक ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को निगमित किया है। इन परियोजना विशिष्ट एसपीवी को, जिनका एक सौ प्रतिशत (100%) इक्विटी शेयर है, बोली प्रक्रिया के अनुसरण में अलग-अलग ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए चयनित बोलीदाता द्वारा अर्जन किया जाएगा, जो ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के रूप में जिम्मेदार होंगे ताकि ये परियोजनाओं के स्वामित्व, वित्त, विकास, अभिकल्प, इंजीनियरी, खरीद, निर्माण, संचालन, प्रचालन और अनुरक्षण कार्यों को करना सुनिश्चित कर सकें और दीर्घकालिक ट्रांसमिशन ग्राहकों को दीर्घकालिक आधार पर ट्रांसमिशन सेवाएं प्रदान कर सकें।

प्रत्येक ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए दो चरणीय बोली प्रक्रिया होगी, जिनके लिए अलग अनुरोध योग्यता (आरएफक्यू) और प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतियोगी बोली दिशानिर्देशों के टैरिफ आधार के अनुसार शुरू किए गए हैं, ताकि ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के रूप में विकासकर्ता का चयन किया जा सके। उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए विकासकर्ता के चयन की बोली प्रक्रिया वित्त वर्ष 2013-14 के अंदर पूरी होने की संभावना है।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड ₹ 4.58 करोड़ की आय पैदा कर पाई है। इस वर्ष का कर-पूर्व और कर-पश्चात लाभ क्रमशः ₹ 4.09 करोड़ और ₹ 2.92 करोड़ है। आरईसीटीपीसीएल का निवल मूल्य ₹ 45.17 करोड़ पहुंच गया है, जबकि इसकी शुरुआत आरईसी के ₹ 0.05 करोड़ की पूंजी से की गई थी। इस वर्ष के लिए निदेशक मंडल ने शेयरों के मूल्य के अनुसार 200% की दर से लाभांश की सिफारिश की है। परंतु, इसके संबंध में वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

26. समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार आपकी कंपनी का कार्य-निष्पादन 'उत्कृष्ट' रहा है। यह वर्ष 1993-94 से, जब कंपनी ने भारत सरकार के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लगातार 19वां वर्ष है जबकि कंपनी को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त हुई है।

श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, श्री पी. उमाशंकर, सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन 2013-14 के दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते हुए

इस वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 'गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा' की श्रेणी में इंडिया प्राइड अवार्ड, दैनिक भास्कर से पुरस्कार प्राप्त किया है। 'फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑपरेशनल मैट्रिक्स' के लिए डीएनए, डीएसआईजे पीएसयू अवार्ड 2012 और 'इंडस्ट्री डॉयन' के लिए अचीवमेंट अवार्ड की श्रेणी में पांचवां सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड 2013 प्राप्त किया है।

श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, माननीय केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री अजीत सिंह से गैर-विनिर्माण नवरत्न श्रेणी में 'फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑपरेशनल मैट्रिक्स' का डीएसआईजे पीएसयू पुरस्कार-2012 प्राप्त करते हुए

27. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अधीन कर्मचारियों के ब्योरे

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने कंपनी (कर्मचारियों के ब्योरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक मासिक या वार्षिक आधार पर पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया था।

28. निदेशकों के दायित्व का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के संदर्भ में आपके निदेशकों ने इस बात की पुष्टि की है कि :-

(i) वित्त वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है और उनसे कोई महत्त्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है।

(ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें सतत रूप से लागू किया गया है तथा उनका मूल्यांकन किया गया है और उनके अनुमान का तरीका ऐसा था जो उचित और विवेकपूर्ण है, ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि के संबंध में कंपनी के लाभ का सही और उचित चित्रण किया जा सके।

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार उचित लेखाकरण रिकार्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके।

(iv) वार्षिक लेखे चालू प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए गए हैं।

29. निगमित सुशासन में हरित (ग्रीन) पहलें

निगमित सुशासन में हरित (ग्रीन) पहलों के भाग के रूप में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने परिपत्र सं.17/2011 और 18/2011 क्रमशः दिनांक 21 अप्रैल, 2011 और 29 अप्रैल, 2011 के अनुसार कंपनियों को इस बात की भी अनुमति दी है कि वे अपने शेयरधारकों को सरकारी सूचनाएं/दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2011 और 29 अप्रैल, 2011 को जारी किए गए 'हरित (ग्रीन) पहल' परिपत्रों के कार्यान्वयन में सक्रिय सहयोग दिया है और 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्षों की वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी है, जिनके ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पहले ही पंजीकृत थे और जिन्हें एनएसडीएल/सीडीएसएल नामक डिपॉजिटरियों से डाउनलोड किया गया था और जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट को स्वयं प्राप्त करने का विकल्प नहीं दिया था। उपर्युक्त परिपत्रों को जारी किए जाने के बाद अदा किए जाने वाले अंतिम/अंतरिम लाभांश की सूचना भी उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई थी जिनके ई-मेल पते पंजीकृत थे।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक पत्र प्राप्त करने के लिए ई-मेल पते पंजीकृत/अद्यतन करके कंपनी के 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' कार्यक्रम में सहयोग दें।

यह पुनः अवगत कराया जाता है कि इन दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी के विकल्प का प्रयोग करने वाले सदस्यों सहित किसी सदस्य से मांग प्राप्त होने पर कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी के तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न किए जाने वाले विधिक अन्य अपेक्षित दस्तावेज तथा कंपनी के लाभ एवं हानि लेखे और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं।

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में 'सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005' को लागू करने के लिए कंपनी ने आवश्यक कार्रवाई कर ली है तथा आवेदनों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी प्रेषित करने से संबंधित कार्य का समन्वय करने के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। एक द्विभाषी आरटीआई पुस्तिका (हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) आरईसी की वेबसाइट पर दी गई है, जिसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरटीआई से संबंधित आवेदनों की स्थिति इस प्रकार है

क्रम सं.	ब्योरे	संख्या
1.	प्राप्त आवेदन पत्र (31.3.2013 तक)	190
2.	निपटाए गए आवेदन पत्र (31.3.2013 तक)	184
3.	बाद में निपटाए गए आवेदन पत्र	6
4.	अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त अपीलें	17
5.	अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गई अपीलें	15
6.	सीआईसी से प्राप्त अपीलें	शून्य
7.	सीआईसी द्वारा निपटाई गई अपीलें	1

31. सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स बंसल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली और मैसर्स पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के आपकी कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

31.1 संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2012-13 के कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में शर्तरहित रिपोर्ट दी है। हालांकी, उन्होंने यह सुझाव दिया है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध के पैरा (iv) में उल्लिखित कुछ क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ करने से संबंधित सुझावों/सलाह पर प्रबंधन का उत्तर इस प्रकार है:

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के सुझाव/सलाह	प्रबंधन का उत्तर
''हमारी राय में और हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार आंतरिक नियंत्रण सामान्यतः कारपोरेशन के आकार और इसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप हैं। लेकिन, कुछ क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, यथा विभिन्न योजनाओं के अधीन प्राप्त अनुदान/सब्सिडी का उपयोग, विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण कंपनियों/ पारेषण कंपनियों/ विद्युत उत्पादन कंपनियों को दिए गए ऋणों की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण, जिसमें दिए गए ऋण के अनुसार तैयार की गई प्रभारों से संबंधित जांच रिपोर्टें प्राप्त करना, वाणिज्यिक प्रचालनों की तारीख के बाद प्रतिभूति के रूप में आरईसी को सौंपी गई परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन, ऋण मॉड्यूल को नियमित रूप से अद्यतन करने और ऋण परिसंपत्तियों पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए ईआरपी में ऋण मॉड्यूल से विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करना शामिल है।''	''जब कभी आवश्यक होता है, उक्त क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास किया जाता है।''

32. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने दिनांक 30 जून, 2013 के पत्र के जरिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में 'शून्य टिप्पणी' दी है। वित्त वर्ष 2012-13 के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र प्रस्तुत की गई है।

33. सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स ग्रोवर आहूजा एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिवालय व्यवसायी, नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2012-13 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने सचिवालयी लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है और उन्होंने बिना शर्त सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दी है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

34. अपेक्षित सांविधिक और अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार, सरकारी दिशानिर्देश आदि इस रिपोर्ट के साथ नीचे दिए अनुसार संलग्न हैं:-

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
कारपोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट	II
कारोबार दायित्व रिपोर्ट	III
सहायक कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (1)(ङ) के अनुसरण में विवरण	IV
कंपनी के सचिवालयीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी की गई सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
कारपोरेट सुशासन के संबंध में लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	VI

35. आभार

निदेशकगण भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सतत सहयोग, समर्थन और कंपनी के कार्यों और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों और अन्य ऋण लेने वालों को कंपनी में निरंतर रुचि और विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण सम्मानित शेयरधारकों, आरईसी के बांडों में निवेशकर्ताओं, देशीय और विदेशी बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जेआईसीए के सतत सहयोग एवं सद्भाव की भी सराहना करते हैं।

निदेशकगण संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों, मैसर्स बंसल एंड कंपनी और मैसर्स पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों मैसर्स ग्रोवर आहूजा एंड एसोसिएट्स तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को भी उनके महत्त्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण लगातार एक और वर्ष उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन करने के लिए कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों को उनके समर्पित प्रयासों और मूल्यवान योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं तथा उनकी सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
08 अगस्त, 2013

तालिका 1 : आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अधीन वर्ष 2012-13 के दौरान स्वीकृत योजनाएं/ परियोजनाएं

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	राज्य	योजनाओं/ परियोजनाओं की संख्या	ऋण की रकम
क	**टी एंड डी परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	108	180051.53
2	गुजरात	2	46224.00
3	हरियाणा	30	491248.84
4	हिमाचल प्रदेश	22	35429.92
5	जम्मू और कश्मीर	11	3825.60
6	कर्नाटक	22	69277.61
7	केरल	42	65410.03
8	छत्तीसगढ़	11	59077.30
9	मध्य प्रदेश	6	100110.29
10	महाराष्ट्र	177	610145.88
11	उड़ीसा	7	28259.71
12	पंजाब	81	401884.40
13	राजस्थान	58	917770.71
14	तमिलनाडु	32	620919.99
15	उत्तर प्रदेश	290	749229.60
16	उत्तराखंड	12	34715.61
17	पश्चिम बंगाल	55	220982.74
18	प्राइवेट (टी एण्ड डी)	1	150000.00
	उप-जोड़-(क)	**967**	**4784563.77**
ख	**विद्युत उत्पादन परियोजनाए**		
1	आंध्र प्रदेश*	2	136959.00
2	छत्तीसगढ़*	1	109500.00
3	झारखंड*	0	19600.00
4	कर्नाटक	1	374900.00
5	मध्य प्रदेश*	0	10000.00
6	महाराष्ट्र	10	27130.00
7	उड़ीसा	5	698882.00
8	पंजाब	5	7053.00
9	सिक्किम*	1	154345.00
10	तमिलनाडु*	0	31990.00
11	उत्तर प्रदेश*	2	1059020.00
12	उत्तराखंड	1	47500.00
13	पश्चिम बंगाल*	0	8600.00
	उप-जोड़ (ख)	**28**	**2685479.00**
ग	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**		
1	जम्मू-कश्मीर	2	13970.00
2	गुजरात	5	33075.00
3	हरियाणा*	0	466.00
4	हिमाचल प्रदेश	1	1305.00
5	उड़ीसा	1	1040.00
6	तमिलनाडु	1	2616.00
7	पश्चिम बंगाल	1	5534.00
	उप-जोड़ (ग)	**11**	**58006.00**
घ.	**अल्पकालिक ऋण**		
1	आंध्र प्रदेश	8	160000.00
2	हिमाचल प्रदेश	2	25000.00
3	कर्नाटक	3	35000.00
4	केरल	1	15000.00
5	महाराष्ट्र	1	15000.00
6	पंजाब	1	10000.00
7	राजस्थान	2	39000.00
8	उत्तर प्रदेश	2	25000.00
9	उत्तराखंड	2	20000.00
10	पश्चिम बंगाल	3	75000.00
	उप-जोड़ (घ)	**25**	**419000.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)	**1031**	**7947048.77**

टिप्पणी: पारेषण और वितरण संबंधी स्वीकृतियों में उत्तर प्रदेश को दिया गया ₹ 183000 लाख, तमिलनाडु को दिया गया ₹ 500000 लाख, राजस्थान को दिया गया ₹ 450000 लाख, पंजाब को दिया गया ₹ 100000 लाख और हरियाणा को दिया गया ₹ 430000 लाख का संक्रमणकालीन वित्तपोषण ऋण भी शामिल है।

* इसमें पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण भी शामिल है।

उपर्युक्त स्वीकृतियों में आरजीजीवीवाई के अधीन दी गई स्वीकृतियां शामिल नहीं हैं।

तालिका-2 : आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अधीन 2012-13 के दौरान स्वीकृत श्रेणी-वार योजनाएं/ परियोजनाएं

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड	योजनाओं/परियोजनाओं की सं.	ऋण की रकम
क	**टी एंड डी परियोजनाएं**			
1	परियोजना: गहन विद्युतीकरण	पी:आईई	17	31551.38
2	विशेष परियोजना: कृषि पंपसेट का ऊर्जायन	एसपीए:पीई	124	177212.19
3	परियोजना: प्रणाली सुधार	पी:एसआई वितरण	316	880941.20
4	परियोजना: प्रणाली सुधार	पी:एसआई (एचवीडीएस)	1	19227.50
5	एपीडीआरपी	पी:एसआई (आर-एपीडीआरपी)	234	375857.25
6	प्रणाली सुधार: बल्क	बल्क	58	254027.30
7	परियोजना प्रणाली सुधार	पी:एसआई - पारेषण	205	1382746.95
8	संक्रमणकालीन वित्तपोषण ऋण	टीएफएल	12	1663000.00
	उप-जोड़ (क)		**967**	**4784563.77**
ख	**विद्युत उत्पादन**	**पी:विद्युत उत्पादन**	**28**	**2685479.00**
ग	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**			
1	बायोमास/बगैस	**बायोमास**	1	1506.00
2	लघु जल विद्युत	**एसएचपी**	4	20809.00
3	सौर	**एसपीवी**	4	23575.00
4	सौर	**सौर थर्मल**	1	9500.00
5	पवन	**पवन**	1	2616.00
	उप-जोड़ (ग)		**11**	**58006.00**
घ	**अल्पकालिक ऋण**	**एसटीएल**	**25**	**419000.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)		**1031**	**7947048.77**

तालिका-3 आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अधीन 2012-13 तक राज्य-वार संचयी स्वीकृतियां

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	राज्य	2001-02 तक		X वीं योजना		XI वीं योजना		2012-13		2012-13 तक संचयी	
		परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत रकम	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत रकम	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत रकम	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत रकम	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत रकम
1	आंध्र प्रदेश	4810	440263	1104	1209532	558	1300954	116	340052	**6588**	**3290801**
2	अरूणाचल प्रदेश	159	29954	54	104020	16	73949	0	0	**229**	**207923**
3	असम	393	32984	33	30404	20	150197	0	0	**446**	**213585**
4	बिहार	1664	55272	73	189857	78	1671582	0	0	**1815**	**1916710**
5	छत्तीसगढ़	0	0	22	516315	63	486756	11	115536	**96**	**1118608**
6	दिल्ली	2	817	6	47323	1	363707	0	0	**9**	**411847**
7	गोवा	16	2007	0	0	0	0	0	0	**16**	**2007**
8	गुजरात	1784	253470	124	527966	42	726832	2	46224	**1952**	**1554492**
9	हरियाणा	1209	116989	148	395304	253	957795	30	491249	**1640**	**1961337**
10	हिमाचल प्रदेश	419	52240	37	116177	125	215489	24	60430	**605**	**444336**
11	जम्मू-कश्मीर	500	67243	34	93792	69	162057	13	17796	**616**	**340887**
12	झारखंड	0	0	27	147602	12	255581	0	0	**39**	**403183**
13	कर्नाटक	2384	307390	472	388445	213	1276890	26	479178	**3095**	**2451903**
14	केरल	1454	242741	297	241884	20	104897	43	80410	**1814**	**669932**
15	मध्य प्रदेश	5111	236175	133	235711	255	971789	6	100110	**5505**	**1543786**
16	महाराष्ट्र	4602	440595	833	1516910	418	2753167	188	652276	**6041**	**5362948**
17	मणिपुर	146	20696	3	9463	2	9169	0	0	**151**	**39328**
18	मेघालय	105	19351	4	31571	10	44645	0	0	**119**	**95567**
19	मिजोरम	46	7879	24	20360	7	14343	0	0	**77**	**42582**
20	नागालैंड	71	7791	23	5648	36	28108	0	0	**130**	**41547**
21	उड़ीसा	1624	77691	21	120627	55	408199	8	461285	**1708**	**1067802**
22	पंजाब	1303	259737	216	657148	125	1161462	87	418937	**1731**	**2497285**
23	राजस्थान	3012	382940	597	556042	449	2902506	60	956771	**4118**	**4798258**
24	सिक्किम	36	2910	4	5626	2	3101	0	0	**42**	**11637**
25	तमिलनाडु और पांडिचेरी	3003	175458	597	380610	364	2604368	31	144720	**3995**	**3305156**
26	त्रिपुरा	172	15732	6	36374	3	11189	0	0	**181**	**63295**
27	उत्तर प्रदेश	3027	223840	102	670277	557	2146380	290	2091750	**3976**	**5132247**
28	उत्तरांचल	0	0	84	306792	20	172884	19	237716	**123**	**717392**
29	पश्चिम बंगाल	1256	59750	198	442875	78	1126536	59	301517	**1591**	**1930678**
30	पुदुचेरी - संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	2	12507	0	0	**2**	**12507**
31	टी एंड डी प्राइवेट	0	0	9	4955	10	107085	1	150000	**20**	**262040**
32	विद्युत उत्पादन प्राइवेट	6	3347	19	602003	64	5066680	9	762592	**98**	**6434621.57**
33	नवीकरणीय प्राइवेट							8	38502	**8**	**38502**
	जोड़:	**38314**	**3535262**	**5304**	**9611614**	**3927**	**27290803**	**1031**	**7947049**	**48576**	**48384728**

टिप्पणी: स्वीकृत रकम में 11वीं योजना तक आरजीजीवीवाई और डीडीजी परियोजना लागत (पूंजीगत सब्सिडी और ऋण) भी शामिल है।

तालिका-4: वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य-वार और कार्यक्रम-वार संवितरणों और उधारकर्ताओं द्वारा वापसियों तथा दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	पारेषण एवं वितरण	विद्युत उत्पादन	आरजीजीवीवाई (डीडीजी सहित)	एसटीएल/ ऋण	वित्त वर्ष 2012-13 में कुल संवितरण	वित्त वर्ष के अंत तक संवितरित	वापसियां		वित्त वर्ष 2012-13 के अंत में शेष
								वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	
1	आंध्र प्रदेश	1,34,502	65,867	288	1,60,000	3,60,657	21,33,311	1,80,480	9,87,577.46	11,45,734
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	24,302	1,312	17,302.16	7,000
3	असम	-	-	528	-	528	50,766	188	26,665.12	24,101
4	बिहार	-	78,095	-	-	78,095	1,67,150	5,806	35,557.88	1,31,592
5	छत्तीसगढ़	12,139	1,21,105	-	-	1,33,244	6,35,467	36,699	1,19,390.72	5,16,076
6	दिल्ली					-	1,093	-	1,093	-
7	गोवा					-	1,479	-	1,479	-
8	गुजरात	-	19,488	62	-	19,550	6,66,254	4,662	6,23,302.97	42,951
9	हरियाणा	1,45,259	9,890	-	-	1,55,149	11,38,056	90,928	3,59,154.70	7,78,902
10	हिमाचल प्रदेश	28,556	1,699	-	25,000	55,255	3,32,959	21,226	1,89,100.66	1,43,859
11	जम्मू-कश्मीर	2,105	-	589	-	2,694	1,25,447	7,421	68,887.44	56,560
12	झारखंड	-	12,813	775	-	13,588	2,14,080	5,340	82,091.40	1,31,988
13	कर्नाटक	12,893	33,459	452	33,600	80,404	5,02,049	16,725	3,60,607.86	1,41,441
14	केरल	8,663	-	580	15,000	24,243	3,95,966	6,027	3,14,302.89	81,663
15	मध्य प्रदेश	65,376	64,542	1,209	-	1,31,127	6,27,364	12,496	1,77,344.59	4,50,020
16	महाराष्ट्र	2,98,003	3,47,082	112	15,000	6,60,197	32,46,624	1,20,386	8,69,303.70	23,77,323
17	मणिपुर	-	-	-	-	-	18,308	774	4,558.73	13,750
18	मेघालय	-	-	279	-	279	46,073	50	12,390.14	33,683
19	मिजोरम	-	-	-	-	-	26,519	108	23,666	2,853
20	नागालैंड	996	-	177	-	1,173	22,443	1,012	9,467.28	12,976
21	उड़ीसा	650	42,612	615	-	43,877	2,84,189	36,797	1,31,340.12	1,52,849
22	पुदुचेरी	1,957				1,957	1,957		-	1,957
23	पंजाब	2,42,583	6,731	-	10,000	2,59,314	15,33,461	1,43,016	6,87,717.15	8,45,743
24	राजस्थान	4,07,903	14,118	269	66,000	4,88,290	22,73,338	2,16,573	9,11,807.00	13,61,531
25	सिक्किम	-	50,978	-	-	50,978	2,87,793	87	3,341.30	2,84,451
26	तमिलनाडु	4,05,437	1,80,299	57	-	5,85,793	23,72,296	1,60,678	5,89,488.92	17,82,807
27	त्रिपुरा	-	-	41	-	41	12,792	-	11,055	1,737
28	उत्तर प्रदेश	3,56,634	1,63,269	996	25,000	5,45,899	21,47,039	1,37,398	8,11,278	13,35,761
29	उत्तरांचल	10,880	36,363	185	17,300	64,728	4,35,698	35,401	1,67,939.80	2,67,758
30	पश्चिम बंगाल	94,180	1,277	-	75,000	1,70,457	7,87,522	94,319	1,80,755.79	6,06,767
31	पवन ऊर्जा	-	-	-	-	-	3,013	-	1,291	1,722
	जोड़	**22,28,766**	**12,49,687**	**7,214**	**4,41,900**	**39,27,517**	**2,05,14,808**	**13,35,908**	**77,79,258**	**1,27,35,552**
	आरजीजीवीवाई सब्सिडी					90,341				
	डीडीजी सब्सिडी(आरजीजीवीवाई के अधीन)					448				
	कुल जोड़	**22,28,716**	**12,49,687**	**7,214**	**4,41,900**	**40,18,306**	**2,05,14,808**	**13,35,908**	**77,79,258**	**1,27,35,552**

तालिका-5: वर्ष 2012-13 के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अधीन ऊर्जायित पंपसेट और दिनांक 31.03.2013 तक संचयी स्थिति

(अनंतिम)

क्रम सं.	राज्य	वर्ष 2012-13 के दौरान उपलब्धि	संचयी उपलब्धि (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	128183	2161910
2	अरुणाचल प्रदेश		
3	असम		1922
4	बिहार		113354
5	दिल्ली		
6	गोवा		
7	गुजरात		420456
8	हरियाणा		233570
9	हिमाचल प्रदेश	459	6394
10	जम्मू-कश्मीर	1351	15441
11	झारखंड		
12	कर्नाटक		862387
13	केरल		340882
14	मध्य प्रदेश		1054106
15	छत्तीसगढ़		
16	महाराष्ट्र	98993	2358563
17	मणिपुर		29
18	मेघालय		58
19	मिजोरम		
20	नागालैंड		164
21	उड़ीसा		63015
22	पंजाब		501913
23	राजस्थान	8036	504743
24	सिक्किम		
25	तमिलनाडु	17971	1150258
26	त्रिपुरा		1530
27	उत्तर प्रदेश		379544
28	उत्तराखंड		
29	पश्चिम बंगाल		82202
	जोड़:	**254993**	**10252441**

तालिका-6: आरजीजीवीवाई के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य	कुल स्वीकृत परियोजनाएं (दसवीं और ग्यारहवीं योजना मिलाकर)						
		परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल किए गए अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल किए गए आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल किए गए बीपीएल आवासों की संख्या	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	शामिल किए गए अविद्युतीकृत आवासों की संख्या (बीपीएल सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	26	22	0	27477	2484665	907.95	3954128
2	अरुणाचल प्रदेश	16	16	2106	1760	40726	983.77	76407
3	असम	23	23	8326	12984	1150597	2760.98	1414828
4	बिहार	43	38	22512	6454	2761034	4495.75	6022036
5	छत्तीसगढ़	16	14	1475	16214	903500	1194.34	1285545
6	गुजरात	25	25	0	17667	742094	359.82	1595853
7	हरियाणा	18	18	0	5886	235841	208.73	569686
8	हिमाचल प्रदेश	12	12	95	10650	13196	341.17	36479
9	जम्मू-कश्मीर	14	14	239	4442	81217	933.22	295221
10	झारखंड	22	22	19071	7106	1803377	3469.99	2926260
11	कर्नाटक	25	25	61	27532	950437	891.91	1932797
12	केरल	7	7	0	629	55732	147.76	92736
13	मध्य प्रदेश	32	32	665	33902	1320830	1895.32	2653536
14	महाराष्ट्र	34	34	0	40600	1183603	816.54	2633742
15	मणिपुर	9	9	882	1378	107369	381.83	192148
16	मेघालय	7	7	1866	3239	109696	442.01	188648
17	मिजोरम	8	8	137	570	27417	317.22	44334
18	नागालैंड	11	11	105	1140	69899	270.20	142992
19	उड़ीसा	32	30	14715	29324	3046184	3810.86	4858292
20	पंजाब	17	17	0	11840	148860	186.91	405023
21	राजस्थान	40	33	4339	34783	1224417	1339.00	2229442
22	सिक्किम	4	4	25	418	11458	196.54	28166
23	तमिलनाडु	26	26	0	10009	502865	447.41	1692235
24	त्रिपुरा	4	4	148	658	107506	199.08	228759
25	उत्तर प्रदेश	64	65	28182	2989	962903	3852.51	1694075
26	उत्तरांचल	13	13	1512	9160	238522	766.43	357309
27	पश्चिम बंगाल	28	17	4425	24020	2655566	2748.11	3974005
	जोड़	**576**	**546**	**110886**	**342831**	**22939511**	**34365.39**	**41524682**
आरजीजीवीवाई के चरण-2 के अधीन स्वीकृत नई परियोजनाएं								
1	छत्तीसगढ़	2	2	126	1077	84334	176.11	126554
2	हरियाणा	3	3	0	625	21432	17.01	32393
3	कर्नाटक	2	2	0	587	27782	119.38	41733
4	केरल	7	7	0	643	18839	89.83	76427
5	मध्य प्रदेश	16	16	41	14487	440049	840.45	1099561
6	तमिलनाडु	3	3	0	729	24369	37.27	122236
	उप-जोड़	**33**	**33**	**167**	**18148**	**616805**	**1280.05**	**1498904**
आरजीजीवीवाई के चरण-2 के अधीन स्वीकृत पूरक परियोजनाएं								
1	बिहार	11	11	1338	12790	2898328	3096.83	2898328
2	मध्य प्रदेश	4	4	142	1148	56665	142.74	132280
3	महाराष्ट्र	1	1	0	1139	19279	33.64	39407
4	पश्चिम बंगाल	1	1	17	289	24423	103.38	50746
5	उत्तर प्रदेश	22	22	245	19991	943641	3453.34	4427545
	उप-जोड़	39	39	1742	35357	3942336	6829.93	7548306
	जोड़	**72**	**72**	**1909**	**53505**	**4559141**	**8110.02**	**9047210**
	कुल जोड़	**648**	**579**	**112795**	**396336**	**27498652**	**42475.41**	**50571892**

सारणी-7: संचयी उपलब्धि का राज्य-वार ब्योरा

क्रम सं.	राज्य	वर्ष 2012 तक उपलब्धि		वित्त वर्ष 2012-13 में उपलब्धि		संचयी उपलब्धि (31.03.2013 के अनुसार)	
		अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल	अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल	अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	0	2702273	0	50570	0	2752843
2	अरुणाचल प्रदेश	1313	21646	387	7140	1700	28786
3	असम	7829	807290	190	101260	8019	908550
4	बिहार	22029	2149834	701	201081	22730	2350915
5	छत्तीसगढ़	857	915407	214	64504	1071	979911
6	गुजरात	0	802818	0	26729	0	829547
7	हरियाणा	0	194442	0	19	0	194461
8	हिमाचल प्रदेश	78	10078	5	5200	83	15278
9	जम्मू-कश्मीर	148	44014	28	9072	176	53086
10	झारखंड	17905	1272755	181	26070	18086	1298825
11	कर्नाटक	61	834196	1	24640	62	858836
12	केरल	0	17238	0	35755	0	52993
13	मध्य प्रदेश	504	717394	92	244422	596	961816
14	महाराष्ट्र	0	1160732	0	21148	0	1181880
15	मणिपुर	616	28814	0	37	616	28851
16	मेघालय	1172	62768	482	22727	1654	85495
17	मिजोरम	89	14743	5	401	94	15144
18	नागालैंड	79	28514	9	9048	88	37562
19	उड़ीसा	14226	2748137	119	78003	14345	2826140
20	पंजाब	0	53925	0	26479	0	80404
21	राजस्थान	3999	1043522	138	97324	4137	1140846
22	सिक्किम	25	9366	0	417	25	9783
23	तमिलनाडु	0	502956	0	-1754	0	501202
24	त्रिपुरा	127	80986	16	18516	143	99502
25	उत्तर प्रदेश	27759	1044494	3	3037	27762	1047531
26	उत्तरांचल	1511	230558	0	4035	1511	234593
27	पश्चिम बंगाल	4169	1926383	16	220661	4185	2147044
	योग	**104496**	**19425283**	**2587**	**1296541**	**107083**	**20721824**

अनुबंध-I

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

(सूचीकरण करार के खंड 49 iv (च) के अनुसरण में)

कंपनी के प्रबंधक वर्ग को वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी के कार्य-निष्पादन सहित औद्योगिक परिदृश्य संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. औद्योगिक ढाँचा और विकास

उद्योग सिंहावलोकन

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि सर्वाधिक रही है, जो 17956.30 मेगावाट की तुलना में 20622.80 मेगावाट रही है। इस प्रकार 114.85 प्रतिशत की उपलब्धि रही है। मुख्य अभिवृद्धि थर्मल श्रेणी से हुई है जो वित्त वर्ष के दौरान कुल क्षमता अभिवृद्धि का लगभग 98% रही है। इसमें से 11188 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि निजी क्षेत्र से रही है। इस प्रकार, इस वर्ष के दौरान कुल क्षमता वृद्धि में उसका योगदान 54% रहा है। इस वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन का प्राप्त किया गया लक्ष्य 98% था। जो वित्त वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित किया गया था। यह पिछले वित्त वर्ष की उपलब्धियों की तुलना में 4% अधिक रहा है। वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान वास्तविक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 911.7 बीयू था,जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में विद्युत उत्पादन 876.9 बीयू था।

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान कुल विद्युत आपूर्ति की कमी 8.7% थी, जबकि व्यस्ततम घंटों में बिजली की कमी 9.0% रही। वित्तीय वर्ष 2012, 2011 और 2010 में कुल बिजली की कमी क्रमशः 10.2%, 7.5% और 10.1% थी। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2012 में व्यस्ततम घंटों में बिजली की कमी 11.1% थी जबकि वित्तीय वर्ष 2011 में 10.3% और वित्तीय वर्ष 2010 में 12.7% थी।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, देश की कुल संस्थापित क्षमता 223344 मेगावाट थी। इसके अलावा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 54,964 मेगावाट क्षमता की संवृद्धि की गई थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में ही 20,623 मेगावाट क्षमता का पहले ही संवर्धन किया जा चुका है।

हाल के वर्षों में विद्युत उत्पादन की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना तक लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का स्तर काफी कम रहा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान क्षमता अभिवृद्धि की उपलब्धि 19,015 मेगावाट (लक्ष्य का 47.5%) थी और दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002 से 2007) के दौरान क्षमता अभिवृद्धि की उपलब्धि 21,180 मेगावाट (लक्ष्य का 51.6%) थी। लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई उपलब्धि पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं को मिलाकर की गई उपलब्धियों से अधिक थी। 54,964 मेगावाट (88.1%) की क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त की गई थी, जो 11वीं योजना के लिए 62,374 मेगावाट के संशोधित लक्ष्य के अनुसार थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत के लक्ष्य की लगभग 88,425 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त कल्पना की गई है। इस तथ्य के संदर्भ में कि 20,000 मेगावाट से अधिक की संवृद्धि पहले वर्ष की योजना में हुई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि बारहवीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (वित्तीय वर्ष 2013-2017) के लिए विद्युत क्षेत्र की निधि की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगभग ₹ 14 लाख करोड़ लगाया गया है। 13वीं योजना अवधि के लिए योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि 9% की सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर पर वर्ष 2022 तक प्रदर्शित मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 94,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता होगी और उसके अनुरुप पारेषण और वितरण प्रणाली का भी विस्तार करना होगा।

औद्योगिक ढांचा

विद्युत उत्पादन

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन की क्षमता 2,23,344 मेगावाट रही और राज्य क्षेत्र में 89,125 मेगावाट (39.90 प्रतिशत) रही, केंद्रीय क्षेत्र में 65, 360 मेगावाट (29.26%) रही और प्राइवेट क्षेत्र में 68,859 मेगावाट (30.83%) रही।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, विद्युत उत्पादन क्षमता के रूप में, 1,51,530 मेगावाट (67.84%) थर्मल में, 4,780 मेगावाट (2.14%) न्यूक्लियर में, 39,491 मेगावाट (17.68%) जल विद्युत में और 27,542 मेगावाट (12.33%) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में थी। न्यूक्लियर क्षमता में इस अवधि के दौरान नई संवृद्धि देखी गई थी।

क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद भारतीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र प्रमुख बाधाओं के कारण अपनी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये बाधाएं हैः अभिनिर्धारित परियोजनाओं तक दीर्घकालिक कोयला संपर्कन में कमी, आबद्ध कोयला खान ब्लॉकों से योजनाबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता, आयातित ईंधन की कीमत में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर और पर्यावरणीय मुद्दे आदि रहे हैं।

योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि विद्युत उत्पादन क्षमता के लगभग 88.4 जीडब्ल्यू को 2017 तक परिवर्धित किया जाएगा, ताकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक संवृद्धि को सहायता मिल सके। इसके अलावा, योजना आयोग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2032 तक 8% की स्थायी आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखने के लिए भारत को अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाना होगा, जिसके लिए विद्युत उत्पादन क्षमता को वित्तीय वर्ष 2032 तक लगभग 8,00,000 मेगावाट तक बढ़ाना आवश्यक है।

पारेषण और वितरण

पारेषण

विगत में देश में पारेषण प्रणाली की आयोजना को पारंपरिक रूप से विद्युत निकासी प्रणाली के भाग के रूप में उत्पादन परियोजनाओं से जोड़ा जाता रहा है। उत्पादन की रिशेड्यूलिंग और लोड शेडिंग किए बिना ऊर्जा प्रणाली को सुरक्षित रूप से आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए सक्षम बनाना आयोजना और पारेषण तंत्र के लिए मुख्य मानदंड था। लेकिन, नेटवर्क के लोड में भारी वृद्धि मूल रूप से प्लान किए गए लोड सेंटर उत्पादक यूनिटों का चालू न होना तथा प्रतिक्रियात्मक क्षतिपूर्ति में कमी जैसे विभिन्न कारणों से ऊर्जा क्षेत्र के कतिपय क्षेत्र सामान्य दशा में भी सुरक्षापूर्वक कार्य नहीं कर सके। इससे उत्पादन को बैक डाउन करना तथा विगत के शेष कम लोड उत्पादन पर प्रचालन करना अनिवार्य हो गया। अतः दीर्घकालीन ऊर्जा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए पारेषण आयोजना को पूर्व की उत्पादन निकासी प्रणाली आयोजना के स्थान पर समेकित प्रणाली आयोजना की ओर ले जाया गया।

भारत में पारेषण एवं वितरण तंत्र में क्षेत्रीय ग्रिडों, राज्य ग्रिडों और वितरण तंत्र की त्रि-स्तरीय संरचना शामिल है। भौगोलिक संपर्क के

आधार पर बनाए गए पांच क्षेत्रीय ग्रिड विद्युत के अभाव वाले राज्य से विद्युत अधिशेष वाले राज्य में विद्युत स्थानांतरित करने में सक्षम बनाते हैं। क्षेत्रीय ग्रिड बाह्य अनुरक्षण की अभीष्ट समय-सूची बनाने तथा बिजलीघरों के बीच बेहतर समन्वय को सुसाध्य बनाते हैं। दक्षिण ग्रिड को छोड़कर, इन क्षेत्रीय ग्रिडों को अब 31,000 मेगावाट की अंतर्क्षेत्रीय अंतरण क्षमता वाले एक राष्ट्रीय ग्रिड में समेकित कर दिया गया है, जिससे एक क्षेत्र से अधिशेष विद्युत को विद्युत के अभाव का सामना कर रहे अन्य क्षेत्र में भेजा जा सके और इससे राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके। ऐसी आशा है कि दक्षिण ग्रिड, जो अब तक राष्ट्रीय ग्रिड का भाग नहीं था, को जनवरी 2014 तक राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, उचित नियंत्रण और संतुलन को बनाए रखा गया है ताकि कोई बड़ी ग्रिड हानि से बचने के लिए ग्रिड के अनुशासन को सुदृढ़ किया जा सके। विद्युत अधिनियम, 2003 में उपयुक्त संशोधन करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आरएलडीसी और एनएलडीसी को विशेष शक्तियां दी जा सकें ताकि वे उस ग्रिड को विनियमित कर सकें, जिसमें उनके सशक्तीकरण के लिए कानूनी प्रावधान भी शामिल हैं। इसके पश्चात आरएलडीसी को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह ग्रिड अनुशासन का अनुपालन न करने वाले राज्यों के लोड को काट सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2013 के अंत में पारेषण लाइनों की कुल लंबाई लगभग 2.74 लाख सीकेएम हो जाएगी जो पिछले वर्ष के अंत में लगभग 2.68 लाख सीकेएम थी।

संस्थापित पारेषण लाइन प्रणाली का विवरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:

पारेषण लाइनें	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार (सर्किट किलोमीटर)	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (सर्किट किलोमीटर)	वृद्धि (सर्किट किलोमीटर)
765 केवी	**6459**	5730	729
400 केवी	**118180**	113367	4813
220 केवी	**140517**	140164	353
+/- 500 केवी एचवीडीसी	**9432**	9432	0
जोड़	**274588**	**268693**	**5895**

वित्तीय वर्ष 2013 के अंत में 4.73 लाख एमवीए पर कुल सब स्टेशन अंतरण क्षमता 765 केवी, 400 केवी और 220 केवी स्तर पर रही। वित्तीय वर्ष 2012 के अंत में कुल क्षमता 3.99 लाख एमवीए रही। वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान सब स्टेशन क्षमता वृद्धि लक्षित अभिवृद्धि 31669 एमवीए के 200% से अधिक रही।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार पारेषण प्रणाली के विकास के लिए अपेक्षित निधि लगभग ₹ 2 लाख करोड़ होगी, जिसमें केंद्रीय और राज्य क्षेत्र का हिस्सा भी शामिल होगा। इसका उद्देश्य एक ऐसा सशक्त एकीकृत ग्रिड तंत्र बनाना है जो देश के एक भाग से दूसरे भाग तक बिजली का काफी अंतरण कर सके। सभी विकासकर्ताओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली जिसमें अंतर-राज्य पारेषण क्षेत्र (आईएसटीएस) में पारेषण परियोजनाओं बोली के लिए पावरग्रिड जैसी सरकार के स्वामित्व वाली यूटिलिटियां भी शामिल हैं, अनिवार्य कर दी गई हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने जनवरी 2013 से अंतरराज्य क्षेत्र के प्रतियोगी बोली रूट को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, मामला 1 और मामला 2 बोली रूट के लिए मानक बोली दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं और उनमें उचित संशोधन किया जाएगा।

वितरण

वितरण क्षेत्र विद्युत उत्पादन-पारेषण-वितरण की श्रृंखला में राजस्व उत्पादन करने वाला संपर्क विद्युत क्षेत्र की मूल्यवान श्रृंखला में स्पष्ट रूप से कमजोरतम कड़ी है और इससे विद्युत क्षेत्र के सुधारों की संपूर्ण प्रक्रिया के मार्ग से हटने का खतरा है और भारत की संवृद्धि की कहानी के लिए भी यह एक खतरा है। हालांकि, देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र वितरण क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है और घाटे में चल रहा है, तथापि भारत सरकार द्वारा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों को व्यवहार्य बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है।

वितरण क्षेत्र से संबंधित मुद्दे विद्युत उत्पादन और पारेषण क्षेत्र के मुद्दों के समान नहीं हैं। वितरण में महत्वपूर्ण अंतिम स्थल (मील) की कनेक्टिविटी उपलब्ध की जाती है और इसमें अलग-अलग किस्म के कई और विभिन्न उपभोक्ता होते हैं। हालांकि, अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों का विभाजन कर दिया गया है, तथापि वितरण अभी भी काफी हद तक सरकारी यूटिलिटियों के नियंत्रण में है। विभाजन किए जाने से पूर्व विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन अच्छे वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर उनके प्रचालन के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। उच्च एकीकृत तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों के कारण विद्युत वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई है, वे सिद्धांत रूप में और भावनात्मक रूप से संशोधित टैरिफ को सख्ती से लागू नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि, अधिकांश राज्यों में लंबे समय से संशोधन के लिए संबंधित ईआरसी के निदेशों के बावजूद उन पर सब्सिडी का भार बढ़ता जा रहा है, घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के लिए उद्योग द्वारा क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है, बिलिंग में दक्षता नहीं है और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अल्पकालिक कमी को पूरा करने के लिए काफी महंगी बिजली की खरीद की जा रही है, जिनसे नीतिगत पहलों के लाभों की हानि हो रही है। आज देश में वितरण यूटिलिटियों को बिना मीटर और बिना हिसाब की आपूर्ति के कारण लगभग 30% की हानि हो रही है। उनकी आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) के बीच का अंतर ₹ 1.45 प्रति केडब्ल्यूएच से अधिक का है, जिसके परिणामतः इन यूटिलिटियों का निवल मूल्य लगातार गिरता जा रहा है। सभी राज्य विद्युत बोर्डों की संयुक्त वार्षिक हानियां लगभग ₹ 1.9 लाख करोड़ तक बढ़ गई हैं।

राज्य विद्युत वितरण कंपनियों की स्थिति में सुधार करने और उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए संक्रमणकालीन वित्त तंत्र (टीएफएम) नामक राज्य के स्वामित्व की वितरण कंपनियों के लिए एक वित्तीय पुनर्गठन योजना भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है। इस तंत्र में राज्य सरकार से वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) का अनुमोदन और संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों, से टैरिफ में संशोधन जैसे उपाय शामिल हैं, जिनके परिणामतः प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) और आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) के अंतर को कम किया जा सकेगा और केवल ऐसी राज्य सरकारों को ही सब्सिडी दी जाएगी जो बाद में एआरआर में नियमित आधार पर लेखापरीक्षित लेखों में दर्ज करके उनका समायोजन करेंगे, उन्हें आर-एपीडीआरपी और एनईएफ में प्रौद्योगिकी सहायता देकर प्रोत्साहन दिया जाएगा, यूटिलिटी-वार समग्र योजना तैयार की जाएगी और उच्च स्तर पर इसके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग की जाएगी। अतः यह आवश्यक है कि सभी उपायों को लागू किया जाए और अत्यधिक उच्च पारेषण और वितरण हानियों की बड़ी चुनौतियों पर काबू पा लिया जाएगा, विनियामक संस्थाओं के आंतरिक कार्यों, असंगत टैरिफ आदि को सुचारु किया जाएगा ताकि विद्युत वितरण क्षेत्र का कायापलट किया जा सके।

नीति के मामले में विद्युत मंत्रालय ने एक एकीकृत रेटिंग प्रणाली विकसित की है, जिसके अंतर्गत राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सभी यूटिलिटियों के कार्य-निष्पादन के आधार पर उनकी श्रेणी तय करना और दीर्घकालिक वाणिज्यिक व्यवहार्य प्रचालनों को जारी रखने के लिए उनकी क्षमता को बनाए रखना है। इस तंत्र का मुख्य ध्यान प्रतिष्ठानों की रैंकिंग और उन्हें प्रोत्साहन देने/हतोत्साहित करने पर है, ताकि उनके प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन को बढ़ाया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके।

अंक, कार्य-निष्पादन के वर्तमान स्तर और मूलभूत मापदंडों पर संगत सुधार दोनों के लिए, दिए जाएंगे। रेटिंग की इस एकीकृत प्रणाली से बैंकों/वित्तीय संस्थानों को जोखिम से जुड़े एकसमान और वास्तविक मूल्यांकन और अलग-अलग यूटिलिटियों की निधि संबंधी आवश्यकता को अपनाने में सुविधा होगी। इससे समुचित ऋणों सहित वित्तपोषण किया जा सकेगा ताकि उनके प्रचालनात्मक, वित्तीय और प्रबंधकीय कार्य-निष्पादन को और तेज किया जा सके तथा उसमें बढ़ोतरी की जा सके। यह प्रणाली एपीडीआरपी, एनईएफ आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य विद्युत यूटिलिटियों को सरकारी सहायता देने के लिए आधार के रूप में कार्य करेगी। नए दिशानिर्देशों को लागू कर दिया गया है ताकि व्यय, गैर-योजनाबद्ध खरीदों में कमी करने के लिए बिजली की अल्पकालिक समस्या का समाधान किया जा सके।

विद्युत यूटिलिटियों को निधियां प्राप्त करने में सहायता देने के लिए, वितरण क्षतियों को कम करने के लिए तथा देश में वितरण संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सुधार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी देने की नीति के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि की स्थापना की गई है। यूटिलिटी/डिस्कॉम को कार्य-निष्पादन के आधार पर ब्याज दर पर छूट दी जाएगी।

फीडर पृथक्करण योजना के कार्यान्वयन, वितरण तंत्र में उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली, स्वचालित मीटर रीडिंग जैसे स्मार्ट एनर्जी मीटरों के संस्थापन और द्वि-मार्गीय वास्तविक समय डिजिटल संचार वाले 100 % कवरेज तथा रिमोट मीटरिंग के उपयोग की सुविधा, प्रचालन तथा अनुरक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और उसके साथ-साथ सर्वोत्तम प्रबंधन परिपाटियां उपयोग में लाने जैसे तकनीकी उपाय, ऐसे उपाय हैं, जो कम से कम हानि और कम लागत वाली बिजली की सुरक्षित और विश्वसनीय सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं।

उपभोक्ता और यूटिलिटी के बीच द्वि-मार्गीय संवाद के अवसर प्रदान करने के लिए इंटेलिजेंट स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने से बिजली के उपयोग और सुपर्दुगी का तरीका पूरी तरह बदल दिया जाएगा। चूंकि, भारतीय वितरण क्षेत्र विद्युत मूल्य श्रृंखला में कमजोर कड़ी है, अतः गुणवत्तापूर्ण विद्युत सुपुर्दगी की कुशल और विश्वसनीय व्यवस्था के लिए यूटिलिटियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं दीर्घकालिक व्यवसाय के अवसर पैदा करेंगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ₹ 3.26 लाख करोड़ के परिव्यय के अनुसार लगभग 33 % का उपयोग सब उप-पारेषण और वितरण प्रणाली के विकास के लिए किया गया है, जिसमें आर-एपीडीआरपी और आरजीजीवीवाई योजनाएं भी शामिल हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने ₹ 3.14 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान लगाया है जिसमें मांग पक्ष के प्रबंधन के संबंध में योजनाबद्ध निवेश और इस क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता भी शामिल है।

विशाल पूंजीगत व्यय तथा इतना ही विशाल प्रचालान्मक बुनियादी ढांचा दोनों मिलकर वितरण क्षेत्र में कंपनी के लिए एक बहुत ही आशावादी कारोबार परिदृश्य तैयार करते हैं। इसके अलावा, आर-एपीडीआरपी एवं एनईएफ में निर्मित उत्पादन प्रबोधन से वितरण संबंधी बुनियादी ढांचे में निवेशों को प्रोत्साहित करने और गति प्राप्त करने तथा इसके परिणामस्वरूप हानियों को कम करने के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने की आशा की जाती है।

विद्युत क्षेत्र नीतिगत परिवेश

पिछले कुछ वर्षों में बिजली की निरंतर कमी बने रहने तथा भारत में बिजली की मांग में की गई अनुमानित वृद्धि की दर को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना, क्षमता विस्तार, पारेषण और उप पारेषण तथा वितरण तंत्र में सुधार करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

भारत सरकार द्वारा की गई इन बड़ी नीतिगत पहलों से विद्युत क्षेत्र को एक आकर्षक निवेश का क्षेत्र बनाने की क्षमता पैदा करने तथा इसे पुनः परिभाषित करने में सहायता मिली है।

अपने नए स्वरूप और संशोधित विधिक संरचना में विद्युत अधिनियम, 2003 को लागू करने के साथ ही विद्युत क्षेत्र का शासन, पूंजी की व्यवस्था तथा बृहत्त विद्युत परियोजनाओं का संस्थापन एक वास्तविकता बन गया है। इस अधिनियम ने उन अनेक कानूनों की जगह ले ली है जिनमें भारतीय बिजली क्षेत्र पहले अधिशासित होता था और इसने एक बहु-क्रेता और बहु-विक्रेता प्रणाली की शुरुआत की है। इसके अलावा, विनियामक प्रशासन को आय प्राप्ति की दर (रेट ऑफ रिटर्न) के विनियमों से बाधित हुए बिना टैरिफ निर्धारण में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसके बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति अधिसूचित की गई है। तत्पश्चात राष्ट्रीय टैरिफ नीति, आरई नीति, राष्ट्रीय जल विद्युत नीति और मेगा पॉवर पॉलिसी अधिसूचित की गई थी।

भारत सरकार ने 3,500 मेगावाट अथवा उससे अधिक की प्रत्येक अनुबंधित क्षमता सहित भारत में विस्तृत क्षमता विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य के साथ अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) की शुरुआत की है। एक एकल स्थिति के आधार पर विस्तृत उत्पादन क्षमताओं पर आधारित पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, उत्सर्जन कम करने के लिए सुपर क्रिस्टल तकनीक के उपयोग तथा विकासकर्ताओं के चयन हेतु अपनाई जाने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रियाओं पर आधारित टैरिफ से विद्युत उत्पादन टैरिफों में महत्त्वपूर्ण कमी आने की संभावना बनी है। प्रांरभिक स्थान, जहां से लेकर उपर्युक्त विनियामक तथा अन्य अनुमोदनों (भूमि, जल, पर्यावरण और विद्युत विक्रय सहित) को प्राप्त करने, बोली प्रक्रिया का संचालन करने और अंततः इन परियोजनाओं को सुपुर्द करने तक की गतिविधियों में तेजी लाने के लिए स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) का सृजन किया गया है। स्पेशल पर्पज वेहिकल की भूमिका परियोजना को सफल बोलीदाताओं को अंतरित किए जाने के साथ समाप्त हो जाती है। इनमें से चार स्पेशल पर्पज वेहिकल को पहले से ही सफल बोलीदाताओं को अंतरित किया जा चुका है। विद्युत मंत्रालय ने यूएमपीपी के लिए अनुसारित तर्ज पर अंतरराज्य और अंतःराज्य पारेषण तंत्रों के विकास हेतु स्वतंत्र विद्युत पारेषण कंपनियों (आईपीटीसी)के लिए एक टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया भी शुरू की है। विद्युत पारेषण कंपनियों का उद्देश्य विद्युत के उत्पादन केंद्रों से स्वतंत्र निकासी करना तथा विद्युत को पूलिंग स्टेशनों तथा

अन्य ग्रिड स्टेशनों तक पारेषित करना है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे भारत में तंत्र मजबूत होता है। गत दो-तीन वर्षों से विकासकर्ताओं को अनेक पारेषण परियोजनाएं अंतरित की गई हैं।

जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में प्राइवेट क्षेत्र से निधियों को आकर्षित करने के उपाय के रूप में वर्ष 2008 में जल विद्युत नीति लागू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य विद्युत व्यापार को प्रोन्नत करने तथा सांविधिक मंजूरियों को प्राप्त करने में तेजी लाने के अलावा, निजी विकासकर्ताओं के साथ संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहन देने तथा आईपीपी मॉडल का उपयोग करके निजी क्षेत्र से निधियों को आकर्षित करना है। यह नीति भारत में विशेषतः हिमालयवर्ती राज्यों में जल विद्युत उद्योग के त्वरित विकास के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है।

वितरण क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की वितरण कंपनियों को संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने हेतु विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना बनाई है। राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना के अंतर्गत सभी वितरण क्षेत्र बुनियादी सुविधा संबंधी पूंजीगत परियोजनाओं के लिए वितरण क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि प्रस्तावित कार्यों का वित्तपोषण आर-एपीडीआरपी अथवा आरजीजीवीवाई योजनाओं के अंतर्गत न किया गया हो। वितरण योजनाओं के लिए दो वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत किए जाने वाली ₹ 25,000 करोड़ की रकम के ऋण के संवितरण के लिए 14 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि से कुल ₹ 8466 करोड़ की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना के लिए गठित संचालन समिति के अनुमोदन से यूटिलिटियों को ब्याज सब्सिडी की राशियों को सरणीबद्ध करने के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु हमारी कंपनी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना से वित्तीय सहायता के लिए राज्यों को विशेष श्रेणी के तथा विशेष ध्यान दिए जाने वाले तथा विशेष श्रेणी के राज्यों से इतर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पात्रता की पूर्व शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों से जुड़ी हैं तथा ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े मापदंडों के आधार पर की गई प्रगति से जुड़ी है।

ईंधन की गंभीर कमी को दूर करने और विद्युत क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दों के वित्तपोषण के लिए प्रयास करने में भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 के बजट में कुछ उपायों की घोषणा की है, जिनमें आयातित ईंधन पर सीमा शुल्क से छूट और समुद्रपारीय निधियों पर कम लेवी शामिल है, ताकि विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को राहत पहुंचाई जा सके। विद्युत कंपनियों को विद्युत संयंत्र संबंधी ऋण के भाग के रूप में पुनः वित्तपोषण के लिए और बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए तथा विद्युत क्षेत्र के कर-मुक्त बांडों की सीमा बढ़ाने से संबंधित कार्य उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा, ईसीबी पर कर की सीमा तीन वर्ष तक 20% से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, जिसके परिणामतः ऋण की लागत में समग्र कमी आएगी। आरंभिक वर्ष में 20% के अतिरिक्त मूल्यह्रास को विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा अर्जित नई परिसंपत्तियों पर भी लागू किया गया है। इनसे विद्युत क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और अंततः उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और मध्यावधि में आपकी कंपनी के लिए कारोबार के अधिक अवसर सृजित होंगे।

इसके अलावा, अदानी पावर के मामले केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा हाल ही में दी गई राय से यह आशा बढ़ी है कि यह आयातित ईंधन के घटक वाली अन्य परियोजनाओं पर भी लागू होगी। ऐसी स्थिति में उधारकर्ता पीएलएफ की दर पर बिना रुकावट के संयंत्र को चला पाएंगे और अपनी देयताओं का भी भुगतान कर पाएंगे।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

जलवायु पर मंडराती चुनौतियों को कम करने के लिए जून 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की घोषणा की गई थी। यह प्रयास देश में कुल बिजली उपभोग में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करने के लिए किया गया था। इस पहल को गति प्रदान करने के लिए आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की क्रय संबंधी बाध्यताओं को राज्य यूटिलिटियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। यह तंत्र राज्य सीमाओं से बाहर कार्बन क्रेडिटों से अप्रभावित रहकर नवीकरणीय ऊर्जा घटक के क्रय-विक्रय को सक्षम बनाएगा।

राष्ट्रीय सौर मिशन

एमएनआरई ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन द्वारा भारत में सौर ऊर्जा के विकास की एक नई नीति को अनुमोदित कर दिया है। मिशन ने 13वीं पंचवर्षीय योजना (2017-2022) के अंत तक तीन चरणों में 20,000 मेगावाट की एक अधिष्ठापित क्षमता के कार्यान्वयन की सिफारिश की है। इसके अंतर्गत एक एकल विंडो निदेशक - मैत्रीपूर्ण तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इस तंत्र से जोखिम में कमी होगी तथा यह ग्रिड से सौर विद्युत की खरीद हेतु एक आकर्षक आवश्यक पूर्वानुमान और पर्याप्त मात्रा में टैरिफ उपलब्ध कराएगा। सौर विद्युत को प्रोन्नत करने के लिए प्रमुख चालक, एक विशिष्ट सौर घटक के साथ विद्युत यूटिलिटियों हेतु एक नवीकरणीय खरीद बाध्यता के द्वारा अधिदेशित होगा।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम

भारत सरकार ने मार्च 2003 में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) नामक एक योजना को मंजूरी दी थी, जिसे और अधिक निष्पादन आधारित तथा वित्तीय रूप से आकर्षित बनाने के लिए आर-एपीडीआरपी में पुनः शुरू किया गया है।

एपीडीआरपी कार्यक्रम की भारत सरकार द्वारा पुनर्संरचना की गई है ताकि एपीडीआरपी परियोजना क्षेत्र में राजस्व तथा ऊर्जा के विश्वसनीय और सत्यापन योग्य आंकड़े एक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के माध्यम से निरंतर प्राप्त किए जा सकें और एकीकृत तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को सतत रूप से कम किया जा सके। आर-एपीडीआरपी को 11वीं योजना के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में जुलाई 2008 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को अगस्त 2006 में अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाना और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि कृषि, ग्रामीण उद्योगों आदि में उत्पादनकारी उपयोगों के लिए एक निवेश के रूप में बिजली उपलब्ध करवाकर त्वरित आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

भारत सरकार ने अप्रैल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य (i) कम से

कम एक 33/11 केवी सब स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण आधार (आरईडीबी), (ii) एक गांव या पुरवे में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर सहित ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचा (वीईआई); तथा (iii) जहां पर ग्रिड व्यवहार्य नहीं है, वहां पर स्टैंडअलोन ग्रिडों की स्थापना करना है। पूंजीगत खर्च को वहन करने के लिए 90% सब्सिडी आरईसी, जो इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए एक नोडल एजेंसी है, के माध्यम से दी जाती है। अविद्युतीकृत बीपीएल आवासों के विद्युतीकरण के लिए 100% पूंजीगत सहायता दी जाती है। ग्रामीण वितरण का प्रबंधन फ्रैंचाइजियों के द्वारा किया जाता है। योजना में एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता मॉनीटरिंग व्यवस्था का गठन किया गया है। इस प्रकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण भारत में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया गया है।

2. अवसर

विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाओं में निवेशों के लिए 12वीं योजना अवधि का लक्ष्य ₹ 14 लाख करोड़ का था, जिसमें सहयोजित पारेषण तथा वितरण तंत्र के साथ 88, 425 मेगावाट की क्षमता वृद्धि शामिल है। इस अवधि के दौरान 30,000 मेगावाट क्षमता की पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा बढ़ाए जाने की योजना है। संवर्धित क्षमता को हैंडल करने के लिए पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में लगातार विस्तार के साथ उत्पादन क्षमता में लगभग 94,000 मेगावाट (30,000 मेगावाट पर्यावरण ऊर्जा से अलग) की वृद्धि की परिकल्पना 13वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। राष्ट्रीय विद्युत निधि नामक ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की गई है, जो भविष्य में आय का एक संभावित स्रोत होगी। योजना के अनुसार, वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 में ₹ 25,000 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के लिए निर्धारित की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निधियों का पर्यवेक्षण करने तथा उन्हें सरणीबद्ध करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में इस कंपनी ने ग्रामीण विद्युतीकरण के सामाजिक-आर्थिक दायित्व को स्वीकार किया है और 8% की जीडीपी वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त विद्युत, इष्टतम विद्युत लागत तथा सभी के लिए बिजली के मुख्य लक्ष्य के साथ 'भारत निर्माण' के मिशन में भागीदार बन रही है। अतः विद्युत क्षेत्र के जीवंत रहने और निकट भविष्य में महत्त्वपूर्ण निवेश के अवसर प्रदान करने की आशा है।

इसके अलावा, बुनियादी सुविधा संबंधी वित्त कंपनी (आईएफसी) के दर्जे ने आपकी कंपनी को इसकी कुछ प्रतियोगी कंपनियों से बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया है और इसके प्रचालनों ने इसे अधिक क्षमता प्रदान की है। इसने हमारी कंपनी की लागत प्रतियोगी आधार पर निधियां जुटाने की क्षमता में वृद्धि की है और अलग-अलग संस्थाओं, निगमों तथा समूह आदि के लिए ऋण की संभावना में वृद्धि की है। यह वर्गीकरण आपकी कंपनी को भारत के विद्युत क्षेत्र में उपलब्ध वित्तपोषण के अवसरों को प्रभावशाली ढंग से बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

3. खतरे, जोखिम और चिंताएं

नए कारोबारियों और बैंकों (अधिकांशतः संघों के रूप में) के प्रवेश के साथ विद्युत क्षेत्र वित्तपोषण उद्योग निरंतर प्रतियोगी और व्यापक आधार वाला हो गया है और ये बातें हमारी कंपनी को कड़ी चुनौती दे रही हैं।

विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण में जोखिम काफी अधिक है। देश भर में कुछ को छोड़कर, राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। हमारी कंपनी का इन संस्थाओं पर बड़ी मात्रा में ऋण बकाया है, हमारी कंपनी में जोखिम की संभावना अधिक है। संस्थाओं की ऋण संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने में विफलता हमारी कंपनी की निम्न लागत पर निधियां जुटाने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं।

हमारी कंपनी प्रचलित प्रकटन मापदंडों, कर बचाने वाले बांडों से धन एकत्र करने की सीमा संबंधी बाधा, राज्य वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति, नए कारोबारियों के प्रवेश तथा बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से प्रतिस्पर्धा, अस्थायी व्यावसायिक पर्यावरण, बढ़ती हुई ब्याज दर के परिदृश्य, ₹ की कीमत में उतार-चढ़ाव तथा डांवाडोल बाजार दशाओं/निधियों की बढ़ी मांग के कारण लागत में संभावित वृद्धि से चिंतित है।

लंबी बिजली उत्पादन अवधियों के कारण भारी मात्रा में पूंजीगत व्यय, ब्याज दरों, सांविधिक विनियमों और नीतियों जैसे विभिन्न कारकों में बदलाव, कच्चे माल की लागत और उपलब्धता, अन्य प्रमुख निवेश और सामान्य आर्थिक दशाएं, कार्यान्वयन तथा प्रचालनात्मक चरणों में परियोजनाओं की व्यवहारिकता पर बुरा असर डाल सकते हैं, जिससे उधारकर्ताओं के ऋण चुकाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।,

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कम और किफायती लागत पर प्रभावशाली और नवाचारी ढंग से संसाधन जुटाना तथा इन निधियों को सर्वाधिक उत्पादक स्थान पर लगाना सुनिश्चित करना ही हमारी कंपनी की लाभप्रदता तथा वृद्धि का सतत निर्धारक होगा।

4. खंड-वार या उत्पादन-वार कार्य-निष्पादन

प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में आरईसी के मुख्य उत्पादों में विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सभी खंडों के लिए राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों, राज्य विद्युत विभागों और निजी क्षेत्र को ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। हमारी कंपनी का रिपोर्ट करने योग्य कोई अलग घटक नहीं है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान इस कंपनी ने ₹ 79470.49 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की थी। इसमें विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिए ₹ 26854.79 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹ 580.06 करोड़, पारेषण और वितरण क्षेत्र के लिए ₹ 47845.64 करोड़ और अल्पकालिक ऋण उत्पादों के अधीन ₹ 4190.00 करोड़ की ऋण की स्वीकृति भी शामिल है। आरजीजीवीवाई के अधीन विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) परियोजनाओं के लिए ₹ 7.58 करोड़ की कुल परियोजना लागत स्वीकृत की गई थी।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 40183.06 करोड़ के कुल संवितरण के लक्ष्य को प्राप्त किया गया था। इसमें विद्युत उत्पादन के अधीन ₹ 12496.87 करोड़, टी एंड डी योजनाओं के अधीन ₹ 22287.16 करोड़, अल्पकालिक ऋण के अधीन ₹ 4419.00 करोड़ और आरजीजीवीवाई के अधीन ₹ 980.03 करोड़ (जिसमें आरजीजीवीवाई के अधीन ₹ 903.41 करोड़ की सब्सिडी और डीडीजी के अधीन ₹ 4.48 करोड़ की सब्सिडी शामिल है) शामिल है।

5. दृष्टिकोण

देश में विद्युत उत्पादन की निरंतर कमी पर विचार करते हुए वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में निम्न स्तरों तथा दीर्घकालिक अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण विकास अनुमानों से यह महसूस किया गया है कि विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधा का क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रूप से लाभ में रहेगा। ₹ 34 लाख करोड़ से अधिक के

अनुमानित निवेशों के साथ 12वीं और 13वीं योजना (वित्त वर्ष 2013 से 2022) के दौरान 180 जीडब्ल्यू की प्राक्कलित समग्र क्षमता वृद्धि देश में विद्युत क्षेत्र की संभावना का संचालन करेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन पर बल देने से अन्य बातों के साथ-साथ देश में बिजली की पहुंच बढ़ेगी जिससे मांग भी बढ़ेगी। विद्युत उद्योग पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुद्दों का समाधान करते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए हस्तक्षेपों के साथ वित्तीय उत्पादों के लिए उपलब्ध पर्याप्त बाजार अवसरों से इस क्षेत्र का भविष्य पूरी तरह आशान्वित करने वाला है।

विश्व के औसत की तुलना में भारत में बिजली की निम्न प्रति व्यक्ति खपत भारत में बिजली की मांग में काफी संवृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण संभावनाएं प्रस्तुत करती है। भारत में कुल ऊर्जा खपत में तेजी से वृद्धि होने के अनुमान से भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए भारी संभावनाएं पैदा करने का अनुमान है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी ने उपर्युक्त मॉनीटरिंग क्रियाकलापों सहित आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली को बनाए रखा है, जो विभिन्न संव्यवहारों की परिशुद्ध और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालनों की कुशलता तथा सांविधिक नियमों, विनियमों एवं कंपनियों की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। एकरूप अनुपालन के लिए शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है और लेखांकन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नियंत्रण और संतुलनकारी व्यवस्थाएं सही हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां सुव्यवस्थित हैं, कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों की नियमित और व्यापक रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है तथा कुछ चयनित परियोजना कार्यालयों की सनदी लेखाकारों की अनुभवी फर्मों द्वारा नियमित रूप से लेखापरीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा में वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिनिर्धारित गंभीर/जोखिम के क्षेत्रों सहित प्रचालन के सभी प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। लेखापरीक्षा समिति, कंपनी अधिनियम और सूचीकरण करार में निर्धारित विभिन्न लेखापरीक्षाओं के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

7. वित्तीय एवं प्रचालन निष्पादन

वित वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 79470.49 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया था, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 51296.77 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया था (इसमें आरजीजीवीवाई के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी शामिल नहीं है)। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान संवितरण की रकम भी बढ़कर ₹ 40183.06 करोड़ हो गई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान यह ₹ 30593.30 करोड़ थी (इसमें आरजीजीवीवाई और डीडीजी के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल है)।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान वसूल की जाने वाली रकम ₹ 26881.04 करोड़ थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान यह ₹ 18528.61 करोड़ थी। चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय रकम दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार ₹ 435.83 करोड़ थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 26728.86 करोड़ की कुल रकम वसूल की थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 18440.09 करोड़ की रकम वसूल की गई थी।

इस वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रचालनात्मक आय में ₹ 3095.11 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है, जो 2012-13 में बढ़कर ₹ 13518.86 करोड़ हो गई है जबकि वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान यह ₹ 10423.75 करोड़ थी। वर्ष 2012-13 में कर-पूर्व लाभ ₹ 5163.95 करोड़ था, जबकि वर्ष 2011-12 में यह ₹ 3792.86 करोड़ था। वर्ष 2012-13 में कंपनी का निवल लाभ ₹ 3817.62 करोड़ है जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1000.59 करोड़ अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य ₹ 17454.38 करोड़ है।

8. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

आरईसी के कार्यपालकों की व्यावसायिकता बढ़ाने के लिए और उनमें युवा कार्यपालकों को शामिल करने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान खुले विज्ञापन के माध्यम से 10 कार्यपालकों और इस प्रयोजन के लिए मुख्य सूचीबद्ध संस्थानों में कैम्पस भर्ती द्वारा दो कार्यपालकों को नियुक्त किया गया।

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल जनशक्ति 648 थी, जिनमें 430 कार्यपालक और 218 गैर-कार्यपालक शामिल हैं।

निर्धारित आवश्यकताओं के आधार पर और उन्हें पूरा करने के लिए कंपनी ने 134 कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में देश के अंदर और विदेश में प्रायोजित किया था। इसके अलावा, आंतरिक रूप से 29 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 518 कर्मचारियों ने भाग लिया था। कुल मिलाकर, इन पहलों से कंपनी 2236 प्रशिक्षण श्रम दिवस का लक्ष्य प्राप्त कर सकी है और इस मापदंड के आधार पर समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के संबंध में इसने उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। कार्मिकों का वैश्विक प्रकटन विकसित करने के लिए कई अधिकारियों को यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि जैसे देशों में विभिन्न कार्यक्रमों में विदेशों में भेजा गया था।

9. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों के संबंध में सक्रिय कार्रवाई की गई थी। तदनुसार, कर-पश्चात लाभ के 0.5% की दर से वित्त वर्ष 2012-13 के लिए सीएसआर बजट आबंटित किया गया था, जिसकी रकम ₹ 14.09 करोड़ थी। स्थायी कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाएं अभिनिर्धारित की गई थीं और इस संबंध में कुल ₹ 18.87 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 14.19 करोड़ की रकम के संवितरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, जबकि समझौता ज्ञापन में यह लक्ष्य ₹ 14.09 करोड़ का था। इस प्रकार कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों के लिए 'उत्कृष्ट' श्रेणी के अधीन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

सचेतक टिप्पणी

"प्रबंधन परिचर्या और विश्लेषण" खंड में कतिपय कथन भविष्यलक्षी दृष्टिकोण से हो सकते हैं और लागू कानूनों तथा विनियमों की अपेक्षा के अनुसार कहे गए हैं। कई कारणों से वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी कार्य-निष्पादन तथा दृष्टिकोण के संबंध में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।

अनुबंध-II

निगमित सुशासन की रिपोर्ट

एक सूचीबद्ध कंपनी और एक अच्छी निगमित संस्था होने के नाते यह कंपनी विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और उत्तरदायित्व पर आधारित अच्छी निगमित परिपाटियों के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि निरंतर दीर्घकालिक संवृद्धि और लाभकारिता प्राप्त करने के लिए उसके सभी हितधारकों में विश्वास पैदा करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

सूचीकरण करार के उपबंधों का पालन करने के साथ-साथ, हम सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का भी अनुसरण कर रहे हैं। कारपोरेट सुशासन और कारपोरेट सुशासन की विभिन्न शर्तों के अनुपालन के बारे में लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र सहित एक रिपोर्ट नीचे दी गई हैः-

1. निगमित सुशासन संहिता पर कंपनी की विचारधारा

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसीएल) का निमगित सुशासन एक नीतिपरक और जिम्मेदार ढंग से व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है, जो लागू विनियामक संरचना के अंदर हितधारकों के लिए सतत मूल्य सृजन के लिए प्रयासरत है। कंपनी उन सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों को अपनाने में विश्वास रखती है जिन्हें दुनियाभर में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनाया जाता है। कंपनी में अच्छी, पारदर्शी और नीतिपरक सरकारी परिपाटियों को अपनाने की मजबूत परंपरा है। आरईसी त्वरित वृद्धि तथा ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुसाध्य बनाने तथा देश में विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण तथा विद्युत वितरण तंत्र के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं उन्नयन हेतु प्रतिस्पर्धा, ग्राहक-अनुकूल तथा विकास आधारित संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आरईसी के निगमित सुशासन ढांचे का आधार वाक्य निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है

- कानून, नियमों और विनियमों का सही अर्थों में अक्षरशः पालन करना;
- अपने समस्त हितधारकों के हितों की रक्षा, संवर्धन और सुरक्षा के लिए समुचित पारदर्शी तंत्र प्रणाली और प्रक्रिया विधियां अपनाना; तथा
- समस्त महत्त्वपूर्ण सूचना को पारदर्शी ढंग से और समय पर प्रकट करके विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाना।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल नेतृत्व और कार्यनीति संबंधी मार्गदर्शन, उद्देश्यात्मक निर्णय देता है और उसके साथ ही कंपनी के कार्यनीति संबंधी दिशानिर्देशों को मॉनीटर करता है। कंपनी का प्रमुख एक कार्यपालक अध्यक्ष होता है। कोई भी अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक कंपनी में निदेशक के पद पर 9 वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्य नहीं कर रहा है और सभी अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पास समुचित योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव है, जिससे वे कंपनी के प्रबंधन में प्रभावी योगदान देने में सक्षम हैं।

(क) निदेशक मंडल का गठन

हमारी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कंपनी है, क्योंकि कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 66.80% हिस्सा भारत के राष्ट्रपति के नाम है। संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने का प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा, कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और 15 से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में 7 (सात) सदस्य हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 3 (तीन) कार्यकारी निदेशक हैं, 1 (एक) सरकारी नामिती निदेशक है और 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशक हैं।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार हैः-

क्रम सं.	नाम	पदनाम
पूर्णकालिक निदेशक (प्रकार्यात्मक निदेशक)		
1	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)
सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक)		
4	श्री बद्री नारायण शर्मा	निदेशक (सरकारी नामिती)
स्वतंत्र निदेशक (गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक)		
5	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक
6	श्री वेंकटरमण सुब्रामणियन	स्वतंत्र निदेशक
7	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक

04 फरवरी, 2013 तक कंपनी का निदेशक मंडल सूचीकरण करार के खंड 49 की अपेक्षाओं के अनुरूप और केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप था। इसके पश्चात डॉ. एम. गोविंदराव, स्वतंत्र निदेशक की चौदहवें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति होने के परिणामतः उनके त्यागपत्र के कारण स्वतंत्र निदेशकों की संख्या एक कम हो गई थी। कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, जो नियुक्ति प्राधिकारी है, से पहले ही अनुरोध किया है कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करे और यह कार्य किया जा रहा है। एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के बाद यह कंपनी सूचीकरण करार के उपबंधों और केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित दिशानिर्देशों का निदेशक मंडल के गठन के बारे में अनुपालन करेगी।

(ख) **निदेशक मंडल और इसकी समितियों के बारे में अन्य प्रावधान**

(I) **वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का ब्योरा**

कंपनी, निदेशक मंडल और इसकी समितियों द्वारा निर्णय लेने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है। बैठक की तारीखें आमतौर पर सभी निदेशकों के साथ परामर्श करके तय की जाती हैं, ताकि इन बैठकों में पूरे निदेशक मंडल की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। निदेशक मंडल की अगली बैठक की कार्यसूची और उसके संबंध में स्पष्टीकरण टिप्पणियां निदेशक मंडल की बैठक की तारीख से पर्याप्त समय पहले परिचालित कर दी जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैठकें अल्प समय की सूचना पर भी बुलाई जाती हैं, परंतु सूचना की न्यूनतम अवधि का पालन करने का हरसंभव प्रयास किया जाता है। कुछ मामलों में संकल्पों को परिचालित करके भी पारित कराया जाता है। ऐसे संकल्पों को निदेशक मंडल की अगली बैठक में नोट किया जाता है। निदेशक मंडल की बैठक में चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी मामले को शामिल करने के बारे में निर्णय कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लेते हैं। निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में चर्चा किए जा रहे मामलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रभागाध्यक्षों/वरिष्ठ प्रबंधकों के स्तर के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। यदि अपेक्षित होता है तो कार्यसूची की कुछ मदों पर निदेशक मंडल को भी विस्तृत प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) उपलब्ध कराई जाती है। निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान आयोजित की जाती हैं।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 9 (नौ) बैठकें आयोजित की गई थीं। ये बैठकें (i) 23 मई, 2012; (ii) 02 जुलाई, 2012; (iii) 27 जुलाई, 2012; (iv) 09 अगस्त, 2012; (v) 17 सितंबर, 2012; (vi) 02 नवंबर, 2012; (vii) 21 दिसंबर, 2012; (viii) 04 फरवरी, 2013; और (ix) 18 मार्च, 2013 को आयोजित की गई थीं।

निदेशक मंडल की किन्हीं दो बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 13 (तेरह) दिन और 49 (उनचास) दिन था। प्रबंधन द्वारा निदेशक मंडल को दी जाने वाली सूचना की मात्रा और गुणवत्ता सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा से काफी अधिक है।

(II) **निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत सूचना**

निदेशक मंडल की कंपनी में उपलब्ध सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच है। निदेशक मंडल को नियमित रूप से जो सूचना दी जाती है, उसमें निम्नलिखित शामिल है-

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य अद्यतन सूचना।
2. पूंजीगत बजट और कोई अन्य अद्यतन सूचना।
3. कंपनी के तिमाही परिणाम और इसके प्रचालन प्रभागों या कारोबार के क्षेत्र संबंधी सूचना।
4. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों के कार्यवृत्त।
5. निदेशक मंडल से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक संबंधी सूचना जिनमें मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या उसे हटाए जाने संबंधी सूचना भी शामिल होती है।
6. ऐसे कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस, जो काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं।
7. घातक या गंभीर दुर्घटना, खतरों का घटित होना या कोई अन्य महत्त्वपूर्ण निस्सारण या प्रदूषण समस्या।
8. कंपनी के प्रति या कंपनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्त्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के संबंध में बड़ी गैर-अदायगी।
9. कोई ऐसा मुद्दा, जिसमें स्थायी प्रकृति का लोक या उत्पाद दायित्व शामिल हो जिसमें कोई न्याय निर्णय या आदेश भी शामिल है, जो कंपनी के आचरण के खिलाफ पारित किया गया हो या किसी ऐसे अन्य उद्यम के बारे में लिया गया प्रतिकूल दृष्टिकोण जिससे इस कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
10. किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी करार का विवरण।
11. ऐसा लेन-देन जिसमें गुडविल, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के रूप में बड़ी अदायगी शामिल हो।
12. महत्त्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनका प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में कोई महत्त्वपूर्ण घटना जैसे मजदूरी करार पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आदि लागू करना।
13. निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की महत्त्वपूर्ण सामग्री की बिक्री, जो सामान्य कारोबार के अंतर्गत नहीं आता हो।
14. विदेशी मुद्रा प्रकटन के तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर घटना, यदि महत्त्वपूर्ण हो, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई।
15. किसी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना जैसे लाभांश की अदायगी न करना, शेयर अंतरण में विलंब करना आदि।
16. बड़े निवेश, सहायक कंपनियों का गठन और संयुक्त उद्यम, कार्यनीति संबंधी संधियां आदि।
17. निधियों के निवेश संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
18. विभिन्न कानूनों के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
19. सभी लंबित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।
20. कोई अन्य सूचना, जो सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जानी हो।

(III) वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्याओं का विवरण, जिनमें निदेशकों ने भाग लिया, पिछली वार्षिक आम बैठक की उपस्थिति, अन्य निदेशकों की संख्या (सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में), समितियों की सदस्यता (अर्थात लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति) (आरईसी से भिन्न) का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया जा रहा है :-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकें			वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (20 सितंबर, 2012 को आयोजित)	दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार		
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	प्रतिशतता		अन्य संस्थाओं की संख्या, जिनमें वह निदेशक है	अन्य समितियों की सदस्यता$ की संख्या	
							अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री राजीव शर्मा	9	9	100	उपस्थित	2	शून्य	शून्य
2.	श्री हरि दास खुंटेटा*	3	3	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	श्री प्रकाश ठक्कर	9	9	100	उपस्थित	2	शून्य	शून्य
4.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	6	6	100	उपस्थित	2	शून्य	1
5.	श्री देवेंद्र सिंह*	4	4	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	श्री बद्री नारायण शर्मा	5	4	80	उपस्थित	1	शून्य	शून्य
7.	डॉ. देवी सिंह	9	9	100	उपस्थित	4	1	शून्य
8.	डॉ. गोविंद मारापल्ली राव*	8	8	100	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	श्री वेंकटरमण सुब्रामणियन	9	9	100	उपस्थित	5	1	3
10.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	9	7	77.77	उपस्थित	1	शून्य	1

टिप्पणियां:

(क) अधिवर्षिता की आयु (अर्थात 60 वर्ष) प्राप्त करने पर श्री हरि दास खुंटेटा, निदेशक (वित्त) का कार्यकाल 31 जुलाई, 2012 को समाप्त हो गया।

(ख) श्री अजीत कुमार अग्रवाल की कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति उनके द्वारा इस पद का कार्यभार संभालने या 01 अगस्त, 2012 के बाद की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगला आदेश जारी होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी। उनकी यह नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 46/9/2011-आरई दिनांक 17 मई, 2012 के अनुसरण में की गई है। उन्होंने 01 अगस्त, 2012 से कंपनी के निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाल लिया है।

(ग) श्री बद्री नारायण शर्मा, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को 23 अगस्त, 2012 से कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 46/04/2007-आरई दिनांक 23 अगस्त, 2012 के अनुसरण में की गई है। उनकी नियुक्ति श्री देवेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव के स्थान पर की गई है, जो 30 अगस्त, 2007 से 22 अगस्त, 2012 तक इस कंपनी के निदेशक मंडल में थे।

(घ) डॉ. एम. गोविंद राव, स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया है और वे 05 फरवरी, 2013 से इस कंपनी के निदेशक नहीं हैं। उन्होंने यह त्यागपत्र राष्ट्रपति की अधिसूचना सं.10(2)-बी(एस)/2012 के जरिए उन्हें 14वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप दिया है।

(ड.) कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 82(4) के उपबंधों के अनुसार श्री वेंकटरमण सुब्रामणियन और डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण वे पुनर्नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव देंगे।

*लागू नहीं: विशेष टिप्पणी इस बात का संकेत है कि संबंधित व्यक्ति संगत तारीख को आरईसी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं थे।

$ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुरूप केवल लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति के निदेशकों की समिति की सदस्यता को इसके अध्यक्ष या सदस्य के रूप में गिनती करने के लिए ध्यान में रखा गया है तथा निदेशक/समिति की सदस्यता संबंधित निदेशक से प्राप्त अद्यतन प्रकटन पर आधारित है। इसमें कंपनियों और विदेशी कंपनियों की धारा 25 के अनुसार प्राइवेट कंपनियों में निदेशक का पद शामिल नहीं है।

निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के निदेशक मंडल स्तर की 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है तथा वे ऐसी कंपनियों की 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं, जिनमें वे सदस्य हैं।

कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार से एक-दूसरे का रिश्तेदार नहीं है।

(IV) स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और दायित्व

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने ''केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के निदेशक मंडल के गैर-सरकारी निदेशकों की भूमिका और दायित्व'' जारी किए हैं, जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की विभिन्न भूमिकाओं, कार्यों और कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिससे निर्णय लेने का पारदर्शी वातावरण बनाया जा सके और वे उन्हें सौंपे गए दायित्वों का कुशल और प्रभावी तरीके से निर्वहन कर सकें। ये दिशानिर्देश और दायित्व निदेशक मंडल की 28 मई, 2013 को आयोजित 395वीं बैठक में सूचना और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा आवश्यक अनुपालन के लिए प्रस्तुत किए गए थे।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल या तो पूर्ण निदेशक मंडल के रूप में कार्य करता है या गठित की गई विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है, ताकि वह विशिष्ट प्रचालनात्मक क्षेत्रों का पर्यवेक्षण कर सके। निदेशक मंडल की प्रत्येक समिति का मार्गदर्शन विचारार्थ विषयों द्वारा किया जाता है जिनमें समिति का गठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित किया जाता है। इन समितियों की बैठक नियमित अंतराल में आयोजित की जाती हैं और इनका ध्यान विशिष्ट क्षेत्र पर होता है और वे उन्हें प्रत्यायोजित प्राधिकारी के अंतर्गत अपने निर्णयों की सूचना देते हैं।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल की निम्नलिखित समितियां हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. पारिश्रमिक समिति
3. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. ऋण समिति
6. बोर्ड की कार्यकारी समिति
7. बांड समिति
8. अल्पकालिक/आवधिक ऋणों को उधार देने के लिए दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति
9. मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करने संबंधी उप-समिति।
10. डिबेंचर को छोड़कर, उधार लेने संबंधी उप-समिति।
11. कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों/परियोजनाओं की समीक्षा समिति (28 मई, 2013 को भंग कर दी गई है)।
12. सतत विकास पर निदेशकों की नामित समिति (28 मई, 2013 को भंग कर दी गई है)।
13. कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व समिति (28 मई, 2013 को गठित की गई है)।
14. अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी समिति।

कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 93 के अनुसार, इन समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

(i) 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह*	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री वेंकटरमण सुब्रामणियन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री प्रकाश ठक्कर*	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

* 05 फरवरी, 2013 से डॉ. एम. गोविंद राव के त्यागपत्र के कारण डॉ. देवी सिंह को अध्यक्ष और श्री प्रकाश ठक्कर को सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए 08 मार्च, 2013 को इस समिति का गठन किया गया था।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम, अध्यक्ष सहित दो सदस्यों का है। निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख और संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के आमंत्रिती हैं। जब कभी समिति को आवश्यकता होती है, उसे सूचना प्रदान करने के लिए वरिष्ठ प्रकार्यात्मक कार्यपालकों को भी आमंत्रित किया जाता है। कंपनी के कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

(ii) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ख) सूचीकरण करार के खंड 49 में यथा परिकल्पित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ग) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश-2010 का अनुपालन करना; और

(ड.) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित लागू किसी अन्य प्रावधान का अनुपालन करना।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें (i) 23 मई, 2012; (ii) 09 जून, 2012; (iii) 02 जुलाई, 2012; (iv) 27 जुलाई, 2012; (v) 02 नवंबर, 2012; (vi) 04 फरवरी, 2013; और (vii) 18 मार्च, 2013 को आयोजित की गई थीं। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार चार माह से अधिक का नहीं होना चाहिए।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्येक सदस्य की बैठक में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :-

समिति के सदस्यों/प्रतिभागियों का नाम	समिति में पद	बैठकें			पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
		निदेशक/आमंत्रित अधिकारी के कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित हुए	उपस्थिति की प्रतिशतता	
डॉ. देवी सिंह	अध्यक्ष*/सदस्य	7	7	100	हां
श्री वेंकटरमण सुब्रामणियन	सदस्य	7	7	100	हां
श्री प्रकश ठक्कर	सदस्य*	1	1	100	हां
डॉ. गोविंद मारापल्ली राव (04 फरवरी, 2013 तक)	अध्यक्ष	6	6	100	हां

* 08 मार्च, 2013 से समिति के क्रमशः अध्यक्ष/सदस्य

लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 20 सितंबर, 2012 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित था।

लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के पास लेखाकरण और वित्तीय प्रबंधन की विशेषज्ञता है और समिति के सभी अन्य सदस्य वित्तीय मामलों के ज्ञाता हैं।

3.2 पारिश्रमिक समिति

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं। लेकिन, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार कंपनी ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है, जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों में वार्षिक बोनस की मात्रा, परिवर्तनशील वेतन और ईएसओपी योजना संबंधी नीति, पेंशन योजना आदि के संबंध में निर्णय लेना शामिल हैं। यह निर्णय पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर-एकीकृत पर्यवेक्षकों के संबंध में लिया जा सकता हैं।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री वेंकटरमण सुब्रामणियन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री सुनील कुमार गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

05 फरवरी, 2013 से डॉ. एम. गोविंद राव के त्यागपत्र के परिणामतः डॉ. सुनील कुमार गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए 08 मार्च, 2013 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया था।

पारिश्रमिक समिति का कोरम 2 सदस्यों का हैं, जिनमें अध्यक्ष भी शामिल है। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)/महाप्रबंधक (मानव संसाधन) पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रिती हैं। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान पारिश्रमिक समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई थीं। ये बैठकें (i) 23 मई, 2012; (ii) 27 जुलाई, 2012 और (iii) 21 दिसंबर, 2012 को आयोजित की गई थीं।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किए जाने वाला पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार था। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है :-

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	नाम	वेतन और भत्ते	अन्य लाभ$	प्रोत्साहन	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	पेंशन निधि में अंशदान	सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ	जोड़
1.	श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2199837	259860	879322	196360	147269	0	3682648
2.	श्री हरि दास खुंटेटा, निदेशक(वित्त) दिनांक 31.07.2012 तक	848525	54291	2254738	67584	50688	2772859*	6048685
3.	श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी)	2299914	175893	2032791	191821	143866	0	4844285
4.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक(वित्त), दिनांक 01.08.2012 से	1484550	162153	718235	120546	90410	0	2575894

*इसमें ₹ 21,03,356 की रकम का छुट्टी नकदीकरण और ₹ 6,69,503 की रकम का उपदान शामिल है।

$ इसमें चिकित्सा व्यय, अतिथि सत्कार, विद्युत और जल प्रभारों की प्रतिपूर्ति तथा सरकारी निवास स्थान पर दिहाड़ी मजदूर की प्रतिपूर्ति शामिल है।

स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और समिति की प्रत्येक बैठक के लिए केवल ₹ 15,000 की दर से बैठक शुल्क अदा किया किया जाता है। यह रकम 29 मार्च, 2009 को आयोजित निदेशक मंडल की 347वीं बैठक द्वारा निर्धारित की गई है और यह निदेशक मंडल की बैठकों और समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में की गई अदायगी का विवरण इस प्रकार है :-

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क*		जोड़
		निदेशक मंडल की बैठक	समिति की बैठक	
1.	डॉ. देवी सिंह	1,35,000	2,40,000	**3,75,000**
2.	श्री वेंकटरमण सुब्रामणियन	1,35,000	1,50,000	**2,85,000**
3.	श्री सुनील कुमार गुप्ता	1,05,000	30,000	**1,35,000**
4.	डॉ. गोविंद मारापल्ली राव	1,20,000	1,35,000	**2,55,000**
				10,50,000

*निदेशक मंडल ने 28 मई, 2013 से निदेशक मंडल/समिति की बैठकों के लिए बैठक शुल्क ₹ 15,000 प्रति बैठक से ₹ 20,000 प्रति बैठक संशोधित कर दिया है।

सरकारी नामिती निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क लेने के हकदार नहीं हैं।

3.3 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

(i) शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों समिति का गठन

कंपनी ने शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति का गठन किया है। यह समिति शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों जैसे शेयरों का अंतरण, तुलनपत्र का न मिलना और घोषित लाभांश आदि जैसी शिकायतों का निवारण करने का कार्य विशेष रूप से देखती है।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री वेंकटरमण सुब्रामणियन	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

श्री देवेंद्र सिंह सरकारी नामिती निदेशक, 23 अगस्त, 2012 तक शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के अध्यक्ष थे। उनके त्यागपत्र के परिणामस्वरूप श्री बद्री नारायण शर्मा, सरकारी नामिती निदेशक को 07 मार्च, 2013 तक इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। एक स्वतंत्र निदेशक को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए 08 मार्च, 2013 से इस समिति का पुनगर्ठन किया गया है।

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की बैठक का कोरम समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्यों का है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टी ए) के प्रतिनिधियों को शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रिती के रूप में कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गई थीं। ये बैठकें (i) 23 मई, 2012; (ii) 27 जुलाई, 2012; (iii) 02 नवंबर, 2012 और (iv) 04 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई थीं। ये बैठकें शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत प्रक्रिया और लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थीं।

कंपनी सचिव शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की बैठक के संयोजक हैं और सूचीकरण करार के खंड 47(क) के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

(ii) शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

यह कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों पर तत्परता से और तुरंत ध्यान देती है। सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में इक्विटी शेयरों/सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है :-

वित्त वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायत	1
वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	2181
वित्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2180
31 मार्च, 2013 के अनुसार लंबित शिकायतें*	2

* 31 मार्च, 2013 को लंबित शिकायतें इक्विटी शेयर से संबंधित थीं और वे 10 अप्रैल, 2013 तक प्राप्त हुई थीं।

कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए तीन चरण स्थापित किए हैं, जिनमें संबंधित रजिस्ट्रारों से सहायक सेवा, आंतरिक निवेशक प्रकोष्ठ और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण शामिल है, जिनके परिणामतः सभी शिकायतों का समय पर समाधान हो जाता है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

एकीकृत जोखिमों के प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य पैदा होने वाले संभावित विभिन्न जोखिमों की मॉनीटरिंग करना और विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों की जांच करना और कंपनी द्वारा अपनाई गई परिपाटियों की जांच करना तथा कंपनी के प्रचालन तथा अन्य संबंधित मामलों में पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थेः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

वित्त प्रभाग (संसाधन जुटाना) और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रभाग के प्रचालनात्मक प्रमुख जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित अधिकारी होते हैं। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें, 02 जुलाई, 2012 और 26 नवंबर, 2012 को आयोजित की गई थीं।

3.5 ऋण समिति

निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंतर्गत रुपए में आवधिक ऋण में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए निदेशकों की ऋण समिति का गठन किया गया है।

प्रतिष्ठान का प्रकार	प्रति मामला अधिकतम सीमा	वार्षिक अधिकतम सीमा (₹ करोड़ में)
केंद्रीय/राज्य सरकारी विद्युत यूटिलिटियों या केंद्रीय/राज्य सरकारी क्षेत्र के उद्यम	₹ 150 करोड़ से अधिक, लेकिन ₹ 500 करोड़ तक	25,000
प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों	₹ 100 करोड़ से अधिक, लेकिन ₹ 500 करोड़ तक	6,000

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य थेः-

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री बद्री नारायण शर्मा	सरकारी नामिति निदेशक	सदस्य

ऋण समिति की बैठक का कोरम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सरकारी नामिती निदेशक सहित तीन सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ऋण समिति की 6 (छह) बैठकें आयोजित की गई थीं। ये बैठकें (i) 21 मई, 2012; (ii) 26 जुलाई, 2012; (iii) 06 सितंबर 2012; (iv) 02 नवंबर 2012; (v) 11 जनवरी 2013 और (vi) 04 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई थीं।

3.6 कार्यकारी समिति

निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंतर्गत रुपए में आवधिक ऋण में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया गया है :-

प्रतिष्ठान का प्रकार	प्रति मामला अधिकतम सीमा	वार्षिक अधिकतम सीमा (₹ करोड़ में)
केंद्रीय/राज्य सरकारी विद्युत यूटिलिटियों या केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	₹ 150 करोड़ तक	20,000
प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियां	₹ 100 करोड़ तक	5,000

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य थेः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति का कोरम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कार्यकारी समिति की 17 (सत्रह) बैठकें आयोजित की गई थीं। ये बैठकें (i) 18 अप्रैल, 2012; (ii) 15 जून, 2012; (iii) 25 जून 2012; (iv) 25 जुलाई, 2012; (v) 14 अगस्त, 2012; (vi) 05 सितंबर, 2012; (vii) 14 सितंबर, 2012; (viii) 09 अक्तूबर, 2012; (ix) 15 नवंबर, 2012; (x) 28 दिसंबर, 2012; (xi) 04 जनवरी, 2013; (xii) 18 जनवरी, 2013; (xiii) 30 जनवरी, 2013; (xiv) 19 फरवरी, 2013; (xv) 01 मार्च, 2013; (xvi) 25 मार्च, 2013; और (xvii) 28 मार्च, 2013 को आयोजित की गई थीं।

3.7 बांड समिति

निदेशक मंडल की बांड समिति का गठन 23 मई, 2012 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की 386वीं बैठक में किया गया था। यह समिति विस्तृत शर्तों को अंतिम रूप देने और अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत है, जिसमें निर्गम के आकार, जारी किए जाने वाले बांडों की संख्या, प्रकृति, प्रकार, कीमत, समय, अवधि, कूपन रेट, निर्गम आदि के वार्षिक ब्याज की अदायगी की तारीख, जो बाजार की प्रचलित शर्तों द्वारा अपेक्षित हो, निर्गम के विपणन के लिए संघ सदस्यों और वित्त वर्ष 2012-13 में कंपनी के कर-मुक्त प्रतिभूत उन्मोचनीय अपरिवर्तनीय बांड के सार्वजनिक निर्गम के लिए अन्य शर्तें भी शामिल हैं।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बांड समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :-

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

निदेशक मंडल की बांड समिति का कोरम दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बांड समिति की 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गई थीं। ये बैठकें (i) 14 नवंबर, 2012; (ii) 26 नवंबर, 2012; (iii) 19 दिसंबर, 2012; (iv) 14 मार्च, 2013; और (v) 25 मार्च, 2013 को आयोजित की गई थीं।

3.8 अल्पकालिक/आवधिक ऋणों को उधार देने के लिए दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति

अल्पकालिक/आवधिक ऋणों के लिए उधार देने की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति का गठन अल्पकालिक ऋणों और आवधिक ऋणों के उधार देने की दर की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, अल्पकालिक/आवधिक ऋणों के लिए उधार देने की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :-

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

अल्पकालिक/आवधिक ऋणों के लिए उधार देने की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति की बैठक का कोरम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अल्पकालिक/आवधिक ऋणों के लिए उधार देने की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति की 13 (तेरह) बैठकें आयोजित की गई थीं। ये बैठकें (i) 09 मई, 2012; (ii) 20 जुलाई, 2012; (iii) 07 अगस्त 2012; (iv) 17 अगस्त, 2012; (v) 14 सितंबर, 2012; (vi) 11 अक्तूबर, 2012; (vii) 09 नवंबर, 2012; (viii) 18 दिसंबर, 2012; (ix) 18 जनवरी, 2013; (x) 30 जनवरी, 2013; (xi) 06 फरवरी, 2013; (xii) 14 फरवरी,, 2013; और (xiii) 26 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई थीं।

3.9 मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करने संबंधी उप-समिति

मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करने संबंधी उप-समिति का गठन मानव संसाधन संबंधी नीतियों के विकास, समीक्षा और संशोधन के लिए किया गया था। इसमें तुलनात्मक सरकारी क्षेत्र के उद्यम के अनुसार मोटे तौर पर कर्मचारियों के लाभ/सुविधाएं शामिल हैं और निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना भी शामिल हैं।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करने संबंधी उप-समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:-

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री वेंकटरमण सुब्रामणियन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

इस समिति का कोरम समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्यों का है और कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)/महाप्रबंधक (मानव संसाधन) मानव संसाधन संबंधी नीतियों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करने के लिए इस उप-समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रिती हैं। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान मानव संसाधन संबंधी नीतियों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करने के लिए निदेशक मंडल की इस उप-समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.10 डिबेंचर को छोड़कर उधार लेने संबंधी उप-समिति

डिबेंचर को छोड़कर उधार लेने संबंधी उप-समिति का गठन निदेशक मंडल द्वारा डिबेंचरों को छोड़कर अन्य उधारों के संबंध में कीमतों, समय, तरीके, उधार के स्रोत और विपणन का निर्णय लेने के लिए किया गया है। डिबेंचर से भिन्न उधार हैः जीवन बीमा निगम, वाणिज्यिक बैंकों आदि से आवधिक ऋण आदि जो बाजार उधार कार्यक्रम के समग्र आकार के अंतर्गत बाजार की विद्यमान शर्तों पर निर्भर करते है।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, डिबेंचरों को छोड़कर, उधार के लिए निदेशक मंडल की उप-समिति का संघटन इस प्रकार थाः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

डिबेंचर को छोड़कर उधार लेने संबंधी उप-समिति की बैठक का कोरम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान डिबेंचर को छोड़कर उधार लेने संबंधी उप-समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.11 कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों/परियोजनाओं की समीक्षा समिति

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों/परियोजनाओं की समीक्षा समिति का गठन निदेशक मंडल द्वारा आवधिक आधार पर कारपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित परियोजनाओं/की गई पहलों की समीक्षा के लिए किया गया था।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों/परियोजनाओं की समीक्षा समिति का गठन इस प्रकार हैः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों/परियोजनाओं की समीक्षा समिति की बैठकों का कोरम अध्यक्ष सहित दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों/परियोजनाओं की समीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें (i) 27 जुलाई, 2012; और (ii) 06 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई थीं। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के बाद यह समिति 28 मई, 2013 को निदेशक मंडल द्वारा भंग कर दी गई थी और ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व समिति'' नामक नई समिति का गठन किया गया है।

3.12 सतत् विकास संबंधी निदेशकों की समिति

सतत् विकास संबंधी निदेशकों की समिति का गठन सार्वजनिक उद्यम विभाग के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, सतत् विकास संबंधी निदेशकों की समिति का गठन इस प्रकार किया गया हैः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

इस समिति की बैठकों का कोरम अध्यक्ष सहित दो सदस्यों का है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सतत् विकास संबंधी निदेशकों की समिति की एक बैठक 17 सितंबर, 2012 को आयोजित की गई थी। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के बाद यह समिति 28 मई, 2013 को भंग कर दी गई और ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व समिति'' नामक नई समिति का गठन किया गया है।.

3.13 कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए सामाजिक दायित्व और सतत् विकास संबंधी संशोधित दिशानिदेशों के अनुसार और उन्हें 01 अप्रैल, 2013 से लागू किए जाने के बाद कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों/परियोजनाओं की समीक्षा संबंधी समिति और सतत् विकास संबंधी निदेशकों की समिति को 28 मई, 2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 395वीं बैठक में भंग कर दिया गया है और ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व समिति'' नामक नई समिति का गठन किया गया है।

आज की तारीख तक ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व समिति'' का गठन इस प्रकार किया गया हैः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व समिति की बैठकों का कोरम समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्यों का है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगेः-

1. आवधिक आधार पर कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास संबंधी परियोजनाओं और पहलों की समीक्षा और पर्यवेक्षण करना।
2. कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व नीति का कार्यान्वयन और मॉनीटर करना।
3. कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व संबंधी नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने में निदेशक मंडल को सहयोग देना।
4. निदेशक मंडल को उनकी सूचना, विचारार्थ और आवश्यक निदेशों के लिए आवधिक रुप से रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
5. कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व संबंधी समय-समय पर संशोधित सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

3.14 अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी समिति

कंपनी में अधिशेष निधियों के निवेश के प्रयोजन के लिए निदेशकों की एक निवेश समिति है। आज की तारीख तक ''निवेश समिति'' का गठन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

इस समिति की बैठकों का कोरम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्यों का है। यह समिति किसी भी समय अधिकतम बाकी सीमा के अंदर म्युचुअल फंड में ₹ 1000 करोड़ और सावधि जमा में ₹ 2000 करोड़ तक के निवेश का अनुमोदन देने के लिए सक्षम है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अधिशेष निधियों की निवेश संबंधी समिति की चार बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें (i) 12 अप्रैल, 2012; (ii) 04 जून, 2012; (iii) 19 जून, 2012; और (iv) 10 जुलाई, 2012 को आयोजित की गई थीं।

4. शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल की उपर्युक्त सं. 3.1 से 3.14 तक में उल्लिखित समितियों के अलावा एक शेयर अंतरण समिति भी है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस समिति का गठन शेयरधारकों से शेयरों को विभाजित करने/समेकित करने और प्रत्येक अलग-अलग मामले के अनुसार 500 इक्विटी शेयरों से अधिक वास्तविक शेयरों के अंतरण के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, शेयर अंतरण समिति का गठन इस प्रकार किया गया है:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री जे.एस. अमिताभ	कंपनी सचिव
2.	श्री राकेश कुमार अरोड़ा	महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) - संसाधन

रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटी) को शेयरधारकों से शेयरों को विभाजित /समेकित करने और प्रत्येक अलग अलग मामले के अनुसार 500 इक्विटी शेयरों तक फिजिकल शेयर के अंतरण हेतु प्राप्त अनुरोधों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. सहायक कंपनियां

सूचीकरण करार के खंड 49 में दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी की कोई 'महत्त्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध' भारतीय सहायक कंपनी नहीं है। गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त आरईसी के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए थे। सहायक कंपनियों के वित्तीय परिणामों की आरईसी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्त्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाएं कंपनी के निदेशक मंडल के ध्यान में लाए गए थे। दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निम्नलिखित गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियां हैं:

(i) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल);

(ii) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल,

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार आरईसीटीपीसीएल की पांच सहायक कंपनियां हैं, जिन्हें आरईसीटीपीसीएल को विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित पारेषण परियोजनाओं के लिए परियोजना स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया है, ताकि वे टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में बोलीदाता के चयन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य कर सकें। इन एसपीवी का नाम है (i) विज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (वीटीएल); (ii) कुडगी ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल); (iii) नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल); (iv) ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (यूटीएल); और (v) बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसएसटीएल)।

हमारी अन्य असूचीबद्ध सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित सूचना ''मुख्य वित्तीय बातें'' शीर्षक के अधीन कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।

6. आम सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें एयरफोर्स सभागार, सुब्रतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की गई थीं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

बैठक की क्रम संख्या	वित्त वर्ष	तारीख	समय	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
41वीं	2009-10	08 सितंबर, 2010	11.00 बजे पूर्वाह्न	हां
42वी	2010-11	17 सितंबर, 2011	11.00 बजे पूर्वाह्न	हां
43वीं	2011-12	20 सितंबर, 2012	11.00 बजे पूर्वाह्न	हां

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कोई संकल्प डाक मत पत्र के जरिए पारित नहीं किया गया। इसके अलावा, आगामी वार्षिक बैठक में किसी कार्य के लिए विशेष संकल्प की आवश्यकता नहीं है, जिसे डाक मत पत्र के जरिए पारित कराया जाना हो।

7. कारपोरेट सुशासन में पहल

(i) कारपोरेट सुशासन में हरित पहलें

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 21 अप्रैल, 2011 और 29 अप्रैल, 2011 को जारी किए गए " हरित पहल " संबंधी परिपत्रों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से सहयोग दिया है और 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्षों की वार्षिक आम बैठकों का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन शेयरधारकों को भेजी है, जिनके ई-मेल पते संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास पहले ही पंजीकृत

थे और जिन शेयरधारकों ने वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का विकल्प नहीं दिया था, उन्हें इसे डिपॉजिटरियों अर्थात एनएसडीएल/सीडीएसएल से पते डाउनलोड करके वास्तविक रूप से भेजा गया था। उपर्युक्त परिपत्रों के जारी होने के बाद अदा किए गए अंतिम/अंतरिम लाभांश की सूचना भी उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई थी, जिनके ई-मेल पते पंजीकृत थे।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्र प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करके कंपनी के 'थिक ग्रीन गो ग्रीन' कार्यक्रम में सहयोग दें।

(ii) सचिवालयी लेखापरीक्षा

वित्त वर्ष 2012-13 की सचिवालयी लेखापरीक्षा मैसर्स ग्रोवर आहूजा एंड एसोसिएट्स, व्यवसायी कंपनी सचिव, दिल्ली द्वारा की गई थी और उन्होंने दिनांक 21 मई, 2013 की अपनी सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी को प्रस्तुत कर दी है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शेयरधारकों की सूचना के लिए वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

8. प्रकटन

(i) कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधकों या उनके रिश्तेदारों के साथ या उन कंपनियों या फर्मों के साथ, जिनके वे प्रत्यक्ष रूप से या निदेशकों तथा/अथवा भागीदारों के रूप में अपने रिश्तेदारों के जरिए रुचि रखते हैं, कोई महत्त्वपूर्ण वित्तीय वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है।

(ii) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्त्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन के संबंध में निदेशक मंडल को सूचनाएं प्रस्तुत कर दी हैं, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो (उदाहरणार्थ-कंपनी शेयरों की खरीद-बिक्री करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार करना, जिनके प्रबंधन में उनकी या उनके रिश्तेदारों की शेयरधारिता हो)।

(iii) विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने वाले पूंजीगत बाजार से संबंधित कोई मामले नहीं थे। इस संबंध में सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कंपनी के विरूद्ध न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही कोई भर्त्सना की गई है। सभी विवरणियां/रिपोर्टें स्टॉक एक्सचेंजों/अन्य प्राधिकरणों के पास निर्धारित समय-सीमा के अंदर जमा कर दी गई थीं।

(iv) संबंधित पक्षकारों अर्थात प्रमोटरों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के साथ कोई ऐसा अति महत्त्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया गया है, जिसका कंपनी के हित के साथ, टकराव हो।

(v) कंपनी ने जोखिम निर्धारण करने और उसे कम करने के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि एकीकृत जोखिम का प्रबंधन समुचित रूप से निर्धारित तंत्र के माध्यम से किया जा रहा है।

(vi) वित्त वर्ष 2012-13 का तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(vii) कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए मना नहीं किया गया है।

(viii) कंपनी ने कारपोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सुझाई गई सभी मदों को अपनाया है।

(ix) वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस कंपनी को कोई राष्ट्रपति के निदेश जारी नहीं किए गए थे।

(x) कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया है जो कारोबार के प्रयोजन के लिए न हो।

(xi) कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया है जो निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन की व्यक्तिगत प्रकृति का हो।

(xii) वित्त वर्ष 2012-13 के कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय 0.77% है (जबकि पिछले वर्ष 0.87% था) और वित्त वर्ष 2012-13 के वित्तीय व्यय का प्रतिशत 0.81% है (जबकि पिछले वर्ष 0.91% था)। वित्त वर्ष 2012-13 का प्रशासनिक और कार्यालय व्यय बढ़कर ₹ 64.69 करोड़ हो गया है, जो पहले ₹ 58.35 करोड़ था। लेकिन प्रतिशतता के आधार पर वित्त वर्ष 2012-13 में कुल व्यय और वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय में वित्त वर्ष 2011-12 की तुलना में कमी आई है। चूंकि, प्रचालनों के उच्च स्तर के कारण वित्तीय लागत और कुल व्यय बढ़ गए हैं, जबकि प्रशासनिक और कार्यालय व्यय में केवल न्यूनतम वृद्धि हुई है।

(xiii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों, 2010 के अनुसरण में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 15 दिन के अंदर विद्युत मंत्रालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तिमाही	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
30 जून, 2012	06 जुलाई, 2012
30 सितंबर, 2012	09 अक्तूबर, 2012
31 दिसंबर, 2012	07 जनवरी, 2013
31 मार्च, 2013	03 अप्रैल, 2013

वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों के समेकित स्कोर) वाली रिपोर्ट भी 04 अप्रैल, 2013 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसकी नियत तारीख 31 मई, 2013 थी।

(xiv) **लेखापरीक्षा योग्यता:** वित्त वर्ष 2012-13 के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों और प्रबंधन द्वारा उनके उत्तर को निदेशकों की रिपोर्ट के पैरा 31.1 में दिया गया है। यह कंपनी सूचीकरण करार के खंड 31ए के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अपेक्षित फार्म में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(xv) **निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण:** निदेशक मंडल के सदस्यों ने अपनी आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कारपोरेट सुशासन संबंधी

दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए एक नीति तैयार की है।

9. लागू कानूनों का अनुपालन

कंपनी के पास विभिन्न सांविधिक और प्रक्रिया संबंधी अनुपालनों की मॉनीटरिंग करने के लिए एक सशक्त प्रणाली है। निदेशक मंडल सांविधिक, नीतिगत और प्रक्रियागत अनुपालनों की स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करता है, ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

10. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 जुलाई, 2007 को आयोजित अपनी 318वीं बैठक में निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता को अनुमोदित किया है। इसके बाद आरईसी के निदेशक मंडल ने 08 सितंबर, 2010 को आयोजित अपनी 367वीं बैठक में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार इस संहिता को संशोधित किया है और आचरण की विद्यमान संहिता के अधिक्रमण में 'निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता' को अंगीकृत किया है।

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता एक व्यापक संहिता है, जो कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू है। इसे कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य कंपनी के प्रबंधकीय कार्यों के प्रबंधन में नैतिकता और पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है। कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिकों से प्राप्त स्वीकारोक्ति के आधार पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से आचरण संहिता के अनुपालन के बारे में एक घोषणा इस प्रकार की गई है:-

सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन अपेक्षित घोषणा

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के संबंध में कंपनी के ''निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता'' के अनुपालन के संबंध में स्वीकारोक्ति दी है।

हस्ता/-
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

11. आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार निवारण संबंधी संहिता

भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 1992 के अनुसार कंपनी ने आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार के निवारण के लिए एक व्यापक संहिता तैयार की है, ताकि गोपनीयता बनाए रखी जा सके और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के दुरुपयोग को रोका जा सके। कंपनी का प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और नामित कर्मचारी का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी सभी सूचनाओं की गोपनीयता की सुरक्षा करे जो उसे कंपनी में अपने कार्यों के दौरान प्राप्त हुई हों और वह कंपनी के बारे में अपने पद या सूचना का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए या किसी अन्य पक्षकार को लाभ पहुंचाने के लिए न करे। इस संहिता में ऐसे दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं दी गई हैं, जिनका पालन किया जाएगा और कंपनी के शेयरों/प्रतिभूतियों का संव्यवहार करते समय जिनका प्रकटन किया जाएगा और इस संहिता का अनुपालन न करने पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह ''आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार के निवारण संबंधी संहिता'' का पालन करने के लिए जिम्मेदार है। इस संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार व्यापार पटल को समय-समय पर बंद कर दिया जाता है, जब कीमत संवेदी सूचना निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है। व्यापार पटल को बंद करने की सूचना सभी कर्मचारियों को काफी पहले दे दी जाती है और इसकी उचित घोषणा भी की जाती है, जिसमें कंपनी के पटल के बंद होने पर कंपनी के शेयरों के संबंध में कार्रवाई न करने की संविदा के अधीन नामित कर्मचारियों को पृथक रखा जाता है।

आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार का निवारण करने के लिए इस संहिता के अधीन 'नामित कर्मचारी' से तात्पर्य है:-

क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक और अंशकालिक निदेशक (सरकारी और गैर-सरकारी) तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी।

ख. कंपनी के सभी कार्यपालक और गैर-कार्यपालक।

ग. सहायक कंपनियों के निदेशक और कर्मचारी।

घ. सहायक कंपनियों सहित इस कंपनी के ऐसे अन्य कर्मचारी जो अस्थायी/तदर्थ कर्मचारी हों और जिन्हें समय-समय पर निदेशक द्वारा पदनामित किया जाता है और जिन पर व्यापार प्रतिबंध लागू होते हों।

यदि कोई पदनामित कर्मचारी कंपनी की सेवा छोड़ देता है तो उसे उसके द्वारा कंपनी की सेवा छोड़ देने की तारीख के बाद छह महीने की अगली अवधि तक के लिए पदनामित कर्मचारी समझा जाएगा, जिसकी कल्पना सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 1992 में की गई है।

12. कपट को रोकने की नीति

कपट का पता लगाने और उसे रोकने, किसी पता लगाए गए या संदिग्ध कपट की सूचना देने और कपट संबंधी मामलों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु आरईसी में कपट के रोकथाम की एक नीति तैयार की गई है। इस नीति में निम्नलिखित उपबंधो को शामिल किया गया है:-

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन कपट का पता लगाने और इसकी रोकथाम करने के लिए कार्यविधि सुनिश्चित करने तथा/अथवा

कपट हो जाने पर उसका पता लगाने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत है;

ii. कर्मचारियों और आरईसी के साथ कार्रवाई करने वाले अन्य लोगों को स्पष्ट निर्देश देना, जिनमें उन्हें किसी कपट में शामिल होने से वर्जित किया गया हो तथा जहां कपट की कार्रवाई का संदेह हो, वहां उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो;

iii. कपट के मामलों की छानबीन करना; और

iv. यह आश्वासन देना कि कपट के किसी या सभी संदिग्ध क्रियाकलाप की पूरी जांच की जाएगी।

13. व्हिसल ब्लोअर पालिसी

आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय आदेश सं.33/5/2004 दिनांक 17 मई, 2004 के जरिए जारी व्हिसल ब्लोअर पालिसी (पीआईडीपीआई संकल्प) को अपना लिया है और इस पालिसी को सतर्कता प्रभाग ने अक्तूबर, 2010 में जारी की गई 'सतर्कता पुस्तिका' में शामिल भी कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, सूचीकरण करार के खंड 49 और सीपीएसई के निगमित सुशासन के संबंध में डीपीई द्वारा जारी खंड 8 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 नवंबर, 2011 को आयोजित अपनी 380वीं बैठक में 'निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता' का समर्थन करने के लिए व्हिसल ब्लोअर पालिसी अनुमोदित की थी। यह नीति कर्मचारियों, निदेशकों, लेखापरीक्षकों, परामर्शदाताओं और ठेकेदारों (व्यक्तियों)को आंतरिक रूप से ऐसी सूचना के बारे में ''चिंता'' व्यक्त करने के बारे में सहायता करेगी, जिसे व्यक्ति कथित रूप से ऐसा अनाचार या गलत कार्य समझता है, जिससे कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ता हो।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की इस आशय की घोषणा कि उन्होंने किसी भी कार्मिक को सक्षम प्राधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया है तथा उन्होंने शिकायतकर्ता को प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है, नीचे दी गई है:-

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर पालिसी के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक स्वीकारोक्ति

इस वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया गया है तथा जहां अपेक्षित होता है, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है।

हस्ता/-
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

14. संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय शुल्क

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय शुल्क का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	ब्योरे	रकम (₹ करोड़ में)
1.	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क - वार्षिक	0.27
2.	कर लेखापीरक्षा शुल्क	0.05
3.	सीमित समीक्षा रिपोर्ट	0.06
4.	प्रमाणीकरण और किसी अन्य मामले के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों को की जाने वाली अदायगी	0.19
5.	अन्य	0.01
जोड़		**0.58**

15. संचार के साधन

i. कंपनी इस बात को स्वीकार करती है कि संचार संपूर्ण कारपोरेट सुशासन ढांचे का महत्त्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए वह शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के साथ कुशल और प्रासंगिक संचार पर बल देती है।

ii. कंपनी अपने शेयरधारकों को वेबसाइट के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, साधारण बैठकों और प्रकटनों की संसूचना देती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रत्येक वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल की जाती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित लेखे, (स्टैंडअलोन और समेकित), निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, और कारपोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट और गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल होती है, जिसे सदस्यों और उनके लिए अन्य हकदार व्यक्तियों को परिचालित किया जाता है।

iii. कंपनी के तिमाही/छमाही वार्षिक परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए जाते हैं और दॅ इकनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी और अंग्रेजी), मिंट, दॅ फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता (हिंदी) आदि में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

iv. कंपनी निदेशकों के सम्मेलन और आपसी बैठक के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ भी संपर्क करती है।

16. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार अपेक्षित श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिनांक 28 मई, 2013 को आयोजित 395वीं बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष तब प्रस्तुत किया गया था, जब 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के लेखापरीक्षित लेखों पर विचार किया जा रहा था।

17. सामान्य शेयरधारक सूचना

i. वित्त वर्ष 2012-13 की वार्षिक आम बैठक

तारीख	समय	स्थान
13 सितंबर, 2013	11.00 बजे पूर्वाह्न	मानेक्शा केंद्र, परेड रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली-110010

ii. वित्त वर्ष 2013-14 तथा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए वित्तीय कैलेंडर

ब्योरे	वित्त वर्ष 2012-13		वित्त वर्ष 2013-14	
लेखाकरण की अवधि	01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013		01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	27 जुलाई, 2012	पहली तीन तिमाहियां	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर घोषणा
	दूसरी तिमाही	02 नवंबर, 2012		
	तीसरी तिमाही	04 फरवरी, 2013		
	चौथी तिमाही	28 मई, 2013	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्त वर्ष की समाप्ति से 60 दिन के अंदर घोषणा
वार्षिक आम बैठक	13 सितंबर, 2013		सितंबर, 2014	

iii. लाभांश का भुगतान

(क) वित्त वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश

(1) अंतरिम लाभांश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 और कंपनी (आरक्षित को लाभ का अंतरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 104 के अनुसरण में कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 18 फरवरी, 2013 को ₹ 6.75 प्रति इक्विटी (₹ 10 के प्रत्येक अंकित मूल्य पर) अंतरिम लाभांश अदा किया है।

(2) अंतिम लाभांश का विवरण

निदेशक मंडल की 28 मई, 2013 को आयोजित 395वीं बैठक में निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 1.50 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 10 के अंकित मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जिसके संबंध में 13 सितंबर, 2013 को आयोजित की जाने वाली आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए कुल लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) प्रति इक्विटी शेयर (जो प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य पर) ₹ 8.25 होगा।

B. पांच वर्षों के लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ो में)

वित्त वर्ष	कुल प्रदत्त	प्रदत्त लाभांश की	लाभांश की दर	अदायगी की तारीख	
				अंतरिम	अंतिम
2007-08	858.66	257.60	30	लागू नहीं	01 अक्तूबर, 2008
2008-09	858.66	386.40	45	05 मार्च, 2009	25 सितंबर, 2009
2009-10	987.46	603.21	65	12 जनवरी, 2010	15 सितंबर, 2010
2010-11	987.46	740.59	75	24 फरवरी, 2011	28 सितंबर, 2011
2011-12	987.46	740.59	75	07 फरवरी, 2012	04 अक्तूबर, 2012

iv. खाताबंदी की तारीख

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां 30 अगस्त, 2013 से 13 सितंबर, 2013 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रखी जाएंगी।

v. अंतिम लाभांश की अदायगी की तारीख

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 206ए के उपबंधों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश किए गए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश 27 सितंबर, 2013 को या उनके द्वारा निर्देशित ऐसे व्यक्ति को वास्तविक शेयरों के संबंध में 13 सितंबर, 2013 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में जिनके नाम दर्ज हैं, को अदा किया जाएगा बशर्ते कि इसे आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाए। डिमैट किए गए शेयरों के संबंध में अंतिम लाभांश शेयरों के ऐसे 'लाभार्थी धारकों' को अदा किया जाएगा, जिनके नाम 29 अगस्त, 2013 को कारोबार समाप्त होने पर नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्त लाभार्थी स्वामित्व के विवरण में शामिल हों।

vi. इक्विटी शेयर संबंधी सूचीकरण

आरईसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैः

नाम और पता	टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल पता/ वेबसाइट	स्क्रिप्ट कोड-
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.(एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुंबई-400051	दूरभाष (022) 26598100-8114 फैक्सः (022) 26598120 ई-मेल पताः cc_nse@nse.co.in व्वेबसाइटः www.nseindia.com	आरईसी लिमिटेड
बंबई एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001	दूरभाष (022) 22721233/4 फैक्सः (022) 22721919 ई-मेल पताः info@bseindia.com वेबसाइटः www.bseindia.com	532955

vii. अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आईएसआईएन बिक्रीकृत स्क्रिप्ट की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। इस संख्या का कंपनी की डिमैट की गई प्रतिभूतियों से संबंधित प्रत्येक लेन-देन में उल्लेख किया जाना होता है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन, आईएनई020बी01018 है।

viii. वित्त वर्ष 2012-13 के बाजार कीमत आंकडें

आरईसी के शेयर और निफ्टी का निष्पादन

	बीएसई में आरईसी के शेयरों का निष्पादन			संसेक्स का संचलन		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)
अप्रैल, 12	236.90	204.00	208.50	5378.75	5154.30	5248.15
मई,12	212.00	162.50	164.60	5279.60	4788.95	4924.25
जून,12	193.10	157.70	191.80	5286.25	4770.35	5278.90
जुलाई, 12	202.00	178.10	188.45	5348.55	5032.40	5229.00
अगस्त, 12	215.80	181.05	188.70	5448.60	5164.65	5258.50
सितंबर, 12	238.10	179.70	218.25	5735.15	5215.70	5703.30
अक्तूबर, 12	232.50	205.60	215.35	5815.35	4888.20	5619.70
नवंबर,12	233.90	213.00	230.65	5885.25	5548.35	5879.85
दिसंबर, 12	250.40	225.95	245.20	5965.15	5823.15	5905.10
जनवरी,13	268.00	225.45	241.45	6111.80	5935.20	6034.75
फरवरी, 13	256.80	226.15	228.20	6052.95	5671.90	5693.05
मार्च, 13	241.85	193.50	208.45	5971.20	5604.85	5682.55

संसेक्स की तुलना में आरईसी शेयर का निष्पादन

एनएसई में आरईसी के शेयरों का निष्पादन				निफ्टी का संचलन		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)
अप्रैल, 12	236.90	204.10	208.75	17664.10	17010.16	17318.81
मई,12	211.00	162.85	164.75	17432.33	15809.71	16218.53
जून,12	192.55	142.00	191.35	17448.48	15748.98	17429.98
जुलाई, 12	202.00	178.10	188.05	17631.19	16598.48	17236.18
अगस्त, 12	215.60	181.10	186.55	17972.54	17026.97	17429.56
सितंबर, 12	238.00	180.00	218.15	18869.94	17250.80	18762.74
अक्तूबर, 12	232.45	205.70	215.35	19137.29	18393.42	18505.38
नवंबर,12	234.00	213.30	230.35	19372.70	18255.69	19339.90
दिसंबर, 12	250.00	226.15	244.90	19612.18	19149.03	19426.71
जनवरी,13	267.50	225.85	241.80	20203.66	19508.93	19894.98
फरवरी, 13	256.65	225.00	228.45	19966.69	18793.97	18861.54
मार्च, 13	241.60	194.00	208.15	19754.66	18568.43	18835.77

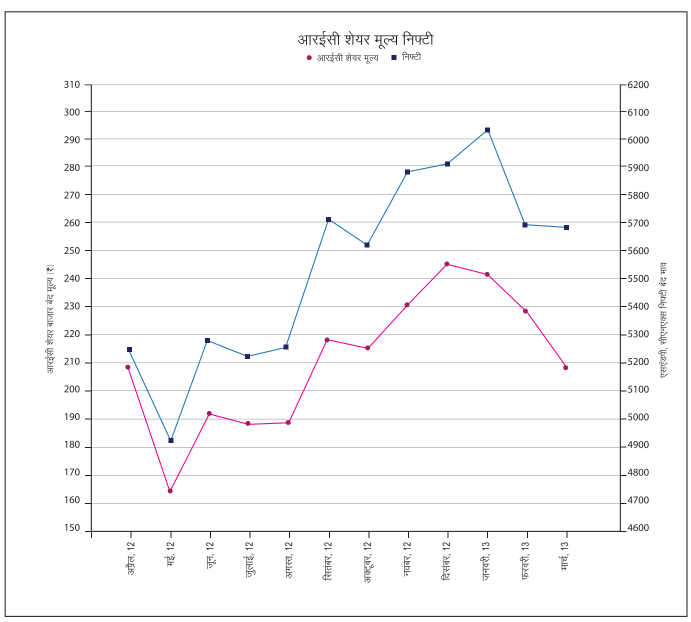

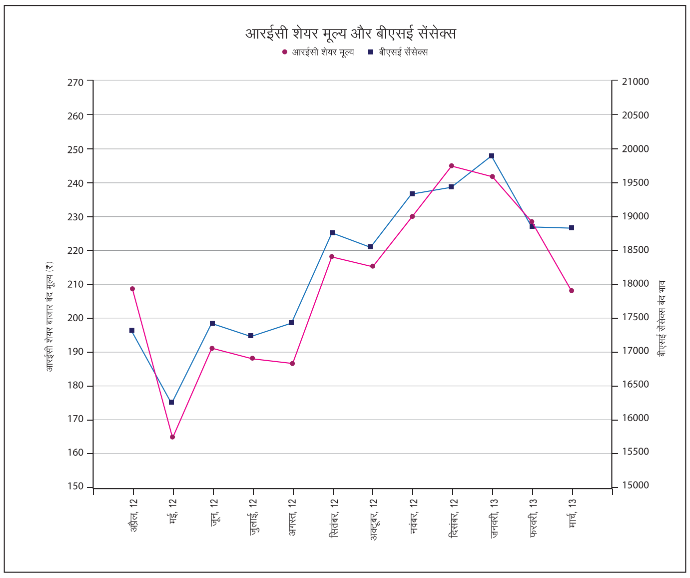

ix. रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
प्लाट 17 से 24, विट्ठलराव नगर,
मधापुर, हैदराबाद-500081, भारत
दूरभाष : 91 40 44655134/44655141
फैक्स : 91 40 23420814
ई-मेल : raju.sv@karvy.com/
balaji.reddy.@karvy.com /
einward.ris@karvy.com
वेबसाइट:www.karvy.com

x. शेयर अंतरण प्रणाली

फिजिकेल सेगमेंट वाले शेयरों को कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अंतरित किया जाता है। कार्वी, अंतरिती से अंतरण विलेख सहित अंतरित किए जाने वाले शेयरों को प्राप्त करता है, इसका सत्यापन करता है और इसका अंतरण ज्ञापन आदि तैयार करता है। प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक फिजिकल शेयरों के विभाजन/समेकन और अंतरण के अनुरोध को मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीधे ही अनुमोदित किया जाता है।

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के वास्तविक अंतरण हेतु शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने तथा शेयरों के विभाजन के अनुमोदन के लिए शेयर अंतरण समिति भी गठित की गई है।

इसके अलावा, सूचीकरण करार की धारा 47(ग) के अनुसरण में अर्ध-वार्षिक आधार पर शेयर अंतरण औपचारिकताओं के अनुपालन की कंपनी द्वारा पुष्टि करते हुए किसी व्यवसायी कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है।

xi. शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों की प्रतिशतता	कुल शेयर	रकम (₹)	शेयरों की प्रतिशतता
1-5000	242597	96.93	22277274	222772740	2.26
5001- 10000	4533	1.81	3256139	32561390	0.33
10001- 20000	1396	0.56	2010564	20105640	0.20
20001- 30000	471	0.19	1172679	11726790	0.12
30001- 40000	197	0.08	701103	7011030	0.07
40001- 50000	162	0.06	749995	7499950	0.08
50001- 100000	268	0.11	1918033	19180330	0.19
100001 और इससे अधिक	667	0.27	955373213	9553732130	96.75
जोड़	**250291**	**100**	**987459000**	**9874590000**	**100**

स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता का पैटर्न

श्रेणी	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की सं.	जोड़ का प्रतिशत	शेयरों की सं.	जोड़ का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	659607000	66.80	659607000	66.80
विदेशी संस्थागत निवेशक	204196515	20.68	192803883	19.53
निगमित निकाय	26816276	2.72	34004753	3.44
निवासी व्यक्ति	29400306	2.98	31826198	3.22
बीमा कंपनियां	38411126	3.89	30049436	3.04
म्युचुअल फंड	20633558	2.09	16845852	1.71
भारतीय वित्तीय संस्थाएं	778011	0.08	15141623	1.53
क्लियरिंग सदस्य	3060010	0.31	2321284	0.24
एचयूएफ	1355492	0.14	1456227	0.15
बैंक	1266867	0.13	1149900	0.12
अनिवासी भारतीय	690259	0.07	811852	0.08
न्यास	318480	0.03	501454	0.05
कर्मचारी	925100	0.09	939538	0.10
जोड़	**987459000**	**100**	**987459000**	**100**

स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता का प्रतिरुप

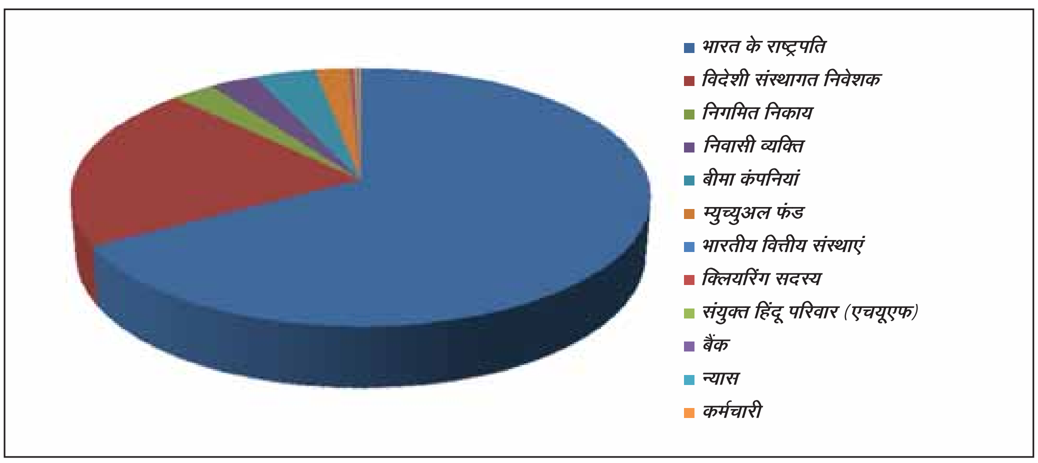

xii. शेयरों को डिमैट किया जाना

कंपनी के शेयर अनिवार्य डिमैट किए जाने के सेगमेंट में हैं और राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड/एनएसडीएल और केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की ट्रेडिंग प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार डिमैट किए गए और फिजिकल रूप से धारित शेयरों की संख्या इस प्रकार है:

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	जारी किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
फिजिकल	7057	11714	नगण्य
एनएसडीएल (डिमेट)	172249	978467961	99.09
सीडीएसएल (डिमेट)	70985	8979325	0.91
जोड़	**250291**	**987459000**	**100.00**

xiii. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का समाधान

वित्त वर्ष 2012-13 की प्रत्येक तिमाही के लिए मैसर्स सविता ज्योति, एसोसिएशन, व्यवसायी कंपनी सचिव ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास प्रविष्ट, जारी और सूचीबद्ध कुल शेयर पूंजी का मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा की। वित्त वर्ष 2012-13 की प्रत्येक तिमाही की शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मिलान इस बात की पुष्टि करता है कि कुल निर्गमित/प्रदत्त शेयरों की पूंजी एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास उपलब्ध फिजिकल रूप में शेयरों की कुल संख्या और डिमैट किए गए शेयरों की कुल संख्या से मेल खाती है। यह रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दी गई थी।

xiv. अदावाकृत शेयरों का विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम शुरू किया जिसमें कंपनी के 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम शामिल था और भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित उतने ही शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव था।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम जारी किया, जिसमें कंपनी के 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत के राष्ट्रपति के 4,29,33,000 शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

सूचीकरण करार की धारा 5ए के अनुसार, बिना दावे के शेयरों का विवरण 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार है:-

क्रम सं.	विवरण	01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013			
		आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव		भावी सार्वजनिक प्रस्ताव	
		मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1.	01 अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार एकीकृत शेयरधारकों की संख्या और अदावाकृत बाकी शेयर	306	24937	6	510
2.	ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने इस वित्त वर्ष के दौरान अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए संपर्क किया था	6	447	शून्य	शून्य
3.	ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्हें अदावाकृत शेयर अंतरित किए गए थे	6	447	शून्य	शून्य
4.	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की कुल संख्या और बाकी अदावाकृत शेयर	300	24490	6	510

ऐसे शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकार उस समय तक बंद रखा जाएगा, जब तक उनके सही मालिक ऐसे शेयरों का दावा नहीं करते हैं।

xv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की गई हैं।

xvi. स्टॉक एक्सचेंज के लिए वार्षिक सूचीकरण फीस

कंपनी ने एनएसई और बीएसई को वित्त वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक सूचीकरण फीस की अदायगी की है।

xvii. डिपॉजिटरियों को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को वित्त वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क की अदायगी की है।

xviii. संयंत्र की अवस्थिति

लागू नहीं। लेकिन पांच आंचलिक कार्यालय, 18 परियोजना कार्यालय, दो उप-कार्यालय और एक प्रशिक्षण केंद्र हैं।

xix. पत्राचार का पता

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,

7, लोदी रोड,

नई दिल्ली-110003, भारत

xx. अनुपालन अधिकारी और लोक प्रवक्ता

श्री जे.एस. अमिताभ,

महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव,

दूरभाषः 91 11 24367305

फैक्सः 91 11 24362039

ई-मेलः jsamitabh@recl.nic.in

आरईसी REC असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.

अनुबंध-III

कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट

खंड कः कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. **कंपनी की कारोबार पहचान संख्या(सीआईएन)-** एल40101डीएल1969जीओआई005095
2. **कंपनी का नामः** रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
3. **पंजीकृत पताः** कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
4. **वेबसाइटः www.recindia.gov.in**
5. **ई-मेल पताः complianceofficer@recl.nic.in**
6. **रिपोर्टाधीन वित्त वर्ष 2012-13**
7. **क्षेत्र जिनमें कंपनी कार्य कर रही है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)**

   कोडः 64920 - रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक कंपनी के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित सभी विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण करना था। आरईसी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए के अधीन एक सरकारी वित्तीय संस्थान है। आरईसी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अधीन एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने बुनियादी सुविधा वाली वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। आरईसी को सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा नवरत्न दर्जा दिया गया है।

8. **तीन ऐसे मुख्य उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी विनिर्माण कर रही है/जो प्रदान कर रही है (जिनका उल्लेख तुलन-पत्र में है)**

   आरईसी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र दोनों की विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रणाली सुधार, विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण का कार्य करती है। आरईसी को सभी ग्रामीण आवासों को बिजली की पहुंच प्रदान करने के लिए "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) - ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधा और आवासों का विद्युतीकरण की योजना" के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है। इसके अलावा, आरईसी को राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों - सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को संवितरित ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी देने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना की नोडल एजेंसी भी नामित किया गया है, ताकि वितरण के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके।

9. **स्थानों की कुल संख्या, जहां कंपनी कारोबार संबंधी क्रियाकलाप करती है-**

   i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (पांच प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण दें) : शून्य

   ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्याः

   आरईसी के 21 स्वदेशी स्थानों पर कार्यालय हैं यथा नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, पंचकूला, शिमला, जम्मू, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, वड़ोदरा, बैंगलूरु, तिरूवंनतपुरम, भुवनेश्वर, हैदराबाद (परियोजना कार्यालय तथा केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान(सायर),शिलांग, गुवाहाटी, रांची, देहरादून, पटना और रायपुर।

10. **बाजार, जिनमें कंपनी कार्य कर रही है स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय**

    आरईसी केवल भारतीय बाजारों में कार्य करती है और इसका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है।

खंड खः कंपनी के वित्तीय विवरण

1. **प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये में) -** ₹ 987.46 करोड़
2. **कुल कारोबार (भारतीय रुपये में) -** ₹ 13518.86 करोड़ (कुल कारोबार में ब्याज आय और अन्य आय की रकम शामिल है)।
3. **कर-पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपये में) -** ₹ 3817.62 करोड़
4. कर-पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कारपोरेट सामाजिक दायिव पर कुल खर्च वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आरईसी ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों पर पिछले वर्ष के अपने कर-पश्चात लाभ के 0.50% के बराबर रकम अर्थात ₹ 14.187 करोड़ खर्च किए हैं। इसके अलावा, आरईसी ने सतत् विकास परियोजनाओं पर ₹ 331.76 लाख की रकम खर्च की है।
5. **ऐसे उपर्युक्त 4 क्रियाकलापों की सूची जिन पर खर्च किया गया है**

   जिन प्रमुख क्षेत्रों पर उपर्युक्त खर्च किया गया है, उनमें रोजगार अभिमुखी कौशल विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण सुपुर्दगी मॉडल, शिक्षा, वृद्ध व्यक्तियों और अशक्त व्यक्तियों की देखभाल संबंधी पहलों सहित स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण उद्योग सवंर्धन और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का सवंर्धन आदि शामिल हैं।

खंड ग: अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं ?

जी, हां। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार आरईसी की सहायक कंपनियों की संख्या: 2(दो) है। इस तारीख को कंपनी की सहायक कंपनियों के रूप में 5 (पांच) परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) हैं जिन्हें टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित पारेषण परियोजनाओं के लिए सफल बोलीदाता का चयन होने पर अंतरित कर दिया जाएगा।

2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या का उल्लेख करें।

जी, हां। आरईसी व्यापक विषयों पर कारोबार दायित्व संबंधी पहलों के व्यापक समूहों में भाग लेने के लिए सहायक कंपनियों को प्रोत्साहित करती हैं। ऐसी सहायक कंपनी की संख्या एक है।

3. क्या कोई अन्य प्रतिष्ठान (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी पहलों में भाग लेते हैं ? यदि हां तो ऐसे प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों की प्रतिशतता का उल्लेख करें। (30% से कम, 30 से 60%, 60% से अधिक)

नहीं।

खंड घ: कारोबार दायित्व संबंधी सूचना

1. कारोबार दायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

(क) कारोबार दायित्व संबंधी नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

डीआईएन: 01120152

नाम: श्री प्रकाश ठक्कर

पदनाम: निदेशक (तकनीकी)

(ख) कारोबार दायित्व संबंधी शीर्षों का विवरण

क्रम सं.	ब्योरे	विवरण
1.	डीआईएन (यदि लागू हो)	01120152
2.	नाम	श्री प्रकाश ठक्कर
3.	पदनाम	निदेशक (तकनीकी)
4.	दूरभाष नंबर	011-24367479
5.	ई-मेल पता:	thakkar@recl.nic.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजीके अनुसार) कारोबार दायित्व संबंधी नीति/नीतियां(उत्तर हां/नहीं में दें)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, ने जुलाई 2011 में 'कारोबार के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक दायित्व संबंधी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश' जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित नौ सिद्धांत हैं, जिन्हें कंपनियों द्वारा अपनी कारोबार की परिपाटियों और एक ढांचागत कारोबार दायित्व रिपोर्टिंग फार्मेट के भाग के रूप में अंगीकृत करने की आवश्यकता है, जिसमें उक्त सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए कुछ विशिष्ट प्रकटन, कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों का प्रदर्शन शामिल है

पी1 कारोबार को नैतिक, पारदर्शी और दायित्वपूर्ण तरीके से संचालित किया जाना चाहिए और उस पर ये बातें लागू होनी चाहिए।

पी2 कारोबार को ऐसे माल और सेवाओं को उपलब्ध कराना चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र में स्थायी योगदान दें।

पी3 कारोबार को सभी कर्मचारियों को बढ़ावा देना चाहिए।

पी4 कारोबार को सभी हितधारकों और विशेषत: ऐसे हितधारकों का जो साधनहीन हैं, संवेदनशील हैं और सीमांत हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

पी5 कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए।

पी6 कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, उसकी सुरक्षा और उसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

पी7 कारोबार जब जनता और विनियामक नीति को लागू करने में लगा हो, उसे जिम्मेदार तरीके से कार्य करना चाहिए।

पी8 कारोबार को समावेशी संवृद्धि और समान विकास को समर्थन देना चाहिए।

पी9 कारोबार को चाहिए कि वह जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के काम में लगा रहे और उन्हें मूल्यवान सेवाएं प्रदान करे।

सिद्धांत-वार उत्तर नीचे दिए गए हैं-

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपकी इन सिद्धांतों के संबंध में कोई नीति/नीतियां हैं ?	हां	नही	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके यह नीति बनाई गई है ?	हां	-	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हां, तो स्पष्ट करें। कृपया, टिप्पणी पी1 देखें।	हां	-	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या इस नीति का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/ स्वामी/सीईओ/समुचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ?	हां	-	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी में किसी नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल/निदेशक/अधिकारियों की कोई विशिष्ट समिति है ?	हां	-	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	क्या इस नीति को ऑनलाइन देखने के लिए कोई लिंक है ? कृपया टिप्पणी पी1 देखें	हां	-	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को इस नीति संबंध में औपचारिक तौर पर सूचित किया गया है ?	हां	-	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी के पास इस नीतियों को कार्यान्वयन करने के लिए कोई आंतरिक संरचना है।	हां	-	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में इस नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए इस नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है ?	हां	-	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यचालन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	हां	-	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

2क यदि किसी सिद्धांत के सामने क्रम संख्या 1 में नहीं हो तो कृपया बताएं कि क्यों नहीं (**दो विकल्पों को टिक करें**)

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>प्रश्न</th><th>पी1</th><th>पी2</th><th>पी3</th><th>पी4</th><th>पी5</th><th>पी6</th><th>पी7</th><th>पी8</th><th>पी9</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कंपनी ने इन सिद्धांतों को भली-भांति नहीं समझा है।</td><td colspan="9" rowspan="6">कंपनी ने पी2 सिद्धांत के संबंध में 'नहीं' उत्तर दिया है और उससे संबंधित कारण, टिप्पणी में और इस रिपोर्ट के अनुबंध में अन्य सिद्धांतों से संबंधित संगत सूचना में भी दिए हैं।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कंपनी ऐसी अवस्था में नहीं है, जहां वह विशिष्ट सिद्धांत संबंधी नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति संबंधी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>इसकी योजना है कि अगले 6 माह के अंदर ऐसा कर दिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>इसकी योजना है कि अगले 1 वर्ष के अंदर ऐसा कर दिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>कोई अन्य कारण (उल्लेख करें)</td></tr>
</table>

3. कारोबार दायित्व संबंधी पहलों से संबंधित सुशासन

- **कृपया उस बारंबारता का उल्लेख करें जिसमें निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक मंडल की समिति या सीईओ कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं- तीन माह के अंदर, 3-6माह, वर्ष में, एक वर्ष से अधिक के भीतर**

  कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट चालू वित्त वर्ष 2012-13 में पहली बार लागू की गई है और कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी कार्य-निष्पादनों का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाएगा।

- **क्या कंपनी कारोबार दायित्व या स्थायी रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने का संपर्क साधन क्या है ? यह कितनी बार प्रकाशित की जाती है ?**

  कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट ऐसी पहली रिपोर्ट है, जिसे आरईसी लिमिटेड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, 2012-13 के भाग के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है और वार्षिक रिपोर्ट को देखने का संपर्क सूत्र है http://recindia.gov.in/download/ar2012-13pdf

खंड ङ : सिद्धांत-वार कार्य-निष्पादन

सिद्धांत 1 - नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

1. क्या कंपनी में केवल नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति इसके अंतर्गत आती है ? हां/नहीं। क्या इसे संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू किया गया है ?

   आरईसी अपने सभी क्रियाकलापों में व्यावसायिक रूप से निष्पक्षता के साथ और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस निगम में " कपट निवारण नीति'' और ''व्हिसल ब्लोअर नीति'' है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह कपट, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के किसी कृत्य के बारे में निवारण, पता लगाने और सूचना देने का कार्य करे। आरईसी ने आचरण, अनुशासन और अपील नियम भी बनाए हैं, जिनमें, कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता को परिभाषित किया गया है और आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली में रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कर्मचारी के संबंध में कदाचार के रूप में शामिल किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश/अनुदेशों आदि का भी इस संबंध में पालन किया जाता है। उपर्युक्त नीतियां, नियम, दिशानिर्देश/अनुदेश आदि आरईसी की सहायक कंपनियों पर भी लागू होते हैं और ये (आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली के सिवाय) अन्य हितधारकों यथा उधारकर्ताओं, बैंकों, जनता आदि को भी उपलब्ध कराये गए हैं। इसके अलावा, आरईसी ने निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता भी अंगीकृत की है, जिसमें व्यवहार और नैतिकता के मानदंडों का उल्लेख किया गया है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त की गई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषपूर्ण ढंग से समाधान किया गया है ? *यदि हां तो लगभग 50 शब्दों या इसके आसपास के शब्दों में विवरण दें।***

   वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी को नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित 6 शिकायतें प्राप्त हुई हैं (जिनमें 3 बेनामी शिकायतें भी शामिल हैं) और निवेशकों से अन्य 2181 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो आरईसी के इक्विटी शेयरों/सूचीबद्ध बांडों से संबंधित थीं। जहां तक कर्मचारियों का संबंध है, कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर नीति के अधीन एक तंत्र की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से कर्मचारी अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं।

   नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित 6 शिकायतों में से 4 शिकायतें (67%) सत्यापनयोग्य तथ्यों के अभाव में बंद कर दी गई हैं और दो शिकायतों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, जैसा कि कारपोरेट सुशासन संबंधी रिपोर्ट में बताया गया है, निवेशकों की दो शिकायतों के सिवाय निवेशकों से प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है और उनकी तिमाही स्थिति रिपोर्ट निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जा रही है। कर्मचारियों से प्राप्त चिंताओं की स्थिति रिपोर्ट और उन पर कार्रवाई करने के तरीके की सूचना आवधिक रूप से निदेशक मंडल को दी जाती है।

सिद्धांत 2 - उत्पाद के जीवन चक्र में स्थायित्व

1. **अपने उत्पादों या सेवाओं में से किन्हीं 3 की सूची दीजिए जिन्हें सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों के संबंध में शामिल किया गया हो।**

   कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह आरईसी लिमिटेड पर लागू नहीं होता है।

   लेकिन, यह कंपनी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करके पर्यावरण संबंधी चिंताओं का निराकरण कर रही है। इस कंपनी ने आरजीजीवीवाई के माध्यम से भारत सरकार की पहलों का भी कार्यान्वयन किया है जिसमें "सबके लिए बिजली " मिशन के अधीन ऋण की ब्याज दरों में रियायत और अन्य वित्तीय सहायता दी गई है। इसके अलावा, कंपनी पारेषण और वितरण, विद्युत उत्पादन और आरजीजीवीवाई के कार्यक्रमों के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के संबंध में उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक) के संसाधन के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चे माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण दें:**

   कंपनी के कारोबार की प्रकृति पर विचार करते हुए और ऊपर उल्लिखित उत्पादों/पहलों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्न आरईसी लिमिटेड पर लागू नहीं होते हैं

   i. पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त स्रोत/उत्पादन/वितरण के दौरान कमी ?

      लागू नहीं।

   ii. पिछले वर्ष से प्राप्त उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान कमी ?

      लागू नहीं।

3. **क्या कंपनी के पास स्थायी स्रोतों की प्रक्रिया है (जिसमें परिवहन भी शामिल है) ? यदि हां, तो आपके निवेश की कितनी प्रतिशतता की स्थायी स्रोतों से व्यवस्था की जाती है ?**

   लागू नहीं।

4. **क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कार्रवाई की है ? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?**

   लागू नहीं।

5. **क्या कंपनी में उत्पादों और अवशिष्ट के पुनःचक्रण के लिए कोई तंत्र है ? यदि हां तो उत्पादों और अपशिष्ट के पुनःचक्रण की प्रतिशतता क्या है (5% से कम, 5% से 10% तक, 10% से अधिक के रूप में अलग-अलग) ? इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।**

लागू नहीं। लेकिन, कंपनी ने कंपनी परिसर से रद्दी कागजों को एकत्र करने के लिए एक तंत्र की बाहरी व्यवस्था की है ताकि उनका पुनःचक्रण किया जा सके।

सिद्धांत 3 - कर्मचारी हित

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें।**

   31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 648 कर्मचारी थे।

2. **कृपया अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर भाड़े पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें।**

   वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर किसी भी कर्मचारी को भाड़े पर नहीं रखा था।

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।**

   31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 104 स्थायी महिला कर्मचारी थीं।

4 **कृपया अशक्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।**

   31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 9 अशक्त स्थायी कर्मचारी थे।

5. **क्या आपकी कंपनी में कर्मचारियों की ऐसी कोई संस्था है, जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो ?**

   जी, हां। आरईसी में इसके गैर-पर्यवेक्षी स्थायी कर्मचारियों की एक यूनियन और कार्यपालकों की एसोसिएशन मान्यताप्राप्त है।

6. **आपके स्थायी कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है जो मान्यताप्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं ?**

   कंपनी की नियमित नामावलियों पर उल्लिखित सभी कर्मचारी किसी न किसी यूनियन या एसोसिएशन के सदस्य हैं।

7. **कृपया पिछले वित्त वर्ष में बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, गैर-स्वैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें और वित्त वर्ष के अंत में लंबित ऐसी शिकायतों का उल्लेख करें।**

   कंपनी को बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, गैर-स्वैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न के संबंध में पिछले वित्त वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और 31 मार्च, 2013 को ऐसी कोई शिकायत लंबित भी नहीं है। इसके अलावा, कंपनी न तो बाल मजदूर/बंधुआ मजदूर/गैर-स्वैच्छिक मजदूर को किसी भी रूप में काम पर लगाती है और न कोई भेदभावपूर्ण नियोजन परिपाटी अपनाती है। कंपनी के पास यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए एक उचित ढांचा है।

8. **पिछले वर्ष में निम्नलिखित को सुरक्षा और कौशल उन्नयन का क्या प्रशिक्षण दिया गया था:**

   स्थायी कर्मचारी

   स्थायी महिला कर्मचारी

   नैमित्तिक/अस्थायी/संविदा कर्मचारी

   अशक्त कर्मचारी

   कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के संबंध में इन प्रश्नों की सीमित सुसंगतता है।

   कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास कंपनी की कार्यनीति का अनिवार्य घटक है। आरईसी की उचित प्रशिक्षण प्रक्रिया है और यह अपने कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के संबंध में किसी मापदंड में भेदभाव नहीं करती है। आरईसी के 77% स्थायी कर्मचारियों, 86% स्थायी महिला कर्मचारियों और 60% अशक्त स्थायी कर्मचारियों ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कौशल उन्नयन, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और अभिवृत्ति प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें 2236 प्रशिक्षण श्रम दिवस लगे हैं।

   कंपनी का हैदराबाद में ''केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (**सायर**)'' नामक प्रशिक्षण संस्थान भी है, जहां इसके कर्मचारियों हेतु बदलती हुई कौशल अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नए कर्मचारियों के लिए अभिमुखी सत्र, विभिन्न प्रकार्यात्मक अकादमियों द्वारा संचालित कार्यक्रम, नेतृत्व प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम और अन्य प्रबंधन विकास कार्यक्रम, माध्यमिक स्तर और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

सिद्धांत 4 - हितधारकों को काम पर लगाना

1. **क्या कंपनी ने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को मापित किया है ?**

   जी, हां। हितधारकों को मापित किया गया है।

2. **उपर्युक्त में से, क्या कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है ?**

   जी, हां। कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है।

3. **क्या कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों को काम पर लगाने के लिए कोई विशेष पहल की है ? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।**

   उपर्युक्त प्रश्न के अधीन उल्लिखित पहलू कंपनी के संबंध में सुसंगत नहीं हैं, क्योंकि यह एक विनिर्माण कंपनी नहीं है।

   लेकिन, आरईसी मोटे तौर पर मानव अधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार-रोधी क्षेत्रों में "यूएन वैश्विक प्रभाव " के सिद्धांत का पालन करती है, जो वैश्विक रूप से सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं।

कंपनी ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों के लिए अपने कर-पश्चात लाभ की एक प्रतिशतता प्रतिवर्ष तय की है जो साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों को काम पर लगाती है, ताकि उपर्युक्त हितधारकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो सके और वे प्रतिष्ठा और आर्थिक क्षमता से जीवन यापन कर सकें।

सिद्धांत 5 - मानव अधिकारों को बढ़ावा देना

1. क्या कंपनी की मानव अधिकार संबंधी नीति के अंतर्गत केवल कंपनी आती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/गैर-सरकारी संगठन/अन्य भी आते हैं ?

आरईसी "यूएन वैश्विक प्रभाव " का सक्रिय सदस्य है और मानव अधिकारों, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार-रोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का पालन करता है, जो वैश्विक आधार पर सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं और मानव अधिकार की वैश्विक घोषणा से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा, मूल सिद्धांतों और कार्य का अधिकार पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा पर्यावरण और विकास संबंधी रियो घोषणा तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का भी पालन करती है।

कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मानव अधिकार केवल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तक सीमित हैं तथा कर्मचारियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए आरईसी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जो सामान्य कानूनों और विनियमों के अनुसार है और राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक व्यवहार संबंधी नीतियों को अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने जैसे क्षेत्र आते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षा के साथ जुड़ी पर्यावरण संबंधी सावधानियां, उनका पोषण और अवसर प्रदान करना है।

इसके अलावा, कंपनी का विश्वास है कि स्थायी संगठन मानव अधिकारों की नैतिकता और सम्मान की नीव पर खड़ा होता है और कंपनी भर्ती, विकास और विविध उम्मीदवारी के पूल से अधिकांश प्रतिभावान लोगों को रखते हुए कार्यस्थल की विविधता सुनिश्चित करती है। यह उस सिद्धांत को महत्त्व देती है जो प्रतिभा और कार्य-निष्पादन के आधार पर आगे बढ़ता है और समान अवसरों के लिए इसकी प्रतिबद्धता है। यह कंपनी सुरक्षित सामाजिक वातावरण, सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण सहित मानव के हितों पर भी बल देती है। यह ऐसे आचरण को हतोत्साहित करती है जिसमें निर्णय लेने के लिए पक्षपातपूर्ण अवसरों को प्रदान किया जाता है या उस पर रोक लगाई जाती है और जिससे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों द्वारा उसका अनुपालन किया जाता है।

2. पिछले वित्त वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया है ?

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मानव अधिकारों से संबंधित हितधारकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सिद्धांत 6 - पर्यावरण सुरक्षा

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?

इस सिद्धांत के अधीन उल्लिखित पहलू इस कंपनी के उल्लिखित कारोबार की प्रकृति के अनुरूप नहीं हैं।

2. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए कोई कार्यनीति/पहल है ? यदि हां, तो कृपया वेब पेज-आदि के संबंध में संपर्क सूत्र दें।

आरईसी "यूएन वैश्विक प्रभाव " का सक्रिय सदस्य है और मानव अधिकारों, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार-रोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का पालन करता है, जो वैश्विक आधार पर सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं और मानव अधिकार की वैश्विक घोषणा से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा, मूल सिद्धांतों और कार्य का अधिकार पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा पर्यावरण और विकास संबंधी रियो घोषणा तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का भी पालन करती है। सभी संगत नीतियां कंपनी की वेबसाइट **http://recindia.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

आरईसी ने अपने कारोबार संबंधी क्रियाकलापों को विविधता प्रदान की है। आरईसी ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रोन्नयन के लिए वित्तपोषण और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों का समाधान करने के लिए विशेष योजना लागू की है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान स्थायी विकास संबंधी इन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी ने "ऊर्जा लेखापरीक्षा ", ऊर्जा प्रबंधन, "जैव-विविधता संरक्षण " और "जल प्रबंधन " के व्यापक क्षेत्रों में स्थायी विकास की योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं हैदराबाद में स्थित अपने प्रशिक्षण संस्थान अर्थात केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) में लागू की गई हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सायर के परिसर को ऊर्जा दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाना है। कंपनी ने स्वैच्छिक आधार पर 16400 गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र भी खरीदे हैं, जिन्हें पारंपरिक ऊर्जा के 16.4 मिलियन यूनिट के बराबर कार्बन फुटप्रिंट का न्यूट्रीकरण शामिल है या इससे लगभग 13120 टन कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) के बराबर ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है।

3. क्या कंपनी ने संभावित पर्यावरण संबंधी जोखिम की पहचान और मूल्यांकन कर लिया है ? हाँ/नहीं

उपर्युक्त प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। लेकिन, आरईसी ने सभी बुनियादी सुविधाओं वाली परियोजनाओं में संभावित पर्यावरण और सामाजिक जोखिम का पता लगा लिया है और उसका मूल्यांकन कर लिया है। आरईसी एकीकृत पर्यावरण संबंधी जोखिम का मूल्यांकन करने और समग्र निवेश जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में इसकी कमी करने में सबसे आगे रहा है। परियोजना मूल्य निरूपण के भाग के रूप में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की पहचान की जाती है और एक विस्तृत उचित श्रमसाध्य कार्य किया जाता है जिसमें कार्यस्थल का निरीक्षण, गौण सूचना संग्रहण और विश्लेषण, लागू अनुपालनों और सहमतियों की समीक्षा भी शामिल है।

4. **क्या कंपनी की कोई स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें। इसके अलावा, यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाती है ?**

उपर्युक्त प्रश्न इस कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। लेकिन, यह कंपनी ऐसी परियोजनाओं को सहायता देती है जो सौर, ग्रीन ऊर्जा, पर्यावरण संबंधी स्थायित्व को बढ़ावा देती हैं और ऐसी परियोजनाओं को सहायता देती है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करती हैं।

उपर्युक्त के अलावा, इस कंपनी ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के साथ स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) के अधीन देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में पहली बार दो ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के पंजीकरण में सहायता की है, जिसका एक उधारकर्ता पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (एपीएसपीडीसीएल) है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि संबंधी कोई अन्य पहलें की हैं ? हां/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के हाइपर लिंक का उल्लेख करें।**

जी, हां। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 5 व्यापक श्रेणियों में सतत् विकास की परियोजनाओं को हैदराबाद में स्थित केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) के परिसर में कार्यान्वित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान लगभग 14 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 95185 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र है। केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान में कार्यान्वित परियोजनाओं के अंतर्गत 'ऊर्जा लेखापरीक्षा', 'ऊर्जा प्रबंधन', 'जैव-विविधता संरक्षण', 'जल प्रबंधन' और 'प्रशिक्षण कार्यक्रम' आते हैं। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान के परिसर को सतत् विकास के सिद्धांतों के अनुरूप ऊर्जा दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाना है। सभी संगत नीतियां कंपनी की वेबसाइटः www.recindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।

कंपनी ने स्वैच्छिक आधार पर 16400 गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की खरीद पर ₹ 249.68 लाख खर्च किए हैं। इससे पारंपरिक ऊर्जा के 16.4 मिलियन यूनिट के बराबर कार्बन फुटप्रिंट को न्यूट्रीलाइज करना और लगभग 13120 टन कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) के बराबर ग्रीनहाउस उत्सर्जन को रोकना है। आरईसी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सतत् विकास परियोजनाओं पर कुल ₹ 331.76 लाख खर्च किए हैं

6. **क्या इस वित्त वर्ष के संबंध में सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा उल्लिखित अनुमत सीमा के अंदर कंपनी द्वारा उत्पादित उत्सर्जन/अपशिष्ट के बारे में सूचना दी गई है ?**

उपर्युक्त प्रश्न की इस कंपनी के संदर्भ में सीमित सुसंगतता है, क्योंकि यह एक विनिर्माण कंपनी नहीं है।

7. **वित्त वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या, जो लंबित पड़े हों (अर्थात जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान न हुआ हो)।**

सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा विनिर्माण इकाइयों को नोटिस जारी किए जाते हैं, जबकि आरईसी गैर-बैंकिंग सरकारी वित्तीय कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है, इसलिए आरईसी के मुख्य कार्यों के संबंध में इस प्रकार के नोटिस लागू नहीं होते हैं।

सिद्धांत 7 - जिम्मेदार लोक नीति की पैरवी

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है ? यदि हां, तो केवल ऐसे प्रमुख एसोसिएशन आदि के नाम का उल्लेख करें जिनके साथ आपका संव्यवहार है।**

जी, हां। आरईसी विश्व एनर्जी काउंसिल, दॅ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी), स्टैंडिंग काफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस (स्कोप), एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), पावर एचआर फोरम, इंडिया सीएफओ फोरम, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) और ग्लोबल कंपैक्ट का सदस्य है।

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/ कार्य समूहों में भाग लेते हैं।

2. **क्या आपने सरकारी हितों के उन्नयन और सुधार के लिए उपर्युक्त संस्थाओं के माध्यम से पैरवी/लॉबी की है ? हां/नहीं। यदि हां, तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्सः सुशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, स्थायी कारोबार के सिद्धांत, अन्य)**

कंपनी ने समय-समय पर उपर्युक्त संस्थाओं के विभिन्न मंचों पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मुद्दे उठाए हैं।

यह कंपनी जनता के हित के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन के संबंध में कई पहलों पर कार्य कर रही है जैसे विद्यालय भवन, विद्यालय में स्वच्छता की सुविधाएं, सरकारी अस्पतालों में जल-मल प्रसंस्करण संयंत्र, सभागार, लड़कियों के छात्रावास आदि। इसके अलावा, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास, ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी मॉडल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जिसमें वृद्धजनों और अशक्त व्यक्तियों की देखभाल संबंधी पहल भी शामिल हैं, ग्रामीण औद्योगिक प्रोन्नयन और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों आदि का प्रोन्नयन शामिल है। इसके अलावा, यह कंपनी अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए भी धन प्रदान करती है।

सिद्धांत 8 - समावेशी संवृद्धि और समान विकास

1. **क्या कंपनी की सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण दें।**

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए 'केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायित्व' संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति बनाई है, जिसमें इसके आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्यों को प्रदर्शित किया जाता है। आरईसी

की कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/पहलें/परियोजनाएं संचालित की गई हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान संचालित विशिष्ट कार्यक्रमों और पहलों से संबंधित सूचना निदेशकों की रिपोर्ट के पैरा 20 में दी गई है।

2. क्या इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का संचालन आंतरिक दल/अपने फाउंडेशन/बाह्य गैर-सरकारी संगठन/सरकारी ढांचे/किसी अन्य संगठन द्वारा किया गया है ?

कंपनी की अधिकांश कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाएं/पहलें प्रचालन के मुख्य क्षेत्र के अनुसार विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों की सहायता से किए जा रहे हैं, जो सरकारी संगठन/अर्ध-सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन/खंड 25 की कंपनियां हैं या सार्वजनिक उद्यम विभाग के नामित राष्ट्रीय सीएसआर हब में सूचीबद्ध कंपनियां हैं और/या उन्हें इसी प्रकार के कार्यों के संबंध में सरकारी/अर्ध-सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठनों के साथ कार्य करने का अनुभव है।

3. क्या आपने अपनी पहलों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है ?

आरईसी की सीएसआर और एसडी नीति के अधीन अपनी सभी पहलों की समीक्षा की एक प्रणाली है, जिनमें महत्त्वपूर्ण पहलों की प्रगति और प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। जहां कहीं लागू होता है, संबंधित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन के प्रभाव की समीक्षा करने के बाद सामान्यतः कार्यान्वयन एजेंसियों को आखिरी और अंतिम किश्त जारी की जाती है।

इसके अलावा, आरईसी अपनी चयनित पहलों को समझने के संबंध में फीडबैक प्राप्त करती है, जिसमें इसके अपने दल का कंपनी द्वारा वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं का दौरा करना भी शामिल है।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - रकम भारतीय ₹ में और संचालित परियोजनाओं का विवरण ?

आरईसी ने विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में सीएसआर पहलों के अधीन खर्च किया है, जिसमें रोजगार उन्मुखी कौशल विकास, ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी मॉडल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जिसमें वृद्धजनों और अशक्त व्यक्तियों की देखभाल संबंधी पहलें भी शामिल हैं, ग्रामीण औद्योगिक प्रोन्नयन और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आदि का प्रोन्नयन भी शामिल है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों पर आरईसी ने ₹ 14.18 करोड़ खर्च किए हैं।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय ने सफलतापूर्वक अंगीकृत किया है ? कृपया, लगभग 50 शब्दों में बताएं।

यह कंपनी समुदाय, सरकारी एजेंसी/विभाग, गैर-सरकारी संगठन और परियोजना की योजना बनाने, उसके कार्यान्वयन से संबंधित अन्य स्थानीय संस्थाओं जैसे मुख्य हितधारकों को सक्रिय काम पर लगने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि सामुदायिक स्वामित्व का विकास और निर्माण सुकर हो सके और इसके साथ वह इन कार्यक्रमों के स्थायित्व को भी सुनिश्चित करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए दलों द्वारा सत्यापन भी किया जाता है कि कार्यान्वित पहलें स्थायी हैं और समुदाय द्वारा दिए गए फीडबैक को उसमें शामिल किया जाता है और प्रत्येक पहल के अधिगम के चक्र को मापा जाता है।

सिद्धांत 9 - ग्राहक मूल्य

1. वित्त वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतों/उपभोक्ताओं के मामले कितने प्रतिशत लंबित हैं ?

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। केवल दो निवेशकों की शिकायतों का समाधान नहीं हो पाया था और अब तक उनका भी समाधान हो चुका है।

2. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के लेबलों पर उत्पाद की सूचना को प्रदर्शित करती है ? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त सूचना)

यह पहलू लागू नहीं होता है, क्योंकि यह कंपनी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। यह कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं से संबंधित प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

3. क्या किसी हितधारकों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दायर की है और इस वित्त वर्ष के अंत में कितनी शिकायतें लंबित हैं ? यदि हां, तो कृपया लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।

पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी हितधारकों ने अनुचित व्यापार परिपाटी, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ कोई मामला दायर नहीं किया है। लेकिन सेवा संबंधी मामलों, बांड आदि के संबंध में कारपोरेशन के खिलाफ कुछ मामले लंबित हैं।

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्ति का सर्वेक्षण किया है ?

यह कंपनी अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने में विश्वास रखती है। समय-समय पर ग्राहकों के साथ बैठक (बैठकें) आयोजित की जाती है, ताकि उनकी अपेक्षाओं को समझा जा सके और हम कारोबार में अपनी प्रतियोगिता को अनिवार्यतः बढ़ा सकें। ग्राहकों से प्राप्त फीडबैकों को सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट का अनुबंध

पी1	क्रम संख्या 3 - आरईसी में कंपनी की कपट निवारण नीति, कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता और व्हिसल ब्लोअर नीति है। कपट निवारण संबंधी नीति व्यापक है, जिसमें कपट का पता लगाने और उसके निवारण की प्रणाली, ऐसे कपट की सूचना देने की प्रणाली, जिसका पता लगाया गया हो या जो संदिग्ध हो और कपट से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने की निष्पक्ष नीति है। हालांकि, सूचीकरण करार के अधीन कारपोरेट सुशासन की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता तैयार की है, जो ऐसे व्यावसायिक और नैतिक मानदंडों पर आधारित है, जिनके संबंध में कंपनी का विश्वास है कि उन्हें उसके सभी कर्मचारियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। व्हिसल ब्लोअर नीति व्यापक रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप है। क्रम सं. 6 - कपट निवारण नीति और कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता वेबसाइट http://recindia.gov.in/fraud_policy.html और http://recindia.gov.in/download/code_conduct.pdf पर उपलब्ध हैं। अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेजों में हैं और उन तक केवल संगठन के कर्मचारियों की पहुंच होती है।
पी2	कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धांत की इस कंपनी पर सीमित प्रयोज्यता है। यह कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं पर लागू होने वाले विनियमों का पालन करती है और इस कंपनी ने समावेशी संवृद्धि और पर्यावरण संबंधी स्थायित्व को बढ़ावा दिया है।
पी3	क्रम सं. 3 - सामान्य कानून और विनियमों तथा देश में अपनाए जाने वाले अच्छे नैतिक व्यवहार के अनुरूप कंपनी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना शामिल है। इन प्रयासों के जरिए यह कोशिश की गई है कि और व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के साथ-साथ उसकी देखभाल का परिवेश, उसका पोषण उपलब्ध हो और उसे अवसर प्रदान किए जाए। क्रम सं. 6 - इन नीतियों को केवल संगठन के कर्मचारियों द्वारा वास्तविक रूप से या ऑनलाइन देखा जा सकता है।
पी4	यह सिद्धांत सभी हितधारकों, विशेष रूप से उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी के पहलुओं को सुनिश्चित करता है, जो साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हैं और कंपनी के पास इसके लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है। कंपनी ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाएं तय कर रखी हैं। इसके अलावा कंपनी रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी कौशल विकास, ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी मॉडल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जिसमें वृद्धजनों और अशक्तजनों की देखभाल संबंधी पहलें भी शामिल हैं, ग्रामीण उद्योगों के प्रोन्नयन और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आदि के प्रोन्नयन जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके समावेशी संवृद्धि के संबंध में कार्य करती है।
पी5	क्रम सं. 3 - कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता (कोड) जिसे कंपनी ने इस सिद्धांत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंगीकृत किया है। इस संहिता में निष्पक्ष रोजगार परिपाटी और विविधता, निष्पक्ष प्रतियोगिता, उत्पीड़न और धमकी का निषेध और कार्यस्थल पर सुरक्षा पर बल दिया गया है। क्रम सं. 6 - कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता वेबसाइट http://recindia.gov.in/download/code conduct.pdf पर उपलब्ध है।
पी6	इस सिद्धांत के अधीन उल्लिखित पहलू कंपनी के कारोबार की प्रकृति के सुसंगत नहीं हैं। यह कंपनी अपने परिसर और प्रचालन के संबंध में लागू पर्यावरण संबंधी विनियमों का पालन करती है। इसके अलावा, यह कंपनी पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए की जाने वाली पहलों में भाग लेती है। यह कंपनी परियोजना ऋण के उधारकर्ताओं से भी यह अपेक्षा करती है कि वे विभिन्न राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानकों/अपेक्षाओं का अनुपालन करें।
पी7	हालांकि, इस सिद्धांत के संबंध में कोई विशिष्ट नीति निर्धारित नहीं की गई है, तथापि यह कंपनी राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में पहलों के प्रोन्नयन के लिए कार्य कर रही है, ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी मॉडल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जिसमें वृद्धजनों और अशक्त व्यक्तियों की देखभाल की पहलें भी शामिल हैं, ग्रामीण उद्योग प्रोन्नयन और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोन्नयन के संबंध में कार्य किया जा सके। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूह में भाग लेते हैं।
पी8	हालांकि, इस सिद्धांत में कोई विशेष नीति उल्लिखित नहीं है, तथापि आरईसी ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास, ग्रामीण विद्युत सुपुर्दगी मॉडल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जिसमें वृद्धजनों और अशक्तजनों की देखभाल के लिए की जाने वाली पहलें भी शामिल हैं, ग्रामीण उद्योग प्रोन्नयन और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आदि के प्रोन्नयन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों के अधीन व्यय किया है।
पी9	क्रम सं. 3 - कंपनी की ऋण और ग्राहक प्रतिपूर्ति नीति के संबंध में उचित परिपाटी और शिकायत निवारण फोरम है, जो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप है। क्रम सं. 6 - ये दोनों नीतियां http://recindia.gov.in/download/Fair_ Practice_ Code.pdf. और http://recindia.gov.in/griev_ redressal_form_loans.html पर ऑन-लाइन देखी जा सकती हैं।
#	इन सभी नीतियों और प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा की जानी है और समय-समय पर कंपनी में इनकी आंतरिक समीक्षा की जाती है।

अनुबंध-IV

सहायक कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (I)(ङ) के अनुसरण में विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	सहायक कंपनी का नाम	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. (आरईसीटीपीसीएल)	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (आरईसीपीडीसीएल)	विजाग ट्रांसमिशन लि. (वीटीएल)	कुडगी ट्रांसमिशन लि. (केटीएल)	नैल्लोर ट्रांसमिशन लि. (एनटीएल)	ऊंचाहार ट्रांसमिशन लि. (यूटीएल)	बैरा-स्यूल सरना ट्रांसमिशन लि. (बीएसएसटीएस)
1.	सहायक कंपनी के वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख	31.03.2013	31.03.2013	31.03.2013	31.03.2013	31.03.2013	31.03.2013	31.03.2013
2.	तारीख जब वे सहायक कंपनी बनी थी	08 जनवरी, 2007	12 जुलाई, 2007	30 नवंबर, 2011	27 नवंबर, 2012	04 दिसंबर, 2012	17 दिसंबर, 2012	24 जनवरी, 2013
3.	दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी द्वारा धारित सहायक कंपनी के शेयर							
(क)	सं. और अंकित मूल्य	प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक ₹ 10 के 50,000 इक्विटी शेयर
(ख)	शेयरधारण की सीमा	आरईसी लि. द्वारा धारित शेयर 100%	आरईसी लि. द्वारा धारित शेयर 100%	आरईसीटीपीसीएल द्वारा धारित शेयर 100%	आरईसीटीपीसीएल द्वारा धारित शेयर 100%	आरईसीटीपीसीएल द्वारा धारित शेयर 100%	आरईसीटीपीसीएल द्वारा धारित शेयर 100%	आरईसीटीपीसीएल द्वारा धारित शेयर 100%
4.	जहां तक नियंत्री कंपनी के सदस्यों का संबंध है, सहायक कंपनियों के लाभ/हानि की निवल कुल रकम							
	(क) जिन पर नियंत्री कंपनी के लेखों में कार्रवाई नही की गई :-							
	(i) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	2.91	10.80	-	-	-	-	-
	(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष तक	42.31	16.08	-	-	-	-	-
	(ख) जिन पर नियंत्री कंपनी के लेखों में कार्रवाई की गई							
	(i) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) नियंत्री कंपनी की सहायक कंपनियां बनने की तारीख से सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के लिए	0.10	0.20	शून्य				

टिप्पणी :

(1) विजाग ट्रांसमिशन लि. (वीटीएल), कुडगी ट्रांसमिशन लि. (केटीएल), नेल्लौर ट्रांसमिशन लि. (एनटीएल), ऊंचाहार ट्रांसमिशन लि. (यूटीएल), एवं बैरा-स्यूल सरना ट्रांसमिशन लि. (बीएसएसटीएल) के 100 प्रतिशत शेयर आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. (आरईसीटीपीसीएल) द्वारा धारित है, जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसीएल) के पूर्ण स्वामित्व में सहायक कंपनी है। कंपनी के अधिनियम, 1956 की धारा 4 (1)(ग) की शर्तो के अनुसार, ये कंपनियां 31 मार्च, 2013 को आरईसी की भी सहायक कंपनी थी।

(जे.एस.अमिताभ)	(अजीत कुमार अग्रवाल)	(राजीव शर्मा)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुबंध-V

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

शेयरधारकगण
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार मैसर्स रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि (जिसे इसमें इसके बाद 'अवधि' कहा जाएगा) के रजिस्टरों और अभिलेखों की जांच की है:

क. कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियम;

ख. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम और उप-नियम;

ग. प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियम;

घ. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और उसके अधीन बनाए गए नियम, दिशानिर्देश तथा विनियम, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अभिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार निषेध) विनियम, 1992;

ङ. बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ सूचीकरण करार;

च. विदेशी मुद्रा तथा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, विनियम, मुख्य परिपत्र और अधिसूचनाएं;

छ. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में उसके अधीन जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देश और परिपत्र;

ज. हमारी राय में हमारे द्वारा की गई नमूना जांच, कंपनी, उसके कंपनी सचिव तथा अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के सत्यापन और हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 ('अधिनियम') के उपबंधों और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के ज्ञापन और संस्था अंतर्नियमों का पालन किया है:

1) विभिन्न सांविधिक रजिस्टरों का रखरखाव और उनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना;

2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित समय-सीमा के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार और केंद्रीय सरकार को आवश्यक फार्म और विवरणियां दाखिल करना;

3) कंपनी के सदस्यों, लेखापरीक्षकों, डिबेंचरधारकों और डिबेंचर न्यासियों को दस्तावेज उपलब्ध करना;

4) निदेशक मंडल और इसकी समितियों का गठन, निदेशकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र;

5) कंपनी सचिव की नियुक्ति;

6) निदेशक मंडल की बैठकों और निदेशकों की समितियों की बैठकों तथा वार्षिक आम बैठक की सूचना और कार्यसूची उपलब्ध कराना;

7) निदेशकों, निदेशकों की समितियों और वार्षिक आम बैठकों का आयोजन करना;

8) आम बैठकों और निदेशक मंडल की बैठकों तथा इसकी समिति की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना और उस पर हस्ताक्षर करना;

9) लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक;

10) शेयरों के अंतरण तथा पारेषण तथा शेयरों के डिमैटिरियलाइजेशन/ रिमैटिरियलाइजेशन के मूल और डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करना और उन्हें सुपुर्द करना;

11) अधिनियम की धारा 205 के उपबंधों के अनुपालन में पात्र शेयरधारकों को अंतिम और अंतरिम दोनों लाभांशों की घोषणा और अदायगी करना;

12) अधिनियम की धारा 205ग के उपबंधों के अनुपालन में निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में डिबेंचरों पर उपचित अदावाकृत/अप्रदत्त ब्याज का अंतरण;

13) डिबेंचरों और डिबेंचरों के उन्मोचन पर ब्याज की अदायगी;

14) उधार लेने और पंजीकरण, आशोधन करना तथा प्रभारों का समाधान;

15) अधिनियम की संशोधित अनुसूची VI के अनुसार तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा उसमें प्रकटनों को तैयार करना;

16) सामान्यतः इस अधिनियम के अन्य लागू सभी उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम।

II. हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि:

(1) निदेशकों ने अन्य कंपनियों के शेयरधारण और निदेशकता के संबंध में उनके हित और संविदाओं तथा व्यवस्थाओं में उनकी चिंताओं को प्रकट किया है और जब कभी आवश्यक हुआ है, अन्य प्रतिष्ठानों के संबंध में भी अपने हित को प्रकट किया है और उनके प्रकटन को निदेशक मंडल द्वारा नोट किया गया है तथा रिकार्ड किया गया है;

(2) निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता के संबंध में अपेक्षित प्रकटन, उनके स्वतंत्र होने के संबंध में और निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन की आचरण संहिता का अनुपालन किया है;

(3) कंपनी ने इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए हैं;

(4) कंपनी अधिनियम, सेबी अधिनियम, एससीआरए निक्षेपागार अधिनियम, सूचीकरण करार और इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अधीन समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी, इसके निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ/पर कोई अभियोजन की कार्रवाई नहीं की गई है और कोई जुर्माना या दंड नहीं लगाया है।

III. हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी ने निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए उप-नियमों का अनुपालन किया है।

IV. हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि इस अवधि के दौरानः

(1) कंपनी ने बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ निष्पादित सूचीकरण करार के अधीन सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है;

(2) कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (शेयरों) का मूल अभिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011, जिसमें इन विनियमों के अधीन अपेक्षित रिकार्डों के प्रकटन और अनुरक्षण संबंधी उपबंध भी शामिल हैं, का अनुपालन किया है;

(3) कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार निषेध) विनियम, 1992, जिसमें इन विनियमों के अधीन अपेक्षित रिकार्डों के प्रकटन और अनुरक्षण संबंधी उपबंध भी शामिल हैं, का अनुपालन किया है।

V. हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी ने विदेशी मुद्रा और प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, मुख्य परिपत्रों और अधिसूचनाओं, जिनमें फेमा (विदेशी मुद्रा में उधार देने या लेने) विनियम, 2000 दिनांक 03 मई, 2000 भी शामिल है, का अनुपालन किया है।

VI. हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों का पालन किया है।

कृते ग्रोवर आहूजा एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

पूनम आहूजा
भागीदार
सीपी सं. 6586

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 मई, 2013

अनुबंध-VI

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,,
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 49 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश-2010 के खंड 8.2.1 में अनुबंधित हैं।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित सुशासन की उन शर्तों का अनुपालन किया है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी के सूचीकरण के खंड 49 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है। लेकिन 05 फरवरी, 2013 से एक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र के कारण निदेशक मंडल का गठन सूचीकरण करार के खंड 49 के उप-खंड (i)(ए) के उपबंधों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के उपबंधों के अनुसार नहीं था।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता अथवा दक्षता या प्रभावशीलता का कोई आश्वासन नहीं है, जिसके अनुसार प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001113एन

(आर.सी. पांडे)
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

(के.एस. पोन्नुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 08 अगस्त 2013

31 मार्च, 2013 के अनुसार तुलनपत्र

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	टिप्पणी सं.	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	1	987.46	987.46
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	2	16,466.92	13,575.58
उप-जोड़ (1)		17,454.38	14,563.04
(2) गैर-चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालिक उधार	3	90,960.38	76,553.68
(ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	4	80.25	23.01
(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	188.45	86.16
उप-जोड़ (2)		91,229.08	76,662.85
(3) चालू देयताएं			
(क) अल्पकालिक उधार	6	2,480.00	2,500.00
(ख) अन्य चालू देयताए	7	19,116.40	14,502.37
(ग) अल्पकालिक प्रावधान	5	227.43	318.45
उप-जोड़ (3)		21,823.83	17,320.82
जोड़ (1+2+3)		130,507.29	108,546.71
II. परिसंपत्तियां			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियां			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां	8		
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		67.59	68.24
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		3.71	2.22
(iii) पूंजीगत चालू कार्य		8.75	7.92
(iv) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		-	0.10
		80.05	78.48
(ख) गैर-चालू निवेश	9	613.45	710.43
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	9.51	10.05
(घ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	11	114,574.53	89,985.31
(ङ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	12	130.76	247.92
उप-जोड़ (1)		115,408.30	91,032.19
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) चालू निवेश	9	47.16	47.16
(ख) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	13	1,484.26	5,311.48
(ग) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	14	1,915.95	2,972.75
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	11,651.62	9,183.13
उप-जोड़ (2)		15,098.99	17,514.52
जोड़ (1+2)		130,507.29	108,546.71

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 006747 एन
के.एस.पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 001113 एन
आर.सी.पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि के लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ों में)

	ब्योरे	टिप्पणी सं.	31.03.2013 को समाप्त अवधि	31.03.2012 को समाप्त अवधि
I.	प्रचालन राजस्व	16	13,518.86	10,423.75
II.	अन्य आय	17	79.81	85.32
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		13,598.67	10,509.07
IV.	**व्यय**			
	(i) वित्तीय लागत	18	8,006.25	6,378.80
	(ii) कर्मचारी हितलाभ व्यय	19	151.84	170.97
	(iii) मूल्यह्रास और परिशोधन	8	3.75	3.27
	(iv) अन्य व्यय	20	64.69	58.35
	(v) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		25.00	49.09
	(vi) मानक ऋण परिसंत्तियों के प्रति आकस्मिक भत्ता		105.68	-
	(vii) पुनः निर्धारित ऋणों का प्रावधान		-	3.18
	(viii) विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ ऋण		77.51	52.55
	कुल व्यय (IV)		8,434.72	6,716.21
V.	**कर-पूर्व लाभ (V-VI)**		5,163.95	3,792.86
VI.	**कर व्यय:**			
	(i) चालू वर्ष		1,345.79	974.59
	(ii) पिछले वर्ष / (वापसियां)		-	-1.48
	(iii) आस्थगित कर		0.54	2.72
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		1,346.33	975.83
VII.	**सतत प्रचालन अवधि का लाभ (V-VI)**		3,817.62	2,817.03
VIII.	**प्रचालन बंद करने से लाभ (कर-पश्चात)**		-	-
IX.	**इस अवधि का लाभ (VII+VIII)**		3,817.62	2,817.03
X.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में)**			
	(1) मूल	21	38.66	28.53
	(2) डायल्यूटिड	21	38.66	28.53

ये महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 41 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 006747 एन
के.एस.पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 001113 एन
आर.सी.पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) **लेखांकन परंपरा: -** वित्तीय विवरण को लेखांकन की उपचित पद्धति पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा के आधार पर तैयार किया जाता है और ये भारत में सामान्यतः स्वीकार्य तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की संगत प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरूप हैं।

(ख) **अनुमानों का उपयोग: -** वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं।

2. राजस्व मान्यता

निगम ने स्वयं के विस्तृत विवेकपूर्ण मानदंडों का निरूपण किया है। लेखांकन आरईसी के इन विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ही किया जाता है और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान नीचे पैरा 2.1क, 2.1ड़, 2.2 और 2.3 के अधीन दिए गए अनुसार हैं।

2.1. आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, जहां ब्याज/मूलधन दो तिमाही अथवा उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया हो, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे वापिस कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (1) आरईसी की लागत तथा व्यय (2) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (3) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (4) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे ऋणों के संबंध में जहां शर्तों पर पुनः बातचीत/पुनः निर्धारण/पुनः संरचना की जा रही हो, आय की पहचान उपचित आधार पर तब की जाती है, जब संगत रूप से यह आशा की जाती है कि कर्जदारों से देयों की प्राप्ति में कोई अनिश्चितता नहीं है और कानूनी रूप से बाध्यकारी एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जा चुका है तथा तदनुरूपी समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रभावी तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक पुनर्विचार-विमर्श अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनर्संरचना शर्तों के अनुसार कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है।

ख. आरजीजीवीवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यकृत किया जाता है।

ग. एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) के सेवा प्रभारों की आय को दी गई सेवाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सेवा प्रभारों की रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

घ. प्रसंस्करण फीस, अपफ्रंट फीस, मार्गदर्शन फीस, आवश्यक परिवर्तन खंड के तहत प्राप्त फीस/प्रभार और पूर्व भुगतान प्रीमियम शीर्ष के तहत होने वाली आय को उस वर्ष के हिसाब में लिया जाता है, जिसमें वे कंपनी को प्राप्त होती हैं।

ड. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय को रोकड़ आधार पर हिसाब में लिया जाएगा;

परंतु, कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश से आय को उपचित आधार पर तब हिसाब में लिया जाएगा जब कारपोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक साधारण बैठक में इसे घोषित किया गया हो और यह सुनिश्चित हो गया हो कि आरईसी को इसकी अदायगी प्राप्त करने का अधिकार है।

(2) कारपोरेट निकाय के बांडों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

परंतु, यह तब जबकि इन लिखतों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित है और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता है और बकाया नहीं है।

(3) कारपोरेट निकायों या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय और उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में ली जाएगी।

2.2 परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

ऋण तथा अग्रिम और ऋण के किसी अन्य रूप को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, नामतः

(i) **मानक परिसंपत्तियां :** मानक परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियों से है जो एनपीए नहीं हैं और जिनके संबंध में मूलधन और ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई हो और जो कारोबार से संबद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली न हों।

(ii) **उप-मानक परिसंपत्तियां:** 'उप-मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य हैः

(क) ऐसी परिसंपत्तियां जो 18 महीने से अनधिक अवधि तक अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई होंः

(ख) ऐसी परिसंपत्तियां जिनके संबंध में ब्याज और/या मूलधन के बारे में करार की शर्तों के संबंध में पुनः बातचीत की गई हो या जिन्हें पुनः निर्धारित किया गया हो या जिन्हें पुनर्गठित किया गया हो, बशर्ते कि बातचीत या पुनः निर्धारण या पुनर्गठन की शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य-निष्पादन का एक वर्ष समाप्त न हुआ हो।

(ग) ऋण परिसंपत्तियों के मानक ढांचों का पुनः निर्धारण या पुनर्गठन या पुनः बातचीत को उस स्थिति तक पुनः वर्गीकृत नहीं समझा जाएगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित परियोजना को व्यवहार्य न पाया गया हो।

(iii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां:** संदिग्ध परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जो 18 माह से अधिक अवधि तक उप-मानक परिसंपत्ति रही हो।

(iv) **हानि परिसंपत्तियां :** हानि वाली परिसंपत्ति से तात्पर्य है-

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिन्हें आरईसी द्वारा उस सीमा तक हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया हो, जिस सीमा तक आरईसी द्वारा इसे बट्टे खाते नहीं डाला गया हो या ऐसी परिसंपत्ति जो 5 वर्ष से अधिक अवधि तक संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में रही हो, इनमें से जो भी पहले हो।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण या उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

विवेकपूर्ण मानदंडों तथा प्रावधान किए जाने के मानदंडों के उपयोग के प्रयोजन हेतु,

(क) राज्य/केंद्रीय क्षेत्र के निकायों को प्रदान की गई सुविधाओं को ऋण-वार लिया जाता है।

(ख) अन्य निकायों को प्रदान की गई सुविधाओं को कर्जदार-वार लिया जाता है।

2.3 ऋणों के अनुसार प्रावधान

खरीदे तथ छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी

(i) **हानि वाली परिसंपत्तियां:** समूची परिसंपत्ति को बट्टे खाते डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाये के लिए 100% प्रावधान किया जाएगा

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां:**

(क) उस सीमा तक 100% प्रावधान किया जाएगा जिस सीमा तक उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य को एक वास्तविक आधार पर लगाया जाएगा। केंद्रीय योजना आबंटन अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋण में से कटौती के संबंध में केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी अथवा राज्य सरकार के वचनपत्र वाले ऋण को प्रतिभूत माना जाएगा;

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के लिए 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को संदिग्ध के रूप में माना गया है:	प्रावधान की प्रतिशतता
1 वर्ष तक	20 प्रतिशत
1 से 3 वर्ष	30 प्रतिशत
3 वर्ष से अधिक	50 प्रतिशत

(iii) **उप-मानक परिसंपत्तियां-** 10% का प्रावधान किया जाएगा।

कोई परिसंपत्ति जिसे पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारित अथवा पुनः संरचित किया गया है, एक उप-मानक परिसंपत्ति होगी अथवा उसी श्रेणी में परिसंपत्ति अथवा संदिग्ध परिसंपत्ति अथवा एक हानि परिसंपत्ति के रूप में, जैसा भी मामला हो, बनी रहेगी जिसमें वह पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारण या पुनः संरचना से पूर्व थी। ऐसी उक्त परिसंपत्ति पर उसे उन्नयनीकृत किए जाने तक आवश्यक प्रावधान को लागू किए जाने की आवश्यकता होती है।

(iv) **मानक परिसंपत्तियां-** मानक परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान निगम द्वारा तय किए गए अनुसार किया जाएगा, ताकि इन्हें 31 मार्च, 2015 तक न्यूनतम 0.25% तक लाया जा सके।

3. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1. परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर यथा अनुपात आधार पर मुहैया कराया जाता है।

4.2. वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है, बशर्ते कि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक अवधि तक किया गया हो। इस पर मूल्यह्रास क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित नहीं किया जाएगा।

4.3. वर्ष के दौरान क्रय की गई ₹ 5,000/- तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4. पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्थिति में स्वीकार किया जाता है यदि यह संभव हो कि इस परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि को उसके उपयोग की अवधि के सर्वश्रेष्ठ अनुमान की तुलना में व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है। प्रबंधन अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगी मियाद का अनुमान 5 वर्ष लगाता है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार किए जाते हैं। तथापि निवेश के मूल्य में कमी के लिए, अस्थायी को छोड़कर, हिसाब में लेने हेतु प्रावधान किया जाता है। प्रत्येक निवेश के संबंध में ऐसी कमी का निर्धारण अलग - अलग किया जाता है। वर्तमान निवेश को, लागत अथवा उचित मूल्य, जो कोई भी कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुटपुट लाभ कर शामिल हैं (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभाव अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा करयोग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभारों को दर्शाने वाला) को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है, जिन्हें तुलन-पत्र तारीख को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित परिसंपत्ति को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है, जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता है।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

8. परिसंपत्तियों को क्षति

प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों से होने वाली आय की राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो क्षति/हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूलीयोग्य राशि परिसंपत्ति के निवल बिक्री लगातों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है, जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना से परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव हो कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलनपत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

10. बांड/ऋण निर्गम

10.1. बांडों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को बांड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2. निगम बांड के संबंध में ब्याज वारंट के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित ब्याज वारंट बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये नामित लेखे बहियों में प्रदर्शित नहीं होते, बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3. निधियों को जुटाए जाने में हुआ व्यय, जिस वर्ष हुआ है, के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है, परंतु कमर्शियल पेपरों/आरईजी-एस बांडों (विदेशी वाणिज्यिक उधारों) पर उस छूट/ब्याज को लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, जो उसकी कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

11. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचित प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

12. पूर्वावधि/पूर्व प्रदत्त समायोजन

12.1. व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षों की ब्याज आय/व्यय को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा, जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया हो।

12.2. प्रत्येक मामलों में ₹ 5,00,000/- से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का निर्धारण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर एक अलग न्यास द्वारा उपबंधित और वित्तपोषित किया जाता है।

13.2 कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है, जिस पर बीमांकक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा के लेन-देन

14.1 विदेशी मुद्रा के लेन-देन को शुरू में लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

01 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखाकरण अवधि के संबंध में प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की संदर्भ दरों पर दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गम की तारीख से 12 माह या उससे अधिक होती है) की सूचना मिलने पर होने वाले विनिमय के अंतर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग में उल्लिखित उसी तारीख की अंतिम दर, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए शुरू के अंतर अथवा पिछले वित्तीय विवरण में बताई गई दर पर ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद के अंतर का अंतरण लेखा'' में संचित और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि से अधिक परिशोधित की जाती हैं।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गम की तारीख से 12 माह से कम हो) को प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की दर पर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसकी तारीख की अंतिम दर पर अंतरित किया जाता है। इसके परिणामतः विनिमय में होने वाली घट-बढ़ को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

14.2 भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा ऋण के भाग का उल्लेख विनिमय लेन-देनों में निर्धारित दर पर किया जाता है न कि वर्ष के अंत की दरों में अंतरित किया जाता है।

15. सरकार से अनुदान/निधियां

आगे संवितरण के लिए प्राप्त अनुदान की अवितरित निधियों को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी निधियों पर जब कभी ब्याज अर्जित किया जाता है, तो यदि अनुदान की शर्तों में अपेक्षित हो तो उसे संबंधित अनुदान में जमा किया जाता है या ''अन्य आय'' में जमा किया जाता है।

16. व्युत्पन्न लेनदेन

16.1 व्युत्पन्न लेन-देन में अग्रेषण, ब्याज दर का विनिमय, परस्पर मुद्रा विनिमय और मुद्रा तथा परिसंपत्तियों और देयताओं की सुरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विकल्प भी शामिल हैं।

16.2 व्युत्पन्न लेन-देन सुरक्षा के प्रयोजन के लिए किया जाता है न कि व्यापार या काल्पनिक प्रयोजन के लिए। इन्हें उपचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है और बाजार में इनका विपणन नहीं किया जाता है।

लेखा टिप्पणियां

1. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	रकम	शेयरों की संख्या	रकम
प्राधिकृतः				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	1,200,000,000	1,200.00	1,200,000,000	1,200.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	987,459,000	987.46	987,459,000	987.46
जोड़	987,459,000	987.46	987,459,000	987.46

1.1 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन, स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड) के साथ निष्पादित सूचीकरण करारों के अनुसार और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था अंतर्नियमों के अनुसार उपलब्ध ऐसे सभी अधिकार होते है।

1.2 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारकः

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	659,607,000	66.80%	659,607,000	66.80%

2. आरक्षित और अधिशेष निधि

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	
आरक्षित पूंजी		105.00		105.00
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा (टिप्पणी 2.1 देखें)				
वर्ष के शुरू में शेष		3,222.43		3,222.43
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन		0.05		-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन		-		-
वर्ष के अंत में शेष		3,222.48		3,222.43
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 2.2 देखें)				
वर्ष के शुरू में शेष		113.99		-
जोड़ें: अधिशेष लेखे से अंतरित रकम		46.20		113.99
वर्ष के अंत में शेष		160.19		113.99
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि				
वर्ष के शुरू में शेष		4,587.64		3,905.94
जोड़ें: अधिशेष लेखे से अंतरित रकम		942.00		681.70
वर्ष के अंत में शेष		5,529.64		4,587.64
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि				
वर्ष के शुरू में शेष		754.97		595.38
जोड़ें: अधिशेष लेखे से अंतरित रकम		226.00		159.59
वर्ष के अंत में शेष		980.97		754.97
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा (टिप्पणी 2.3 देखें)				
वर्ष के शुरू में शेष		-181.88		0.00
जोड़: वर्ष के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अतंरण लाभ/हानि		-56.97		-209.02
वर्ष के शुरू में परिशोधन		78.57		27.14
वर्ष के अंत में शेष		-160.28		-181.88

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	
सामान्य आरक्षित निधि				
वर्ष के शुरू में शेष		**2,729.40**		2,447.67
जोड़ें: अधिशेष लेखे से अंतरित रकम		**382.00**		281.73
वर्ष के अंत में शेष		**3,111.40**		2,729.40
अधिशेष लेखा				
वर्ष के शुरू में शेष		**2,244.03**		1,524.74
जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ		**3,817.62**		2,817.03
घटाएं: विनियोजन				
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**942.00**		681.70	
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	**226.00**		159.59	
- लाभांश				
- अंतरिम लाभांश	**666.53**		493.73	
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**148.12**		246.86	
- लाभांश वितरण कर				
- अंतरिम लाभांश	**108.11**		80.09	
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**25.17**		40.05	
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**46.20**		113.99	
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**382.00**	**2,544.13**	281.73	2,097.74
वर्ष के अंत में शेष		**3,517.52**		2,244.03
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि		**16,466.92**		13,575.58

2.1 वित्त वर्ष 2012-13 के प्रतिभूति प्रीमियम लेखे में परिवर्धन में प्राइवेट प्रतिस्थापन के माध्यम से कर-मुक्त बांडों को जारी किए जाने पर प्राप्त प्रीमियम दर्शाया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 29,791.50 को घटाया गया है, जिसमें इक्विटी शेयरों के पिछले और पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) के संबंध में वर्ष के दौरान खर्च किए गए शुल्क/कमीशन की रकम शामिल है, जिसे करोड़ रुपयों को पूर्णांकित करने के कारण उपर्युक्त संचलन में नहीं दिखाया गया है।

2.2 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 117ग के उपबंधों के अनुसार, जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र संख्या 4/2013 दिनांक 11.02.2013 के जरिए और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता की अवधि के दौरान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना और उनका सूचीकरण करना) विनियम, 2008 में दिखाए गए अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) के लिए सृजित किया है और प्राइवेट रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में किसी डीआरआर की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार, इस वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 46.20 करोड़ की रकम के डीआरआर सृजित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष ₹ 113.99 करोड़ की रकम के डीडीआर सृजित किए थे।

2.3 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर-लेखे

कंपनी ने लेखाकरण मानक-11 के पैरा 46क ''विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के संबंध में विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद की दीर्घकालिक अवधि के संबंध में विदेशी मुद्रा घट-बढ़ हानि/(लाभ) के परिशोधन के लिए स्थायी विकल्प के रूप में अपनाया है। ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर-लेखा'' में परिशोधित शेष रकम ₹ 160.28 करोड़ है (जबकि पिछले वर्ष ₹ 181.88 करोड़ थी)।

भारतीय सनदी लेखा संस्थान (आईसीए) द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसरण में कंपनी ने 'इक्विटी और देयता' पर 'आरक्षित और अधिशेष निधि' शीर्षक के अधीन 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर-लेखे' में शेष को पुनःवर्गीकृत किया है, जो पहले पिछले वर्षों में 'परिसंपत्तियों' के 'गैर-चालू परिसंपत्तियां' शीर्षक के अधीन वर्गीकृत की गई थी।

2.4 प्रस्तावित लाभांश

इस वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश इस प्रकार है:

ब्योरे	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर		
- प्रस्तावित लाभांश की रकम (₹ करोड़ों में)	**148.12**	246.86
- लाभांश की दर	**15.00%**	25.00 %
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश	**1.50**	2.50

लेखा टिप्पणियां

3. दीर्घावधि उधार

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(ए) प्रतिभूत उधार		
(क) बांड		
- संस्थागत बांड	**17,297.38**	21,123.70
- 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांड	**10,142.61**	10,283.25
- कर-मुक्त बांड	**5,648.41**	3,000.00
(ख) आवधिक ऋण		
- बैंकों से	**19.40**	38.80
- वित्तीय संस्थाओं से	**1,800.00**	4,020.00
कुल प्रतिभूत दीर्घावधि उधार (क+ख)	**34,907.80**	38,465.75
(बी) अप्रतिभूत उधार		
(क) बांड		
- संस्थागत बांड	**39,695.00**	25,756.10
- इंफ्रास्ट्रक्चर बांड	**376.32**	376.32
- जीरो कूपन बांड	**779.11**	719.23
(ख) आवधिक ऋण		
- बैंकों से	**250.00**	750.00
- भारत सरकार से	**7.93**	15.14
(ग) अन्य ऋण और अग्रिम		
- विदेशी मुद्रा उधार	**14,944.22**	10,471.14
कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि उधार (क+ख+ग)	**56,052.58**	38,087.93
कुल दीर्घावधि उधार (ए+बी)	**90,960.38**	76,553.68

3.1 उधार का विवरणः

उधार के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त दीर्घावधि उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और टिप्पणी 7 'अन्य चालू देयताओं' में उधार के चालू अंश को ''दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आरक्षित दीर्घावधि उधार का विवरणः

(प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 3.3 देखें)

लेखा टिप्पणियां

3.1.1 बांड

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.1.1.1 संस्थागत बांड				
92-II श्रृंखला	**945.30**	**-**	945.30	-
8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय				
91-II श्रृंखला	**995.90**	**-**	995.90	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2019 को विमोचनीय				
90-सी-II श्रृंखला	**1,040.00**	**-**	1,040.00	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 06.10.2019 को विमोचनीय				
90-ख-II श्रृंखला	**868.20**	**-**	868.20	-
8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय				
90वीं श्रृंखला	**2,000.00**	**-**	2,000.00	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय				
88वीं श्रृंखला	**1,495.00**	**-**	1,495.00	-
8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय				
87-क-II श्रृंखला	**-**	**36.40**	36.40	-
11.20% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय दिनांक 24.10.2013 को पुट-कॉल आप्शन पर				
87-क-III श्रृंखला	**61.80**	**-**	61.80	-
11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय				
87-II श्रृंखला	**657.40**	**-**	657.40	-
10.85% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2018 को विमोचनीय				
86-ख-III श्रृंखला	**432.00**	**-**	432.00	-
10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय				
86-क श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
10.70% सममूल्य पर दिनांक 29.07.2018 को विमोचनीय				
85वीं श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय				
83वीं श्रृंखला	**685.20**	**-**	685.20	-
9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय				
82वीं श्रृंखला	**883.10**	**-**	883.10	-
9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय				
81वीं श्रृंखला	**314.80**	**-**	314.80	-
8.85% सममूल्य पर दिनांक 20.01.2017 को विमोचनीय				
80वीं श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
8.20% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2016 को विमोचनीय				
79वीं श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
7.85% सममूल्य पर दिनांक 14.03.2016 को विमोचनीय				
78वीं श्रृंखला	**1,795.70**	**-**	1,795.70	-
7.65% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2016 को विमोचनीय				

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
93-II श्रृंखला	**443.10**	**-**	443.10	-
8.45% सममूल्य पर दिनांक 19.02.2015 को विमोचनीय				
90-ख-I श्रृंखला	**883.90**	**-**	883.90	-
8.35% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2014 को विमोचनीय				
90-क-II श्रृंखला	**1,000.00**	**-**	1,000.00	-
8.00% सममूल्य पर दिनांक 05.08.2014 को विमोचनीय				
89-II श्रृंखला	**255.00**	**-**	255.00	-
7.70% सममूल्य पर दिनांक 02.06.2014 को विमोचनीय				
69वीं श्रृंखला	**-**	**133.84**	133.84	133.84
6.05% सममूल्य पर ₹ 133.84 करोड़ की समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 23.01.2014 को देय है।				
87-ग-III श्रृंखला	**-**	**860.00**	860.00	-
11.50% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2013 को विमोचनीय				
73वीं श्रृंखला	**46.78**	**46.78**	93.56	46.78
6.90% सममूल्य पर ₹ 46.78 करोड़ की समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 08.10.2013 को देय।				
87-I श्रृंखला	**-**	**370.20**	370.20	-
10.90% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2013 विमोचनीय				
75वीं श्रृंखला	**100.00**	**100.00**	200.00	100.00
7.20% सममूल्य पर ₹ 50.00 करोड़ की समान छमाही किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 17.09.2013 को देय				
86-ख-II श्रृंखला	**-**	**354.10**	354.10	-
10.90% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2013 को विमोचनीय				
86वीं श्रृंखला	**-**	**727.90**	727.90	-
10.75% सममूल्य पर दिनांक 24.07.2013 को विमोचनीय				
77वीं श्रृंखला	**394.20**	**197.10**	591.30	197.10
7.30% समसमूल्य पर ₹ 197.10 करोड़ की समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त 30.06.2013 को देय।				
84वीं श्रृंखला	**-**	**1,000.00**	1,000.00	-
9.45% सममूल्य पर दिनांक 04.04.2013 को विमोचनीय				
93-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	141.50
7.65% सममूल्य पर दिनांक 19.02.2013 को विमोचनीय				
92-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	924.60
7.60% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2013 को विमोचनीय				
91-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	943.00
7.75% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2012 को विमोचनीय				
90-ग-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	1,417.50
7.90% सममूल्य पर दिनांक 06.10.2012 को विमोचनीय				
90-क-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	1,000.00
7.15% सममूल्य पर दिनांक 05.08.2012 को विमोचनीय				
89-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	671.50
7.00% सममूल्य पर दिनांक 02.06.2012 को विमोचनीय				
जोड़ - संस्थागत बांड	**17,297.38**	**3,826.32**	21,123.70	5,575.82

लेखा टिप्पणियां

3.1.1.2 54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांड (टिप्पणी 3.4 देखें)

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
श्रृंखला VIII (2012-13)	**4,903.25**	**-**	-	-
6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विमोचनीय				
श्रृंखला VIII (2011-12)	**5,239.36**	**-**	5,239.36	-
6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विमोचनीय				
श्रृंखला VIII (2010-11)	**-**	**5,043.89**	5,043.89	-
6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान विमोचनीय				
श्रृंखला-VIII (2009-10)	**-**	**-**	-	3,057.78
6.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान विमोचनीय				
जोड़ - 54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांड	**10,142.61**	**5,043.89**	10,283.25	3,057.78
3.1.1.3 कर-मुक्त बांड				
श्रृंखला 2012-13 - ट्रांचे 2	**131.06**	**-**	-	-
सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 81.35 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 25.03.2023 के विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बांड दिनांक 25.03.2028 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 6.88% से 7.54% के बीच है।				
श्रृंखला 2012-13 - ट्रांचे 1	**2,017.35**	**-**	-	-
सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 1,165.31 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 19.12.2022 के विमोचनीय हैं और ₹ 852.4 करोड़ के बांड दिनांक 19.12.2027 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.22% से 7.88% है।				
श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2क और 2ख	**500.00**	**-**	-	-
सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 255.00 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 21.11.2022 के विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बांड दिनांक 21.11.2027 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर क्रमशः 7.21% से 7.38% है।				
श्रृंखला 2011-12	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 839.67 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 27.03.2022 के विमोचनीय हैं और ₹ 2160.33 करोड़ के बांड दिनांक 27.03.2027 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.93% से 8.32% है।				
जोड़ - कर-मुक्त बांड	**5,648.41**	**-**	**3,000.00**	**-**

3.1.2 आवधिक ऋण

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
बैंक से आवधिक ऋण				
- स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	**19.40**	**19.40**	38.80	19.40
₹ 9.70 करोड़ की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय। अगली किस्त दिनांक 24.09.2013 को देय				
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	**-**	**-**	-	50.00
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**-**	**-**	-	33.34
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण				
- भारतीय जीवन बीमा निगम	**1,800.00**	**350.00**	2,150.00	350.00
₹ 1500 करोड़ का ऋण (जो वर्तमान में ₹ 750 करोड़ बाकी है) और ₹ 2000 करोड़ का ऋण (जो वर्तमान में ₹ 1,400 करोड़ बाकी है) क्रमशः दिनांक 01.10.2008 और 01.10.2010 से शुरू 10 समान वार्षिक किस्तों में देय है।				
- इंडिया इंफास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	**-**	**1,870.00**	1,870.00	-
₹ 1,000.00 करोड़ और ₹ 870.00 करोड़ का ऋण क्रमशः दिनांक 21.01.2014 और 19.03.2014 को देय है।				
जोड़: आवधिक ऋण	**1,819.40**	**2,239.40**	4,058.80	452.74

लेखा टिप्पणियां

3.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक उधार के विवरण:

3.2.1 बांड

(₹ करोड़ों में)

	ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.2.1.1	संस्थागत बांड				
	95-II श्रृंखला	1,800.00	-	1,800.00	-
	8.75% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2025 को विमोचनीय				
	94वीं श्रृंखला	1,250.00	-	1,250.00	-
	8.75% सममूल्य पर दिनांक 08.06.2025 को विमोचनीय				
	111-II श्रृंखला	2,211.20	-	-	-
	9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय				
	107वीं श्रृंखला	2,378.20	-	-	-
	9.35% सममूल्य पर दिनांक15.06.2022 को विमोचनीय				
	105वीं श्रृंखला	3,922.20	-	3,922.20	-
	9.75% समसमूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचीन				
	101-III श्रृंखला	3,171.80	-	3,171.80	-
	9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय				
	100वीं श्रृंखला	1,500.00	-	1,500.00	-
	9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय				
	98वीं श्रृंखला	3,000.00	-	3,000.00	-
	9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय				
	97वीं श्रृंखला	2,120.50	-	2,120.50	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2020 को विमोचनीय				
	96वीं श्रृंखला	1,150.00	-	1,150.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 25.10.2020 को विमोचनीय				
	113वीं श्रृंखला	1,542.00	-	-	-
	8.87% सममूल्य पर दिनांक 08.03.2020 को विमोचनीय				
	111-I श्रृंखला	452.80	-	-	-
	9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय				
	108-II श्रृंखला	960.00	-	-	-
	9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय				
	95-I श्रृंखला	200.00	-	200.00	-
	8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय				
	112वीं श्रृंखला	1,500.00	-	-	-
	8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचनीय				
	109वीं श्रृंखला	1,734.70	-	-	-
	9.25% सममूल्य पर दिनांक 27.08.2017 को विमोचनीय				
	108-I श्रृंखला	2,125.00	-	-	-
	9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचनीय				
	106वीं श्रृंखला	1,500.00	-	1,500.00	-
	9.28% सममूल्य पर दिनांक 15.02.2017 को विमोचनीय				
	104वीं श्रृंखला	-	1,025.00	1,025.00	-
	9.30% सममूल्य पर दिनांक 03.11.2016 को विमोचनीय और दिनांक 03.05.2013 को पुट-कॉल विकल्प				
	103-I श्रृंखला	-	915.00	915.00	-
	9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को विमोचनीय और दिनांक 19.10.2013 को पुट-कॉल विकल्प				
	103-II श्रृंखला	-	500.00	500.00	-
	9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को विमोचनीय और दिनांक 19.10.2013 को पुट-कॉल विकल्प				

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
102वीं श्रृंखला	**2,216.20**	**-**	2,216.20	-
9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.09.2016 को विमोचनीय				
101-II श्रृंखला	**394.60**	**-**	394.60	-
9.45% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2016 को विमोचनीय				
74वीं श्रृंखला	**250.00**	**-**	250.00	-
7.22% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2014 को विमोचनीय				
110वीं श्रृंखला	**3,475.00**	**-**	-	-
8.84% सममूल्य पर दिनांक 16.10.2014 को विमोचनीय				
101-I श्रृंखला	**395.60**	**-**	395.60	-
9.43% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2014 को विमोचनीय				
99-II श्रृंखला	**445.20**	**-**	445.20	-
9.75% सममूल्य पर दिनांक 07.06.2014 को विमोचनीय				
99-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	1,480.00
9.70% समसमूल्य पर दिनांक 08.06.2012 को विमोचनीय				
जोड़ - संस्थागत बांड	**39,695.00**	**2,440.00**	25,756.10	1,480.00

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.2.1.2 इंफ्रास्ट्रक्चर बांड				
श्रृंखला-II (**2011-12**)	**157.59**	**-**	157.59	-
सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.5 देखें।				
श्रृंखला-I (**2010-11**)	**218.73**	**-**	218.73	-
सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.5 देखें।				
जोड़: इंफ्रास्ट्रक्चर बांड	**376.32**	**-**	**376.32**	**-**
3.2.1.3 जीरो कूपन बांड				
जेडसीबी- श्रृंखला-II दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय	**139.18**	**-**	127.97	-
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बांड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो समसमूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय है)				
जेडसीबी- श्रृंखला-I दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय	**639.93**	**-**	591.26	-
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बांड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय है)				
जोड़: जीरो कूपन बांड	**779.11**	**-**	719.23	-
3.2.2 आवधिक ऋण				

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.2.2.1 बैंकों से आवधिक ऋण				
- सेंट्रल बैंक	**-**	**500.00**	500.00	-
दिनांक 27.02.2014 को प्रतिदेय				
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**250.00**	**-**	250.00	200.00
₹ 50.00 करोड़ का आवधिक ऋण दिनांक 29.06.2014 और 29.06.2015 को समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय और ₹ 200.00 करोड़ का दूसरा आवधिक ऋण दिनांक 27.07.2014 और 27.07.2015 को दो समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय				
3.2.2.2 - भारत सरकार से	**7.93**	**7.21**	15.14	9.50
मूलधन के संबंध में 30 वर्ष के मूल अवधि और पांच वर्ष के ऋण स्थगन सहित विभिन्न खंडों में ऋण और अवरोही छठी वर्षगांठ से शुरूहोने वाली 25 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय।				
जोड़ - आवधिक ऋण	**257.93**	**507.21**	765.14	209.50

लेखा टिप्पणियां

3.2.3 अन्य ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ों में)

	ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.2.3.1	विदेशी मुद्रा उधार				
	सीएचएफ बांड - सीएचएफ 200 मिलियन	1,139.38	-	1,132.56	-
	3.50% सममूल्य पर दिनांक 07.03.2017 को विमोचनीय				
	एस बांड के बारे में - 500 मिलियन अमरीकी डालर	2,498.55	-	2,417.73	-
	4.25% सममूल्य पर दिनांक 25.01.2016 को विमोचनीय				
	जेआईसीए ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	921.89	192.61	1,059.02	128.26
	जेआईसीए-I ऋण दिनांक 20.03.2021 तक ¥ 982.33 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय। अगली किस्त दिनांक 20.09.2013 को देय हो रही है और जेआईसीए-II ऋण दिनांक 20.03.2013 से शुरू होकर दिनांक 20.03.2023 तक ¥ 995.33 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय।				
	केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	246.17	47.92	294.09	45.55
	3.68 मिलियन की छमाही किस्तों में प्रतिदेय। अगली किस्त दिनांक 30.06.2013 को देय है।				
	ईसीबी - बैंक-II - से सिंडिकेट ऋण 400 मिलियन अमेरिकी डालर	1,788.96	-	1,788.96	-
	दिनांक 22.09.2015 को प्रतिदेय				
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मारीशस - 70 मिलियन अमेरिकी डालर	311.36	-	311.36	-
	दिनांक 28.10.2015 को प्रतिदेय				
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मिजुहो - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	446.50	-	446.50	-
	दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय				
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण - बीटीएमयू- 100 मिलियन अमेरिकी डालर	446.50	-	446.50	-
	दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय				
	सिंडिकेट ऋण - 300 मिलियन अमेरिकी डालर	1,367.24	-	1,367.24	-
	दिनांक 19.08.2016 को प्रतिदेय				
	केएफडब्ल्यू-II ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	374.10	53.44	425.24	53.14
	3.88 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त दिनांक 30.06.20123 को देय				
	सिंडिकेट ऋण - अप्रतिभूति -- ¥ 12.525 बिलियन	1,143.76	-	781.94	-
	दिनांक 27.03.2017 को प्रतिदेय				
	सिंडिकेट ऋण - $ 250 मिलियन	1,366.49	-	-	-
	150 मिलियन अमेरिकी डालर और 100 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण क्रमशः 17.09.2015 और 19.11.2015 को प्रतिदेय				
	केएफडब्ल्यू-III ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	173.86	-	-	-
	€ 5.26 की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय, पहली किस्त दिनांक 30.06.2015 को देय				
	सिंडिकेट ऋण - $ 250 मिलियन	1,359.73	-	-	-
	दिनांक 21.03.2016 को प्रतिदेय				
	सिंडिकेट ऋण - $ 250 मिलियन	1,359.73	-	-	-
	दिनांक 05.02.2016 को प्रतिदेय				
	जोड़: विदेशी मुद्रा उधार	**14,944.22**	**293.97**	10,471.14	226.95

3.3 प्रतिभूत उधार की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखला 69 को 51 और 52/58-ख, 5वीं मंजिल, मित्तल टावर, ब्लॉक-II बैंकबे स्कीम, नरीमन प्वाइंट, कोलाबा, मुंबई-400 005. महाराष्ट्र भारत के परिसर बंधक रखकर और आईएल तथा एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कारपोरेशन के स्थायी और/या चालू परिसंपत्तियों (बुक डेबिट) के आधार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है।

संस्थागत बांडो की बांड श्रृंखला 73, 75, को (क) 51 और 52/58-ख, 5वीं मंजील, मितल टावर-ब्लॉक-II बैंकबे स्कीम, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400 005. महाराष्ट्र भारत के परिसर बंधक रखकर और (ख) दिनांक 24 सितंबर, 2010 के संयुक्त आडमान करार के आधार पर हमारी कंपनी के वर्तमान और भावी दोनों प्राप्त होने वाली रकम प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है।

लेखा टिप्पणियां

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखला 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86ए, 86 बी-II, 86 बी-III, 87-I, 87-II, 87 ए-II, 87 ए-III, 87 सी-III, 88, 89-II, 90, 90 ए-II, 90 बी-I, 90 बी-II, 90 सी-II, 91-II, 92-II, 93-II और सभी 54ईसी पूंजीगत लाभ कर-मुक्त बांडों का (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड गैम्स विलेज, नई दिल्ली-110049 को बधंकर रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरुप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त आडमान करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को आडमान रखी गई प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

कर-मुक्त बांडों (वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी) को शॉप संख्या 12, भूतल, ब्लॉक सं.35, चर्च रोड, माइलापुर, चेन्नै-600004 के परिसरों को प्रथम सममूल्य पर प्रभारित करके और आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में ₹ 4,998.66 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की कुछ विशिष्ट प्राप्त होने वाली रकम को आडमान करके प्रतिभूत किया गया है।

कर-मुक्त बांडों (वित्त वर्ष 2012-13 दौरान जारी) को (क) उप-प्लाट संख्या 8, टीपीएस संख्या 2, एफपी संख्या 584पी गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा स्थित परिसर को बंधक रखकर प्रथम सममूल्य पर प्रभारित करके; और (ख) एसबीआई कैंप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्य को आडमान करके प्रतिभूत किया गया है।

सभी आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्त होने वाली रकम को प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। लेकिन दिनांक 24 सितंबर, 2010 को अद्यतन किए गए संयुक्त आडमान करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पास आडमान रखी गई रकम इसमें शामिल नहीं है।

3.4 54ईसी पूंजीगत लाभ कर-मुक्त बांड वार्षिक रूप से देय 6.00% से 6.25% की ब्याज दर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए थे। इस वर्ष के दौरान 54ईसी पूंजीगत लाभ कर-मुक्त बांड श्रृंखला VIII 2012-13 वार्षिक रूप से देय 6.00% की ब्याज दर पर 3 वर्ष की अवधि सहित जारी किए गए थे। ये बांड तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि के अंत में स्वतः विमोचनीय हो जाएंगे।

3.5 जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ों में)

दिनांक 31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला I (2010-11)

ब्याज दर	रकम	विमोचन का विवरण
8.00 %	61.60	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20 %	151.74	
8.10 %	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20 %	3.78	
	218.73	

दिनांक 15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

ब्याज दर	रकम	विमोचन का विवरण
8.95 % संचयी	95.23	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.95 % वार्षिक	32.85	
9.15 % संचयी	13.43	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
9.15 % वार्षिक	5.01	
8.95 % संचयी	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95 % वार्षिक	1.38	
9.15 % संचयी	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15 % वार्षिक	1.13	
	157.59	

4. अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
- उपचित लेकिन उधारकर्ताओं को देय नहीं ब्याज का गैर-चालू अंश	80.25	23.01
कुल	**80.25**	23.01

लेखा टिप्पणियां

5. दीर्घावधि और अल्पावधि संबंधी प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार		दिनांक 31.03.2012 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
	- निम्नलिखित के लिए प्रावधान				
(क)	**कर्मचारी लाभ**				
	अर्जित अवकाश देयता	**19.54**	**3.78**	21.20	2.25
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	**54.26**	**1.54**	45.39	1.43
	चिकित्सा अवकाश देयता	**11.03**	**2.37**	10.84	1.15
	व्यवस्थापन भत्ता	**1.03**	**0.13**	1.02	0.10
	आर्थिक पुनर्वास योजना	**1.95**	**0.28**	1.95	0.24
	दीर्घ सेवा पुरस्कार	**2.44**	**0.62**	2.58	0.43
	उप-जोड़ (क)	**90.25**	**8.72**	82.98	5.60
(ख)	**अन्य**				
	मानक ऋण परिसंपत्तियां	**95.16**	**10.52**	-	-
	पुनः निर्धारित ऋण परिसंपत्तियां	**3.04**	**0.14**	3.18	-
	प्रोत्साहन	**-**	**34.03**	-	25.10
	अनुग्रह राशि	**-**	**-**	-	0.10
	धन कर	**-**	**0.37**	-	0.38
	फ्रिंज बेनिफिट टैक्स	**-**	**0.36**	-	0.36
	प्रस्तावित लाभांश	**-**	**148.12**	-	246.86
	कारपोरेट लाभांश कर	**-**	**25.17**	-	40.05
	उप-जोड़ (ख)	**98.20**	**218.71**	3.18	312.85
	जोड़ (क+ख)	**188.45**	**227.43**	86.16	318.45

वर्ष के दौरान निगम ने ₹ 105.68 करोड़ के मानक ऋण/परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक निधियों का प्रावधान किया है, जिसकी रकम दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार कुल बाकी मानक ऋण परिसंपत्तियों की रकम का 0.0833% है।

5.1 एएस-29 के अधीन यथा अपेक्षित प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ों में)

निम्नलिखित के लिए प्रावधान	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित	अंतशेष
अर्जित अवकाश देयता	23.45	5.66	5.79	**23.32**
पिछले वर्ष	21.50	5.00	3.05	**23.45**
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	46.82	11.75	2.77	**55.80**
पिछले वर्ष	37.40	12.18	2.76	**46.82**
चिकित्सा अवकाश देयता	11.99	2.23	0.82	**13.40**
पिछले वर्ष	10.62	2.18	0.81	**11.99**
व्यवस्थापन भत्ता	1.12	0.07	0.03	**1.16**
पिछले वर्ष	0.22	0.94	0.04	**1.12**
आर्थिक पुनर्वास योजना	2.19	0.25	0.21	**2.23**
पिछले वर्ष	2.06	0.27	0.14	**2.19**
दीर्घ सेवा पुरस्कार	3.01	0.45	0.40	**3.06**
पिछले वर्ष	2.37	3.91	3.27	**3.01**
मानक ऋण परिसंपत्तियां	-	105.68	-	**105.68**
पिछले वर्ष	-	-	-	**-**
पुनः निर्धारित ऋण परिसंपत्तियां	3.18	-	-	**3.18**
पिछले वर्ष	-	3.18	-	**3.18**

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

निम्नलिखित के लिए प्रावधान	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित	अंतशेष
प्रोत्साहन	25.10	41.47	32.54	**34.03**
पिछले वर्ष	16.40	23.60	14.90	**25.10**
अनुग्रह राशि	0.10	-	0.10	**-**
पिछले वर्ष	0.10	-	-	**0.10**
धन कर	0.38	0.36	0.37	**0.37**
पिछले वर्ष	0.36	0.40	0.38	**0.38**
फ्रिंज बेनिफिट टैक्स	0.36	-	-	**0.36**
पिछले वर्ष	0.36	-	-	**0.36**
अंतरिम लाभांश	-	666.53	666.53	**-**
पिछले वर्ष	-	493.73	493.73	**-**
प्रस्तावित लाभांश	246.86	148.12	246.86	**148.12**
पिछले वर्ष	394.98	246.86	394.98	**246.86**
कारपोरेट लाभांश कर	40.05	133.28	148.16	**25.17**
पिछले वर्ष	64.08	120.14	144.17	**40.05**
आयकर	1,887.74	1,347.85	913.81	**2,321.78**
पिछले वर्ष	2,699.82	974.84	1,786.92	**1,887.74**
सीएसआर एवं सतत् विकास व्यय	-	17.50	17.50	**-**
पिछले वर्ष	-	12.99	12.99	**-**

6. अल्पावधि उधार

(₹ करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार
(क)	**मांग पर प्रतिदेय ऋण, अप्रतिभूत**		
	- बैंकों से	**500.00**	2,500.00
	- वित्तीय संस्थानों से	**1,000.00**	-
(ख)	**कमर्शियल पेपर, अप्रतिभूत**	**980.00**	-
	जोड़ (क+ख)	**2,480.00**	2,500.00

7. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार
(क)	**दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता**		
	- संस्थागत बांड	**6,266.32**	7,055.82
	- 54ईसी पूंजीगत लाभ कर-मुक्त बांड	**5,043.89**	3,057.78
	- बैंकों और अन्यों से आवधिक ऋण	**2,746.61**	662.24
	- विदेशी मुद्रा उधार	**293.97**	226.95
	उप जोड़ (क)	**14,350.79**	11,002.79
(ख)	**उधार पर उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज**	**3,736.70**	2,934.39
(ग)	**उधार पर उपचित और देय ब्याज**	**1.05**	1.24
(घ)	**अग्रिम रूप में प्राप्त आय**	**0.01**	0.01
(ङ)	**अप्रदत्त लाभांश**	**1.84**	1.25
(च)	**बांडों पर अप्रदत्त ब्याज और मूलधन**		
	- परिपक्वता बांड और उन पर उपचित ब्याज	**72.77**	95.75
	- बांडों पर ब्याज	**19.82**	18.23

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

	ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार
(छ)	**अन्य देय रकम**		
	- भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी/अनुदानः	**27,347.67**	26,661.41
	जोड़ेंः सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (वापसी/समायोजन का निवल)	**3.65**	83.14
	घटाएंः हिताधिकारियों को संवितरित	**-27,330.93**	-26,390.56
	असंवितरित सब्सिडी/अनुदान	**20.39**	353.99
	- भविष्य निधि और टीडीएस सहित देय सांविधिक रकम	**21.62**	10.56
	- फंडेड स्टाफ हितलाभ के संबंध में देय	**1.35**	5.65
	- अन्य देयताएं	**890.06**	78.51
	उप-जोड़(छ)	**933.42**	448.71
	जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	**19,116.40**	14,502.37

7.1 त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम के अधीन सब्सिडी (एजीएंडएसपी):

कारपोरेशन एक ब्याज सब्सिडी निधि लेखा रखता है और उसे भारत सरकार के पत्र अ.शा.सं.32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और का.ज्ञा. सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अनुसार, सूचक दर और वर्ष पर अभिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एण्ड एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरित करने के लिए) दी गई थी, भले ही वास्तविक चुकौती अनुसूची, परिशोधित वर्ष और पात्र योजनाओं की चुकौती की अवधि कुछ भी हो। आहरण के समय सुनिश्चित सूचक दर और वर्ष के बीच अंतर के प्रभाव और वास्तविक प्रभाव को संबंधित योजना की समाप्ति के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

शीर्ष ''अनुदान'' - (एजी एण्ड एसपी) प्राप्त ब्याज सब्सिडी'' और ''अनुदान (एजी एण्ड एसपी) संवितरित ब्याज सब्सिडी'' के अधीन दिनांक 31.03.2013 के अनुसार ₹ 2.44 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹ 4.24 करोड़) की निवल रकम में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सब्सिडी की शेष रकम दर्शाई गई है, जो त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अधीन भविष्य में पैदा होने वाली उनकी ब्याज देयता के अनुसार उधारकर्ताओं को दी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित मदें शामिल हैं:

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार
ब्याज सब्सिडी निधि का प्रारंभिक शेष	**4.24**	5.53
घटाएंः उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी	**1.80**	1.29
ब्याज सब्सिडी निधि का अंत शेष	**2.44**	4.24

7.2 भारत सरकार ने आरईसी को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ऐसी योजनाओं के अधीन विभिन्न एजेंसियों को संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियां एक अलग बैंक खाते में रखी जाती हैं। ऐसी योजनाओं और अन्य अनुदानों की असंवितरित निधियों और उन पर अर्जित ब्याज को ''चालू देयताओं'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान ₹ 20.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 22.59 करोड़) के अर्जित ब्याज को आरजीजीवीवाई सब्सिडी लेखे में लिया गया है। इसके अलावा, इस वर्ष के दौरान ₹ 98.92 करोड़ की रकम सब्सिडी पर कुल ब्याज में से विद्युत मंत्रालय को लौटा दी गई है।

लेखा टिप्पणियां

8. 31 मार्च, 2013 को अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ों में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2012 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.2013 को बंद	31.03.2012 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	34.75	-	-	**34.75**	-	-	-	**-**	**34.75**	34.75
लीजहोल्ड भूमि	1.45	-	-	**1.45**	0.18	0.02	-	**0.20**	**1.25**	1.27
भवन	24.44	0.08	0.01	**24.51**	6.05	0.37	0.01	**6.41**	**18.10**	18.39
फर्नीचर और जुड़नार	7.30	0.23	0.04	**7.49**	3.96	0.33	0.03	**4.26**	**3.23**	3.34
वाहन	0.57	0.01	0.07	**0.51**	0.45	0.02	0.06	**0.41**	**0.10**	0.12
ईडीपी उपस्कर	13.75	1.74	0.27	**15.22**	6.62	1.80	0.07	**8.35**	**6.87**	7.13
कार्यालय उपस्कर	5.76	0.40	0.39	**5.77**	2.52	0.19	0.23	**2.48**	**3.29**	3.24
जोड़	**88.02**	**2.46**	**0.78**	**89.70**	**19.78**	**2.73**	**0.40**	**22.11**	**67.59**	**68.24**
पिछले वर्ष	80.17	8.82	0.97	**88.02**	18.00	2.40	0.62	**19.78**	**68.24**	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	4.34	2.51	-	**6.85**	2.12	1.02	-	**3.14**	**3.71**	2.22
जोड़	**4.34**	**2.51**	**-**	**6.85**	**2.12**	**1.02**	**-**	**3.14**	**3.71**	**2.22**
पिछले वर्ष	4.33	0.01	-	**4.34**	1.25	0.87	-	**2.12**	**2.22**	
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	**7.92**	**0.83**	**-**	**8.75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.75**	**7.92**
पिछले वर्ष	3.01	5.49	0.58	**7.92**	-	-	-	**-**	**7.92**	
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	0.10	0.10	0.20	**-**	-	-	-	**-**	**-**	0.10
पिछले वर्ष	-	0.10	-	**0.10**	-	-	-	**-**	**0.10**	

8.1 कारपोरेशन द्वारा अधिगृहीत ₹ 4.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.59 करोड़) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

8.2 प्रबंधन की राय में एएस-28 के अनुसार कारपोरेशन की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं है। तदनुसार, लेखाकरण मानक-28 'परिसंपत्तियों की कमी' के अधीन यथा अपेक्षित की हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं।

8.3 एएस-26 'अमूर्त परिसंपत्तियों' में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन:

समाशोधन दर 20% ₹ 5,000 या उससे कम परिसंपत्तियों की लागत के मामलों में 100%
समाशोधन विधि सीधी पंक्ति

लेखा टिप्पणियां

9. निवेश

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार		दिनांक 31.03.2012 के अनुसार	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
लागत पर मूल्य				
(1) **गैर-चालू निवेश**				
(क) **अन्य निवेश (उल्लिखित अनुद्धृत)**				
(i) **इक्विटी लिखतों में निवेश**				
- सहायक कंपनियां				
- आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं.लि.	50,000	0.05	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	50,000	0.05	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
- संयुक्त उद्यम				
- एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	22,500,000	22.50	625,000	0.63
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
- अन्य				
- इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	1,250,000	1.25	1,250,000	1.25
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	16,000,000	16.00	16,000,000	16.00
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त				
(ii) **सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश**				
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पावर बांड-II	12	565.92	14	660.24
छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा प्रत्येक बांड, अगली किस्त दिनांक 01.10.2013 को देय				
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ अंकित मूल्य के बांड)*				
(iii) **वेंचर कैपिटल फंड में निवेश**				
- केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड				
₹ 10.00 प्रति यूनिट के अंकित मूल्य पर ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' निधि के यूनिट	7,682,816	7.68	7,825,127	7.83
₹ 9.77 प्रति यूनिट का एनएवी (पिछले वर्ष ₹ 10.33)				
(iv) **आबंटन होने तक आवेदन धनराशि**		-		24.38
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विस लिमिटेड				
ज़ोड़: गैर-चालू निवेश(1)		613.45		710.43
(2) **चालू निवेश**				
(क) **सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनुद्धृत)**				
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पावर बांड-II	1	47.16	1	47.16
प्रत्येक बांड 30 समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है. अगली किस्त दिनांक 01.10.2013 को देय				
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ अंकित मूल्य के बांड)*				
जोड़: चालू निवेश (2)		47.16		47.16
जोड़: (1+2)		660.61		757.59

* चालू अंश में बांडों की संख्या और निवेश की रकम में अगले 12 मास के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश को दर्शाया गया है और शेष गैर-चालू अंश है।

लेखा टिप्पणियां

- निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे		31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(i)	उद्धृत निवेशों की समग्र राशि	-	-
(ii)	अनुद्धृत निवेशों की समग्र राशि		
	- गैर-चालू निवेश	613.45	710.43
	- चालू निवेश	47.16	47.16
(iii)	निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए कुल प्रावधान	-	-

9.1 निवेश में ₹ 7.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.83 करोड़) शामिल हैं, जो केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत ''स्माल इज ब्यूटीफुट'' (एसआईबी) ''वेंचर कैपिटल फंड'' के यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है। वर्ष के दौरान, 1,42,311 यूनिटों (पिछले वर्ष 9,08,660 यूनिटें) को विमोचित किया गया था।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास का देश	शेयर का प्रतिशत
केएसके एनर्जी की एसआईबी निधि	₹ 7.68 करोड़	भारत	9.74%

9.2 भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक-27 के अयथा अपेक्षित संयुक्त उद्यम में कारपोरेशन के हित से संबंधित सूचनाः

1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड

हित का समानुपात	25%
नियमन का देश	भारत

दिनांक 31.03.2013 को परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं और पूंजीगत प्रतिबद्धता और संयुक्त उद्यम के संबंध में उनके लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर इस वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित कंपनी का हिस्सा नीचे दिया गया हैः

(₹ करोड़ों में)

कुल परिसंपत्तियां	29.38
कुल देयताएं	3.49
कुल आरक्षित और अधिशेष	3.38
आकस्मिक देयताएं	शून्य
पूंजीगत प्रतिबद्धता	शून्य
कुल आय	3.63
कुल व्यय	1.28

वर्ष 2012-13, के दौरान एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य के 2,18,75,000 शेयर आबंटित किए हैं और शेयर आवेदनपत्र धनराशि के संबंध में ₹ 2.50 करोड़ की रकम लौटाई है।

10. आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान	7.93	7.61
चिकित्सा छुट्टी के लिए प्रावधान	4.12	3.48
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभों के लिए प्रावधान	2.63	2.51
पेंशन योजना के लिए प्रावधान	-	1.06
जोड़	14.68	14.66
आस्थगित कर देयता		
मूल्यह्रास	5.17	4.61
जोड़	5.17	4.61
आास्थगित कर संपत्ति (निवल)	9.51	10.05

10.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण का कंपनी का कोई इरादा नहीं है। अतः आरक्षित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि प्रत्यावर्तन योग्य नहीं है और इस प्रकार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक-22 के अनुसार यह स्थायी अंतर बन गया है। तदनुसार कंपनी उक्त आरक्षित निधि के संबंध में किसी आस्थगित कर देयता का सृजन नहीं कर रही है।

लेखा टिप्पणियां

11. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार
(क) पूंजीगत अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझी गई)	23.79	24.54
(ख) प्रतिभूति जमा (अप्रतिभूत शोध्य समझी गई)	7.60	3.87
(ग) संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम		
- निदेशकों को	0.07	0.05
	0.07	0.05
(घ) अन्य ऋण और अग्रिम		
- कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम (निदेशकों से भिन्न)	13.73	12.74
- ऋण परिसंपत्तियां	114,529.34	89,944.11
	114,543.07	89,956.85
जोड़ (क+ख+ग+घ)	114,574.53	89,985.31

संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम और अन्य ऋण और अग्रिम का विवरण

11.1 कर्मचारी ऋण और अग्रिम

कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त ''दीर्घावधि ऋण और अग्रिमों'' में वर्गीकृत किया गया है और कर्मचारी ऋण और अग्रिम के चालू अंश को टिप्पणी 15 ''अन्य चालू परिसंपत्तियों'' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार		दिनांक 31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम (प्रतिभूत), शोध्य समझे गए				
- निदेशकों को	0.01	-	-	-
- कर्मचारियों (निदेशकों से भिन्न) को	3.78	1.01	1.64	0.64
उप-जोड़	3.79	1.01	1.64	0.64
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए)				
- निदेशकों को	0.06	0.04	0.05	0.04
- कर्मचारियों को (निदेशकों से भिन्न)	9.95	5.94	11.10	5.95
उप-जोड़	10.01	5.98	11.15	5.99
जोड़	13.80	6.99	12.79	6.63

लेखा टिप्पणियां

11.2 ऋण परिसंपत्तियां

ऋण परिसंपत्तियों के गैर-चालू अंश को ''दीर्घावधि ऋण'' और अग्रिमों के अधीन वर्गीकृत किया गया है और ऋण परिसंपत्तियों के चालू अंश को टिप्पणी 15 ''अन्य चालू परिसंपत्तियों'' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार		दिनांक 31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क) प्रतिभूत ऋण				
(क1) राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण (संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटियों / राज्य विद्युत बोर्डों / निगमों की सामग्री / परिसंपत्तियों का आडमान करके प्रतिभूत)				
(क) शोध्य समझा गया	66,215.52	6,781.75	57,402.83	4,814.02
(क2) अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों का आडमान करके प्रतिभूत)				
(क) शोध्य समझा गया	17,716.40	734.32	10,803.99	1,099.90
(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	353.48	136.92	427.71	62.69
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	57.02	32.52	42.77	21.77
	296.46	104.40	384.94	40.92
उप-जोड़ (क1+क2)	84,228.38	7,620.47	68,591.76	5,954.84
(ख) अप्रतिभूत ऋण				
(ख1) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीशुदा ऋण				
(क) शोध्य समझा गया	27,278.56	2,975.03	17,664.20	2,266.46
(ख2) राज्य सरकारों का ऋण				
(क) शोध्य समझा गया	2,919.40	230.83	3,350.91	223.60
(ख3) अन्यों को ऋण				
(क) शोध्य समझा गया	103.00	1.33	337.24	5.23
उप-जोड़ (ख1+ख2+ख3)	30,300.96	3,207.19	21,352.35	2,495.29
जोड़ (क+ख)	1,14,529.34	10,827.66	89,944.11	8,450.13

11.2.1 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों के लगभग 80% के लिए ऋण शेष की पुष्टि उधारकर्ताओं से प्राप्त हो गई है।

12. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार
(क) कर्मचारी अग्रिमों पर उपचित ब्याज का गैर-चालू अंश	3.00	2.24
(ख) पुनः निर्धारित ऋणों पर उपचित ब्याज	118.79	231.88
(ग) अपरिशोधित व्यय का गैर-चालू अंशः		
- बांड के निर्गम पर बट्टा	8.97	13.80
जोड़ (क+ख+ग)	130.76	247.92

लेखा टिप्पणियां

13. नकदी और नकदी शेष

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे		दिनांक 31.03.2013 के अनुसार	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य		
	- बैंकों में शेष	366.33	3,685.48
	- अन्य		
	- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	1,117.93	1,626.00
	उप-जोड़ (क)	1,484.26	5,311.48
(ख)	अन्य	-	-
	जोड़ (क+ख)	1,484.26	5,311.48
	बैंकों में शेष राशि में निम्नलिखित शामिल है:		
	- बैंकों के पास निर्धारित शेष		
	- अप्रदत्त लाभांश के लिए	1.84	1.25
	- आरजीजीवीवाई अनुदान के लिए	2.81	325.50
	- एजीएंडएसपी अनुदान के लिए	6.11	4.81
	- अन्य अनुदान के लिए	2.35	3.96
	- करमुक्त बांड पब्लिक इश्यू खाता	0.63	3,000.00

इसके अलावा, आरजीजीवीवाई अनुदान के लिए निर्धारित ₹ 10.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) सहित अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधि जमा।

13.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान प्रत्येक ₹ 1,000/- अंकित मूल्य के कुल ₹ 3,000 करोड़ के कर-मुक्त बांडों का पब्लिक इश्यू जारी किया है। बांड दिनांक 27.03.2012 को आबंटित किए गए और इस की बिक्री से प्राप्त आय को नामित पब्लिक इश्यू खाते में रखा गया है। प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए इस वर्ष के दौरान इश्यू की बिक्री से प्राप्त रकम का उपयोग कर लिया गया है।

कंपनी ने ₹ 500 करोड़ के कर-मुक्त बांड इश्यू के प्राइवेट प्रतिस्थापन के अलावा, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान दो ट्रेंचों में प्रत्येक ₹ 1,000/- के अंकित मूल्य के कुल ₹ 2,148.41 करोड़ के कर-मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू जारी किए हैं। पब्लिक इश्यू के अधीन रखे गए बांड वित्त वर्ष 12-13 के अंदर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आबंटित किए गए हैं। इश्यू से प्राप्त आय का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए किया गया है, लेकिन केवल ₹ 0.63 करोड़, जो नामित पब्लिक इश्यू लेखे में रखे गए हैं, उपयोग के लिए लंबित हैं।

14. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार
- संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझी गई)	3.35	2.09
- अन्य		
- नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य के रूप में वसूल किए जाने वाले अग्रिमों को प्राप्त किया जाएगा (अप्रतिभूत, शोध्य समझी गई)	3.60	3.16
- ऋण परिसंपत्तियां		
(क) प्रतिभूत ऋण		
राज्य विद्युत यूटिलिटियों /राज्य विद्युत बोर्डों / कंपनियों को ऋण (जिन्हें आडमान और / या सामग्री/ मूर्त परिसंपत्तियों को बंधक रखकर प्रतिभूत किया गया है)		
(क) शोध्य समझा गया	1,759.00	1,737.50
उप-जोड़ (क)	1,759.00	1,737.50
(ख) अप्रतिभूत ऋण		
राज्य सरकारों द्वारा गारंटीशुदा ऋण		
(क) शोध्य समझा गया	150.00	830.00
- ऋण - अन्य		
(क) शोध्य समझा गया	-	400.00
उप-जोड़ (ख)	150.00	1,230.00
जोड़ (ऋण परिसंपत्तियां)	1,909.00	2,967.50
कुल जोड़	1,915.95	2,972.75

लेखा टिप्पणियां

15. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार	दिनांक 31.03.2012 के अनुसार
(क) दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों का चालू वसूलीयोग्य	10,827.66	8,450.13
(ख) कर्मचारी अग्रिमों का चालू वसूलीयोग्यू	6.99	6.63
(ग) उपचित और देय नहीं ब्याजः		
- आवधिक जमा	3.38	27.90
उप-जोड़	3.38	27.90
(घ) ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित और देय ब्याज	120.26	86.11
(ड.) ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित और देय नहीं ब्याज	560.89	549.61
(च) कर्मचारी अग्रिमों पर उपचित ब्याज का चालू अंश	0.33	0.36
(छ) भारत सरकार से वसूलीयोग्य		
- आरजीजीवीवाई व्यय	8.99	6.78
उप-जोड	8.99	6.78
(ज) राज्य विद्युत बोर्डों/सरकारी विभागों/अन्यों से वसूलीयोग्य	14.61	21.58
(झ) अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	2,379.01	1,916.94
घटाएं: आयकर के लिए प्रावधान	2,321.78	1,887.74
	57.23	29.20
(ञ) वसूलीयोग्य आयकर	0.12	-
(ट) कमर्शियल पेपर पर पूर्व प्रदत्त वित्तीय प्रभार	46.33	-
(ठ) अपरिशोधित व्यय का चालू अंश		
- बांड के इश्यू पर बट्टाः	4.83	4.83
जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ)	11,651.62	9,183.13

लेखा टिप्पणियां

16. प्रचालनों से सजस्व

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज				
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	12,479.02		9,684.32	
घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने के लिए छूट	4.25	12,474.77	6.17	9,678.15
(ii) अल्पावधि वित्त-व्यवस्था		816.18		585.87
जोड़: ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय (क)		13,290.95		10,264.02
(ख) अन्य वित्तीय सेवाओं से राजस्व				
(i) प्रक्रिया, अपफ्रंट, लीड शुल्क, एलसी कमीशन आदि		108.62		47.15
(ii) प्रीपेमेंट प्रीमियम		12.50		3.02
(iii) आरजीजीवीवाई कार्यान्वयन/अन्यों के लिए एजेंसी/रखरखाव प्रभार		9.97		23.40
जोड़: अन्य वित्तीय सेवाओं से राजस्व (ख)		131.09		73.57
(ग) जमाओं पर ब्याज		96.82		86.16
जोड़ (क+ख+ग)		13,518.86		10,423.75

17. अन्य आय

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
(क) ब्याज आय (प्रचालन आय से भिन्न)		
- सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	54.71	62.25
- आयकर वापसी से ब्याज	0.67	4.02
- कर्मचारी अग्रिमों से ब्याज	1.35	0.53
- सहायक कंपनियों से ब्याज	0.13	0.12
उप-जोड़(क)	56.86	66.92
(ख) लाभांश आय		
- सहायक कंपनियों से लाभांश	0.15	0.05
- दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	0.25	0.13
उप-जोड(ख)	0.40	0.18
(ग) निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ		
- दीर्घावधि निवशो की बिक्री पर लाभ	0.34	0.84
- चालू निवेशों की बिक्री पर लाभ	18.51	10.91
उप-जोड़ (ग)	18.85	11.75
(घ) अन्य गैर-प्रचालन आय		
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	0.05
- रिटन बैक प्रावधान	1.69	4.44
- विविध आय	2.01	1.98
उप-जोड़ (घ)	3.70	6.47
जोड (क+ख+ग+घ)	79.81	85.32

लेखा टिप्पणियां

18. वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
(क) ब्याज व्यय		
- सरकारी ऋणों पर	1.53	2.31
- आरईसी के बांडों पर	6,554.77	5,064.14
- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर	414.32	611.59
- बाह्य वाणिज्यिक उधार पर	790.52	578.71
- कमर्शियल पेपर पर	86.49	-
- एआरईपी सब्सिडी पर	0.24	0.33
- अग्रिम आयकर पर ब्याज	2.06	0.25
उप-जोड़ (क)	7,849.93	6,257.33
(ख) अन्य उधार लागत		
- गारंटी शुल्क	27.32	11.46
- पब्लिक इश्यू व्यय	10.37	14.25
- बांड रखरखाव प्रभार	1.67	1.12
- बांडों की दलाली	14.69	15.99
- बांडों पर स्टाम्प शुल्क	0.84	0.04
- ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	101.43	78.61
उप-जोड़ (ख)	156.32	121.47
जोड़ (क+ख)	8,006.25	6,378.80

19. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
(क) वेतन और भत्ते	116.11	134.34
(ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	9.94	8.41
(ग) उपदान	1.35	2.38
(घ) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	11.75	12.17
(ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	12.69	13.67
जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)	151.84	170.97

20. अन्य व्यय

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
- किराया और भाड़ा प्रभार		2.17		2.02
- दर और कर		1.46		5.95
- बिजली और ईंधन		1.07		0.87
- बीमा प्रभार		0.04		0.04
- मरम्मत और अनुरक्षण				
- भवन	1.68		1.27	
- मशीनरी ईआरपी और डेटा केंद्र	3.04		3.10	
- अन्य	0.42	5.14	0.43	4.80

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
- मुद्रण और लेखन-सामग्री	0.52	0.09
- यात्रा और सवारी	9.01	7.88
- डाक टिकट, टेलीग्राम, टेलीफोन	1.10	1.22
- प्रचार और प्रोन्नयन व्यय	5.11	4.59
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	0.58	0.61
- परामर्शी प्रभार	1.99	1.46
- कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं स्थायी विकास पर व्यय	17.50	12.99
- दान और परोपकार	0.01	0.06
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.33	0.23
- विविध व्यय	18.66	15.54
जोड़	64.69	58.35

20.1 लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल है

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
- लेखापरीक्षा शुल्क	0.27	0.26
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.05	0.05
- सीमित समीक्षा शुल्क	0.06	0.05
- अन्य सेवाओं के लिए अदायगी #	0.19	0.25
- व्यय की प्रतिपूर्ति	0.01	-
जोड़	0.58	0.61

उपर्युक्त आंकड़ों में सेवा कर नियमावली के अनुसार किए गए ₹ 0.03 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के सेवा कर क्रेडिट रिवर्सल भी शामिल है।

इसमें वित्त वर्ष 2012-13 के लिए कर-मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू की विवरणिका के प्रमाणन के लिए ₹ 0.15 करोड़ का प्रमाणन शुल्क और वित्त वर्ष 2011-12 के ईसीबी प्रलेखन के प्रमाणन के लिए ₹ 0.09 करोड़ का प्रमाणन शुल्क और कर-मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू की विवरणिका के प्रमाणन के लिए ₹ 0.15 करोड़ का प्रमाणन शुल्क शामिल है।

20.2 विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
अर्जन	-	-
व्यय		
- रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	0.39	1.34
- ब्याज	289.56	192.95
- वित्त प्रभार	86.72	65.45
- अन्य व्यय	0.72	0.69
जोड़	377.39	260.43

20.3 निगम ने कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थल तथा आवास और ईआरपी डेटा केंद्र के लिए स्थल पट्टे पर लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यालय स्थल और डेटा के संबंध में ₹ 2.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.38 करोड़) की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में ₹ 1.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.27 करोड़) के पट्टा अदायगी 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार है:

लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ों में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया अदायगियां	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास
अधिकतम एक वर्ष	**0.39**	**2.52**	0.39	2.30
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	**0.38**	**7.94**	0.77	7.08
5 वर्ष से अधिक	**-**	**0.01**	-	2.18
जोड़	**0.77**	**10.47**	1.16	11.56

21. प्रति शेयर आय

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
गणक		
लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर-पश्चात लाभ (₹ करोड़ों में)	**3,817.62**	2,817.03
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या	**987,459,000**	987,459,000
₹ 10/- के प्रत्येक शेयर पर मूल और डायल्यूटिड अर्जन (₹ में)		
	38.66	28.53

22. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

22.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
क - कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	**51.28**	59.84
ख - अन्य		
- लैटर्स ऑफ कंफर्ट	**1,904.17**	4,696.95

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित रकम में ₹ 5.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.75 करोड़) की रकम भी शामिल है, जो मध्यस्थ के मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित है और न्यायालय/माध्यस्थम के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है और इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की ₹ 46.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 52.09 करोड़) की रकम भी शामिल है।

22.2 निम्नलिखित के संबंध में प्रतिबद्धता जिनके लिए प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित किए जाने वाले शेष ठेके	**6.15**	8.02
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- असंवितरित सीएसआर प्रतिबद्धता	**7.41**	5.91
- पट्टा प्रतिबद्धता	**11.24**	12.72

लेखा टिप्पणियां

23. कारपोरेशन वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रुप में पंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी). सीसी सं. 12/डी2.01/99-2000 के सरकारी कंपनियों, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के उपबंधों के अनुरूप हैं, को तरल परिसंपत्तियों के रखरखाव संबंधित आरक्षित निधियां स्थापित करने, सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन में छूट मिली हुई है। आरईसी के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरुप सरकारी कंपनी होते हुए, इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 02 जुलाई, 2012 के मास्टर परिपत्र संख्या डीएनबीएस (पीडी) सीसी नंबर 279/03.02.001/2012-13 के पैरा सं. 1(3)(4) के अनुसार आरईसी के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अधीन सरकारी कंपनी होने के नाते इस पर गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकार करना या धारित करना) कंपनी के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) संबंधी निदेश, 2007 लागू नहीं होंगे। इसके अलावा आरक्षित निधि की स्थापना से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(1)(ग) के उपबंध लागू न होने के कारण कोई आरक्षित निधि स्थापित नहीं की गई है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168, दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता कर दी हैं। एक आईएफसी के रूप में प्राइवेट सेक्टर को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों के स्वामित्व का 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों के स्वामित्व क्रमशः 30% और 50% होगा। आरईसी को 15% का पूंजी-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात रखना होता है (न्यूनतम स्तर-I पूंजी का 10%)। तदनुसार, 25 सितंबर, 2010 को बोर्ड के अनुमोदन से विवेकपूर्ण मानदंडों में संशोधन किया गया है। विद्युत क्षेत्र की केंद्रीय एवं राज्य संस्थाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए इन यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्ति के 50% से 250% तक भिन्न-भिन्न हैं जो संस्था के मूल्यांकन तथा संबंधित राज्य यूटिलिटियों की स्थिति पर निर्भर करती है।

24. 13 दिसंबर, 2006 को हमारे निदेशक मंडल ने कारपोरेशन के विवेकपूर्ण मानदंडों को अनुमोदित किया तथा 21 फरवरी, 2009 और 25 सितंबर, 2010 को इनमें संशोधन अनुमोदित किए गए थे। तथापि, सभी ''व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण'' सरकारी स्वामित्व के एनबीएफसी को विवेकपूर्ण मानदंडों के ढांचे के अधीन लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 दिसंबर, 2006 को हमारे निगम को सलाह दी थी कि एनबीएफसी को शासित करने वाले विनियमों के विभिन्न घटकों के अनुपालन के लिए ''रूपरेखा'' प्रस्तुत की जाए। निगम ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 29 जून, 2010 के पत्र द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2012 तक विद्युत क्षेत्र की केंद्रीय और राज्य संस्थाओं के संबंध में विवेकपूर्ण प्रकटन मानदंडों से छूट प्रदान कर दी है। कम से कम योजना के अंत तक छूट अवधि को आगे बढ़ाने के निगम के अनुरोध, जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2012 के पत्र के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक को अग्रेषित किया गया था, के उत्तर में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 अप्रैल, 2012 के पत्र के जरिए 31 मार्च, 2013 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने से छूट की अवधि बढ़ाने की सहमति दे दी है, बशर्ते कि 01 अप्रैल, 2013 से शुरू होने वाले तीन वर्ष के अंदर, समय-समय पर यथासंशोधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (गैर जमा स्वीकृति या धारण) विवेकपूर्ण मानदंड (भारतीय रिजर्व बैंक संबंधी निर्देश, 2007 में निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में 30 जून, 2012 तक एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए। तदनुसार, आरईसी ने आरबीआई के विवेकपूर्ण मापदंडों के अनुपालन में रोडमैप प्रस्तुत किया है जो विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22 जून, 2012 के पत्र के जरिए वर्ष 2012-13 से चरणबद्ध रूप में लागू किया गया है जिसे विद्युत मंत्रालय को भेजा गया है और विद्युत मंत्रालय ने उसे 06 जुलाई, 2012 को आरबीआई को भेज दिया था। बाद में, आरबीआई ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, वे प्रस्तुत कर दिए गए थे। यह चरणबद्ध कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से रोडमैप के संबंध में उत्तर प्राप्त होने पर लागू होगा। वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में उस स्थिति में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होता है, यदि इसे लागू कर दिया जाता है। चूंकि यह मामला आरबीआई के विचाराधीन है, अतः कंपनी बाद के वर्ष (वर्षों में) उसके संभावित प्रभावों, यदि कोई हों, को सुनिश्चित करने में असमर्थ है।

25. राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), जो एक ब्याज सब्सिडी योजना है, इस वर्ष के दौरान लागू हो गई है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है, ताकि वितरण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाया जा सके। इस योजना के अधीन सुधारात्मक उपायों से संबद्ध ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी वितरण क्षेत्र के अधीन विभिन्न पूंजीगत निर्माणों के लिए सरकारी और प्राइवेट वितरण विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋण पर दी जाएगी। एनईएफ कुल ₹ 8,466 करोड़ की ब्याज सब्सिडी देगा (जिसमें उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को अदायगी और अन्य प्रासंगिक व्यय भी शामिल है)। यह सब्सिडी दो वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत ऋण संवितरण योजनाओं के लिए 14 वर्ष तक के लिए होगी। आरईसी को संपूर्ण देश में एनईएफ योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

26. लेखाकरण नीति में परिवर्तन

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 2, 2.1क, 2.3(ii)(क), 4.1, 5, 6, 10.2, 10.3, 13.2, 15 में संशोधन किए गए हैं, ताकि इसे और अधिक स्पष्ट बनाया जा सके। लेकिन ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी ने नई लेखाकरण नीति 2.3 (iv) तैयार की है ताकि चरणबद्ध तरीके से मानक परिसंपत्तियों के अनुसार प्रावधान किया जा सके और वित्त वर्ष 2014-15 के अंत तक इसे कम से कम 0.25% तक किया जा सके। इस वर्ष का कर-पूर्व लाभ इस लेखाकरण नीति के कारण ₹ 105.68 करोड़ कम रहा है।

27. आरईसी की सहकारी समितियों द्वारा ₹ 5.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.71 करोड़) की रकम की विशेष निधि का सृजन करने में कमी (सकल) पाई गई है।

28. बांडधारकों को ब्याज की वास्तविक अदायगी करते समय ऐसे बांडों, जो स्वतंत्र व्यापारयोग्य हैं/हस्तांतरणीय हैं, पर उपचित ब्याज के संबंध में लागू आयकर की स्रोत पर कटौती की जाती है।

29. प्रबंधन की राय में तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य उनमें उल्लिखित रकम के बराबर है, बशर्ते कि यह सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त हो जाए और सभी चालू देयताओं का प्रावधान किया गया हो।

30. निगम की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमो के प्रति कोई देयता बाकी नहीं है।

31. हेजिंग कार्यनीति के भाग के रूप में कंपनी ने कुछ मामलों में ब्याज की चल दर पर ब्याज की स्थायी दर से ब्याज की दर को ब्याज दर की अदला-बदली को निष्पादित किया है। बाकी उधार का भारतीय रुपए में मूल्य, जिसमें यह स्वैप दर लगाई गई है, ₹ 7,211.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,150 करोड़) है।

लेखा टिप्पणियां

विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में, कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रकटन की प्रतिरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विनिमय (क्रॉस करेंसी स्वैप) निष्पादित किया है। दिनांक 31.03.2013 को बाकी विदेशी मुद्रा प्रकटन की स्थिति इस प्रकार है:

(विदेशी मुद्रा की रकम मिलियन में, भारतीय ₹ में रकम करोड़ों में)

मुद्रा	कुल		प्रतिरक्षित भाग (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित	
	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए *	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए
जापानी ¥	**40,173.98**	**2,258.26**	**26,688.37**	**1,479.34**	**13,485.61**	**778.92**
पिछले वर्ष	35,669.38	1,969.2	23,144.38	1,187.28	12,525.00	781.93
यूरो €	**131.43**	**895.49**	**106.43**	**721.63**	**25.00**	**173.86**
पिछले वर्ष	121.58	818.03	51.58	339.65	70.00	478.38
यूएसडी $	**2,220.00**	**10,945.06**	**1,470.00**	**6,865.87**	**750.00**	**4,079.19**
पिछले वर्ष	1,470.00	6,778.29	1,220.00	5,499.38	250.00	1,278.91
सीएचएफ (स्विस फ्रैंक)	**200.00**	**1,139.38**	**-**	**-**	**200.00**	**1,139.38**
पिछले वर्ष	200.00	1,132.56	-	-	200.00	1,132.56
जोड़		**15,238.19**		**9,066.84**		**6,171.35**
पिछले वर्ष		10,698.09		7,026.31		3,671.78

* भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा उधार का भाग विनिमय लेन-देनों में स्थिर दर पर बताया गया है और उसे वर्ष के अंत की दर पर अंतरित नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार का अप्रतिरक्षित भाग वर्ष के अंत की दर पर अंतरित किया गया है।

31.1 लेखाकरण नीति 14.1 के अनुसार, वर्ष के अंत के अनुसार, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गई है:

क्रम सं	विनिमय दर	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
1	यूएसडी/भारतीय ₹ में	54.3893	51.1565
2	जापानी /भारतीय ₹ में	0.5776	0.6243
3	यूरो/भारतीय ₹ में	69.5438	68.3403
4	सीएचएफ/भारतीय ₹ में	56.9689	56.6279

32. संबंधित पक्षकार का प्रकटनः

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 29.11.2011 के अपराह्न से)
श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त) (दिनांक 31.07.2012 के अपराह्न तक)
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त) (दिनांक 01.08.2012 के पूर्वाह्न से)
श्री पी.जे. ठक्कर	निदेशक (तकनीकी) (दिनांक 02.05.2011 के अपराह्न से)

(2) अन्य संबंधित पक्षकार

1. सहायक कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

2. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियां

वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (वीटीएसएल) - इसे दिनांक 21.04.2011 को निगमित किया गया था और इसे दिनांक 8.04.2012 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को अंतरित कर दिया गया है। इसे आरईसीटीपीसीएल, वीटीएसएल और पीजीसीएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में दी गई शर्तों के साथ स्थायी रूप से अंतरित किया गया है।
विज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (वीटीएल) - दिनांक 30.11.2011 को निगमित
कुडगी ट्रांसमिशन लिमिटेड - दिनांक 27.11.2012 को निगमित
नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड - दिनांक 04.12.2012 को निगमित
ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड - दिनांक 17.12.2012 को निगमित
बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड - दिनांक 24.01.2013 को निगमित

लेखा टिप्पणियां

3. **संयुक्त उद्यम**

एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

दिनांक 31.03.2013 को संबंधित पक्षकारों से/को (-) देय रकमः

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	1.76	1.57
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	1.59	0.52

संबंधित पक्षकारों के साथ वर्ष के दौरान लेन-देनः

(₹ करोड़ों में)

नाम	सहायक कंपनी		मुख्य प्रबंधन कार्मिक	
	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण और पेशगियां	7.09	4.71	0.02	0.01
पारिश्रमिक	-	-	1.65	1.36

इसके अलावा, वर्ष के दौरान एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्य के 2,18,75,000 शेयर आबंटित किए और शेयर आवेदन धनराशि के संबंध में ₹ 2.50 करोड़ की रकम लौटाई। आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने इस वर्ष के दौरान इस कंपनी के कर-मुक्त बांड ट्रांचे-1 के पब्लिक इश्यू में ₹ 35.00 करोड़ की धनराशि का निवेश भी किया है।

33. **निगम ने लेखाकरण मानक-15 (संशोधित 2005) 'कर्मचारी हितलाभ' को अंगीकृत किया है। परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजना इस प्रकार हैं:**

क. कर्मचारी भविष्य निधि

निगम पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देता है, जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना होता है। प्रबंधन प्राक्कलनों के अनुसार, 31 मार्च, 2013 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ सहित निधि की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

निगम एक अलग न्यास में पूर्व-निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान अदा करता है, जो बीमाकर्ता के पास उस निधि का निवेश करता है। बीमाकर्ता न्यास के सदस्यों के खाते में जमा पड़े शेष पर ब्याज की दर तय करता है। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है। निगम द्वारा देय परिभाषित अंशदान के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में इस व्यय को मान्यता दी गई है।

ग. उपदान

निगम की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के उपबंध के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्तपोषण निगम द्वारा और प्रबंध एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

घ. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

निगम की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति या पत्नी सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है।

ड. कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना

यदि कोई कर्मचारी कंपनी की सेवा के दौरान स्थायी रूप से पूर्णतः अशक्त हो जाता है/यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को आर्थिक लाभ और सहायता देने के लिए कारपोरेशन की एक योजना है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

च. कर्मचारी की लंबी सेवा के लिए पुरस्कार योजना

निगम में कर्मचारियों की एक लंबी सेवा पुरस्कार योजना है, जो निगम में लगातार 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

छ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए निगम के पास कर्मचारी तथा आश्रितों हेतु एक योजना है। यह व्यय बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यताप्राप्त है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नवत है:

लेखा टिप्पणियां

लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त व्ययः

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2013	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012
चालू सेवा लागत	1.78	1.69	1.02	0.62	0.05	0.04
ब्याज लागत	2.92	2.90	3.75	3.18	0.09	0.02
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3.44	2.82	-	-	-	-
लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त बीमांकित (लाभ) / और हानि	0.09	0.61	6.98	8.37	(0.07)	0.88
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय	1.35	2.38	11.75	12.17	0.07	0.94

तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त रकमः

(''उपदान'' कॉलम के नीचे दी गई रकम उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित रकम को दर्शाती है।) (₹ करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2013	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	37.85	36.47	55.80	46.82	1.16	1.12
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.14	31.24	-	-	-	-
मान्यताप्राप्त निवल परिसंपत्तियां (दायित्व)	(2.71)	(5.23)	(55.80)	(46.82)	(1.16)	(1.12)

परिभाषित हितलाभ/देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2013	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012
वर्ष के आरंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	36.47	34.15	46.82	37.41	1.12	0.21
ब्याज लागत	2.92	2.90	3.75	3.18	0.09	0.02
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
चालू सेवा लागत	1.78	1.69	1.02	0.62	0.05	0.04
प्रदत्त हितलाभ	3.49	2.88	2.77	2.76	0.03	0.03
दायित्वों पर बीमांकित लाभ/हानि	0.17	0.61	6.98	8.37	(0.07)	0.88
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	37.85	36.47	55.80	46.82	1.16	1.12

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

('उपदान' कॉलम के नीचे दी गई रकम उपदान ट्रस्ट से संबंधित रकम को दर्शाती है।) **(₹ करोड़ में)**

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2013	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31.24	31.30	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	3.52	2.81	-	-	-	-
अंशदान	2.38	0.01	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	3.49	2.88	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	1.49	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.14	31.24	-	-	-	-

वर्ष के दौरान निगम ने उपदान न्यास में ₹ 1.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.38 करोड़), पीआरएमएफ में ₹ 11.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12.17 करोड़) और ओडीआरबी में ₹ 0.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.94 करोड़) के अंशदान की देयता का प्रावधान किया है।

लेखा टिप्पणियां

अन्य कर्मचारी हितलाभ

वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी नकदीकरण के लिए ₹ 5.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.00 करोड़), बीमारी की छुट्टी के लिए ₹ 2.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.18 करोड़), आर्थिक पुनर्वास योजना के लिए ₹ 0.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.27 करोड़) और दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए ₹ 0.45 करोड़ (पिछले वर्ष् ₹ 3.91 करोड़) का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और उसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में 1% बिंदु की वृद्धि/कमी का प्रभावः

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	1% (+)		1% (-)	
	31.03.2013	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012
सेवा और ब्याज लागत	0.85	0.66	(0.70)	(0.60)
पीबीओ (अंत में)	7.58	5.80	(6.35)	(5.31)

बीमा संबंधी पूर्व धारणा

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2013	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012
प्रयुक्त विधि	प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)		प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)		प्रदर्शित यूनिट जमा (पीयूसी)	
बट्टा दर	8.00 %	8.50 %	8.00 %	8.50 %	8.00 %	8.50 %
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर	10.50 %	9.00 %	-	-	-	-
वेतन में भावी वृद्धि	6.00 %	6.50 %	6.00 %	6.50 %	6.00 %	6.50 %

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की पूर्व-अनुमानित दर है।
- प्रमुख धारणा छूट दर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यतः एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार लाभ है जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन सवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपर्युक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

34. कुछ पूर्ववर्ती राज्य बिजली बोर्डों को जिनकी ओर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी को संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय में बोर्डों की देयताएं नए प्रतिष्ठानों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य बिजली बोर्डों की देयताएं नए प्रतिष्ठानों को अंतरित की गई हैं और पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड के मामले में निगम, नए प्रति प्रतिष्ठानों और राज्य सरकरों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

35. वर्ष के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख आदि बढ़ाए जाने जैसे विभिन्न कारणों से कुछ मानक परिसंपत्तियों के संबंध में वापसी अदायगी अनुसूची संशोधित की गई थी। ये ऋण मानक परिसपंत्तियां बने रहेंगे। दिनांक 31.03.2013 तक निगम द्वारा पुनः निर्धारित सभी बकाया ऋणों का संचलन इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ों में)

ब्योरे	खातों की संख्या	31.03.2013 के अनुसार	खातों की संख्या	31.03.2012 के अनुसार
आरंभिक शेष	20	**20,381.29**	16	8,223.94
मूलधन		**670.91**		717.37
उपचित ब्याज				
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए खाते)	11		4	
आरंभिक शेष				
मूलधन		**9,120.09**		8,565.48
उपचित ब्याज		**71.75**		1.18
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
मूलधन		**5,350.19**		4,145.01
उपचित ब्याज		**3,763.91**		2,169.67
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
मूलधन		**1,140.23**		553.14
ब्याज		**3,843.57**		2,217.31
अंतशेष	31		20	
मूलधन		**33,711.34**		20,381.29
ब्याज		**663.00**		670.91

लेखा टिप्पणियां

36. निगम का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र की वित्त-व्यवस्था करना है। तदनुसार, निगम के पास भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचना देने के लिए एक से अधिक पात्र खंड नहीं हैं।

37. दिनांक 31.03.2013 को निगम का पूंजीगत पर्याप्त अनुपात 17.71% (पिछले वर्ष 16.0%) है।

38. कंपनी के पास दिनांक 31.03.2013 को रियल इस्टेट क्षेत्र का कोई प्रकटन नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

39. **दिनांक 31.03.2013 को ऋण परिसंपत्तियों और उधार की परिपक्वता का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	ऋण परिसंपत्तियों की वसूली	उधार की प्रतिदेयता
2013-14	12,769	16,831
2014-15	11,402	13,538
2015-16	12,422	18,553
2016-17	13,218	7,798
2017-18	12,690	8,723
2018-19	12,126	4,055
2019-20	11,151	9,275
2020-21	10,093	7,126
2021-22	8,860	9,441
2022-23	7,465	6,105
2023-24	5,659	-
2023-24 के बाद	9,501	6,346
जोड़	127,356	107,791

40. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है।

41. रुपए के अंकों को जब तक स्पष्ट रूप से न बताया गया हो, तब तक दो दशमलव वाले निकटतम करोड़ों में पूर्णांकित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणियां 1 से 41 तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 006747 एन
के.एस.पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 001113 एन
आर.सी.पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष में नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाहः				
कर-पूर्व निवल लाभ	5,163.95		3,792.86	
निम्नलिखित के लिए समायोजनः				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	0.33		0.18	
2. मूल्यह्रास	3.75		3.27	
3. अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	25.00		49.09	
4. पुनःनिर्धारित ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	-		3.18	
5. मानक ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष आकस्मिक भत्ता	105.68		-	
6. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	86.49		-	
7. अत्यधिक प्रावधान रिटन बैक	-0.04		-	
8. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	-18.85		-11.75	
9. विनिमय दर लोच पर हानि/लाभ (-)	77.51		52.55	
10. अनुषंगी कंपनी से लाभांश	-0.15		-0.05	
11. निवेशों से लाभांश	-0.25		-0.13	
12. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II पर ब्याज	-54.71		-62.25	
13. अग्रिम आय कर पर ब्याज हेतु किया गया प्रावधान	2.06		0.25	
14. बट्टे खाते डाले गए बाण्डों पर छूट	4.83		4.71	
15. शून्य कूपन बॉण्डों पर उपचित ब्याज	59.88		55.46	
16. प्रावधान से अधिक अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	0.01		-	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभः	5,455.49		3,887.37	
वृद्धि/कमीः				
1. ऋण परिसंपत्तियां	-25,929.26		-19,703.14	
2. अन्य प्रचालन परिसंपत्तियां	89.29		30.29	
3. प्रचालन देयताएं	1,676.09		940.47	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	-18,708.39		-14,845.01	
1. प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	-1,375.84		-981.21	
2. आयकर वापसी	-		1.48	
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		-20,084.23		-15,824.74
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	0.05		0.17	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी एवं विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां भी शामिल हैं)	-4.95		-13.84	
3. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II का विमोचन	94.32		94.32	
4. 'स्माल इज ब्युटीफुल' की यूनिटों का विमोचन	0.15		0.90	
5. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	18.85		11.75	
6. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड में शेयर आवेदन राशि की वापसी	2.50		-	
7. यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के शेयरों में निवेश	-		-16.00	
8. अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	0.15		0.05	
9. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II पर ब्याज	54.71		62.25	
10. निवेशों से लाभांश	0.25		0.13	
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		166.03		139.73

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष में नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
ग. वित्त संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
1. बॉण्डों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	13,816.96	20,108.21
2. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण/एसटीएल लेना (चुकौतियों का निवल)	-1,652.74	-3,227.60
3. विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना (विमोचनों का निवल)	4,484.19	2,857.01
4. ब्याज सहित भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (वापसी का निवल)	606.77	2,238.28
5. अनुदानों का संवितरण	-940.37	-2,766.93
6. सरकारी ऋण की चुकौती	-9.50	-11.49
7. अंतिम लाभांश की अदायगी	-246.86	-394.98
8. अंतरिम लाभांश की अदायगी	-666.54	-493.73
9. कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	-148.16	-144.17
10. प्रतिभूतियों के निर्गम पर प्रीमियम	0.05	-
11. कमर्शियल पेपर का निर्गम (चुकौती का निवल)	847.18	-
वित्त संबंधी क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	16,090.98	18,164.60
नकदी/नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी	-3,827.22	2,479.59
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	5,311.48	2,831.89
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	1,484.26	5,311.48

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
- बैंकों में शेष:		
- आरबीआई और अन्य बैंकों में चालू खाता	352.59	349.96
- असंवितरित आरजीजीवीवाई अनुदान #	2.81	325.50
- असंवितरित एजीएवंएसपी अनुदान #	6.11	4.81
- अन्य असंवितरित सब्सिडी/अनुदान #	2.35	3.96
- कर मुक्त बॉण्ड पब्लिक इश्यु लेखें #	0.63	3,000.00
- अप्रदत्त लाभांश लेखे #	1.84	1.25
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि निक्षेप	1,117.93	1,626.00
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता	1,484.26	5,311.48

ये शेष राशियां कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये संबंधित अनुदान लेखे, पब्लिक इश्यु लेखे में शेष तथा अप्रदत्त लाभांशों में रखे चिह्नित शेष राशियों को निरूपित करती हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि निक्षेप में भी ₹ 10.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं जो आरजीजीवीवाई अनुदान के लिए चिह्नित हैं और कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुन: व्यवस्थित एवं पुनः समूहीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 006747 एन
के.एस.पोन्नुस्वामी
भागीदार
संदस्यता सं. 070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 001113 एन
आर.सी.पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2013

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकृति या नियंत्रण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2007 के पैरा 13, जो आरईसी लिमिटेड पर लागू है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि बकाया	राशि अतिदेय
देयता पक्षः		
एनबीएफसी द्वारा उपलब्ध ऋण और पेशगियां, जिसमें उस पर उपचित		
लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैः		
(क) डिबेंचर/बॉण्डः		
(i) प्रतिभूत	41,959.66	-
(ii) अप्रतिभूत	43,290.43	-
(ख) विदेशी मुद्रा ऋण	15,238.19	-
(ग) भारत सरकार से सावधिक ऋण	15.14	-
(घ) वित्तीय संस्थाओं से सावधिक ऋण	4,020.00	-
(च) बैंकों से सावधिक ऋण	788.80	-
(छ) बैंकों से ओवरड्रॉफ्ट	-	-
(ज) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से मांग पर प्रतिदेय ऋण	1,500.00	-
(झ) कमर्शियल पेपर	980.00	-
परिसंपत्ति पक्षः		
प्राप्य बिलों से ऋणों एवं पेशगियों का ब्योरा		
(क) प्रतिभूत	93,612.65	
(ख) अप्रतिभूत	33,712.48	
निवेशः		
दीर्घावधि निवेशः		
अनुदृतः		
(i) शेयर : (क) इक्विटी	39.85	
(ख) अधिमान्य	-	
(ii) डिबेंचर और बांड	-	
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	7.68	
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	613.08	
(v) अन्य	-	

सभी पट्टा परिसंपत्तियों, भाड़े के स्टॉक तथा ऋण एवं पेशगियों का उधारकर्ता समूह-वार वर्गीकरणः

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबंधित पक्षकार			
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	3.35	3.35
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	93,612.65	33,709.13	127,321.78
योग	**93,612.65**	**33,712.48**	**127,325.13**

शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि	
	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	22.50	22.50
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	637.84	638.01
योग	**660.44**	**660.61**

अन्य सूचना

विवरण	(₹ करोड़ में)
(i) **सकल गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां**	
(क) संबंधित पक्षकार	
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	490.40
(ii) **निवल गैर-निष्पादन परिसंपत्तियां**	
(क) संबंधित पक्षकार	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	400.86
(iii) **ऋण के समाधान हेतु अधिग्रहित परिसंपत्तियां**	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 006747 एन
के.एस.पोन्नुस्वामी
भागीदार
संदस्यता सं. 070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 001113 एन
आर.सी.पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2013

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने इसके साथ संलग्न **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2013 के अनुसार तुलनपत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है।

2. **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

   इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि वह वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और कंपनी के नकदी प्रवाह का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों के अनुरूप एक वास्तविक और निष्पक्ष ब्योरा प्रस्तुत करे। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्प, क्रियान्वयन तथा रखरखाव करना, जो एक वास्तविक एवं निष्पक्ष स्थिति को निरूपित करे और ये कपटपूर्वक या त्रुटिपूर्वक किसी महत्वपूर्ण जानकारी का छिपाव न करते हो, का सुनिश्चित किया जाना भी शामिल है।

3. **लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व**

   हमारी जिम्मेदारी, लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय को अभिव्यक्त करना है। हमने भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजना के अनुसार लेखापरीक्षा में आश्वस्त करें कि वित्तीय विवरण में कोई गलतबयानी न हो।

   एक लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण से संबंधी लेखापरीक्षा साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों का निष्पादन करना शामिल है। अपनायी गयी क्रियाविधि, लेखापरीक्षक के निर्णय और वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह जानबूझकर की गयी हो या गलती से हों, के जोखिम के मूल्यांकन पर निर्भर करती है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखापरीक्षक ने कंपनी की तैयारी और वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार किया है ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी क्रियाविधियों को तैयार किया जा सके जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। लेखापरीक्षा में प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रयोग की गयी लेखांकन नीतियों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

   हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखापरीक्षा के मत हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।

4. **अभिमत**

   हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित ढंग में अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं तथा साधारणतया भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप एक वास्तविक और निष्पक्ष स्थिति को निरूपित करते हैं:

   (क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2013 के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति;

   (ख) लाभ एवं हानि खाते के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ; तथा

   (ग) नकदी प्रवाह के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह;

5. **अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट**

   (i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार, यथा अपेक्षित तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) के आदेश 2003 ('आदेश') के अनुसार, हमने आदेश के अनुच्छेद 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण को अनुबंध के रूप में संलग्न किया है।

   (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(3) के उपबंधों के तहत यथा अपेक्षित, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

   क. हमने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी इस लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक है;

   ख. हमारी राय में, और जहां तक इन बहियों की जांच से पता चलता है, कंपनी ने कानूनी अपेक्षा के अनुसार लेखा की उपर्युक्त लेखा-बहियों को ठीक ढंग से रखा है;

   ग. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी की लेखा-बहियों से मेल खाते हैं;

   घ. हमारी राय में, इस रिपोर्ट में तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा 3(ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं;

   च. कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार की दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना संख्या 2/5/2001-सीएलवी के द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) के उपबंधों को लागू करने की प्रयोज्यता से छूट दी गई है;

   छ. चूंकि, केंद्र सरकार ने न तो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के अंतर्गत किस दर से उपकर का भुगतान किया जाना है संबंधी कोई अधिसूचना जारी की है और न ही उक्त धारा के अंतर्गत कोई नियम जारी किया है, जो यह निर्धारित करे कि किस ढंग में ऐसे उपकरो ंका भुगतान किया जाना है, कंपनी पर कोई उपकर देय तथा प्रतिदेय नहीं है।

कृते बंसल एंड कंपनी	**कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.001113एन	फर्म पंजी.सं.006747एन
(आर.सी.पांडे)	(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.070811	सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के खातों पर उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद (5)(i)में संदर्भित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(i) (क) कारपोरेशन ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियों का अभिलेख रखा है, जिसमें अचल परिसंपत्तियों की मात्रा का विवरण और अवस्थिति सहित पूरे ब्योरे दर्शाए गए हैं।

(ख) कंपनी के प्रबंधन द्वारा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित करने के अनुसार उक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गयी।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने इस वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का कोई बड़ा निपटान नहीं किया। अतः चालू प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए, आदेश का यह खंड लागू नहीं होता है।

(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कारपोरेशन की कोई माल सूची नहीं है, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।

(iii) (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्षकार को जमानती या गैर-जमानती ऋण प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, 4(iii)(क), 4(iii)(ख) 4(iii)(ग) और 4(iii)(घ) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने सामान्यत: उन कंपनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों से कोई जमानती अथवा गैर-जमानती ऋण नहीं लिया है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत खोले गए रजिस्टर में सूचीबद्ध है। तद्नुसार, इस आदेश के खंड 4 (iii) (ङ), 4(iii) (च) तथा 4 (iii) (छ) कंपनी पर लागू नहीं होते।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार अचल परिसंपत्तियां खरीदने और वित्तीय सेवाओं के लिए आंतरिक नियंत्रण सामान्यतः कारपोरेशन के आकार और क्रियाकलाप के अनुरूप हैं। तथापि, कुछ क्षेत्रों को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है, ये क्षेत्र हैः विभिन्न स्कीमों के अधीन प्राप्त अनुदान/सब्सिडी, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों/ उत्पादन कंपनियों को दिए गए ऋणों की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण, जिसमें दिए गए ऋणों पर सृजित प्रभारों की खोज(सर्च) रिपोर्ट प्राप्त करना भी शामिल है। ऋण परिसंपत्तियों की भुगतान सूची फिर से तैयार करते समय संशोधित परियोजना की व्यवहार्यता का पता लगाना; ऋण परिसंपत्तियों पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए ईआरपी में ऋण मॉड्यूल से विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने पर भी बेहतर नियंत्रण की जरूरत है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन कंपनियों या संस्थाओं के साथ कोई करार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का यह खंड लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने जनता से ऐसी कोई जमा स्वीकार नहीं की है, जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए के उपबंध अथवा इसके अंतर्गत तैयार नियमावली के संबंधित उपबंध लागू होते हों।

(vii) हमारे विचार में कारपोरेशन का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जो सामान्यतः कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय के अनुरूप काफी है।

(viii) हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन के उत्पाद/सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेश का यह खंड कारपोरेशन पर लागू नहीं होता है।

(ix) (क) कारपोरेशन, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा रक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कर रहा है।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, सेवा कर तथा संपत्ति कर के संबंध में देय ऐसी कोई अविवादित राशि 31.03.2013 के अनुसार बकाया नहीं थी, जो देय तारीख से छह महीने से अधिक से बकाया हो।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर एवं उपकर से संबंधित ऐसी कोई भी राशि नहीं थी, जिसे विवाद के कारण जमा न किया गया हो।

(x) कारपोरेशन को 31 मार्च, 2013 तक कोई संचयी हानि नहीं हुई है। हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वर्ष एवं निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारपोरेशन को नकद हानि नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश का यह खंड लागू नहीं होता है।

(xi) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने तुलन-पत्र की तारीख तक किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या बॉण्डधारकों को देय राशि की चुकौती में चूक नहीं की है।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों, पारेषण, वितरण तथा उत्पादन कंपनियों, जिनमें स्वतंत्र विद्युत उत्पादक शामिल हैं, को शेयर अथवा किसी प्रतिभूति रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर दिए गए ऋण के संबंध में अभिलेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण किया है।

(xiii) हमारी राय में दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन चिट फंड या निधि अथवा म्युच्युअल बेनिफट फंड/सोसायटी नहीं है। अतः यह खंड कारपोरेशन पर लागू नहीं होता है।

(xiv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन, शेयरों, प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों तथा अन्य निवेशों का किसी प्रकार का लेन-देन या व्यापार नहीं कर रहा है। तदनुसार, यह खंड कारपोरेशन पर लागू नहीं होता है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से किसी अन्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। अतः यह खंड कारपोरेशन पर लागू नहीं होता है।

(xvi) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार सावधिक ऋण जिस प्रयोजन हेतु लिए गए, उसी के लिए इनका उपयोग किया गया।

(xvii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन के तुलन-पत्र की समग्र जांच करने पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गयी निधियों का उपयोग दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया गया है।

(xviii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में शामिल की जाने वाली कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को वर्ष के दौरान किसी तरह के अधिमानी शेयर आबंटित नहीं किए।

(xix) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन ने, कारपोरेशन की महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात की अचल परिसंपत्तियों पर प्राप्य एवं पंजीकृत रेहन पर प्रभार के रूप में संस्थागत बॉण्ड, कर मुक्त सुरक्षित बॉण्ड और पूंजीगत लाभ बॉण्ड के संबंध में प्रतिभूति सृजित की है।

(xx) इस निगम ने ₹ 1000/- अंकित मूल्य वाले कर मुक्त बॉण्डों का सार्वजनिक निर्गम जारी किया है और इसके जरिए वित्त वर्ष 2011-12 में कुल ₹ 3000.00 करोड़ की राशि जुटाई है। यह बॉण्ड 27.03.2012 को आबंटित किए जा चुके हैं और इनसे प्राप्त राशि निर्धारित सार्वजनिक निर्गम खातों में रखी गई है। निर्गम से प्राप्त राशि कंपनी के पास उपलब्ध है और उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जैसा कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त, पब्लिक इश्यू के लिए ₹ 2148.41 करोड़ के कर मुक्त बॉण्डों के निर्गम से प्राप्त रकम तथा वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए प्राइवेट प्लेसमेंट में से 31.03.2013 के अनुसार ₹ 0.63 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं हुआ है। अप्रयुक्त राशि निर्धारित सार्वजनिक खाते में रखी गयी है।

(xxi) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा की परिपाटी के अनुसार की गई लेखा-बहियों की जांच के दौरान और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कारपोरेशन के साथ या कंपनी द्वारा की गई कपट की कोई घटना न तो हमारे संज्ञान में आई है और न ही हमें उसकी कोई सूचना मिली है। प्रबंधन द्वारा भी ऐसे किसी मामले के बारे में हमें सूचित नहीं किया गया है।

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.001113एन

(आर.सी.पांडे)
भागीदार
सदस्यता सं.070811

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.006747एन

(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट रिजर्व बैंक निदेशों 2008 में यथा अपेक्षित और जिस हद तक ये नियम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन पर लागू हैं तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा जैसे ये उक्त निदेशकों के अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसार लागू हैं, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. इस कारपोरेशन ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) के अनुसार धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है और उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10.02.1998 के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है, और उनकी पंजीकरण संख्या 14.000011 है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले वर्गीकृत आरईसी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी के बदले में दिनांक 17 सितम्बर, 2010 का प्रमाणपत्र जारी किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या सीसी 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में निहित निदेशों के अनुसार है। यही नहीं, यह कंपनी 31 मार्च, 2013 के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय, के संदर्भ में इस पंजीकरण को जारी रखने की हकदार है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 02 जुलाई, 2012 के परिपत्र सं. आरबीआई/2012-13 / 29 डीएनबीएस-पीडी.सीसी नं.282/03.02.004/2012-13 के पैरा 2 (v) के अनुसार परिसंपत्तियों और आरक्षित निधि के प्रतिशत के अनुरक्षण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1बी और 45-1सी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने रिजर्व बैंक संबंधी निदेश, 1998 के पैराग्राफ 4 से 7 और पता निदेशकों, लेखापरीक्षकों इत्यादि में परिवर्तन के संबंध में रिजर्व बैंक को सूचना प्रस्तुत करने संबंधी उक्त निदेशों के पैरा 13 ए को छोडकर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) संबंधी निदेश, 1998 ऐसी किसी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 (च) में परिभाषित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित के अनुसार सरकारी कंपनी हो।

3. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, जमा के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश इस कारपोरेशन पर लागू नहीं हैं। इसलिए, इस कंपनी के निदेशक मंडल ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

4. वर्ष 2012-13 के दौरान इस कारपोरेशन ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।

5. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 अप्रैल, 2012 के पत्र द्वारा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (गैर-जमा स्वीकरण या नियंत्रण) के विवेकपूर्ण मापदंडों (रिजर्व बैंक) निदेश,2007 में यथा निर्धारित 31 मार्च, 2013 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण की छूट देने के लिए सहमति दी थी। 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, कंपनी ने लेखाकरण मानकों, आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के बारे में प्रावधान, क्षमता पर्याप्तता एवं प्रकटन मापदंड संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन किया है। यह इस निगम की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अनुरूप है और 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

6. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीएनबीएस.पीडी/सीसी नं.93/03.05.002/2006-07 दिनांक 27 अप्रैल, 2007 पर विचार करते हुए, आरईसी को, एक सरकारी कंपनी होते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक को एनबीएस-7 प्रस्तुत करने से छूट दी गयी है।

कृते बंसल एंड कंपनी	**कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.001113एन	फर्म पंजी.सं.006747एन
(आर.सी.पांडे)	**(के.एस.पोन्नुस्वामी)**
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.070811	सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 जुलाई, 2013

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के खातों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान नामक व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होती है। यह बताया गया है कि दिनांक 28 मई, 2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के संबंधित कागज-पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों और कार्मिकों से पूछताछ तथा तदनुसार कुछ चुने हुए लेखाकरण रिकार्ड की जांच तक ही मुख्य रूप से सीमित रही है। लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात मेरे ध्यान में नहीं आई है, जिसके आधार पर मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दे सकूं या पूरक लेखापरीक्षा कर सकूं।

कृते
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(बृज मोहन)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून, 2013

31 मार्च, 2013 के अनुसार समेकित तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
I.	इक्विटी और देयताए			
(1)	शेयरधारकों की निधियां			
	(क) शेयर पूंजी	2	987.46	987.46
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	16,542.38	13,635.91
	उप योग (1)		17,529.84	14,623.37
(2)	गैर-चालू देयताएं			
	(क) दीर्घकालिक उधारियां	4	90,925.38	76,553.68
	(ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	5	80.57	23.32
	(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	6	188.47	86.16
	उप-योग (2)		91,194.42	76,663.16
(3)	चालू देयताएं			
	(क) अल्पकालिक उधारियां	7	2,485.55	2,501.71
	(ख) व्यापार देय	8	3.97	4.23
	(ग) अन्य चालू देयताएं	9	19,125.84	14,517.12
	(घ) अल्पकालिक प्रावधान	6	227.48	318.48
	उप-योग (3)		21,842.84	17,341.54
	योग (1+2+3)		130,567.10	108,628.07
II.	परिसंपत्तियां			
(1)	गैर-चालू परिसंपत्तियां			
	(क) अचल परिसंपत्तियां	10		
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		68.09	68.60
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		3.78	2.24
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		8.75	7.92
	(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		-	0.10
			80.62	78.86
	(ख) गैर-चालू निवेश	11	590.85	685.32
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	9.65	10.02
	(घ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13	114,574.67	89,985.40
	(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	14	130.91	247.92
	उप योग (1)		115,386.70	91,007.52
(2)	चालू परिसंपत्तियां			
	(क) चालू निवेश	11	47.41	47.26
	(ख) व्यापार प्राप्य	15	28.53	37.36
	(ग) रोकड़ और बैंक शेष	16	1,529.54	5,375.36
	(घ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	17	1,916.02	2,972.20
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18	11,658.90	9,188.37
	उप योग (2)		15,180.40	17,620.55
	योग (1+2)		130,567.10	108,628.07

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 006747 एन
के.एस.पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 001113 एन
आर.सी.पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष में लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31.03.2013 को समाप्त अवधि	31.03.2012 को समाप्त अवधि
I.	प्रचालनों से राजस्व	19	13,525.70	10,429.39
II.	अन्य आय	20	110.88	124.23
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		13,636.58	10,553.62
IV.	**व्यय**			
	(i) वित्तीय लागत	21	8,005.86	6,378.84
	(ii) कर्मचारी हितलाभ व्यय	22	155.33	174.62
	(iii) मूल्यह्रास एवं परिशोधन	10	3.90	3.34
	(iv) अन्य व्यय	23	75.77	66.02
	(v) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		25.56	49.09
	(vi) मानक ऋण परिसंपत्तियों के बदले में आकस्मिक प्रावधान		105.68	-
	(vii) पुनःनिर्धारित ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान		-	3.18
	(viii) विदेशी मुद्रा विनिमय लोच हानि		77.51	52.55
	कुल व्यय (IV)		8449.61	6,727.64
V.	**पिछली अवधि की मदों एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)**		5186.21	3825.80
VI.	पिछली अवधि की मदें	24	0.76	0.18
VII.	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		5,186.21	3,825.80
VIII.	कर व्ययः			
	(i) चालू वर्ष		1,353.07	985.33
	(ii) पिछले वर्ष/(वापसियां)		(0.01)	(0.97)
	(iii) आस्थगित कर		0.37	2.78
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		1,353.43	987.14
IX.	**सतत् प्रचालन अवधि का लाभ (VII-VIII)**		3,832.78	2,838.66
X.	**प्रचालन बंद करने से लाभ (कर पश्चात)**		-	-
XI.	**इस अवधि का लाभ (IX+X)**		3,832.78	2,838.66
XII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर के लिए रुपए में)**			
	(1) मूल	25	38.81	28.75
	(2) डायल्यूटेड	25	38.81	28.75

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 45 टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 006747 एन
के.एस.पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 001113 एन
आर.सी.पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2013

दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण समेकित लेखाकरण नीतियां

1. समेकन के सिद्धांत

ये समेकित विवरण आरईसी लिमिटेड ('कंपनी'), इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित हैं। ये समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैंः

इस कंपनी और इसकी संहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण लेखाकरण मानक(एएस)-21 'समेकित वित्तीय विवरणी' के अनुसार अंतर-समूह शेष और अंतर-समूह लेन-देनों को पूरी तरह हटाने के बाद परिसंपत्तियों की समान मदों के खाता मूल्य, देयताएं, आय और व्यय को साथ जोड़कर प्रत्येक पंक्ति के आधार पर सम्मिश्रित किया गया है।

संयुक्त उद्यम संस्था के वित्तीय विवरणों को लेखाकरण मानक(एएस) 27-संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार प्राप्त नहीं किए गए लाभों या हानियों के आनुपातिक शेयरों को कम करने के बाद परिसंपत्तियों की समान मदों के खाता मूल्य, देयताओं, आय और व्यय को साथ जोड़कर प्रत्येक पंक्ति के आधार पर आनुपातिक समेकन विधि अपनाकर मिश्रित किया गया है।

जहां तक संभव है, समेकित वित्तीय विवरण समान लेन-देनों और अन्य समान परिस्थितियों की अन्य घटनाओं से संबंधित एकसमान लेखाकरण नीतियों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं और उन्हें निगम के पृथक वित्तीय विवरण के रूप में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

2. अन्य महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

इन्हें रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, इसकी अनुषंगी कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों के उत्कृष्ट वित्तीय विवरणों में दिए गए 'महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों' के अधीन दर्शाया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी (रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड), इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखों के समेकन को नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार दर्शाया गया है:-

अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	लेखों की स्थिति
अनुषंगी कंपनियों का नाम			
- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स् कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	लेखापरीक्षित
- आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	लेखापरीक्षित
संयुक्त उद्यम का नाम			
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	भारत	25%	लेखापरीक्षित

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स् कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि यह कंपनी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए एसपीवी के रूप में पूर्णतः स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी के रूप में एसपीवी बोली प्रक्रिया के पूरा होने पर सफल बोलीदाताओं को सौंप दी जाएगी। लेखाकरण मानक-21 के पैरा 11 के अनुसार *अनुषंगी कंपनी को उस स्थिति में समेकन से पृथक रखा जाना चाहिए, जब नियंत्रण अस्थायी किया जाना हो क्योंकि अनुषंगी कंपनियां निकट भविष्य में अपने अनुवर्ती कार्यों का निपटान करते समय अपना स्थान अर्जित/धारित करती हैं।* इसलिए, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स् कंपनी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों (अर्थात् विशाखापटनम ट्रांसमिशन लिमिटेड, कुडगी ट्रांसमिशन लिमिटेड, नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड, ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड और बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड) के वित्तीय विवरणों को इस कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किया गया है।

2. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	**राशि**	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	**1,200,000,000**	**1,200.00**	1,200,000,000	1,200.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर	**987,459,000**	**987.46**	987,459,000	987.46
योग	**987,459,000**	**987.46**	987,459,000	987.46

2.1 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड) के साथ निष्पादित सूचीकरण करारों और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं।

2.2 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारक

(₹ करोड़ में)

नाम	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	**प्रतिशतता**	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	**659,607,000**	**66.80%**	659,607,000	66.80%

3. आरक्षित और अधिशेष निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
आरक्षित पूंजी	**105.00**	105.00
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा (टिप्पणी 3.1 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,222.43**	3,222.43
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	**0.05**	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष	**3,222.48**	3,222.43
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 3.2 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**113.99**	-
जोड़ें अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**46.20**	113.99
वर्ष के अंत में शेष	**160.19**	113.99

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4,587.64**	3,905.94
जोड़ें: अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**942.00**	681.70
वर्ष के अंत में शेष	**5,529.64**	4,587.64
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**754.97**	595.38
जोड़ें अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**226.00**	159.59
वर्ष के अंत में शेष	**980.97**	754.97
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतर खाते (टिप्पणी 3.3 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**-181.88**	-
जोड़ें वर्ष के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/हानि (-)	**-56.97**	-209.02
वर्ष के दौरान परिशोधन	**78.57**	27.14
वर्ष के अंत में शेष	**-160.28**	-181.88
सामान्य आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,742.15**	2,452.42
जोड़ें अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**390.30**	289.73
वर्ष के अंत में शेष	**3,132.45**	2,742.15
अधिशेष लेखा		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,291.61**	1,559.15
जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ	**3,832.78**	2,838.66
घटाएं: विनियोजन		
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि मे अंतरण	**942.00**	681.70
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	**226.00**	159.59
- लाभांश		
- अंतरिम लाभांश	**666.53**	493.73
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**148.12**	246.86
- लाभांश संवितरण कर		
- अंतरिम लाभांश	**108.11**	80.09
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**25.20**	40.08
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**46.20**	113.99
- संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	**-**	0.43
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**390.30**	289.73
वर्ष के अंत में शेष	**3,571.93**	2,291.61
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि	**16,542.38**	13,635.91

3.1 वित्त वर्ष 2012-13 के लिए प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में परिवर्धन निजी प्लेसमेंट के द्वारा कर मुक्त बॉण्डों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम को निरूपित करता है। इसके अलावा, वर्ष 2011-12 के दौरान, ₹ 29,791.50 की कटौती, इक्विटी शेयरों की हाल के अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश से संबंधित वर्ष के दौरान खर्च किए गये शुल्कों/कमीशन की राशि को व्यक्त करती है, जिसे करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण उपर्युक्त गतिविधियों में दर्शाया नहीं गया है।

3.2 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 117ग के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.02.2013 को जारी परिपत्र संख्या 4/2013 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, सेबी के वर्तमान (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा निजी रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने **₹** 46.20 करोड़ (पिछले वर्ष **₹** 113.99 करोड़) की डीआरआर सृजित की है।

3.3 **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतर खाता**

इसके लिए कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद पर लेखाकरण मानक-11 के पैरा 46क 'विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के लिए विदेशी मुद्रा दर में घट-बढ़ हानि/(लाभ) के परिशोधन हेतु एक अपरिवर्तनीय विकल्प को चुना है। 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतर खाते' में परिशोधित किए जाने वाली शेष राशि **₹** 160.28 करोड़ (पिछले वर्ष **₹** 181.88 करोड़) है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी स्पष्टीकरणों के अनुसरण में, कंपनी ने 'इक्विटी और देयताएं' पक्ष पर 'आरक्षित और अधिशेष' शीर्ष के अंतर्गत 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतर खाते' में शेष राशि को पुनःवर्गीकृत किया है, जिसे पूर्व में पिछले वर्ष 'परिसंपत्तियां' पक्ष में 'गैर-चालू परिसंपत्तियां' शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया गया था।

3.4 प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश निम्नलिखित हैः-

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर		
- प्रस्तावित लाभांश की राशि (₹ करोड़ में)	148.12	246.86
- लाभांश की दर	15.00%	25.00%
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (रुपए)	1.50	2.50

4. दीर्घावधि उधारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(ए) प्रतिभूत उधारियां		
(क) बॉण्ड		
- संस्थागत बॉण्ड	17,297.38	21,123.70
- 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	10,142.61	10,283.25
- कर मुक्त बॉण्ड	5,613.41	3,000.00
(ख) आवधिक ऋण		
- बैंकों से	19.40	38.80
- वित्तीय संस्थाओं से	1,800.00	4,020.00
कुल प्रतिभूत दीर्घावधि उधारियां (क+ख)	34,872.80	38,465.75
(बी) अप्रतिभूत उधारियां		
(क) बॉण्ड		
- संस्थागत बॉण्ड	39,695.00	25,756.10
- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	376.32	376.32
- जीरो कूपन बॉण्ड	779.11	719.23
(ख) आवधिक ऋण		
- बैंकों से	250.00	750.00
- भारत सरकार से	7.93	15.14
(ग) अन्य ऋण एवं अग्रिम		
- विदेशी मुद्रा उधारियां	14,944.22	10,471.14
कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियां (क+ख+ग)	56,052.58	38,087.93
कुल दीर्घावधि उधार (क+ख)	90,925.38	76,553.68

4.1 उधार का विवरणः

उधार के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त दीर्घावधि उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और टिप्पणी-9 'अन्य चालू देयताओं' में उधार के चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रतिभूत दीर्घावधि उधार का विवरणः

(प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 4.3 देखें)

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.1.1 बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.1.1.1	संस्थागत बॉण्ड				
	92- II श्रृंखला 8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय	**945.30**	**-**	945.30	-
	91- II श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2019 को विमोचनीय	**995.90**	**-**	995.90	-
	90-ग- II श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 06.10.2019 को विमोचनीय	**1,040.00**	**-**	1,040.00	-
	90-ख- II श्रृंखला 8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय	**868.20**	**-**	868.20	-
	90वीं श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय	**2,000.00**	**-**	2,000.00	-
	88वीं श्रृंखला 8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय	**1,495.00**	**-**	1,495.00	-
	87-क- II श्रृंखला 11.20% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2013 को पुट-कॉल विकल्प के साथ 24.10.2018 को विमोचनीय	**-**	**36.40**	36.40	-
	87-क- III श्रृंखला 11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय	**61.80**	**-**	61.80	-
	87- II श्रृंखला 10.85% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2018 को विमोचनीय	**657.40**	**-**	657.40	-
	86-ख- III श्रृंखला 10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय	**432.00**	**-**	432.00	-
	86-क श्रृंखला 10.70% सममूल्य पर दिनांक 29.07.2018 को विमोचनीय	**500.00**	**-**	500.00	-
	85वीं श्रृंखला 9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय	**500.00**	**-**	500.00	-
	83वीं श्रृंखला 9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय	**685.20**	**-**	685.20	-
	82वीं श्रृंखला 9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय	**883.10**	**-**	883.10	-
	81वीं श्रृंखला 8.85% सममूल्य पर दिनांक 20.01.2017 को विमोचनीय	**314.80**	**-**	314.80	-
	80वीं श्रृंखला 8.20% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2016 को विमोचनीय	**500.00**	**-**	500.00	-
	79वीं श्रृंखला 7.85% सममूल्य पर दिनांक 14.03.2016 को विमोचनीय	**500.00**	**-**	500.00	-
	78वीं श्रृंखला 7.65% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2016 को विमोचनीय	**1,795.70**	**-**	1,795.70	-
	93- II श्रृंखला 8.45% सममूल्य पर दिनांक 19.02.2015 को विमोचनीय	**443.10**	**-**	443.10	-
	90-ख- I श्रृंखला 8.35% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2014 को विमोचनीय	**883.90**	**-**	883.90	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
90-क-II श्रृंखला 8.00% सममूल्य पर दिनांक 05.08.2014 को विमोचनीय	**1,000.00**	**-**	1,000.00	-
89-II श्रृंखला 7.70% सममूल्य पर दिनांक 02.06.2014 को विमोचनीय	**255.00**	**-**	255.00	-
69वीं श्रृंखला 6.05% सममूल्य पर ₹ 133.84 करोड़ की समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त 23.01.2014 को देय है।	**-**	**133.84**	133.84	133.84
87-ग-III श्रृंखला 11.50% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2013 को विमोचनीय	**-**	**860.00**	860.00	-
73वीं श्रृंखला 6.90% सममूल्य पर ₹ 46.78 करोड़ की समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 08.10.2013 को देय है।	**46.78**	**46.78**	93.56	46.78
87-I श्रृंखला 10.90% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2013 को विमोचनीय	**-**	**370.20**	370.20	-
75वीं श्रृंखला 7.20% सममूल्य पर ₹ 50.00 करोड़ की समान छमाही किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त दिनांक 17.09.2013 को देय है।	**100.00**	**100.00**	200.00	100.00
86-ख-II श्रृंखला 10.90% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2013 को विमोचनीय	**-**	**354.10**	354.10	-
86वीं श्रृंखला 10.75% सममूल्य पर दिनांक 24.07.2013 को विमोचनीय	**-**	**727.90**	727.90	-
77वीं श्रृंखला 7.30% सममूल्य पर ₹ 197.10 करोड़ की समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय। अगली किस्त 30.06.2013 को देय	**394.20**	**197.10**	591.30	197.10
84वीं श्रृंखला 9.45% सममूल्य पर दिनांक 04.04.2013 को विमोचनीय	**-**	**1,000.00**	1,000.00	-
93-I श्रृंखला 7.65% सममूल्य पर दिनांक 19.02.2013 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	141.50
92-I श्रृंखला 7.60% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2013 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	924.60
91-I श्रृंखला 7.75% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2012 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	943.00
90-ग-I श्रृंखला 7.90% सममूल्य पर दिनांक 06.10.2012 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	1,417.50
90-क-I श्रृंखला 7.15% सममूल्य पर दिनांक 05.08.2012 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	1,000.00
89-I श्रृंखला 7.00% सममूल्य पर दिनांक 02.06.2012 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	671.50
योग - संस्थागत बॉण्ड	**17,297.38**	**3,826.32**	21,123.70	5,575.82

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.1.1.2	54ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड (टिप्पणी 4.4 देखें)				
	श्रृंखला-VIII (2012-13) 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विमोचनीय	**4,903.25**	**-**	-	-
	श्रृंखला-VIII (2011-12) 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विमोचनीय	**5,239.36**	**-**	5,239.36	-
	श्रृंखला-VIII (2010-11) 6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान विमोचनीय	**-**	**5,043.89**	5,043.89	-
	श्रृंखला-VIII (2009-10) 6.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान विमोचनीय	**-**	**-**	-	3,057.78
	योग-54ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**10,142.61**	**5,043.89**	10,283.25	3,057.78
4.1.1.3	कर मुक्त बॉण्ड				
	श्रृंखला 2012-13 ट्रांचे 2 सममूल्य पर विमोचनीय। प्रतिवर्ष देय 6.88% से 7.54% तक ब्याज वाले ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड 25.03.2023 को तथा ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड 25.03.2028 को विमोचनीय है।	**131.06**	**-**	-	-
	श्रृंखला 2012-13 ट्रांचे 1 सममूल्य पर विमोचनीय। प्रतिवर्ष देय 7.22% से 7.88% तक ब्याज वाले ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड 19.12.2022 को तथा ₹ 817.04 करोड़ के बॉण्ड 19.12.2027 को विमोचनीय हैं।	**1,982.35**	**-**	-	-
	श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2क एवं 2ख सममूल्य पर विमोचनीय। प्रतिवर्ष देय 7.21% से 7.38% तक ब्याज वाले ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड 21.11.2022 को तथा ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड 21.11.2027 को विमोचनीय हैं।	**500.00**	**-**	-	-
	श्रृंखला 2011-12 सममूल्य पर विमोचनीय। प्रतिवर्ष देय 7.93% से 8.32% तक ब्याज वाले ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड 27.03.2022 को तथा ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड 27.03.2027 को विमोचनीय हैं।	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
	योग - कर मुक्त बॉण्ड	**5,613.41**	**-**	3,000.00	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.1.2 आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
बैंकों से आवधिक ऋण				
- स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	**19.40**	**19.40**	38.80	19.40
₹ 9.70 करोड़ की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय अगली किस्त दिनांक 24.09.2013 को देय				
- सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	**-**	**-**	-	50.00
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**-**	**-**	-	33.34
वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण				
- भारतीय जीवन बीमा निगम	**1,800.00**	**350.00**	2,150.00	350.00
क्रमशः दिनांक 01.10.2008 और 01.10.2010 से प्रारंभ 10 समान मासिक किस्तों में प्रतिदेय ₹ 1500 करोड़ (वर्तमान में ₹ 750 करोड़ शेष) तथा ₹ 2000 करोड़ (वर्तमान में ₹ 1,400 करोड़ शेष) का ऋण।				
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	**-**	**1,870.00**	1,870.00	-
दिनांक 21.01.2014 तथा 19.3.2014 को प्रतिदेय क्रमशः ₹ 1,000.00 करोड़ तथा ₹ 870.00 करोड़ का ऋण				
योग - आवधिक ऋण	**1,819.40**	**2,239.40**	4,058.80	452.74

4.2 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों का ब्योरा:

4.2.1 बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.2.1.1 संस्थागत बॉण्ड				
95-II श्रृंखला 8.75% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2025 को विमोचनीय	**1,800.00**	**-**	1,800.00	-
94वीं श्रृंखला 8.75% सममूल्य पर दिनांक 08.06.2025 को विमोचनीय	**1,250.00**	**-**	1,250.00	-
111-II श्रृंखला 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	**2,211.20**	**-**	-	-
107वीं श्रृंखला 9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	**2,378.20**	**-**	-	-
105वीं श्रृंखला 9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	**3,922.20**	**-**	3,922.20	-
101-III-श्रृंखला 9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	**3,171.80**	**-**	3,171.80	-
100वीं श्रृंखला 9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	**1,500.00**	**-**	1,500.00	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
98वीं श्रृंखला 9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
97वीं श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2020 को विमोचनीय	**2,120.50**	**-**	2,120.50	-
96वीं श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 25.10.2020 को विमोचनीय	**1,150.00**	**-**	1,150.00	-
113वीं श्रृंखला 8.87% सममूल्य पर दिनांक 08.03.2020 को विमोचनीय	**1,542.00**	**-**	-	-
111-I श्रृंखला 9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय	**452.80**	**-**	-	-
108-I I श्रृंखला 9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय	**960.00**	**-**	-	-
95-I श्रृंखला 8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय	**200.00**	**-**	200.00	-
112वीं श्रृंखला 8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचनीय	**1,500.00**	**-**	-	-
109वीं श्रृंखला 9.25% सममूल्य पर दिनांक 27.08.2017 को विमोचनीय	**1,734.70**	**-**	-	-
108-I Series 9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचनीय	**2,125.00**	**-**	-	-
106वीं श्रृंखला 9.28% सममूल्य पर दिनांक 15.02.2017 को विमोचनीय	**1,500.00**	**-**	1,500.00	-
104वीं श्रृंखला 9.30% सममूल्य पर दिनांक 03.05.2013 को पुन-कॉल विकल्प के साथ 03.11.2016 को विमोचनीय	**-**	**1,025.00**	1,025.00	-
103-I श्रृंखला 9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2013 को पुन-कॉल विकल्प के साथ 19.10.2016 को विमोचनीय	**-**	**915.00**	915.00	-
103-I I श्रृंखला 9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2013 को पुन-कॉल विकल्प के साथ 19.10.2016 को विमोचनीय	**-**	**500.00**	500.00	-
102वीं श्रृंखला 9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.09.2016 को विमोचनीय	**2,216.20**	**-**	2,216.20	-
101-I I श्रृंखला 9.45% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2016 को विमोचनीय	**394.60**	**-**	394.60	-
74वीं श्रृंखला 7.22% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2014 को विमोचनीय	**250.00**	**-**	250.00	-
110वीं श्रृंखला 8.84% सममूल्य पर दिनांक 16.10.2014 को विमोचनीय	**3,475.00**	**-**	-	-
101-I श्रृंखला 9.43% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2014 को विमोचनीय	**395.60**	**-**	395.60	-
99-I I श्रृंखला 9.75% सममूल्य पर दिनांक 07.06.2014 को विमोचनीय	**445.20**	**-**	445.20	-
99-I श्रृंखला 9.70% सममूल्य पर दिनांक 08.06.2012 को विमोचनीय	**-**	**-**	-	1,480.00
योग-संस्थागत बॉण्ड	**39,695.00**	**2,440.00**	25,756.10	1,480.00

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.2.1.2	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड				
	श्रृंखला-II (2011-12)	**157.59**	**-**	157.59	-
	सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.5 देखें				
	श्रृंखला-I (2010-11)	**218.73**	**-**	218.73	-
	सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.5 देखें				
	योग - इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	**376.32**	**-**	376.32	-
4.2.1.3	जीरो कूपन बॉण्ड				
	जैडसीबी-श्रृंखला-II दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय	**139.18**	**-**	127.97	-
	(दिनांक 03.02.2021 को प्रत्येक ₹ 30,000 के अंकित मूल्य सहित 89,510 बॉण्डों के सममूल्य पर निवल परिशोधित बट्टा) सममूल्य पर विमोचनीय				
	जैडसीबी-श्रृंखला-I दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय	**639.93**	**-**	591.26	-
	(दिनांक 15.12.2020 को प्रत्येक ₹ 30,000 के अंकित मूल्य सहित 3,92,700 बॉण्डों के सममूल्य पर निवल परिशोधित बट्टा) सममूल्य पर विमोचनीय				
	योग - जीरो कूपन बॉण्ड	**779.11**	**-**	719.23	-

4.2.2 आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
	सैंट्रल बैंक **दिनांक 27.02.2014 को प्रतिदेय** **दिनांक 27.02.2014 को प्रतिदेय**	**-**	**500.00**	500.00	-
	- बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**250.00**	**-**	250.00	200.00
	₹ 50.00 करोड़ का एक आवधिक ऋण दिनांक 29.06.2014 और दिनांक 29.06.2015 को समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय है और ₹ 200.00 करोड़ का एक आवधिक ऋण दिनांक 27.07.2014 तथा 27.07.2015 को दो समान किस्तों में प्रतिदेय है।				
4.2.2.1	**- भारत सरकार से**	**7.93**	**7.21**	15.14	9.50
	मूलधन के संबंध में 30 वर्ष की मूल अवधि और पांच वर्ष के ऋण स्थगन सहित विभिन्न खंडों में ऋण और अवरोही छठी वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय।				
	योग - आवधिक ऋण	**257.93**	**507.21**	765.14	209.50

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.2.3 अन्य ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.2.3.1	विदेशी मुद्रा उधारियां				
	सीएचएफ बॉण्ड - सीएचएफ 200 मिलियन 3.50% सममूल्य पर दिनांक 07.03.2017 को विमोचनीय	**1,139.38**	**-**	1,132.56	-
	रेग एस बॉण्ड - $500 मिलियन डॉलर 4.25% सममूल्य पर दिनांक 25.01.2016 को विमोचनीय	**2,498.55**	**-**	2,417.73	-
	जेआईसीए ऋण-भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत जेआईसीए ऋण-I ऋण दिनांक 20.03.2021 तक ¥982.33 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय। अगली किस्त दिनांक 20.09.2013 को देय हो रही है और जेआईसीए-I I ऋण दिनांक 20.03.2023 तक ¥995.33 मिलियन की समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय। अगली किस्त दिनांक 20.09.2013 को देय हो रही है।	**921.89**	**192.61**	1,059.02	128.26
	केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत 3.88 मिलियन की छमाही किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त दिनांक 30.06.2013 को देय है।	**246.17**	**47.92**	294.09	45.55
	ईसीबी-बैंक-II से सिंडिकेट ऋण $400 मिलियन डालर दिनांक 22.09.2015 को प्रतिदेय	**1,788.96**	**-**	1,788.96	-
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण-मॉरीशस-$70 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिनांक 28.10.2015 को प्रतिदेय	**311.36**	**-**	311.36	-
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण-मिजुहो-$100 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय	**446.50**	**-**	446.50	-
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण-बीटीएमयू-$100 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय	**446.50**	**-**	446.50	-
	सिंडिकेटेड ऋण-$300 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिनांक 19.08.2016 को प्रतिदेय	**1,367.24**	**-**	1,367.24	-
	केएफडब्ल्यू-II ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत €3.88 मिलियन की छमाही किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त दिनांक 30.06.2013 को देय है।	**374.10**	**53.44**	425.24	53.14
	सिंडिकेटेड ऋण-¥12.525 बिलियन दिनांक 27.03.2017 को प्रतिदेय	**1,143.76**	**-**	781.94	-
	सिंडिकेटेड ऋण-अप्रतिभूत-$250 मिलियन अमेरिकी डालर 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर एवं 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण क्रमशः दिनांक 17.09.2015 और 19.11.2015 को प्रतिदेय	**1,366.49**	**-**	-	-
	केएफडब्ल्यू-III ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत 5.26 मिलियन की छमाही किस्तों में प्रतिदेय, अगली किस्त दिनांक 30.06.2015 को देय है।	**173.86**	**-**	-	-
	सिंडिकेटेड ऋण-$250 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिनांक 21.03.2016 को प्रतिदेय	**1,359.73**	**-**	-	-
	सिंडिकेटेड ऋण-$250 मिलियन अमेरिकी डॉलर	**1,359.73**	**-**	-	-
	योग-विदेशी मुद्रा उधारियां	**14,944.22**	**293.97**	10,471.14	226.95

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.3 प्रतिभूत उधारियों का प्रतिभूत विवरण

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 69 को (क) 51 और 52/58-बी, 5वाँ तल, मित्तल टॉवर, खंड-II, बैकबे स्कीम, नरीमन प्वाइंट, कोलाबा, मुंबई-400005, महाराष्ट्र, भारत के परिसरों को बंधक रखकर तथा (ख) आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कारपोरेशन की अचल तथा/या चालू परिसंपत्तियों (बुक ऋण)को प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 73, 75 को (क) 51 और 52/58-बी, 5वाँ तल, मित्तल टॉवर, खंड-II, बैकबे स्कीम, नरीमन प्वाइंट, कोलाबा, मुंबई-400005, महाराष्ट्र, भारत के परिसरों को बंधक रखकर तथा (ख) हमारी कंपनी के वर्तमान और भावी दोनों, प्राप्य होने वाली रकम के साथ-साथ प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है, लेकिन इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन अनुबंध के आधार पर आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पास मालबंधित रखी गयी रकम इसमें शामिल नहीं है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86क, 86ख-II, 86ख-III, 87- I, 87-II, 87क- II, 87क- III, 87ग-III, 88, 89-II, 90, 90क-II, 90ख-I, 90ख-II, 90ग-II, 91-II, 92-II, 93- II और सभी 54ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड को (क) फ्लैट नं. 640, एशियाड गेम्स विलेज, नई दिल्ली 110049, भारत को बंधक रखकर तथा (ख) हमारी कंपनी के वर्तमान और भावी दोनों, प्राप्य होने वाली रकम के साथ-साथ प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है, लेकिन इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन अनुबंध के आधार पर आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पास मालबंधित रखी गयी रकम इसमें शामिल नहीं है।

कर-मुक्त बॉण्डों (वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी) को शॉप नंबर-12, भूतल, ब्लॉक नं.35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई के परिसरों को प्रथम सममूल्य पर प्रभारित करके और आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में एमएसईडीसीएल के ₹ 4,998.66 करोड़ से प्राप्य रकम को मालबंधन करके प्रतिभूत किया गया है।

कर-मुक्त बॉण्डों (वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान जारी) को (क) सब प्लॉट नं.8, टीपीएस नं.2, एफपी नं. 584पी, ग्राम सुभानपुर, जिला वड़ोदरा के परिसरों को प्रथम सममूल्य पर प्रभारित करके और (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्य रकम को मालबंधन करके प्रतिभूत किया गया है।

सभी आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों, प्राप्य होने वाली रकम को प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है, लेकिन इसमें दिनांक 24 सितंबर, 2010 को अद्यतन किए गए संयुक्त मालबंधन अनुबंध के आधार पर आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पास मालबंधित रखी गयी रकम इसमें शामिल नहीं है।

4.4 54ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड वार्षिक रूप से देय 6.00% से 6.25% की ब्याज दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए हैं। वर्ष के दौरान, 54ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला-VIII 2012-13 वार्षिक रूप से देय 6.00% की ब्याज दर पर 3 वर्षों की एक अवधि के लिए जारी किए गए थे। ये बॉण्ड 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के अंत में स्वतः विमोचित हो जाएंगे।

4.5 निर्गमित इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का ब्योरा इस प्रकार है:

दिनांक 31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला (2010-11)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	राशि	विमोचन का विवरण
8.00%	61.60	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक द्वारा पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	151.74	
8.10%	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.78	
	218.73	

दिनांक 15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	राशि	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	**95.23**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक द्वारा पुनः खरीद का विकल्प
8.95% वार्षिक	**32.85**	
9.15% संचयी	**13.43**	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बांडधारक द्वारा पुनः खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	**5.01**	

समेकित लेखा टिप्पणियां

दिनांक 15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला (2011-12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	राशि	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	
9.15% संचयी	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	
	157.59	

5. अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
- उपचित लेकिन उधारकर्ताओं को देय नहीं ब्याज का गैर-चालू अंश	80.25	23.01
- अन्य	0.32	0.31
जोड़	80.57	23.32

6. दीर्घावधि और अल्पावधि संबंधी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
	- निम्नलिखित हेतु प्रावधान				
(क)	**कर्मचारी हितलाभ**				
	अर्जित अवकाश देयताएं	19.56	3.80	21.20	2.25
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	54.26	1.54	45.39	1.43
	चिकित्सा अवकाश देयताएं	11.03	2.37	10.84	1.15
	निपटान भत्ता	1.03	0.13	1.02	0.10
	आर्थिक पुनर्वास योजना	1.95	0.28	1.95	0.24
	दीर्घावधि सेवा पुरस्कार	2.44	0.62	2.58	0.43
	उप-जोड़ (क)	90.27	8.74	82.98	5.60
(ख)	**अन्य**				
	मानक ऋण परिसंपत्तियां	95.16	10.52	-	-
	पुनःनिर्धारित ऋण परिसंपत्तियां	3.04	0.14	3.18	-
	प्रोत्साहन	-	34.03	-	25.10
	अनुग्रही अदायगी	-	-	-	0.10
	धन कर	-	0.37	-	0.38
	फ्रिंज बेनिफिट टैक्स	-	0.36	-	0.36
	प्रस्तावित लाभांश	-	148.12	-	246.86
	कारपोरेट लाभांश कर	-	25.20	-	40.08
	उप-जोड़ (ख)	98.20	218.74	3.18	312.88
	जोड़ (क+ख)	188.47	227.48	86.16	318.48

वर्ष के दौरान, कारपोरेशन ने मानक ऋण परिसंपत्तियों के बदले में ₹ 105.68 करोड़ का एक आकस्मिक प्रावधान सृजित किया है, जोकि 31.03.2013 के अनुसार कुल शेष मानक ऋण परिसंपत्तियों की 0.0833% रकम है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

6.1 लेखाकरण मानक-29 के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रावधानों का ब्योरा निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

निम्न हेतु प्रावधान	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	अंतशेष
अर्जित अवकाश देयताएं	23.45	5.66	5.79	23.32
पिछले वर्ष	21.50	5.00	3.05	23.45
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	46.82	11.75	2.77	55.80
पिछले वर्ष	37.40	12.18	2.76	46.82
चिकित्सा अवकाश देयताएं	11.99	2.23	0.82	13.40
पिछले वर्ष	10.62	2.18	0.81	11.99
निपटान भत्ता	1.12	0.07	0.03	1.16
पिछले वर्ष	0.22	0.94	0.04	1.12
आर्थिक पुनर्वास योजना	2.19	0.25	0.21	2.23
पिछले वर्ष	2.06	0.27	0.14	2.19
दीर्घावधि सेवा पुरस्कार	3.01	0.45	0.40	3.06
पिछले वर्ष	2.37	3.91	3.27	3.01
मानक ऋण परिसंपत्तियां	-	105.68	-	105.68
पिछले वर्ष	-	-	-	-
पुनःनिर्धारित ऋण परिसंपत्तिया	3.18	-	-	3.18
पिछले वर्ष	-	3.18	-	3.18
प्रोत्साहन	25.10	41.47	32.54	34.03
पिछले वर्ष	16.40	23.60	14.90	25.10
अनुग्रही अदायगी	0.10	-	0.10	-
पिछले वर्ष	0.10	-	-	0.10
धन कर	0.38	0.36	0.37	0.37
पिछले वर्ष	0.36	0.40	0.38	0.38
फ्रिंज बेनिफिट टैक्स	0.36	-	-	0.36
पिछले वर्ष	0.36	-	-	0.36
अंतरिम लाभांश	-	666.53	666.53	-
पिछले वर्ष	-	493.73	493.73	-
प्रस्तावित लाभांश	246.86	148.12	246.86	148.12
पिछले वर्ष	394.98	246.86	394.98	246.86
कारपोरेट लाभांश कर	40.08	133.31	148.19	25.20
पिछले वर्ष	64.09	120.17	144.18	40.08
आयकर	1,914.63	1,355.13	940.70	2,329.06
पिछले वर्ष	2,717.85	986.13	1,789.35	1,914.63
सीएसआर एवं सतत् विकास व्यय	-	17.50	17.50	-
पिछले वर्ष	-	12.99	12.99	-

7. अल्पावधि उधारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(क) बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण, प्रतिभूत	**5.55**	1.71
(आवधिक जमा के बदले में प्रतिभूत)		
(ख) निम्न से मांग पर अप्रतिदेय ऋण, अप्रतिभूत		
- बैंकों से	**500.00**	2,500.00
- वित्तीय संस्थाओं से	**1,000.00**	-
(ग) कमर्शियल पेपर, अप्रतिभूत	**980.00**	-
जोड़ (क+ख+ग)	**2,485.55**	2,501.71

समेकित लेखा टिप्पणियां

8. व्यापार अदायगियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
व्यापार अदायगियां	**3.97**	4.23
जोड़	**3.97**	4.23

9. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(क) **दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वताएं**		
- संस्थागत बॉण्ड	**6,266.32**	7,055.82
- 54ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**5,043.89**	3,057.78
- बैंकों एवं अन्यों से आवधिक ऋण	**2,746.61**	662.24
- विदेशी मुद्रा उधारियां	**293.97**	226.95
उप-जोड़ (क)	**14,350.79**	11,002.79
(ख) **उधारियों पर उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं**	**3,735.97**	2,934.39
(ग) **उधारियों पर उपचित और देय ब्याज**	**1.05**	1.24
(घ) **अग्रिम के रूप में प्राप्त आय**	**7.81**	12.83
(ङ) **अप्रदत्त लाभांश**	**1.84**	1.25
(च) **बॉण्डों पर अप्रदत्त ब्याज और मूल**		
- परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	**72.77**	95.75
- बॉण्डों पर ब्याज	**19.82**	18.23
(छ) **अन्य देय रकम**		
- भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी/अनुदान	**27,347.67**	26,661.41
जोड़ें सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (वापसी/समायोजन का निवल)	**3.65**	83.14
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	**-27,330.93**	-26,390.56
असंवितरित सब्सिडी/अनुदान	**20.39**	353.99
- भविष्य निधि और टीडीएस सहित देय सांविधिक रकम	**22.20**	11.87
- फंडेड स्टाफ हितलाभ संबंधी देय	**1.35**	5.65
- अन्य देयताएं	**891.85**	79.13
उप जोड़ (छ)	**935.79**	450.64
जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	**19,125.84**	14,517.12

समेकित लेखा टिप्पणियां

9.1 **त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम के अधीन सब्सिडी (एजीएंडएसपी):**

कारपोरेशन एक ब्याज सब्सिडी निधि लेखा रखता है और उसे भारत सरकार के अ.शा.पत्र सं. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 और का.ज्ञा. सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.03 के अनुसार, सूचक दर और वर्ष पर अभिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एंड एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरित करने के लिए) दी गई थी, भले ही वास्तविक चुकौती अनुसूची, परिशोधित वर्ष और पात्र योजनाओं की चुकौती की अवधि कुछ भी हो। आहरण के समय सुनिश्चित सूचक दर और वर्ष के बीच अंतर के प्रभाव और वास्तविक प्रभाव को संबंधित योजना की समाप्ति के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

शीर्ष ''अनुदान'' - (एजी एंड एसपी) प्राप्त ब्याज सब्सिडी'' और ''अनुदान (एजी एंड एसपी) संवितरित ब्याज सब्सिडी'' के अधीन 31.03.2013 को ₹ 2.44 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4.24 करोड़) की निवल रकम में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ब्याज सब्सिडी की शेष रकम दर्शाई गई है, जो त्वरित विद्युत उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अधीन भविष्य में पैदा होने वाली उनकी ब्याज देयता के अनुसार उधारकर्ताओं को दी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित मदें शामिल हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का प्रारंभिक शेष	**4.24**	5.53
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी	**1.80**	1.29
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतशेष	**2.44**	4.24

9.2 भारत सरकार ने आरईसी को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ऐसी योजनाओं के अधीन विभिन्न एजेंसियों को संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियां एक अलग बैंक खाते में रखी जाती हैं। योजना के लिए असंवितरित निधियों और उन पर अर्जित ब्याज को ''चालू देयताओं'' के शीर्ष के अंतर्गत ''असंवितरित सब्सिडी/अनुदान'' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

चालू वर्ष के दौरान ₹ 20.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 22.59 करोड़) के अर्जित ब्याज को आरजीजीवीवाई के सब्सिडी खाते में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, सब्सिडी पर कुल ब्याज में से ₹ 98.92 करोड़ की राशि विद्युत मंत्रालय को वापस कर दी गयी है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

10. 31 मार्च, 2013 को अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2012 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31.03.2013 को अंतिम रकम	31.03.2012 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	34.75	-	-	**34.75**	-	-	-	**-**	**34.75**	34.75
लीजहोल्ड भूमि	1.45	-	-	**1.45**	0.18	0.02	-	**0.20**	**1.25**	1.27
भवन	24.44	0.08	0.01	**24.51**	6.05	0.37	0.01	**6.41**	**18.10**	18.39
फर्नीचर और जुड़नार	7.32	0.23	0.04	**7.51**	3.98	0.33	0.03	**4.28**	**3.23**	3.34
वाहन	0.57	0.01	0.07	**0.51**	0.45	0.02	0.06	**0.41**	**0.10**	0.12
ईडीपी उपस्कर	13.89	1.89	0.27	**15.51**	6.67	1.85	0.07	**8.45**	**7.06**	7.22
कार्यालय उपस्कर	6.08	0.52	0.39	**6.21**	2.57	0.27	0.23	**2.61**	**3.60**	3.51
जोड़	88.50	2.73	0.78	**90.45**	19.90	2.86	0.40	**22.36**	**68.09**	68.60
पिछले वर्ष	80.60	8.89	0.99	**88.50**	18.06	2.46	0.62	**19.90**	**68.60**	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	4.37	2.58	-	**6.95**	2.13	1.04	-	**3.17**	**3.78**	2.24
जोड़	4.37	2.58	-	**6.95**	2.13	1.04	-	**3.17**	**3.78**	2.24
पिछले वर्ष	4.36	0.01	-	**4.37**	1.25	0.88	-	**2.13**	**2.24**	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	**7.92**	**0.83**	**-**	**8.75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.75**	**7.92**
पिछले वर्ष	3.01	5.49	0.58	**7.92**	-	-	-	**-**	**7.92**	
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	0.10	0.10	0.20	**-**	-	-	-	**-**	**-**	0.10
पिछले वर्ष	-	0.10	-	**0.10**	-	-	-	**-**	**0.10**	

10.1 कारपोरेशन द्वारा अधिगृहीत ₹ 4.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.59 करोड़) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

10.2 प्रबंधन की राय में एएस-28 के अनुसार कारपोरेशन की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं हुई है। तदनुसार, लेखाकरण मानक-28 'परिसंपत्तियों की कमी' के अधीन यथा अपेक्षित की हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं।

10.3 लेखाकरण मानक-26 'अमूर्त परिसंपत्तियों' में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटीकरण:

अपरिशोधन दर 20%, परिसंपत्ति की कुल लागत के ₹ 5,000 अथवा कम होने की स्थिति में 100%

अपरिशोधन विधि स्ट्रेट लाईन

समेकित लेखा टिप्पणियां

11. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
लागत पर मूल्यांकित				
(1) गैर-चालू निवेश				
(क) अन्य निवेश (अनुद्धृत)				
(i) इक्विटी लिखतों में निवेश				
- इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	1,250,000	1.25	1,250,000	1.25
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	16,000,000	16.00	16,000,000	16.00
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II	12	565.92	14	660.24
प्रत्येक एक बॉण्ड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2013 को देय है।				
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड)*				
(iii) वेंचर पूंजी निधियों में निवेश				
- केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड				
प्रति यूनिट 10.00 के अंकित मूल्य के "स्माल इज ब्यूटीफुल" निधि के यूनिट	7,682,816	7.68	7,825,127	7.83
₹ 9.77 प्रति यूनिट का एनएवी (पिछले वर्ष ₹ 10.33)				
जोड़: गैर-चालू निवेश (1)		590.85		685.32
(2) चालू निवेश				
(क) इक्विटी लिखतों में निवेश (अनुद्धृत)				
- अनुषंगी कंपनियां				
- वेमागिरि ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	-	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- विज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	0.05	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- कुडगी ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	0.05	-	-
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	0.05	-	-
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	0.05	-	-
प्रत्येक 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	0.05	-	-
प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनुद्धृत)				
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II				
प्रत्येक एक बॉण्ड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2013 को देय है।	1	47.16	1	47.16
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड)*				
जोड़ - चालू निवेश (2)		47.41		47.26
जोड़ (1+2)		638.26		732.58

*चालू अंश में बॉण्डों की संख्या और निवेश की रकम में अगले 12 मास के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश को दर्शाया गया है और शेष गैर-चालू अंश है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

- निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटीकरण

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
(i) अद्धृत निवेशों की समग्र राशि	-	-
(ii) अनुद्धृत निवेशों की समग्र राशि		
- गैर-चालू निवेश	590.85	685.32
- चालू निवेश	47.41	47.26
(iii) निवेशों की लागत में गिरावट की रकम	-	-

11.1 निवेश में ₹ 7.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.83 करोड़) शामिल हैं, जो केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' (एसआईबी) वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है। वर्ष के दौरान, 1,42,311 यूनिटों (पिछले वर्ष 9,08.660 यूनिट) को विमोचित किया गया था।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास देश	शेयर का प्रतिशत
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹ 7.68 करोड़	भारत	9.74%

11.2 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक-27 के अधीन यथा अपेक्षित संयुक्त उद्यम में कारपोरेशन के हित से संबंधित सूचनाः

1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड

ब्याज का अनुपात	25%
निगमन का देश	भारत

12. आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
अर्जित छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	7.94	7.61
बीमारी की छुट्टी हेतु प्रावधान	4.12	3.48
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	2.63	2.51
पेंशन योजना हेतु प्रावधान	-	1.06
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	0.56	-
जोड़	15.25	14.66
आस्थगित कर देयताएं		
मूल्यह्रास	5.60	4.64
जोड़	5.60	4.64
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	9.65	10.02

12.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित कोष से आहरण करने का कंपनी का कोई इरादा नहीं है। अतः सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि प्रत्यावर्धन निधि प्रत्यावर्तन योग्य नहीं है और इस प्रकार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक-22 के अनुसार यह स्थायी अंतर बन गया है। तदनुसार कंपनी उक्त आरक्षित निधि के संबंध में किसी आस्थगित कर देयता का सृजन नहीं कर रही है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

13. दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(क) पूंजीगत अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)	23.79	24.54
(ख) प्रतिभूत जमा (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)	7.74	3.96
(ग) संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम		
- निदेशकों को	0.07	0.05
	0.07	0.05
(घ) अन्य ऋण और अग्रिम		
- स्टाफ को ऋण और अग्रिम (निदेशकों को छोड़कर)	13.73	12.74
- दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियां	114,529.34	89,944.11
	114,543.07	89,956.85
योग (क+ख+ग+घ)	114,574.67	89,985.40

संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य ऋण एवं अग्रिम का ब्योरा

13.1 स्टाफ ऋण एवं अग्रिम

स्टाफ ऋण और अग्रिम के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा स्टाफ ऋण एवं अग्रिम के चालू अंश को टिप्पणी-18 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम (प्रतिभूत, शोध्य समझे गए)				
- निदेशकों को	0.01	-	-	-
- कर्मचारियों को (निदेशकों को छोड़कर)	3.78	1.01	1.64	0.64
उप-योग	3.79	1.01	1.64	0.64
स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम(अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए)				
- निदेशकों को	0.06	0.04	0.05	0.04
- कर्मचारियों को (निदेशकों को छोड़कर)	9.95	5.94	11.10	5.95
उप-योग	10.01	5.98	11.15	5.99
योग	13.80	6.99	12.79	6.63

समेकित लेखा टिप्पणियां

13.2 दीर्घावधि ऋण एवं परिसंपत्तियां

दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों के गैर-चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों के चालू अंश को टिप्पणी-18 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क) प्रतिभूत ऋण				
(क1) राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण(संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों की सामग्री/मूर्त परिसंपत्तियों को बंधक करके प्रतिभूत)				
(क) शोध्य समझे गए	66,215.52	6,781.75	57,402.83	4,814.02
(क2) अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)				
(क) शोध्य समझे गए	17,716.40	734.32	10,803.99	1,099.90
(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	353.48	136.92	427.71	62.69
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	57.02	32.52	42.77	21.77
	296.46	104.40	384.94	40.92
उप-योग (क1+क2)	84,228.38	7,620.47	68,591.76	5,954.84
(ख) अप्रतिभूत ऋण				
(ख1) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण				
(क) शोध्य समझे गए	27,278.56	2,975.03	17,664.20	2,266.46
(ख2) राज्य सरकारों को ऋण				
(क) शोध्य समझे गए	2,919.40	230.83	3,350.91	223.60
(ख3) ऋण - अन्य				
(क) शोध्य समझे गए	103.00	1.33	337.24	5.23
उप-योग (ख1+ख2+ख3)	30,300.96	3,207.19	21,352.35	2,495.29
समग्र योग (क+ख)	114,529.34	10,827.66	89,944.11	8,450.13

13.2.1 31 मार्च, 2013 के अनुसार कुल ऋण के लगभग 80% हेतु शेष ऋण की पुष्टि उधारकर्ताओं से प्राप्त की गयी।

14. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(क) स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का गैर-चालू अंश	3.00	2.24
(ख) पुनःनिर्धारित ऋणों पर उपचित ब्याज	118.79	231.88
(ग) अपरिशोधित व्यय का गैर-चालू अंश:		
- बॉण्डों के निर्गम पर बट्टा	8.97	13.80
(घ) अन्य	0.15	-
योग (क+ख+ग+घ)	130.91	247.92

समेकित लेखा टिप्पणियां

15. बाजार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(क) अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	**29.77**	38.06
घटाएं: बही अग्रिम	**0.05**	0.06
घटाएं: संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**1.19**	0.64
	28.53	37.36
योग	**28.53**	37.36
अदायगी के लिए देय होने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि से शेष पड़ी रकम	**15.94**	9.71

16. नकदी और बैंक में शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य		
- बैंकों में शेष रकम	**368.64**	3,690.74
- हस्तगत चैक/ड्रॉफ्ट	**-**	0.89
- अन्य		
- अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा	**1,132.69**	1,643.04
उप-योग (क)	**1,501.33**	5,334.67
(ख) अन्य	**28.21**	40.69
योग (क+ख)	**1,529.54**	5,375.36
बैंकों में शेष में निम्नलिखित शामिल है		
- बैंकों में जमा निर्धारित शेष		
- अप्रदत्त लाभांश हेतु	**1.84**	1.25
- आरजीजीवीवाई अनुदान हेतु	**2.81**	325.50
- एजी एंड एसपी अनुदान हेतु	**6.11**	4.81
- अन्य अनुदान हेतु	**2.35**	3.96
- कर मुक्त बॉण्ड पब्लिक इश्यु लेखा	**0.63**	3,000.00
- पीएटी खाता, 3एल खाता एवं एसएंडएल खाता	**0.18**	1.46
इसके अतिरिक्त, आरजीजीवीवाई अनुदान के लिए ₹ 10.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) चिह्नित किए जाने सहित अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधि जमा।		
अनुसूचित बैंकों के पास 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**1.65**	13.00

16.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान प्रत्येक ₹ 1000/- के अंकित मूल्य के कुल ₹ 3,000 करोड़ के कर-मुक्त बॉण्डों का पब्लिक इश्यू जारी किया है। बॉण्ड दिनांक 27.03.2012 को आबंटित किए गए और इसकी बिक्री से प्राप्त आय को निर्धारित पब्लिक इश्यु खाते में रखा गया है। इश्यु से प्राप्त आय का उपयोग, वर्ष के दौरान प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए किया गया है।

कंपनी ने ₹ 500 करोड़ के कर-मुक्त बॉण्ड के प्राइवेट प्लेसमेंट निर्गम के अलावा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दो ट्रांचों में ₹ 1,000/- के अंकित मूल्य के ₹ 2,148.41 करोड़ (आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् लिमिटेड द्वारा ₹ 35 करोड़ के निवेश सहित) के कर-मुक्त बॉण्डों के पब्लिक इश्यु जारी किए। पब्लिक इश्यू के अंतर्गत बॉण्डों को वित्तीय वर्ष 2012-13 के तहत और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप आबंटित किया गया है। निर्गम से प्राप्त आय का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए किया गया है। इसमें ₹ 0.63 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जिसे उपयोग हेतु निर्धारित पब्लिक इश्यू खाते में लंबित रखा गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

17. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
- अन्य		
- नकदी या प्राप्त की जाने वाली उसी प्रकार अथवा सममूल्य के प्राप्य अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए)	7.02	4.70
- ऋण परिसंपत्तियां		
(क) **प्रतिभूत ऋण**		
- राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य बिजली बोर्डों/ कारपोरेशन को ऋण(सामग्रियों/मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखने तथा/या बंधक करके प्रतिभूत)		
(क) शोध्य समझे गए	1,759.00	1,737.50
उप-योग (क)	1,759.00	1,737.50
(ख) **अप्रतिभूत ऋण**		
- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण		
(क) शोध्य समझे गए	150.00	830.00
- अन्यों को ऋण		
(क) शोध्य समझे गए	-	400.00
उप-योग (ख)	150.00	1,230.00
योग (ऋण परिसंपत्ति)	1,909.00	2,967.50
समग्र योग	1,916.02	2,972.20

18. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(क) **दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों का चालू प्राप्य**	10,827.66	8,450.13
(ख) **स्टाफ अग्रिमों का चालू प्राप्य**	6.99	6.63
(ग) **उपचित लेकिन देय नहीं ब्याजः**		
- आवधिक जमा	4.64	30.59
उप-योग	4.64	30.59
(घ) **ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज**	120.26	86.11
(ङ) **ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय नहीं ब्याज**	560.89	549.61
(च) **स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का चालू अंश**	0.33	0.36
(छ) **भारत सरकार से प्राप्य**		
- आरजीजीवीवाई व्यय	8.99	6.78
उप-योग	8.99	6.78
(ज) **सरकारी विभागों/अन्यों से प्राप्य**	17.60	22.07
(झ) **अग्रिम आयकर एवं टीडीएस**	2,389.32	1,945.89
घटाएंः आयकर हेतु प्रावधान	2,329.06	1,914.63
	60.26	31.26
(ञ) **आयकर प्राप्य**	0.12	-
(ट) **कमर्शियल पेपर पर प्रदत्त वित्तीय प्रभार**	46.33	-
(ठ) **अपरिशोधित व्ययों का चालू अंश**		
- बॉण्डों के निर्गम पर बट्टा	4.83	4.83
योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ)	11,658.90	9,188.37

समेकित लेखा टिप्पणियां

19. प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज				
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	12,479.02		9,684.32	
घटाएं:सामयिक अदायगी/कार्य पूरा करने आदि हेतु छूट	4.25	12,474.77	6.17	9,678.15
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण		816.18		585.87
योग- ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय (क)		13,290.95		10,264.02
(ख) अन्य वित्तीय सेवाओं से राजस्व				
(i) प्रक्रिया, अपफ्रंट, लीड शुल्क, एलसी कमीशन आदि		108.62		47.15
(ii) पूर्व-अदायगी प्रीमियम		12.50		3.02
(iii) आरजीजीवीवाई कार्यान्वयन/अन्य हेतु एजेंसी/हैंडलिंग प्रभार		9.97		23.40
योग- अन्य वित्तीय सेवाओं से राजस्व (ख)		131.09		73.57
(ग) जमा पर ब्याज		103.66		91.80
योग (क+ख+ग)		13,525.70		10,429.39

20. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
(क) ब्याज आय (प्रचालन आय के अलावा)		
- सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	54.71	62.25
- आयकर वापसी से ब्याज	0.67	4.02
- स्टाफ अग्रिमों से ब्याज	1.35	0.53
- अनुषंगी कंपनियों से ब्याज	0.18	0.13
उप-योग (क)	56.91	66.93
(ख) लाभांश आय		
- अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	-	0.05
- दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	0.25	0.13
उप-योग (ख)	0.25	0.18
(ग) निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ		
- दीर्घावधि निवेशों की बिक्री पर लाभ	0.34	0.84
- चालू निवेशों की बिक्री पर लाभ	18.51	10.91
उप-योग (ग)	18.85	11.75
(घ) अन्य गैर-प्रचालन आय		
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	0.05
- रिटन बैक प्रावधान	1.69	4.44
- विविध आय	33.18	40.88
उप-योग (घ)	34.87	45.37
योग (क+ख+ग+घ)	110.88	124.23

समेकित लेखा टिप्पणियां

21. वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
(क) ब्याज व्यय		
- सरकारी ऋणों पर	**1.53**	2.31
- आरईसी बॉण्ड पर	**6,554.00**	5,064.14
- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण पर	**414.70**	611.63
- विदेशी वाणिज्यिक उधारियों पर	**790.52**	578.71
- कमर्शियल पेपर पर	**86.49**	-
- एआरईपी सब्सिडी पर	**0.24**	0.33
अग्रिम आयकर पर ब्याज	**2.06**	0.25
उप-योग (क)	**7,849.54**	6,257.37
(ख) अन्य उधार लागतें		
- गारंटी शुल्क	**27.32**	11.46
- पब्लिक इश्यू व्यय	**10.37**	14.25
- बॉण्ड रखरखाव प्रभार	**1.67**	1.12
- बॉण्डों की दलाली	**14.69**	15.99
- बॉण्डों पर स्टाम्प शुल्क	**0.84**	0.04
- अन्य बॉण्ड/ऋण लिखत निर्गम व्यय	**-**	-
- ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	**101.43**	78.61
उप-योग (ख)	**156.32**	121.47
योग (क+ख)	**8,005.86**	6,378.84

22. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
(क) वेतन एवं भत्ते	**119.57**	137.97
(ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**9.96**	8.43
(ग) उपदान	**1.35**	2.38
(घ) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	**11.75**	12.17
(ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	**12.70**	13.67
योग (क+ख+ग+घ+ङ)	**155.33**	174.62

23. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
-किराया और भाड़ा प्रभार		**3.12**		3.26
-दरें और कर		**1.47**		5.96
- बिजली और ईंधन		**1.15**		0.94
- बीमा प्रभार		**0.04**		0.04
- मरम्मत और अनुरक्षण				
- भवन	**1.68**		1.27	
- मशीनरी -ईआरपी एवं डेटा केंद्र	**3.04**		3.10	
- अन्य	**0.43**	**5.15**	0.48	4.85
- मुद्रण और स्टेशनरी		**0.63**		0.25
- यात्रा और वाहन		**9.28**		8.21
- डाक टिकट, टेलीग्राम एवं टेलीफोन		**1.12**		1.24
- प्रचार एवं प्रोन्नयन व्यय		**5.21**		4.60
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		**0.59**		0.62
- परामर्शी प्रभार		**11.03**		6.84
- सीएसआर एवं सतत विकास संबंधी व्यय		**17.59**		13.03
- दान और धर्मार्थ		**0.01**		0.06
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**0.33**		0.24
- विविध व्यय		**19.05**		15.88
योग		**75.77**		66.02

समेकित लेखा टिप्पणियां

23.1 लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
- लेखापरीक्षा शुल्क	0.28	0.27
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.05	0.05
- सीमित समीक्षा शुल्क	0.06	0.05
- अन्य प्रमाणीकरण हेतु अदायगी#	0.19	0.25
- व्ययो ंकी प्रतिपूर्ति	0.01	-
योग	**0.59**	0.62

उपर्युक्त आंकड़ों में सेवा कर नियमों के अनुसार किए गए ₹ 0.03 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का सेवा कर क्रेडिट वापसी भी शामिल है।

#इसमें वित्त वर्ष 2012-13 के लिए कर मुक्त बॉण्ड पब्लिक इश्यू हेतु विवरणिका के प्रमाणन के लिए ₹ 0.15 करोड़ का प्रमाणन शुल्क तथा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए ईसीबी प्रलेखीकरण के प्रमाणन हेतु ₹ 0.09 करोड़ तथा कर मुक्त बॉण्ड पब्लिक इश्यू के लिए विवरणिका के प्रमाणन हेतु ₹ 0.15 करोड़ का प्रमाणन शुल्क भी शामिल है।

23.2 विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
अर्जन	-	0.02
व्यय		
- रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	0.39	1.34
- ब्याज	289.56	192.95
- वित्तीय प्रभार	86.72	65.45
- अन्य प्रभार	0.72	0.69
योग	**377.39**	260.43

23.3 कारपोरेशन ने कर्मचारियों के लिए कार्यालय तथा आवास और ईआरपी डेटा केंद्र हेतु स्थल पट्टे पर लिया है। इन्हें संचालन संबंधी पट्टे के रूप में लिया गया है। कार्यालय स्थल और डेटा केंद्र के संबंध में ₹ 2.39 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2.38 करोड़) की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारी आवास के संबंध में ₹ 1.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.27 करोड़) की पट्टा अदायगी 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया अदायगियां	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास
अधिकतम एक वर्ष	0.39	2.52	0.39	2.30
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	0.38	7.94	0.77	7.08
5 वर्ष से अधिक	-	0.01	-	2.18
योग	**0.77**	**10.47**	1.16	11.56

24. पिछली अवधि की मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
- अन्य	0.76	0.18
योग	**0.76**	0.18

समेकित लेखा टिप्पणियां

25. प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
गणक		
लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर-पश्चात लाभ (₹करोड़ में)	**3,832.78**	2,838.66
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**987,459,000**	987,459,000
₹ 10/- के प्रत्येक शेयर पर मूल और डायल्यूटिड अर्जन (₹ में)	**38.81**	28.75

26. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

26.1 आकस्मिक देयताओं का निम्नलिखित हेतु प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
क कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	**51.28**	59.84
- गारंटियां	**0.61**	-
ख अन्य		
- लैटर ऑफ कम्फर्ट	**1,904.17**	4,696.95

उपर्युक्त 'क' में संदर्भित राशि में ₹ 5.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.75 करोड़) की रकम शामिल है, जो माध्यस्थ के मामले सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है तथा इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की ₹ 46.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 52.09 करोड़) की रकम भी शामिल है।

26.2 निम्नलिखित के संबंध में प्रतिबद्धताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
- पूंजीगत लेखों में निष्पादन किए जाने वाले शेष ठेके	**6.15**	8.02
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- असंवितरित सीएसआर प्रतिबद्धताएं	**7.41**	5.91
- पट्टा प्रतिबद्धताएं	**11.24**	12.72

27. यह निगम वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस(पीडी),सीसी सं.12/डी2.01/99-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 617 के उपबंधों के अनुरूप हैं, उनको नकद परिसंपत्तियों के रखरखाव, आरक्षित निधियां स्थापित करने, सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इसलिए इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 02 जुलाई, 2012 के मास्टर परिपत्र सं. डीएनबीएस (पीडी) सीसी नं. 279/03.02.001/2012-13 के अनुच्छेद संख्या 1(3)(iv) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अधीन परिभाषित एक सरकारी कंपनी होते हुए आरईसी गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण और प्रतिधारण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंडों (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 की प्रयोज्यता से छूट लेता रहेगा। इसके अलावा, आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(आई) सी के उपबंधों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान की है। एक आईएफसी के रूप में प्राइवेट सेक्टर को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों का स्वामित्व 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों का स्वामित्व क्रमशः 30% और 50% होगा। आरईसी को 15% का पूंजी-जोखिम

समेकित लेखा टिप्पणियां

भारित संपत्ति अनुपात रखना होता है (न्यूनतम स्तर- I पूंजी का 10%)। तदनुसार, 25 सितंबर, 2010 को बोर्ड के अनुमोदन से विवेकपूर्ण मानदंडों में संशोधन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्ति के 50% से 250% तक भिन्न-भिन्न है, जो संस्था के मूल्यांकन तथा संबंधित राज्य यूटिलिटियों की स्थिति पर निर्भर करती है।

28. 13 दिसंबर, 2006 को हमारे निदेशक मंडल ने कारपोरेशन के विवेकपूर्ण मानदंडों को अनुमोदित किया तथा 21 फरवरी, 2009 और 25 सितंबर, 2010 को इनमें संशोधन अनुमोदित किए गए थे। इनमें से कुछ आवश्यक विशेषताएं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में भी दी गयी हैं। तथापि, सभी 'व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण' सरकारी स्वामित्व के एनबीएफसी को विवेकपूर्ण मानदंडों के ढांचे के अधीन लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 दिसंबर, 2006 को हमारे निगम को एक 'रूपरेखा' प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। निगम ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 29 जून, 2010 के पत्र द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2012 तक विद्युत क्षेत्र की केंद्रीय और राज्य संस्थाओं के संबंध में विवेकपूर्ण प्रकटन मानदंडों से छूट प्रदान की है। इस छूट अवधि को कम से कम 12वीं योजना के अंत तक आगे बढ़ाने के आरईसी के अनुरोध, जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2012 के पत्र के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक को अग्रेषित किया गया था, के उत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 अप्रैल, 2012 के पत्र द्वारा 31 मार्च, 2013 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने से छूट की अवधि बढ़ाने की सहमति प्रदान कर दी है, बशर्ते कि 01 अप्रैल, 2013 से शुरू होने वाले तीन वर्ष के अंदर, समय-समय पर यथा संशोधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (गैर-जमा स्वीकृति या प्रतिधारण) विवेकपूर्ण मानदंड (भारतीय रिजर्व बैंक) संबंधी निर्देश, 2007 में निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में 30 जून, 2012 तक एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए। तदनुसार, आरईसी ने भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का 2012-13 से एक चरणबद्ध तरीके से अनुपालन करने के लिए 22 जून, 2012 के पत्र द्वारा विद्युत मंत्रालय को एक रूपरेखा प्रस्तुत की, मंत्रालय ने उसे 06 जुलाई, 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक को अग्रेषित कर दिया। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांग करने पर स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत कर दिए गए थे। चरणबद्ध क्रियान्वयन को, भारतीय रिजर्व बैंक से प्रस्तुत रूपरेखा के सबंध में प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर लागू किया जाएगा। वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में, इसे लागू किए जाने से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि, मामला भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है, कंपनी इसके संबंध में उत्तरवर्ती वर्ष (वर्षों) में संभावित प्रभाव,यदि कोई हो, को अभिनिर्धारित करने में असमर्थ है।

29. वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, को क्रियाशील किया गया। योजना को, वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। योजना, वितरण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी वितरण विद्युत यूटिलिटियों द्वारा ऋण लेने पर, सुधार उपायों से संबद्ध ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि, 2 वर्षों के दौरान अर्थात् 2012-13 तथा 2013-14 में स्वीकृत, ऋण संवितरण योजनाओं के लिए 14 वर्षों के दौरान ₹ 8,466 करोड़ की सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभारों, स्वतंत्र मूल्यांककों को अदायगी और अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) की कुल ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को पूरे देश में प्रचालनात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

30. **लेखाकरण नीति में परिवर्तन**

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 2, 2.1क, 2.3(ii)(क), 4.1, 5, 6,10.2,10.3,13.2,एवं15 में आशोधन किए गए हैं, ताकि इसे और अधिक स्पष्ट बनाया जा सके। हालांकि, ऐसे आशोधनों से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ने एक चरणबद्ध तरीके में मानक परिसंपत्तियों के प्रति एक प्रावधान का सृजन करने के लिए एक नई लेखाकरण नीति 2.3(iv) को तैयार किया है, ताकि यह वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक न्यूनतम 0.25% की स्थिति प्राप्त कर ले। वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ इस लेखाकरण नीति के कारण ₹ 105.68 करोड़ कम हुआ है।

31. आरई सहकारी समितियों द्वारा विशेष निधि का सृजन करने में कमी (सकल) ₹ 5.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.71 करोड़) की रकम की पाई गई है और अपेक्षित विशेष निधि का सृजन करने के लिए इन समितियों से कहा जा रहा है।

32. बांडों पर उपचित ब्याज के संबंध में लागू आय कर, बांडधारकों को ब्याज की वास्तविक अदायगी करते समय स्रोत पर कटौती की जाती है, क्योंकि ऐसे बॉण्डों का मुक्त रूप से व्यापार हस्तांतरण किया जा सकता है।

33. प्रबंधन की राय में तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियों, ऋणों और पेशगियों का मूल्य उसमें उल्लिखित रकम के बराबर है, बशर्ते कि यह सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त हो जाए और सभी चालू देयताओं का प्रावधान किया गया हो।

34. कारपोरेशन की, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के प्रति कोई देयता बाकी नहीं है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

35. प्रतिरक्षा कार्यनीति के भाग के रूप में कंपनी ने, कुछ मामलों में, ब्याज की स्थिर दर के स्थान पर अस्थिर दर का ब्याज दर विनिमय निष्पादित किया है। जिसके बाकी उधार पर विनिमय का प्रयोग किया गया है, उसका मूल्य भारतीय रुपए में ₹ 7,211.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7,150 करोड़) है।

विदेशी मुद्रा उधारियों के संबंध में, कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रकटन की प्रतिरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विनिमय (क्रॉस करेंसी स्वैप) को भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2013 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रकटन की बकाया स्थिति निम्नवत है।

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में तथा भारतीय ₹ करोड़ों में दर्शाए गए हैं)

मुद्रा	योग		प्रतिरक्षित भाग (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित	
	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए *	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए *
जापानी येन ¥	40,173.98	2,258.26	26,688.37	1,479.34	13,485.61	778.92
पिछले वर्ष	35,669.38	1,969.21	23,144.38	1,187.28	12,525.00	781.93
यूरो €	131.43	895.49	106.43	721.63	25.00	173.86
पिछले वर्ष	121.58	818.03	51.58	339.65	70.00	478.38
यूएसडी $	2,220.00	10,945.06	1,470.00	6,865.87	750.00	4,079.19
पिछले वर्ष	1,470.00	6,778.29	1,220.00	5,499.38	250.00	1,278.91
सीएचएफ (**स्विस फ्रैंक**)	200.00	1,139.38	-	-	200.00	1,139.38
पिछले वर्ष	200.00	1,132.56	-	-	200.00	1,132.56
योग		15,238.19		9,066.84		6,171.35
पिछले वर्ष		10,698.09		7,026.31		3,671.78

*भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा उधार का भाग विनिमय लेन-देन में स्थिर दर पर बताया गया है और उसे वर्ष के अंत की दर पर अंतरित नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार का अप्रतिरक्षित भाग वर्ष की अंत दर पर अंतरित किया गया है।

35.1 लेखाकरण नीति 14.1 के अनुसार, वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गई है :

क्र.सं.	विनिमय दर	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
1	यूएसडी/भारतीय ₹	**54.3893**	51.1565
2	जेपीवाई/भारतीय ₹	**0.5776**	0.6243
3	यूरो/भारतीय ₹	**69.5438**	68.3403
4	सीएचएफ/भारतीय ₹	**56.9689**	56.6279

36. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (29.11.2011 अपराह्न से)
श्री एच. डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त) (31.07.2012 अपराह्न तक)
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त) (01.08.2012 पूर्वाह्न से)
श्री पी. जे. ठक्कर	निदेशक (तकनीकी) (02.05.2011 अपराह्न से)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार:

(₹ करोड़ में)

नाम	अनुषंगी कंपनी		मुख्य प्रबंधन कार्मिक	
	31.03.2013 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2012 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2013 समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2012 समाप्त वर्ष के लिए
ऋण और अग्रिम	**7.09**	4.71	**0.02**	0.01
पारिश्रमिक	**-**	-	**1.65**	1.36

समेकित लेखा टिप्पणियां

37. निगम ने लेखाकरण मानक-15 (संशोधित 2005) 'कर्मचारी हितलाभ' को अंगीकृत किया है। परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजना इस प्रकार है:

क. भविष्य निधि

निगम पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देता है, जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना होता है। प्रबंधन अनुमानों के अनुसार 31 मार्च, 2013 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ सहित निधि की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

निगम एक अलग न्यास में पूर्व-निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान अदा करता है, जो बीमाकर्ता के पास उस निधि का निवेश करता है। बीमाकर्ता न्यास के सदस्यों के खाते में जमा पड़े शेष पर ब्याज की दर तय करता है। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है। निगम द्वारा देय परिभाषित अंशदान के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में इस व्यय को मान्यता दी गई है।

ग. उपदान

निगम की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के उपबंध के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्तपोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

घ. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

निगम की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (विवाहिती सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ङ. कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना

यदि कोई कर्मचारी कंपनी की सेवा के दौरान स्थायी रूप से पूर्णतः अशक्त हो जाता है/यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को आर्थिक लाभ और सहायता देने के लिए कारपोरेशन की एक योजना है। इस व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

च. कर्मचारी की लंबी सेवा के लिए पुरस्कार योजना

निगम में कर्मचारियों की लंबी सेवा पुरस्कार की एक योजना है जो निगम में लगातार 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

छ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी)

सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए निगम के पास कर्मचारी तथा आश्रितों के लिए एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यताप्राप्त है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नवत है

लाभ एवं हानि खातों में मान्यताप्राप्त व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2013	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012
चालू सेवा लागत	**1.78**	1.69	**1.02**	0.62	**0.05**	0.04
ब्याज लागत	**2.92**	2.90	**3.75**	3.18	**0.09**	0.02
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**3.44**	2.82	**-**	-	**-**	-
लाभ एवं हानि विवरणों में मान्यताप्राप्त बीमांकित (लाभ)/ और हानि	**0.09**	0.61	**6.98**	8.37	**(0.07)**	0.88
पूर्व सेवा लागत	**-**	-	**-**	-	**-**	-
लाभ एवं हानि खातों में मान्यताप्राप्त व्यय	**1.35**	2.38	**11.75**	12.17	**0.07**	0.94

समेकित लेखा टिप्पणियां

तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त राशि:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान न्यास के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2013	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**37.85**	36.47	**55.80**	46.82	**1.16**	1.12
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.14**	31.24	**-**	-	**-**	-
निवल परिसंपत्तियां/ (दायित्व) मान्यताप्राप्त	**(2.71)**	(5.23)	**(55.80)**	(46.82)	**(1.16)**	(1.12)

परिभाषित हितलाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2013	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**36.47**	34.15	**46.82**	37.41	**1.12**	0.21
ब्याज लागत	**2.92**	2.90	**3.75**	3.18	**0.09**	0.02
पूर्व सेवा लागत	**-**	-	**-**	-	**-**	-
चालू सेवा लागत	**1.78**	1.69	**1.02**	0.62	**0.05**	0.04
प्रदत्त हितलाभ	**3.49**	2.88	**2.77**	2.76	**0.03**	0.03
दायित्वों पर बीमांकित लाभ/ हानि	**0.17**	0.61	**6.98**	8.37	**(0.07)**	0.88
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**37.85**	36.47	**55.80**	46.82	**1.16**	1.12

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान न्यास के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2013	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**31.24**	31.30	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**3.52**	2.81	**-**	-	**-**	-
अंशदान	**2.38**	0.01	**-**	-	**-**	-
प्रदत्त हितलाभ	**3.49**	2.88	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ(हानि)	**1.49**	-	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.14**	31.24	**-**	-	**-**	-

वर्ष के दौरान निगम ने उपदान न्यास में ₹ 1.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.38 करोड़), पीआरएमएफ में ₹ 11.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12.17 करोड़) और ओडीआरबी में ₹ 0.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.94 करोड़) के अंशदान की देयता का प्रावधान किया।

कर्मचारी के अन्य हितलाभ

वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी नकदीकरण के लिए ₹ 5.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.00 करोड़), बीमारी की छुट्टी के लिए ₹ 2.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.18 करोड़), आर्थिक पुनर्वास योजना के लिए ₹ 0.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.27 करोड़) और दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए ₹ 0.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.91 करोड़) का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और उसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत बिंदु की वृद्धि/कमी का प्रभाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1% (+)		1% (-)	
	31.03.2013	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012
सेवा और ब्याज लागत	**0.85**	0.66	**(0.70)**	(0.60)
पीबीओ (अंत में)	**7.58**	5.80	**(6.35)**	(5.31)

बीमा संबंधी पूर्व धारणा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2013	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012	**31.03.2013**	31.03.2012
प्रयुक्त विधि	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
बट्टा दर	**8.00%**	8.50 %	**8.00%**	8.50 %	**8.00%**	8.50 %
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	**10.50%**	9.00 %	**-**	-	**-**	-
वेतन में भावी वृद्धि	**6.00%**	6.50 %	**6.00%**	6.50 %	**6.00%**	6.50 %

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की पूर्व-अनुमानित दर है।
- प्रमुख धारणा छूट पर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यतः एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार लाभ है जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपर्युक्त सूचना बीमांक द्वारा प्रमाणित है।

38. कुछ पूर्व राज्य बिजली बोर्डों को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए प्रतिष्ठानों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य बिजली बोर्डों की देयताएं नए प्रतिष्ठानों में अंतरित कर दी गई है और पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (पीएसईबी), हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एचपीएसईबी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड (सीएसईबी) के मामले में इस निगम, नए प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

39. कुछ मानक परिसंपत्तियों के संबंध में चुकौती अनुसूची को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि आदि के विस्तार करने जैसे विभिन्न कारणों से वर्ष के दौरान परिशोधित कर दिया गया था। ये ऋण मानक परिसंपत्तियों के रूप में जारी रहेंगे। 31 मार्च, 2013 तक कारपोरेशन द्वारा पुनर्गठित किए गए सभी बकाया ऋणों की गतिविधि का ब्योरा निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की सं.	31.03.2013 के अनुसार	खातों की सं.	31.03.2012 के अनुसार
आरंभिक शेष	20	**20,381.29**	16	8,223.94
मूलधन		**670.91**		717.37
उपचित ब्याज				
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए खाते)	11		4	
आरंभिक शेष				
मूलधन		**9,120.09**		8,565.48
उपचित ब्याज		**71.75**		1.18
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
मूलधन		**5,350.19**		4,145.01
उपचित ब्याज		**3,763.91**		2,169.67
वर्ष के दौरान प्राप्ति				
मूलधन		**1,140.23**		553.14
ब्याज		**3,843.57**		2,217.31
अंत:शेष	31		20	
मूलधन		**33,711.34**		20,381.29
ब्याज		**663.00**		670.91

समेकित लेखा टिप्पणियां

40. निगम का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण करना है। तदनुसार, निगम के पास भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचना देने के लिए एक से अधिक पात्र खंड नहीं है।

41. दिनांक 31.03.2013 को निगम का पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात 17.71% है(पिछले वर्ष 16.00%)।

42. कंपनी के पास दिनांक 31.03.2013 को रियल एस्टेट क्षेत्र का कोई प्रकटन नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

43. **दिनांक 31.03.2013 को ऋण परिसंपत्तियों और उधार की परिपक्वता का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ऋण परिसंपत्तियों की वसूली	उधारियों की चुकौती
2013-14	12,769	16,831
2014-15	11,402	13,538
2015-16	12,422	18,553
2016-17	13,218	7,798
2017-18	12,690	8,723
2018-19	12,126	4,055
2019-20	11,151	9,275
2020-21	10,093	7,126
2021-22	8,860	9,441
2022-23	7,465	6,105
2023-24	5,659	-
2023-24 के बाद	9,501	6,346
योग	**127,356**	**107,791**

44. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप पुनःवर्गीकृत/पुनःसमूहीकृत किया गया है।

45. जब तक स्पष्ट रूप से न कहा गया हो, रुपए के अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 45 तक टिप्पणी तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण का अभिन्न अंग है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 006747 एन
के.एस.पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 001113 एन
आर.सी.पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
कर-पूर्व निवल लाभ	**5,186.21**		3,825.80	
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**0.33**		0.19	
2. मूल्यह्रास	**3.90**		3.33	
3. अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	**25.56**		49.09	
4. पुनःनिर्धारित ऋणों के लिए प्रावधान	**-**		3.18	
5. मानक ऋण परिसंपत्तियों के बदले में आकस्मिक प्रावधान	**105.68**		-	
6. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	**86.49**		-	
7. अत्यधिक प्रावधान रिटन बैक	**-0.04**		-	
8. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**-18.85**		-11.75	
9. विनिमय दर घट-बढ़ पर हानि/लाभ (-)	**77.51**		52.55	
10. अनुषंगी कंपनी से लाभांश	**-**		-0.05	
11. निवेशों से लाभांश	**-0.25**		-0.13	
12. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II पर ब्याज	**-54.71**		-62.25	
13. अग्रिम आय कर पर ब्याज हेतु किया गया प्रावधान	**2.06**		0.25	
14. बट्टे खाते डाले गए बाण्डों पर छूट	**4.83**		4.71	
15. जीरो कूपन बॉण्डों पर उपचित ब्याज	**59.88**		55.46	
16. प्रावधान से अधिक अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	**0.01**		-	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभः	**5,478.61**		3,920.38	
वृद्धि/कमीः				
1. ऋण परिसंपत्तियां	**-25,929.26**		-19,703.14	
2. अन्य प्रचालन परिसंपत्तियां	**106.16**		8.60	
3. प्रचालन देयताएं	**1,672.41**		940.52	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**-18,672.08**		-14,833.64	
1. प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	**-1,384.09**		-993.00	
2. आयकर वापसी	**-**		1.50	
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		**-20,056.17**		-15,825.14
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.05**		0.17	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी एवं विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां भी शामिल हैं)	**-5.29**		-13.92	
3. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II का विमोचन	**94.32**		94.32	
4. 'स्माल इज ब्यूटीफुल' की यूनिटों का विमोचन	**0.15**		0.90	
5. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**18.85**		11.75	
6. यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के शेयरों में निवेश	**-**		-16.00	
7. अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	**0.15**		0.05	
8. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II पर ब्याज	**54.71**		62.25	
9. निवेशों से लाभांश	**0.25**		0.13	
10. अनुषंगी कंपनियों के शेयरों में निवेश	**-0.20**		-0.10	
11. अनुषंगी कंपनियों के शेयरों की बिक्री	**0.05**		-	
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		**163.04**		139.55

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष		31.03.2012 को समाप्त वर्ष	
ग. वित्त संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. बॉण्डों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	**13,781.96**		20,108.21	
2. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण/एसटीएल लेना (चुकौतियों का निवल)	**-1,648.90**		-3,225.89	
3. विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना (विमोचनों का निवल)	**4,484.19**		2,857.01	
4. ब्याज सहित भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (वापसी का निवल)	**606.77**		2,238.28	
5. अनुदानों का संवितरण	**-940.37**		-2,766.93	
6. सरकारी ऋण की चुकौती	**-9.50**		-11.49	
7. अंतिम लाभांश की अदायगी	**-246.86**		-395.03	
8. अंतरिम लाभांश की अदायगी	**-666.54**		-493.73	
9. कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	**-148.19**		-144.18	
10. प्रतिभूतियों के निर्गम पर प्रीमियम	**0.05**		-	
11. कमर्शियल पेपर का निर्गम (चुकौती का निवल)	**847.18**		-	
वित्त संबंधी क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह		**16,059.79**		18,166.25
नकदी/नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		**-3,833.34**		2,480.66
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**5,334.67**		2,854.01
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**1,501.33**		5,334.67
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं				
- हाथ में चैक/ड्रॉफ्ट		**-**		0.89
- बैंकों में शेष:				
- आरबीआई और अन्य बैंकों में चालू खाता		**354.45**		352.51
- असंवितरित आरजीजीवीवाई अनुदान#		**2.81**		325.50
- असंवितरित एजीएवंएसपी अनुदान#		**6.11**		4.81
- अन्य असंवितरित सब्सिडी/अनुदान#		**2.35**		3.96
- कर मुक्त बॉण्ड पब्लिक इश्यू लेखें#		**0.63**		3,000.00
- अप्रदत्त लाभांश लेखे#		**1.84**		1.25
- पीएटी लेखा, 3एल लेखा एवं एसएंडएल लेखा#		**0.45**		2.71
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि निक्षेप		**1,132.69**		1,643.04
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता		**1,501.33**		5,334.67

\# ये शेष राशियां कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये संबंधित अनुदान लेखे, पब्लिक इश्यू लेखे में शेष तथा अप्रदत्त लाभांशों में रखें चिह्नित शेष राशियों को निरूपित करती हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि निक्षेप में भी ₹ 10.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं जो आरजीजीवीआई अनुदान के लिए चिह्नित हैं और कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी: जहाँ कही आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुन:व्यवस्थित एवं पुन:समूहीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 006747 एन
के.एस.पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 001113 एन
आर.सी.पांडे
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2013

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
नई दिल्ली

1. हमने इसके साथ संलग्न रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम के समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2013 के अनुसार समेकित तुलन पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि के समेकित विवरण तथा नकदी प्रवाह के समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कंपनी के प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि वह समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और कंपनी तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों और उसके संयुक्त उद्यम के समेकित नकदी प्रवाह का सामान्यतया भारत में स्वीकार्य लेखाकरण मानकों के अनुरूप एक वास्तविक और निष्पक्ष ब्योरा प्रस्तुत करे। इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्प, क्रियान्वयन तथा रखरखाव करने,जो एक वास्तविक एवं निष्पक्ष स्थिति को निरूपित करे और ये कपटपूर्वक या त्रुटिपूर्वक किसी महत्वपूर्ण जानकारी का छिपाव न करते हो, का सुनिश्चित किया जाना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारी जिम्मेदारी, लेखापरीक्षा पर आधारित इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय को अभिव्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजना के अनुसार लेखापरीक्षा में आश्वस्त करें कि समेकित वित्तीय विवरण में कोई गलतबयानी न हो।

4. एक लेखापरीक्षा में, समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण से संबंधी लेखापरीक्षा साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियों का निष्पादन करना शामिल है। अपनायी गयी क्रियाविधि, लेखापरीक्षक के निर्णय और समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह जानबूझकर की गयी हो या गलती से हों, के जोखिम के मूल्यांकन पर निर्भर करती है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखापरीक्षक ने कंपनी की तैयारी और वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार किया है, ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी क्रियाविधियों को तैयार किया जा सके जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयोग की गयी लेखांकन नीतियों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही समग्र समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

5. हमने दो अनुषंगी कंपनियों तथा समेकित वित्तीय विवरण में शामिल संयुक्त उद्यम, जिनकी 31 मार्च, 2013 के अनुसार कुल परिसंपत्ति ₹ 59.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 81.36 करोड़) तथा उसी वर्ष की समाप्ति पर कुल राजस्व ₹ 37.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 44.55 करोड़) है, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है। इन वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गयी है तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर जहां तक हमारी राय है, ये वित्तीय विवरण पूर्णतया ऐसे अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर बनाये गये हैं।

6. हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और लेखापरीक्षा से संबंधी हमारे मत के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत

7. हम प्रतिवेदित करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) के अंतर्गत लेखाकरण मानक(एएस) 21 -समेकित वित्तीय विवरण, लेखाकरण मानक(एएस) 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी निवेशों हेतु लेखांकन, तथा लेखाकरण मानक(एएस)27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्ट की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है।

8. हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित तथा पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों एवं कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और उपर्युक्त पैरा 5 में संदर्भित संयुक्त उद्यम की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करते हुए और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में, इसके साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक वास्तविक और निष्पक्ष स्थिति को निरूपित करते हैं:

   (क) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम के समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2013 के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति;

   (ख) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम के समेकित लाभ एवं हानि खाते विवरण के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का समेकित लाभ; तथा

   (ग) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान समेकित नकदी प्रवाह।

कृते बंसल एंड कंपनी	कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.001113एन	फर्म पंजी.सं.006747एन
(आर.सी.पांडे)	(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं.070811	सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2013

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. की प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में विवरण सूचना

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8)के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (8) के अंतर्गत नियंत्री कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के तुलन पत्र में अनुषंगी कंपनियों के वार्षिक लेखे संलग्न करने से कंपनियों को सामान्य छूट देने वाले कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं.2/2011 दिनांक 08 फरवरी, 2011 के सुझावानुसार।

31 मार्च, 2013 को यथास्थिति
(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लि. (आरईसीटीपीसीएल)	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (आरईसीपीडीसीएल)	विजाग ट्रांसमिशन लि. (वीटीएल)	कुडगी ट्रांसमिशन लि. (केटीएल)	नेल्लौर ट्रांसमिशन लि. (एनटीएल)	ऊंचाहार ट्रांसमिशन लि. (यूटीएल)	बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लि. (बीएसएसटीएल)
(क)	पूंजीगत	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
(ख)	आरक्षित	45.12	26.83	-	-	-	-	-
(ग)	कुल परिसंपत्तियां	52.84	40.07	1.45	0.53	0.48	0.47	0.41
(घ)	कुल देयताएं	7.67	13.19	1.40	0.48	0.43	0.42	0.36
(ड़)	निवेश के विवरण (अनुषंगी कंपनियों में निवेशों के मामले के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-
(च)	टर्न-ओवर	4.58	30.61	-	-	-	-	-
(छ)	कराधान पूर्व लाभ	4.08	15.98	-	-	-	-	-
(ज)	कराधान के लिए प्रावधान	1.16	5.17	-	-	-	-	-
(झ)	कराधान पश्चात लाभ	2.92	10.81	-	-	-	-	-
(ण)	प्रस्तावित लाभांश	0.10	0.05	-	-	-	-	-

प्रबंधन दल

श्रीमती आभा आनंद किशोर
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री विनोद बिहारी
कार्यकारी निदेशक
(मा.सं. एवं सी.सी.)

श्री वी.के.अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक
(वित्त)

श्री सुशील कुमार लोहानी
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई एवं मु.का.अधि.-
आरईसीपीडीसीएल)

श्री डी.एस.आहलूवालिया
कार्यकारी निदेशक
(वित्त)

श्री अशोक अवस्थी
कार्यकारी निदेशक
(प्रशा./आरईएन एवं एसडी/
आईटी/एस्टेट/परि.मॉनी.)

श्री संजीव गर्ग
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री सुनील कुमार
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री एस.एन.गायकवाड़
महाप्रबंधक
(परियोजना मॉनीटरिंग)

श्री एस.के.गुप्ता
महाप्रबंधक
(पारेषण एवं वितरण एवं मु.का.अधि.-
आरईसीटीपीसीएल)

श्री राकेश कुमार अरोड़ा
महाप्रबंधक
(संसा./सीपी/सीएसआर)

श्री टी.एस.सी.बोस
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई/एसटीडी/क्यूसी)

श्री दिनेश कुमार
महाप्रबंधक
(आरईएन)

श्री एम.के. मित्तल
महाप्रबंधक
(ईएपी/सीए एंड टी/एएलएम)

श्री जी.एस.भाटी
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री वी.के.गोविल
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री एल.एम.वर्मा
महाप्रबंधक
(सतर्कता)

श्रीमती कल्पना कौल
महाप्रबंधक
(मा.सं.एवं सीसी)

श्री जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक
एवं कंपनी सचिव

श्री सी.पी भाटिया
आंचलिक प्रबंधक
(पश्चिम अंचल)

श्री जयदेव बनर्जी
आंचलिक प्रबंधक
(पूर्वी अंचल)

श्री राकेश सरीन
आंचलिक प्रबंधक
(उत्तरी अंचल)

श्री पी.एस.हरिहरन
आंचलिक प्रबंधक
(दक्षिणी अंचल)

श्री एन.के.मौर्या
आंचलिक प्रबंधक
(पूर्व मध्य अंचल)

आरईसी कार्यालयों के पते

क्र.सं.	राज्य/संघ	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई-मेल
	कारपोरेट आफिस	कोर, 4 स्कोप कांप्लेक्स 7, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003	011-41020101 011-24365161	फैक्स : 011-24360644 ई-मेल : reccorp@recl.nic.in
	आंचलिक कार्यालय			
क्र.सं.	**आंचलिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों/ राज्य एवं संघ राज्य-क्षेत्रों का अंचल/स्थान**	**पता**	**टेलीफोन नं.**	**फैक्स/ई-मेल**
1	**दक्षिणी अंचल** **बेंगलूर** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी एवं तमिलनाडु	नं. 1/5, अलसूर रोड, बैंगलूर-560042	080-25550240 080-25598035 080-25598244	फैक्स : 080-25598243 ई-मेल : zmhyderabad@recl.nic.in
2	**पूर्वी अंचल** **कोलकाता** पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम और उड़ीसा	आईसीएमएआरडी बिल्डिंग, 7वां तल, ब्लॉक 14/2, सीआईटी स्कीम-VIII (एम) उल्टाडंगा, कोलकाता-700067	033-23566989 033-23567017 033-23567018	फैक्स : 033-23566991 ई-मेल : zmkolkata@recl.nic.in
3	**पूर्व मध्य अंचल** **पटना** बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड	मौर्य लोक कांप्लेक्स, ब्लॉक -सी, चतुर्थ तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना-800001	0612-2221131 0612-2224596	फैक्स : 0612-2224596 ई-मेल : recpatna@yahoo.co.in popatna@recl.nic.in
4	**पश्चिम अंचल** **मुंबई** महाराष्ट्र, गुजरात, दादर एवं नगर हवेली, मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़, गोवा, दमन एवं दीव	51-बी, मित्तल टावर, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021	022-22830985 022-22833068 022-22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.nic.in
5	**उत्तरी अंचल** **पंचकुला** हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश	बे सं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकुला- 134112	0172-2563864 0172-2563863 0172-2563822	फैक्स : 0172-2567692 ई-मेल : popanchkula@recl.nic.in zmpanchkula@recl.nic.in
	परियोजना कार्यालय			
1	आंध्र प्रदेश	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं.7 हैदराबाद-500052	040-24014034 040-24014420	फैक्स : 040-24014235 ई-मेल : zmhyderabad@recl.nic.in
2	असम, नागालैंड, एवं अरूणाचल प्रदेश	'श्रद्धा' एम.जी.रोड -जी.एस.रोड क्रासिंग (सोहुम/एचडीएफसी प्वाइंट) क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी	0361-2343712 0361-2343713 0361-2343714	फैक्स : 0361-2343712 ई-मेल : cpmpog@sify.com poguwahati@recl.nic.in
3	बिहार	मौर्य लोक कांप्लेक्स, ब्लॉक -सी, चतुर्थ तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना-800001	0612-2221131 0612-2224596	फैक्स : 0612-2224596 ई-मेल : recpatna@yahoo.co.in popatna@recl.nic.in

क्र.सं.	आंचलिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों/ राज्य एवं संघ राज्य-क्षेत्रों का अंचल/स्थान	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई-मेल
4	झारखंड	ए-101 एवं डी -104, ओम श्री एन्क्लेव, लोयोला स्कूल के पास, एयरपोर्ट रोड, हीनू रांची-834002	0651-2253123	फैक्स : 0651-2251320 ई-मेल : rec_ranchi@yahoo.com poranchi@recl.nic.in
5	गुजरात,दादर व नगर हवेली	प्लॉट नं.585, टी.पी. स्कीम नं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के पीछे, वी.एम.सी. वार्ड आफिस के सामने, आत्मा ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वडोदरा -390023	0265-2397487 0265-2387375(R)	फैक्स : 0265-2397652 ई-मेल : recvadodara@gmail.com povadodara@recl.nic.in
6	हरियाणा, दिल्ली, चंड़ीगढ एव पंजाब	बे नं.7-8,सेक्टर-2, पंचकुला-134112	0172-2563864 0172-2563863 0172-2563822	फैक्स : 0172-2567692 ई-मेल : popanchkula@recl.nic.in
7	हिमाचल प्रदेश	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेस I I, प्रथम तल, दि रिज, शिमला-171001	0177-2653411 0177-2804077	फैक्स : 0177-2804077 ई-मेल : poshimla@recl.nic.in
8	जम्मू एवं कश्मीर	157-ए,गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू-180004	0191-2450868 0191-2450800	फैक्स : 0191-2450868 ई-मेल : pojammu@recl.nic.in
9	कर्नाटक	नं. 1/5, अलसूर रोड, बंगलौर-560042	080-25598244 080-25550240	फैक्स : 080-25598243 ई-मेल : pobangalore@recl.nic.in ruralblr_cpm@dataone.in
10	केरल एवं लक्षदीप	'ओ'-5 चतुर्थ तल, 'सफालियम' कमर्शियल कांप्लेक्स, ट्रिडा बिल्डिंग पलायम, तिरूवनंतपुरम-695034	0471-2328662 0471-2327132 080-25598035	फैक्स : 0471-2328579 ई-मेल : tvmrec@dataone.in recpotvm@dataone.in potrivandrum@recl.nic.in
11	मध्य प्रदेश एवं छत्तीस गढ़	ई-3/15,अरेरा कालोनी, भोपाल	0755-2460006 0755-2460061	फैक्स : 0755-2460008
12	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव	51-बी, मित्तल टावर, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट मुंबई-400021	022-22830985 022-22833068 022-22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.nic.in
13	मेघालय, मणिपुर एवं मिजोरम	रिनाडी ओल्ड जोबाई रोड, लाचुमियर, शिलांग-793001	0364-2210190 0364-2225687 0364-2536860®	फैक्स : 0364-2225687 ई-मेल : poshillong@recl.nic.in
14	उड़ीसा	दीन दयाल भवन, पांचवां तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर - 751009	0674-2536649 0674-2393206	फैक्स : 0674-2536669 ई-मेल : recpobbsr@yahoo.co.in pobhubaneswar@recl.nic.in

क्र.सं.	आंचलिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों/ राज्य एवं संघ राज्य-क्षेत्रों का अंचल/स्थान	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई-मेल
15	राजस्थान	जे-4-ए, झालाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	0141-2706986 0141-2700161	फैक्स : 0141-2706986 ई-मेल : pojaipur@recl.nic.in
16	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	नं. 12 एवं 13 टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, लूज चर्च रोड, 180, (लूज कॉर्नर) माइलापोर, चेन्नै - 600004	044-24672376 044-24987960 044-24987960	फैक्स : 044-24670595 ई-मेल : pochennai@recl.nic.in
17	उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	19/8, इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ-226016	0522-2716324 0522-2717376 0522-2716446	फैक्स : 0522-2716815 ई-मेल : recuppo@yahoo.in zmlucknow@recl.nic.in
18	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	आईसीएमएआरडी, बिल्डिंग, 7वां तल,ब्लॉक, 14/2, सीआईटी स्कीम-VIII (एम), उल्टाडंगा, कोलकाता-700067	033-23566989 033-23567017 033-23567018	फैक्स : 033-23566991 ई-मेल : zmkolkata@recl.nic.in
	उप कार्यालय			
1	छत्तीसगढ़	के एच सं. 185/17, शांति विहार कालोनी, (विवेकानंद स्कूल के सामने) दाऊगनिया रायपुर - 492013	0771-2241055	फैक्स : 0771-2241055
2	देहरादून	7, न्यू रोड, एमकेपी कालेज के सामने, देहरादून-248001	0135-2650766 0135-2650799	फैक्स : 0135-2650799
	प्रशिक्षण केंद्र			
	सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर)	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7, हैदराबाद-500052	040-24018583 040-24015901	फैक्स : 040-24015896 ई-मेल : cire@recl.nic.in

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003, दूरभाषः 24365161
फैक्सः 24360644, ई-मेलः reccorp@recl.nic.in.Website: www.recindia.nic.in

www.sapprints.com